



**कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा  
(पी जी डी ए ई एम)**

**कोर्स कोड: एईएम 101  
पाठ्यक्रम शीर्षक: कृषि विस्तार का परिचय (3 क्रेडिट)**



**राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)**  
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन) हैदराबाद - 500  
030, भारत.

[www.manage.gov.in](http://www.manage.gov.in)



## **प्रकाशक**

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज),  
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत.

प्रथम संस्करण: 2007

संस्करण: 2013

नया संस्करण: 2015

संस्करण: 2021

@मैनेज, 2007

सभी अधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी भाग मैनेज से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी रूप में, अनुलिपि बनाकर अथवा किसी अन्य प्रकार से, पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

**डॉ. पी. चन्द्रा शेखरा,**

महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)  
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत.

**कार्यक्रम समन्वयक**

डॉ. विनीता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़), मैनेज

**सहयोगी (2007)**

डॉ. आर. के. सामंथा, पूर्व वीसी, बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल

**सहयोगी (2013)**

- डॉ. एस. सेंथिल विनायगम, निदेशक (कृषि विस्तार) एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीईएम), मैनेज  
डॉ. पी. चंद्रशेखर, निदेशक (कृषि विस्तार) एवं निदेशक (सीएडी), मैनेज  
डॉ. करीम, उप निदेशक (कृषि विस्तार), मैनेज  
डॉ. उमा रानी, उप निदेशक, मैनेज  
डॉ. एन. बालासुब्रमणि, उप निदेशक (ओएसपीएम) एवं पी.सी. (देसी), मैनेज  
डॉ. बी. रेणुका रानी, सहायक निदेशक (एचआरडी), मैनेज  
श्री. पी. वेंकट रेड्डी, सलाहकार (देसी), मैनेज  
डॉ. विजयभिनंदन, प्रोफेसर (कृषि विभाग विस्तार), एएनजीआरएयू  
डॉ. वी.के. जयराघवेंद्र राव, प्रोफेसर और प्रिंसिपल एस, नार्म  
डॉ. भरत एस. सोंतक्की, प्रोफेसर और पी.एस., नार्म  
डॉ. आर. वेंकटकुमार, प्रोफेसर और पी.एस.नार्म  
डॉ. आर एम प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, के.ए.यू.

**सहयोगी (2021)**

- डॉ. एम. ए. करीम, पूर्व उप निदेशक (कृषि विस्तार), मैनेज  
डॉ. एम. सूर्य मणि, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक, ईईआई, हैदराबाद

**हिन्दी अनुवादक व अनुवाद सहयोग**

- डॉ. के. श्रीवल्ली, वरिष्ठ अनुवादक, मैनेज



<b>ईईएम 101: पाठ्यक्रम शीर्षक: कृषि विस्तार का परिचय (3 क्रेडिट)</b>		
<b>ब्लॉक/ यूनिट की संख्या</b>	<b>यूनिट की नाम</b>	<b>पृष्ठ संख्या</b>
<b>ब्लॉक I: कृषि विस्तार में वर्तमान परिदृश्य</b>		
यूनिट 1	अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत, दर्शन और विस्तार की प्रक्रिया	4 - 18
यूनिट 2	कृषि विस्तार, परिवर्तन एजेंट / विस्तार एजेंट का मूल्यांकन	19 - 89
यूनिट 3	विस्तार पद्धतियां - व्यक्तिगत, समूह और जन संपर्क	90 - 105
यूनिट 4	वैकल्पिक विस्तार दृष्टिकोण	106 - 132
<b>ब्लॉक-II: कृषि विस्तार में नए आयाम</b>		
यूनिट 1	कृषि विस्तार प्रणाली का पुनरोद्धार	134-173
यूनिट 2	रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी)	174-179
यूनिट 3	किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली	180-224
यूनिट 4	फार्मर फील्ड स्कूल - अवधारणा और उनका संचालन	226 - 258
<b>ब्लॉक-III: कृषि विकास के लिए संस्थागत ढांचा</b>		
यूनिट 1	कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए संस्थागत सहयोग	260 - 281
यूनिट 2	कृषि विस्तार प्रबंधन में मामलों का अध्ययन (केस स्टडी) और सफलता की कहानियां	282 - 301

## ब्लॉक I: कृषि विस्तार में वर्तमान परिदृश्य

### यूनिट - 1

#### अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत, दर्शन और विस्तार की प्रक्रिया

#### संरचना

- 1.0. उद्देश्य
- 1.1 परिचय
- 1.2 कृषि विस्तार की अवधारणा
- 1.3 विस्तार उद्देश्य और कृषि विकास को हासिल करने के लिए कार्यों को समर्थन
- 1.4 कृषि विस्तार के सिद्धांत
- 1.5 दर्शन, आवश्यकताएं तथा कृषि विस्तार के स्तर
- 1.6 कृषि विस्तार में शामिल प्रक्रियाएं और कदम

#### 1.0. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे:

- कृषि विस्तार के अर्थ और अवधारणा को;
- उद्देश्यों, सिद्धांतों और दर्शन पर किसानों तथा अन्य ग्राहकों से प्रभावी ढंग से चर्चा कर सकेंगे;
- कृषि विस्तार में शामिल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण प्रक्रिया और चरणों का वर्णन कर सकेंगे;



## 1.1 परिचय

भारत और विकासशील देशों में कृषि का उद्देश्य निर्वाह कृषि से आजीविका संवीक्षा में सुधार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता के लिए कृषि का स्वरूप बदल रहा है. पेशेवर और तकनीकी कर्मचारियों की दृष्टि से भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विस्तार प्रणाली है. भारत में कृषि विस्तार प्रणाली के स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया जारी है ताकि किसानों की बढ़ती मांग पूरी की जा सके और उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बना जा सके.

कृषि में, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता यह निर्धारित करती है कि उत्पादक कारकों जैसे मृदा, जल और पूंजी का उपयोग कैसे किया जाता है. कृषि विस्तार इस ज्ञान को तैयार करने और उसका प्रसार करने तथा किसानों को सक्षम निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करने का केंद्र है. इस प्रकार अधिकांश कृषि विकास परियोजनाओं में विस्तार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कृषि विस्तार का प्राथमिक लक्ष्य कृषक परिवारों को उनके उत्पादन और विपणन रणनीतियों में तेजी से बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलने में सहायता करना है ताकि वे आने वाले समय में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और समुदाय के लोगों के अनुसार अपने जीवन को आकार दे सकें.

कृषि विस्तार को आमतौर पर एक प्रक्रिया और प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें कृषि के तरीकों से संबंधित जानकारी, ज्ञान और कौशल को विभिन्न चैनलों और विधियों के माध्यम से उसके ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. कृषि विस्तार को आमतौर पर ज्ञान के



निर्माण व उसका प्रसार करने तथा किसानों को सक्षम निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करने का केंद्र माना जाता है.

## 1.2 कृषि विस्तार की अवधारणा

'विस्तार (एक्सटेंशन)' शब्द का उपयोग इंग्लैंड में वर्ष 1866 में विश्वविद्यालय विस्तार की प्रणाली के साथ हुआ था जिसे पहले केंब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा तथा बाद में इंग्लैंड व अन्य देशों में अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया था. शब्द 'विस्तार शिक्षा' का प्रयोग पहली बार वर्ष 1873 में केंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा आम जनता तक विश्वविद्यालयों के शैक्षिक लाभ को पहुंचाने के लिए किया गया था. ऐसे कई विशेषज्ञ और प्रेक्टिसनर हैं जिन्होंने विस्तार के कार्यों के कई पहलुओं को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार से विस्तार को परिभाषित किया है और उस पर अपना मत दिया है.

ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण लोगों के लिए विस्तार का अर्थ कृषि में शिक्षा और घर में अर्थशास्त्र है. यह शिक्षा व्यावहारिक है, जिसका उद्देश्य खेती और घर को बेहतर बनाना है.

विस्तार या कृषि विस्तार की सामान्य शब्दावली अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान है, जो अपेक्षाकृत मूल से अलग है. इसे समझना होगा और कार्य के परिवेश की भलाई के लिए इस पर कार्य करना होगा; हम मूल से अनुप्रयुक्त तक सीखते हैं.

एनसमिंगर (Ensminger वर्ष 1957) के अनुसार, विस्तार शिक्षा है तथा इसका उद्देश्य उन लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है जिनके साथ कार्य किया जाना है. लीगन्स (Leagans वर्ष 1961) ने विस्तार शिक्षा की अवधारणा अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में की है जिसमें



अनुसंधान, क्षेत्र से संचित अनुभवों तथा वयस्कों और युवाओं के लिए विद्यालय के बाहर शिक्षा की समस्याओं पर केंद्रित दर्शन, सिद्धांतों, सामग्रियों और विधियों को एक निकाय के रूप में उपयोगी तकनीक के साथ प्रासंगिक सिद्धांतों को व्यवहार विज्ञान से संश्लेषित किया गया है।

क्षेत्र में अभ्यास करने के अलावा, विस्तार को पहले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में औपचारिक रूप से सिखाया जाता है और साथ ही डिग्री भी प्रदान की जाती है। विस्तार में अनुसंधान भी किया जाता है। विस्तार के लिए विशेष यह है कि वह ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस विषय के ज्ञान का प्रयोग करता है। इस संदर्भ में, विस्तार को जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार के लिए जनता में क्षमता विकसित करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विस्तार का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है।

विस्तार की अवधारणा निम्नलिखित मूल मद्दों पर आधारित है:

1. जनता में व्यक्तिगत उन्नति और विकास की असीमित क्षमता है।
2. विकास उनके जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है, अगर सीखने के पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किए जाएं।
3. वयस्क केवल सीखने के लिए अधिगम में रुचि नहीं रखते। वो प्रेरित होते हैं जब नई शिक्षा अमल करने, उत्पादकता बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करती हैं।





4. ग्रामीण आबादी को इस प्रकार की शिक्षा चरणगत तरीके से निरंतर दी जाती है तथा इसे निरंतर आधार पर प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि समस्याओं के साथ-साथ उत्पादन और रहन-सहन की तकनीकें लगातार बदल रही हैं.
5. आवश्यक ज्ञान और कौशल को देखते हुए, जनता अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ के लिए इष्टतम विकल्पों को चुनने में सक्षम है.

### 1.3 विस्तार उद्देश्य और कृषि विकास को हासिल करने के लिए कार्यों को समर्थन

विस्तार उद्देश्य: विस्तार के सामान्य उद्देश्य हैं-

1. लोगों को उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने तथा उनकी जरूरतों की पहचान करने में सहायता करना.
2. लोगों के बीच नेतृत्व विकसित करना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समूहों के आयोजन में उनकी मदद करना.
3. लोगों के बीच आर्थिक और व्यावहारिक महत्व के अनुसंधानों की जानकारी का इस प्रकार से प्रसार करना कि वह उसे समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें.
4. लोगों को उन संसाधनों को जुटाने और उपयोग करने में सहायता करना जो उनके पास हैं और जिनकी उन्हें बाहर से आवश्यकता है.
5. फार्म प्रबंधन की समस्याओं को हल करने के लिए को सूचनाओं को एकत्रित करना तथा प्रतिपुष्टि को संचारित करना.



## विस्तार के कार्य

**ज्ञान में परिवर्तन** - का अर्थ है कि लोगों के पास जो जानकारी है उसमें परिवर्तन. उदाहरण के लिए, किसान जिन्हे हाल ही में आए एचवाईवी (HYV) फसल की जानकारी नहीं थी उन्हें विस्तार कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से इसकी जानकारी मिली. विस्तार एजेंट (ईए) जो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद इसका पता चला.

**कौशल में परिवर्तन** - कार्य को करने की तकनीक में परिवर्तन है. किसानों ने एचवाईवी (HYV) फसल उगाने की तकनीक सीखी, जिसे वे पहले से नहीं जानते थे. विस्तार एजेंटों (ईए) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को उपयोग करने का कौशल सीखा.

**दृष्टिकोण में परिवर्तन** - इसके अंतर्गत कुछ चीजों के प्रति भावना या प्रतिक्रिया में परिवर्तन शामिल है. किसानों ने एचवाईवी (HYV) फसल के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित किया. विस्तार कार्यक्रम में विस्तार एजेंटों (ईए) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग के बारे में अनुकूल भावना विकसित की.

**समझदारी में परिवर्तन** - मतलब सूझ-बूझ में बदलाव. किसानों ने अपनी फसल प्रणाली में एचवाईवी (HYV) फसल के महत्व को समझा और मौजूदा फसलों में विविधता की तुलना में इनके आर्थिक रूप से लाभदायक और वांछनीय होने को बहुत हद तक महसूस किया. विस्तार एजेंटों (ईए) ने आईटी के उपयोग और यह किस हद तक विस्तार के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगा, को समझा.



**लक्ष्य में परिवर्तन** - किसी के द्वारा दी गई अवधि के दौरान एक निश्चित दिशा में तय की जाने वाली दूरी से है. किसानों ने किस हद तक अपने फसल उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाया जैसे किसी विशेष मौसम में प्रति हेक्टेयर एचवाईवी (HYV) की खेती करके फसल की पैदावार को पांच क्विंटल तक बढ़ोत्तरी करना. विस्तार एजेंटों (ईए) ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि किस प्रकार एक निश्चित अवधि के भीतर आईटी का उपयोग करके किसान बेहतर अभ्यासों को अपना सकें.

**कार्यशैली में परिवर्तन** - मतलब निष्पादन या कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना. जिन किसानों ने पहले एचवाईवी (HYV) फसल की खेती नहीं की थी, उन्होंने भी इसकी खेती की. विस्तार एजेंटों (ईए) जो पहले अपने विस्तार कार्यक्रमों में आईटी का उपयोग नहीं करते थे, उन्होंने भी उपयोग करना आरंभ कर दिया.

**आत्मविश्वास में परिवर्तन** - इसमें आत्मनिर्भरता में बदलाव शामिल है. किसानों को लगा कि उनमें फसल की उपज बढ़ाने की क्षमता है. बेहतर विस्तार कार्य करने की अपनी क्षमता पर विस्तार एजेंटों (ईए) में विश्वास जागृत हुआ. आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता में उन्नति प्रगति करने का ठोस आधार है.

**विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है** - इस उद्देश्य के लिए विस्तार कार्मियों को निरंतर नई-नई जानकारियां हासिल करनी हैं ताकि विस्तार और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके. किसानों और घरवालों को भी पहल करते हुए अपने खेतों और घर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. यह कार्य कठिन है क्योंकि अपने स्वयं के



विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोणों, संसाधनों और बाध्यताओं के साथ कम शिक्षित लाखों किसान परिवार बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जो विविध उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं.

#### 1.4 कृषि विस्तार के सिद्धांत

सिद्धांत सामान्यीकृत दिशानिर्देश हैं, जो सुसंगत रूप से निर्णय लेने और कार्रवाई करने का आधार बनाते हैं. विस्तार के सार्वभौमिक सत्य, जिन्हें देखा गया है तथा अलग-अलग अवस्थाओं और परिस्थितियों में उपयुक्त पाया गया है, प्रस्तुत हैं-.

1. **सांस्कृतिक अंतर के सिद्धांत:** संस्कृति का अर्थ है सामाजिक विरासत. विस्तार एजेंटों और किसानों के बीच सांस्कृतिक अंतर है. मतभेद उनकी आदतों, रीति-रिवाजों, मूल्यों, दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके में हो सकते हैं. विस्तार कार्य की सफलता के लिए लोगों के सांस्कृतिक पैटर्न के साथ सामंजस्य बिठाना आवश्यक है.
2. **मूल से जुड़े सिद्धांत:** विस्तार कार्यक्रम स्थानीय समूहों, स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय समस्याओं से आरंभ होनी चाहिए. ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए. जहां लोग हैं और उनके पास क्या है, से विस्तार कार्य आरंभ होनी चाहिए. मौजूदा स्थिति से परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए.
3. **स्वदेशी ज्ञान का सिद्धांत:** स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का विकास पीढ़ियों से विशिष्ट परिस्थितियों में उनके कार्य अनुभवों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से विकसित हुआ है. स्वदेशी ज्ञान प्रणाली जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है और लोग इसे अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं. अतः इससे पहले कि विस्तार एजेंट उन्हें कुछ नया सुझाएं, उन्हें इनको तथा लोगों के जीवन में इनके प्रभाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए.



4. **हित और आवश्यकता का सिद्धांत:** लोगों की रुचियां और आवश्यकताएं विस्तार कार्य के आरंभिक बिंदु हैं। लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं और हितों की पहचान करना विस्तार एजेंटों के लिए चुनौती भरा कार्य है। विस्तार एजेंटों को अपनी आवश्यकताओं और हितों को लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए। विस्तार कार्य तभी सफल होगा जब यह लोगों की रुचियों और आवश्यकताओं पर आधारित होगा जैसा कि लोग समझते हैं।
5. **कार्य करके सीखने का सिद्धांत:** अधिगम को तब तक परिपूर्ण नहीं समझा जाता है, जब तक कि लोग वास्तव में स्वयं कार्य को न करें। लोगों के व्यवहार को बदलने में कार्य करके सीखना सबसे प्रभावी है। इससे आत्मविश्वास विकसित होता है क्योंकि इसमें अधिकाधिक संवेदी अंग शामिल होते हैं। लोगों को सीखना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और परिणाम क्या होगा।
6. **सहभागिता सिद्धांत:** ग्रामीण समुदाय के अधिकांश लोगों को स्वेच्छा से सहयोग करना चाहिए तथा समस्याओं की पहचान करने, समस्याओं के समाधान के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने और वांछित परिणाम प्राप्त करने में परियोजनाओं को लागू करने में भागीदारी करनी चाहिए।

विस्तार कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता का मूलभूत महत्व है। लोगों को कार्यक्रम को विकसित करने और उसे लागू करने में भागीदारी करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि यह उनका अपना कार्यक्रम है।



1. **पारिवारिक सिद्धांत:** परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। अतः विस्तार का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण परिवार को विकसित करना है। इसलिए किसानों, महिला किसानों और खेती करने वाले युवाओं को भी विस्तार कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए।
2. **नेतृत्व का सिद्धांत:** विभिन्न प्रकार के नेतृत्व की पहचान करना और उनके माध्यम से कार्य करना विस्तार में आवश्यक है। नेतृत्व के लक्षण लोगों में विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने आप को कम वांछनीय से अधिक वांछनीय स्थिति में बदल सकें। गांवों में परिवर्तन लाने के वाहक के रूप में कार्य करने के लिए नेतृत्व को प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए स्थानीय नेतृत्व की भागीदारी और उनके द्वारा दी गई वैधता आवश्यक है।
3. **अनुकूलनशीलता क्षमता का सिद्धांत:** विस्तार कार्य और विस्तार अधिगम पद्धतियों को लचीला होना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि लोग, उनकी स्थिति, उनके संसाधन और बाधाएं जगह-जगह और समय-समय पर बदलती रहती हैं।
4. **संतुष्टि का सिद्धांत:** विस्तार कार्य का अंतिम उत्पाद लोगों के लिए संतोषजनक परिणाम उत्पन्न करना है। संतोषजनक परिणाम अधिगम को सुदृढ़ करते हैं और लोगों को और अधिक सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं।
5. **मूल्यांकन का सिद्धांत:** मूल्यांकन स्थिरता को रोकता है। एक निरंतर अंतर्निहित पद्धति होनी चाहिए जो पता लगा सके कि किस हद तक पहले से तय किए गए उद्देश्यों के अनुरूप



परिणाम प्राप्त हुए हैं. मूल्यांकन को अंतराल और आगे सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संकेत देने वाला होना चाहिए.

## 1.5 दर्शन, आवश्यकताएं तथा कृषि विस्तार के स्तर

### विस्तार के दर्शन

केल्सी और हर्ने (Kelsey and Hearne वर्ष 1967) के अनुसार, विस्तार शिक्षा का मूल दर्शन लोगों को यह सिखाना है कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है. विस्तार की विशिष्ट नौकरी प्रेरणादायक, विशिष्ट सलाह और तकनीकी मदद प्रदान करना तथा परामर्श देना है ताकि लोग व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय के रूप में साथ मिलकर एक इकाई के रूप में अपनी समस्याओं, अपने स्वयं के पाठ्यक्रमों के 'ब्लूप्रिंट' को तैयार कर सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें. बेहतर विस्तार दर्शन हमेशा भविष्य की सोचता है. यह दर्शन आवश्यकताओं और विस्तार के स्तरों का आधार बनता है.

### विस्तार की आवश्यकता

विस्तार की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि सामान्य रूप से ग्रामीणों और विशेष रूप से कृषकों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए. वास्तविक परिस्थिति क्या है और वांछनीय परिस्थिति क्या होनी चाहिए - के बीच अंतर है. इस अंतर को उनके उद्यमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा तथा उनके व्यवहार में उचित परिवर्तन करके कम करना है.

सुपे (Supe, वर्ष 1987) के अनुसार, शोधकर्ताओं के पास न तो समय है और न ही वे ग्रामीणों को वैज्ञानिक तरीके अपनाने और ग्रामीण समस्याओं का पता लगाने के लिए राजी



करने के पद्धति से सुसज्जित हैं। इसी तरह, सभी किसानों के लिए अनुसंधान स्टेशनों तक जाकर प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। अतः किसानों के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों की व्याख्या करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान करने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता है। इसी कार्य को विस्तार एजेंसी करती है।

**विस्तार के स्तर** - विस्तार आमतौर पर दो स्तर पर कार्य करता है, विस्तार शिक्षा और विस्तार सेवाएं। दोनों स्तर पर विस्तार परस्पर जुड़े हैं परंतु इसके साथ ही अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं।

**विस्तार शिक्षा** - विस्तार अधिगम की भूमिका आमतौर पर उच्च अधिगम संस्थानों जैसे कृषि व अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, आईसीएआर संस्थानों, गृह विज्ञान कॉलेजों तथा शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण और विस्तार संगठनों द्वारा निभाई जाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तार अधिगम और अनुसंधान के साथ एकीकृत होता है जबकि अनुसंधान संस्थानों में विस्तार अनुसंधान के साथ एकीकृत होता है। अन्य शीर्ष स्तर के संगठनों में विस्तार आमतौर पर विस्तार में प्रशिक्षण के साथ एकीकृत होता है।

**विस्तार सेवाएं** - इसका काम बेहतर कार्य के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक सेवा प्रदान करना है। विस्तार सेवा प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि राज्य सरकार के विभाग संपूर्ण राज्य के किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर विस्तार कार्य करते हैं। विभाग संबंधित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं ताकि विस्तार कार्य के लिए उपयुक्त




प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली प्राप्त की जा सके तथा क्षेत्र से प्राप्त प्रतिक्रिया की जानकारी अनुसंधान के लिए उन्हे दी जा सके.

## 1.6 कृषि विस्तार में शामिल प्रक्रियाएं और चरण

### विस्तार की अधिगम प्रक्रिया

विस्तार शिक्षा एक सहभागिता प्रक्रिया है और इसमें पाँच आवश्यक और परस्पर संबंधित चरण शामिल हैं. लीगन्स (Leagans, वर्ष 1967) द्वारा विकसित अवधारणा के आधार पर इन चरणों के अनुक्रम पर चर्चा की गई है.



**पहला चरण:** पहले चरण में तथ्यों का संग्रह और परिस्थिति का विश्लेषण किया जाता है. लोग और उनके उद्यमों के बारे में तथ्य: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और तकनीकी वातावरण जिसमें वे रहते हैं और कार्य करते हैं. ये उपयुक्त सर्वेक्षण और लोगों के साथ तालमेल स्थापित करके प्राप्त किए जा सकते हैं.



**दूसरा चरण:** अगला चरण यथार्थवादी उद्देश्यों पर निर्णय लेना है जिसो समुदाय द्वारा पूरा किया जा सकता है. स्थानीय लोगों को शामिल करके सीमित उद्देश्यों का चयन किया जाना चाहिए. उद्देश्य विशिष्ट और स्पष्ट होने चाहिए तथा जिसके पूर्ण होने पर समुदाय को संतुष्टि मिलनी चाहिए. उद्देश्यों से लोगों को व्यावहारिक परिवर्तन के साथ-साथ वांछित आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी मिलने चाहिए.

**तीसरा चरण:** तीसरा चरण अधिगम है, जिसमें लोगों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए (सामग्री) और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए (प्रयोग की जाने वाले पद्धति व सहायक सामग्री) का चुनाव शामिल है. इसमें समुदाय के लिए प्रासंगिक आर्थिक और व्यावहारिक महत्व के शोध निष्कर्षों तथा उपयुक्त अधिगम पद्धतियों व सहायक सामग्रियों के संयोजन के चयन की आवश्यकता है.

**चौथा चरण:** चौथा चरण अधिगम का मूल्यांकन करना है अर्थात् यह निर्धारित करना कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है. एक शैक्षिक कार्यक्रम के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए पुनः सर्वेक्षण करना वांछनीय है. बदले हुए व्यवहार के साक्ष्य एकत्र किए जाने चाहिए जो न केवल सफलता का पैमाना तय करेगा, बल्कि यदि कोई कमी है तो उसे भी इंगित करेगा.

**पांचवां चरण:** पांचवां चरण मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर संपूर्ण विस्तार शैक्षिक कार्यक्रम पर फिर से विचार करना है. मूल्यांकन की प्रक्रिया में पहचानी गई समस्याएं विस्तार शैक्षिक कार्यक्रम के अगले चरण के लिए आरंभिक बिंदु बन सकती हैं, जब तक कि कोई नई समस्याएं खड़ी नहीं होती या नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं.



इस प्रकार, विस्तार शिक्षा की निरंतर प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, परिणामस्वरूप लोगों की प्रगति कम वांछनीय से अधिक वांछनीय स्थिति तक हो सकेगी.

**1.7 निष्कर्ष:** अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत, दर्शन तथा विस्तार की प्रक्रिया के अध्याय किसानों और अन्य ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से कृषि विस्तार, सिद्धांत और दर्शन के अर्थ और अवधारणा को पहुंचाने की व्याख्या करते हैं तथा विस्तार कर्मियों तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में कृषि विस्तार में शामिल प्रक्रियाओं और कदमों का वर्णन करते हैं.

#### 1.7 प्रश्न:

1. विस्तार शिक्षा से आप क्या समझते हैं ?
2. वे मूल धारणाएं क्या हैं जो विस्तार अवधारणा के विकास का कारण बनी ?
3. विस्तार के उद्देश्यों को संक्षेप में सूचीबद्ध करें ?
4. विस्तार के कार्यों का वर्णन करें ?
5. विस्तार के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताएं ?
6. सिद्ध करें कि विस्तार एक प्रक्रिया है ?

#### 1.8.

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997
3. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.



## यूनिट -2

### कृषि विस्तार, परिवर्तन एजेंट / विस्तार एजेंट का मूल्यांकन

#### संरचना

2.0. उद्देश्य

2.1. परिचय

2.2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम

2.3. कृषि विकास के लिए विस्तार की रणनीति

2.4. कृषि विकास और विस्तार कार्यक्रम

2.5. कृषि विकास में विभिन्न ग्राहक केन्द्रित कार्यक्रम और परियोजनाएं

2.6. अन्य देशों में विस्तार कार्यक्रम

2.7. परिवर्तन एजेंट / विस्तार एजेंट

2.8 उपसंहार

2.0. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे :

- कृषि विस्तार और उसके कार्यक्रम की गतिविधियों की उत्पत्ति को जानकारी.
- किसानों की मदद के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों से परिचित होंगे..



- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं से परिचित होंगे.
- भारत और अन्य देशों में विशिष्ट कृषि विस्तार कार्यक्रमों को जान सकेंगे.

## 2.1 परिचय

कृषि विस्तार एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है किसानों की शिक्षा के माध्यम से कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधानों और नये ज्ञान का अनुप्रयोग. विस्तार के क्षेत्र में अब ग्रामीणों के लिए कृषि, कृषि विपणन, स्वास्थ्य और व्यवसाय अध्ययन सहित विभिन्न विषयों के पेशेवरों द्वारा आयोजित संचार और अधिगम गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है.

विस्तार शब्द का प्रयोग पहली बार 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का वर्णन करने के लिए किया गया था; इन कार्यक्रमों ने परिसर से बाहर और पड़ोसी समुदाय में विश्वविद्यालयों के कार्य को फैलाने - या विस्तार करने में मदद की. इस शब्द को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया जबकि 20 वीं शताब्दी में ब्रिटेन में "सलाहकार सेवा" ने इसकी जगह ले ली. दुनिया के विभिन्न भागों में इसके समान या समान अवधारणा का वर्णन करने के लिए कई अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है.

विस्तार अधिगम के उद्देश्य हैं:

- "उम्र भर सीखना"
- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर सीख लेने तथा आगे और ज्ञान व कौशल हासिल करने के लिए कैंपस के बाहर वयस्कों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना.
- लोगों को स्वयं के विकास और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्कृष्ट चैनल और अवसर प्रदान करना.



## परिभाषा

शब्द विस्तार का प्रयोग पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किसानों तक भूमि अनुदान कॉलेजों द्वारा ज्ञान के प्रसार के लिए इस सदी के पहले दशक में किया गया था. भारत में, विस्तार का कार्य मुख्य रूप से एफ.एल. ब्रायन (F.L. Brayne, वर्ष 1920) ने पंजाब में आरंभ किया था. वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना के बाद से सामुदायिक विकास और विस्तार शिक्षा और अधिक लोकप्रिय हो गए. उसके बाद से ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास को एक कार्यक्रम के रूप तथा विस्तार शिक्षा को उद्देश्य प्राप्त करने के साधन के रूप में माना जाने लगा.

## परिभाषा तथा अवधारणा

1. विस्तार शिक्षा उन सूचनाओं के व्यावहारिक मर्दों से संबंधित है जो ग्रामीणों के लिए उपयोगी हैं और उनकी दैनिक समस्याओं, विशेष रूप से कृषि उत्पादन से संबंधित हैं, को हल करते हैं. (Thorat)
2. विस्तार शिक्षा समाकलित व्यवहार विज्ञान है जो मानव व्यवहार में नियोजित बदलाव लाने के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं को समझने तथा उनके निर्माण में योगदान देता है.
3. विस्तार शिक्षा लोगों की भलाई और उनके व्यवहार अर्थात् ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदलने की शिक्षा है.



4. विस्तार शिक्षा ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए उपयोगी अनुसंधान निष्कर्षों और विचारों का प्रसार है.
5. विस्तार शिक्षा एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त सामग्रियों, क्षेत्रों के संचित अनुभवों तथा उपयोगी तकनीक के साथ संश्लेषित व्यवहार विज्ञान से संबंधित प्रासंगिक सिद्धांतों को दर्शनशास्त्र, सिद्धांतों, सामग्रियों के रूप में तथा स्कूली शिक्षा के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याओं पर केंद्रित पद्धतियों को शामिल किया गया है. (Leagans. J.P.)
6. विस्तार शिक्षा एक अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है, जिसका ज्ञान लोगों के जटिल व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए उपयोग किया जाना है.
7. विस्तार शिक्षा है और इसका उद्देश्य उन लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है जिनके साथ कार्य किया जाता है.
8. विस्तार शिक्षा एक विज्ञान है जो तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से मानव जीवन के स्तर में सुधार हेतु उसके व्यवहार पैटर्न में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न रणनीतियों से संबंधित है.
9. विस्तार व्यक्ति को यह सिखाना है कि वह कैसे सोचे, न कि वह क्या सोचे और लोगों को स्वयं की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वयं की आवश्यकताओं को निर्धारित करना भी सिखाना है तथा साथ ही उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और उस दिशा में दृढ़ विश्वास विकसित करने में भी सहायता करना है.



10. विस्तार स्कूली शिक्षा के बाहर की शिक्षा प्रणाली है जिसमें वयस्क और युवा कार्य करते हुए सीखते हैं. यह सरकार, भूमि अनुदान कॉलेजों और लोगों के बीच साझेदारी है जिसमें प्रदाता सेवाएं और डिज़ाइन की गई शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं.

### विस्तार शिक्षा का महत्व, क्षेत्र व उद्देश्य

1. विस्तार किसानों को शिक्षित करने में लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करता है.
2. विस्तार नवाचारों को अपनाने में मदद करता है.
3. विस्तार ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने में मदद करता है.
4. विस्तार खेत की पैदावार बढ़ाती है और किसानों के जीवन स्तर में सुधार करती है.
5. विस्तार अच्छे समुदायों को बेहतर और प्रगतिशील बनाता है.
6. विस्तार राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में योगदान देता है.

### क्षेत्र

इसमें ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं. अतः विस्तार कार्यक्रम गतिशील और लचीला होना चाहिए. विस्तार के दायरे में आने वाले क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध हैं -

### कृषि उत्पादन में दक्षता बढ़ाना:

1. कृषि इनपुट और आउटपुट में विपणन, वितरण और उपयोग के दक्षता को बढ़ाना
2. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग





3. खेत और घर का उचित प्रबंधन
4. परिवार का बेहतर जीवन
5. युवाओं का विकास
6. नेतृत्व विकास
7. सामुदायिक और ग्रामीण विकास
8. सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक मामलों में सुधार करना
9. ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनके पास उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग में उनकी सहायता करना
10. विभिन्न व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवार और गांव की योजनाओं का खाका तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता करना
11. बेहतर परिवारिक जीवन स्तर के लिए सुविधाएं प्रदान करना
12. ज्ञान देना तथा खेती के बेहतर प्रबंधन और आय में वृद्धि करने में सहायता करना
13. किसानों को स्वयं के लिए भोजन उत्पन्न करने, अच्छी तरह से खाने और अच्छी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करना
14. लोगों के बीच बेहतर सामाजिक, प्राकृतिक मनोरंजक बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देना
15. ग्रामीण परिवारों को गाँव में स्वाँट (SWOT) की उचित बढ़ोत्तरी में मदद करना
16. ग्रामीणों में प्रतिभा और नेतृत्व विकसित करने के लिए नए अवसर प्रदान करना
17. ऐसे ग्रामीण नागरिकों का निर्माण करना:
18. जिन्हें अपने पेशे पर गर्व है



19. जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं
20. जिनका दृष्टिकोण रचनात्मक है
21. जो सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर हैं
22. जिनके दिल में घर और देश के प्रति प्यार है

### आज क्यों विस्तार की आवश्यकता है, उसके सात कारण

1. हम हरित क्रांति के निर्वाहक हैं
2. हम परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं- एनएआईपी (NAIP)
3. हम सशक्तिकरण की एक एजेंसी हैं: एसएचजी/डब्ल्यूआईजी/सीआईजी (SHG/WIG/CIG)
4. हम मानव अवसंरचना हैं: गुणक प्रभाव
5. हम प्रासंगिक हैं: GOOGLE - इसका उपयोग कैसे करें से भी अधिक
6. हम तालमेल बैठाने वाले हैं: आईसीएआर-एसएयू-विभाग-कृषक (ICAR-SAU-DEPT-FARMERS)
7. हम सहयोगी हैं: पीपीपी (PPP) मोड आईसीटी (ICT) आदि

विस्तार का मुख्य कार्य ग्रामीण परिवारों को विज्ञान, भौतिक या सामाजिक रूप में खेती तथा घर की दैनिक दिनचर्या में अपनाने और परिवार एवं समुदाय के जीवन यापन में मदद करना है.

- [1] वर्ष 1965: कृषि विस्तार को ग्रामीणों के लिए स्कूल के बाहर शिक्षा प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है.
- [2] वर्ष 1966: विस्तार कर्मियों का कार्य खेतों और घरों में कृषक परिवारों तक वैज्ञानिक ज्ञान लाना है. कार्य का उद्देश्य कृषि की दक्षता में सुधार करना है.



- [3] वर्ष 1973: विस्तार वह सेवा या प्रणाली है जो शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खेती की पद्धतियों और तकनीकों में सुधार, उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर तथा सामाजिक और शैक्षणिक मानकों को बेहतर बनाने में कृषकों की सहायता करती है.
- [4] वर्ष 1974: विस्तार में लोगों द्वारा सही राय देने और उचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए सूचना के संचार का समझदारी से उपयोग शामिल है.
- [5] वर्ष 1982: कृषि विस्तार: किसानों को उनकी उत्पादन समस्याओं की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने में मदद करने तथा सुधार के अवसरों के बारे में जागरूक बनने के लिए सहायता करना.
- [6] वर्ष 1988: विस्तार एक पेशेवर संचार हस्तक्षेप है जिसके अंतर्गत प्रकल्पित सार्वजनिक या सामूहिक उपयोगिता के साथ एक संस्था द्वारा स्वैच्छिक व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है.
- [7] वर्ष 1997: विस्तार सूचना का संगठित आदान-प्रदान और कौशल का उद्देश्यपूर्ण हस्तांतरण है.
- [8] वर्ष 1999: कृषि विस्तार का सार कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा तथा जटिल जानकारी प्रदान करने वाले विशाल व्यवसाय सहित संपूर्ण सूचना प्रणाली के भीतर क्रिया और सहक्रियाओं के परस्पर तालमेल को सुविधाजनक बनाना है.
- [9] वर्ष 2004: विस्तार हस्तक्षेप की गई संवादों की एक श्रृंखला है जो दूसरों के बीच, नवाचारों को विकसित करने और / या प्रेरित करने के लिए हैं तथा जो समस्यात्मक परिस्थितियों (आमतौर पर बहु-आयामी) को हल करने में मदद करते हैं.



[10] "यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन" पद का प्रयोग पहली बार केंब्रिज और ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 1867 में अधिगम गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसने संस्था के कार्य को परिसर के बाहर विस्तारित किया. हालांकि, इन आरंभिक गतिविधियों में से अधिकांश कृषि संबंधित नहीं थीं. यह 20 वीं शताब्दी के आरंभ तक नहीं था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉलेजों ने कृषि दर्शन में प्रदर्शन करना शुरू किया और किसान क्लबों में व्याख्यान देना आरंभ किया. उस प्रकार के कार्य के लिए "विस्तार सेवा" पद का प्रयोग होता था, जिसे अब हम उस नाम से जानते हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका में, वर्ष 1887 के हैच अधिनियम ने प्रत्येक राज्य के भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कृषि प्रयोग स्टेशनों की प्रणाली स्थापित की तथा वर्ष 1914 के स्मिथ-लीवर अधिनियम ने कृषि, गृह अर्थशास्त्र और संबंधित विषयों में लोगों को वर्तमान विकास के बारे में सूचित करने के लिए उन विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाने वाले सहकारी विस्तार की प्रणाली बनाई.

अमेरिका द्वारा पारित तीन अधिनियमों ने भारत में वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया है:

1. हैच अधिनियम ने कृषि प्रयोग स्टेशनों की स्थापना की;
2. मॉरिल अधिनियम ने भूमि अनुदान कॉलेज के पैटर्न पर कृषि विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया;
3. वर्ष 1914 का स्मिथ लीवर अधिनियम जिसने हमारे कृषि विभाग और अन्य विभागों के समान सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया.



## हैच अधिनियम (HATCH ACT)

वर्ष 1887 के हैच अधिनियम (ch. 314, 24 Stat. 440, 02-02-1887 को अधिनियमित किया गया, 7 U.S.C. § 361a et seq.) ने आरंभ में प्रत्येक राज्य भूमि अनुदान कॉलेजों को श्रंखलाबद्ध कृषि प्रयोग स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ नई जानकारियां, विशेषकर मृदा खनिजों और पौधों के विकास के क्षेत्रों में, उपलब्ध कराने के लिए 15,000\$ फेडरल निधि दिए। इस बिल का नाम कांग्रेस के एक व्यक्ति विलियम हैच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने बिल पेश किए जाने के समय सदन में कृषि समिति की अध्यक्षता की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए राज्य कृषि स्टेशन आमतौर पर वर्ष 1862 के मॉरिल अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भूमि-अनुदान वाले राज्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े थे, कुछ अपवादों के साथ।

हैच अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कई स्टेशन बाद में वर्ष 1914 के स्मिथ-लीवर अधिनियम के तहत राज्य सहकारी विस्तार सेवाओं की नींव बन गए।

कांग्रेस ने वर्ष 1955 में अधिनियम में संशोधन करते हुए एक फार्मूला जोड़ा जिससे ग्रामीण और कृषि जनसंख्या कारकों का उपयोग करके राज्यों के बीच कृषि प्रयोग स्टेशनों के लिए वार्षिक विनियोग को आवंटित किया जा सके। वर्ष 2002 के फार्म बिल (P.L. 107-171, Sec. 7212) के अंतर्गत, राज्यों को निरंतर कम से कम 100% मिलान निधि (परंपरागत रूप से, अधिकांश राज्यों ने अधिक प्रदान की है) प्रदान करना आवश्यक होगा। औसतन, हैच अधिनियम फॉर्मूला निधि प्रत्येक प्रयोग स्टेशन के लिए कुल धन का 10% है। (7 U.S.C. 361a et seq.).



## मॉरिल अधिनियम (MORRILL ACT)

मॉरिल भूमि-अनुदान अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून हैं, जिन्होंने वर्ष 1862 के मॉरिल अधिनियम (7 USC se 301 et seq) और वर्ष 1890 के मॉरिल एक्ट (वर्ष 1890 का कृषि अधिनियम) सहित भूमि-अनुदान कॉलेजों के स्थापना की अनुमति दी. (26 Stat.417, 7 U.S.C.§ 321 et seq. भूमि-अनुदान कॉलेज § 321 et seq.)

## भूमि-अनुदान कॉलेज

### भूमि-अनुदान कॉलेजों का उद्देश्य था :

अन्य वैज्ञानिक और क्लासिकल अध्ययनों को बिना छोड़े तथा सैन्य रणनीति सहित, अधिगम की ऐसी शाखाओं को सिखाने के लिए जो कृषि और यान्त्रिक कला से संबंधित हैं, इस प्रकार से, जैसा कि जीवन की कई गतिविधियों और व्यवसायों में औद्योगिक श्रेणी की उदार तथा व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की विधायिकाएं क्रमशः निर्धारित कर सकती हैं. [4].

अधिनियम के तहत, प्रत्येक पात्र राज्य को फेडरल भूमि का कुल 30,000 एकड़ (120 वर्ग किमी) प्राप्त हुआ, जैसा कि वर्ष 1860 की जनगणना के अनुसार कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य के पास था या तो अपनी सीमाओं के भीतर या उससे सटा हुआ. इस भूमि का या इसकी बिक्री से होने वाली आय का उपयोग ऊपर वर्णित शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और वित्तपोषण किया जाना था. वर्ष 1862 अधिनियम को पूर्व के मित्र राज्यों में विस्तारित किया गया था; इसे अंततः वर्ष 1862 के बाद बने राज्यों सहित प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में विस्तारित किया गया था. यदि किसी राज्य में फेडरल भूमि उस राज्य के भूमि अनुदान को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी तो



राज्य को "स्क्रिप" जारी की गई थी, जो राज्य को अपनी संस्था के लिए निधि एकत्रित के लिए अन्य राज्यों में फेडरल भूमि का चयन करने के लिए अधिकृत करती थी. [5] उदाहरण के लिए, न्यू यॉर्क ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को निधि देने के लिए विस्कॉन्सिन में बहुमूल्य लकड़ियों वाली भूमि का चयन किया. [6] विश्वविद्यालय द्वारा इस स्क्रिप के प्रबंधन के परिणामस्वरूप सभी राज्यों द्वारा उत्पन्न कुल अनुदान राजस्व का एक तिहाई प्राप्त हुआ, भले ही न्यू यॉर्क को वर्ष 1862 के भूमि अनुदान का केवल दसवां हिस्सा मिला. [7] कुल मिलाकर, वर्ष 1862 के मॉरिल अधिनियम ने 17,400,000 एकड़ (70,000 वर्ग किमी) भूमि आवंटित की, जिसे बेचने पर कुल 7.55 मिलियन डॉलर धन की प्राप्ति हुई. [8] आयोवा (Iowa) राज्य मॉरिल अधिनियम की शर्तों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था जिसने अनुभवहीन एम्स कॉलेज (अब आयोवा राज्य विश्वविद्यालय) को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान किया.

कुछ अपवादों (कॉर्नेल विश्वविद्यालय और मसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान सहित) के साथ, लगभग सभी भूमि-अनुदान कॉलेज सार्वजनिक हैं. (कॉर्नेल विश्वविद्यालय निजी है तथा कई राज्य समर्थित अनुबंधित कॉलेजों का प्रशासन चलाती है जो न्यूयॉर्क में राज्य के सार्वजनिक भूमि-अनुदान मिशन को पूरा करते हैं.)

### **वर्ष 1914 का स्मिथ लीवर अधिनियम (Smith-Lever Act of 1914)**

वर्ष 1914 का स्मिथ-लीवर अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल कानून है, जिसने कृषि, गृह अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति / सरकार, नेतृत्व, 4-एच, आर्थिक विकास, तटीय मुद्दे (राष्ट्रीय सागर अनुदान कॉलेज कार्यक्रम) और कई अन्य संबंधित विषयों में वर्तमान विकास के बारे में लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों से जुड़े सहकारी विस्तार



सेवाओं की प्रणाली स्थापित की है. इसने किसानों को धरों में ही निर्देश देने के माध्यम से नई कृषि तकनीक सीखने में मदद की.

सहकारी विस्तार के लिए विनियोग निम्नलिखित सूत्र के आधार पर राज्यों के बीच साझा किया जाता है. एक बार ऐतिहासिक राशि जिसे "विशेष आवश्यकताओं हेतु" कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है, उसे अलग रख दिया जाता है[1] तथा अतिरिक्त 4% यूएसडीए(USDA) प्रशासनिक लागतों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, शेष धनराशि को आवंटित किया जाता है::

- 20% राशि सभी राज्यों द्वारा समान अनुपात में साझा की जाती है;
- 40% राशि इस अनुपात में साझा की जाती है, जैसे कि प्रत्येक की ग्रामीण आबादी को मिलती है, जो जनगणना द्वारा निर्धारित कई राज्यों की कुल ग्रामीण आबादी है;
- 40% राशि इस अनुपात में साझा की जाती है, जैसे कि प्रत्येक की कृषक आबादी को मिलती है, जो जनगणना द्वारा निर्धारित कई राज्यों की कुल कृषक आबादी है;

मूल अमेरिकियों के लिए "वर्ष 1994 के भूमि-अनुदान कॉलेजों " को छोड़कर, प्रत्येक राज्य को अपने फेडरल सहकारी विस्तार निधि से मेल खाना चाहिए.[3]

इसके अतिरिक्त, स्मिथ-लीवर अधिनियम के कुल विनियोग का 6% से कम राशि "वर्ष 1890 भूमि-अनुदान कॉलेजों" (ऐतिहासिक रूप से काले कॉलेजों) के विस्तार कार्यक्रमों के लिए विनियोजित नहीं होनी चाहिए. इन निधियों को वर्ष 1890 के कॉलेजों के बीच 20% -40%- 40% सूत्र द्वारा साझा गया जबकि अलबामा ए व एम और टस्केंगी विश्वविद्यालय (Alabama A&M and Tuskegee University) के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि वे अलग राज्य में हैं.





## कृषि विस्तार के चार स्वरूप

किसी भी विशेष विस्तार प्रणाली को, संचार कैसे होता है और यह क्यों होता है- दोनों ही संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है. न तो पैतृक प्रणाली हमेशा प्रेरक होती हैं और न ही भागीदारी परियोजनाएं आवश्यक रूप से शैक्षिक होती हैं. इसके अलावा चार संभावित संयोजन हैं, जिनमें से प्रत्येक विस्तार के एक अलग स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, ये निम्नानुसार हैं:

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (प्रेरक + पैतृक).** यह स्वरूप औपनिवेशिक काल में प्रचलित था, तथा 1970 और 1980 के दशक में फिर से प्रकट हुआ जब संपूर्ण एशिया में प्रशिक्षण और यात्रा प्रणाली स्थापित की गई थी. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में उपर से नीचे की ओर (टॉप-डाउन) दृष्टिकोण शामिल है, जो किसानों के लिए उन अभ्यासों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें करती हैं जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए.
- **सलाहकार कार्य (प्रेरक + सहभागिता).** यह स्वरूप आज भी देखा जा सकता है जहाँ सरकारी संस्थाएँ या निजी परामर्श कंपनियाँ तकनीकी रूप से किसानों की पूछताछ का जवाब देती हैं. यह दाता एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के रूप में भी कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी के पूर्व-निर्धारित पैकेजों को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं.
- **मानव संसाधन विकास (शैक्षिक + पैतृक).** यह स्वरूप विस्तार के आरंभिक दिनों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हावी था, जब विश्वविद्यालय उन ग्रामीणों को प्रशिक्षण देते थे जो गरीबी के कारण पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने में असमर्थ थे. यह आज भी दुनिया भर के कॉलेजों की बाहरी गतिविधियों में जारी है. ऊपर से नीचे की ओर (टॉप-डाउन)



अधिगम पद्धति जारी है लेकिन छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, इसपर वे अपना स्वयं के निर्णय लें.

- **सशक्तिकरण की सुविधा (शैक्षिक + सहभागिता).** इस स्वरूप में अनुभव से अधिगम और किसान-से-किसान आदान-प्रदान जैसी पद्धतियां शामिल हैं. परस्पर-संवादात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा प्रतिभागियों को अपना स्वयं का निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. एशिया में सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण ऐसी परियोजनाएं हैं जो फार्मर फील्ड स्कूल (Farmer Field Schools (FFS)) या सहभागिता प्रौद्योगिकी विकास विज्ञान (participatory technology development (PTD)) का उपयोग करती हैं.

वास्तव में विस्तार की अवधारणा और नाम में सभी चार स्वरूप शामिल हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ असहमति है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस शब्द को प्रेरक दृष्टिकोण तक ही सीमित रखना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि इसका उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए. पाउलो फ्रेयरे (Paulo Freire) ने तर्क दिया है कि 'विस्तार' और 'सहभागिता' शब्द विरोधाभासी हैं. [7] इन असहमतियों के पीछे दार्शनिक कारण हैं. जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्तमान में इन चार स्वरूपों में से प्रत्येक के अनुरूप संचार प्रक्रिया विश्व के किसी न किसी हिस्से में विस्तार के नाम से उपयोग किया जा रहा है. यदि वैचारिक रूप से नहीं तो व्यावहारिक रूप से ये सभी गतिविधियाँ कृषि विस्तार की ही हैं.



## 2.2 भारत में सामुदायिक विकास (अब ग्रामीण विकास) और विस्तार सेवाएं

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक देशव्यापी संगठन के रूप में विस्तार सेवा भारत में अपेक्षाकृत हाल ही में आरंभ हुआ है. विस्तार सेवा का यह नया कार्यक्रम और प्रशासनिक सेट-अप कई वर्षों के प्रयासों और किए गए सुधारों का परिणाम है. इस कार्यक्रम के विकास और नए सेट-अप को चार चरणों में वर्णित किया गया है:

चरण I- स्वतंत्रता - पूर्व का काल (1866-1947)

चरण II - स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-1953)

चरण III-सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काल(1953-1960)

चरण IV - गहन कृषि विकास का काल (1960-के बाद)

**चरण I- स्वतंत्रता - पूर्व का काल (1866-1947)**

भारत में विस्तार कार्य की शुरुआत दार्शनिक और परोपकारी समझ रखने वाले कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों के द्वारा की गई. लेकिन अधिकांश समय वे एक दूसरे से दूर रहकर और सरकारी सहायता के बिना कार्य करते थे, उनकी रुचि ग्रामीणों के साथ उनके आधिकारिक संपर्क के माध्यम से बढ़ी. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके विचार और सहानुभूति ने उन्हें ग्रामीणों के लिए बेहतर जीवन की कल्पना करने योग्य बनाया. लेकिन उनमें से ज्यादातर का कार्य अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था. सरकारी पदाधिकारियों, व्यक्तिगत रूप से तथा संस्थाओं



द्वारा वर्तमान शताब्दी के पहले भाग के दौरान किए गए इन प्रयासों का प्रमुखता से अध्ययन सामुदायिक विकास की पृष्ठभूमि को समझने में सहायक होगा.

व्यक्तिगत रूप से और निजी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों में शामिल हैं:

1. इटावा परियोजना
2. नीलोखेड़ी परियोजना
3. गुड़गांव प्रयोग
4. शांतिनिकेतन प्रयास
5. सेवाग्राम प्रयास
6. मराठांडम प्रयास
7. पुणे, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय सेवक संस्थान;
8. सुंदरबन, बंगाल में सर डैनियल हैमिल्टन ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना;
9. इलाहाबाद कृषि संस्थानः, क्रिश्चियन कॉलेज, नागपुर के माध्यम से ईसाई मिशनो द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य;
10. आदर्श सेवा संघ, पोहड़ी, ग्वालियर,
11. मुंबई प्रांत में सर्वोदय कार्यक्रम.

स्वतंत्रता पूर्व काल के विस्तार के कुछ प्रयासों को नीचे समझाया गया है:

### **गुड़गांव प्रयोग**

पहली बार बड़े पैमाने पर ग्रामीण उत्थान आंदोलन पंजाब में गुड़गांव जिले के उप आयुक्त श्री एफ.आई. ब्रायने ने वर्ष 1920 में किया. वर्ष 1933 के बाद इस कार्य में तेजी आई जब श्री ब्रायने को पंजाब में ग्रामीण पुनर्निर्माण (रूरल रिकंस्ट्रक्शन) का आयुक्त नियुक्त किया गया.



वर्ष 1935-36 में भारत सरकार ने इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपए प्रदान किए जिससे इसे और प्रोत्साहन मिला. उसके बाद इस कार्य को सहकारी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और गांवों में इस कार्य को करने के लिए बेहतर जीवनदायनी समितियां स्थापित की गईं..

#### **उद्देश्य:**

1. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए.
2. सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर धन की बर्बादी को रोकने के लिए.
3. लोगों के स्वस्थ के मानक में सुधार करने के लिए.
4. कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए.

#### **शान्तिनिकेतन प्रयास:**

वर्ष 1908 में, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ग्रामीण विकास कार्य योजना के अंतर्गत, अपनी जमींदारी (पश्चिम बंगाल) में कालीग्राम प्रगाना के गाँवों में युवा संगठनों की शुरुआत की. उन्होंने क्षेत्र में कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जो लोगों के साथ अपनी पहचान बना सकें. वर्ष 1921 में, उन्होंने श्री एल.के. अल्मह्रस्ट (Mr. L.K. Elmhirst) के सहयोग से शान्तिनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की. कार्यक्रम का केंद्र आठ गाँवों का समूह था.

#### **उद्देश्य:**

1. ग्रामीण कल्याण कार्य में लोगों की वास्तविक रुचि पैदा करने के लिए.
2. ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन करने और निष्कर्ष पर कार्रवाई करने के लिए.
3. ग्रामीणों को उनके संसाधनों को विकसित करने में मदद करने के लिए.
4. गाँव की स्वच्छता में सुधार करने के लिए.

**सेवाग्राम प्रयास:**

यह महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 1920 में अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन और बाद में वर्ष 1933 में वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग एसोसिएशन के रूप में आरंभ हुआ. गांधी जी का विश्वास था कि 'भारत का उद्धार कॉटेजों में निहित है'. इसका ध्यान केंद्रित है

1. उत्पादन के विकेंद्रीकरण और धन के समान वितरण तथा
2. भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता पर.

**उद्देश्य:**

1. वंचितों को सेवा प्रदान करने के लिए.
2. आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए.
3. लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए.

**मराठांडम प्रयास:**

यह परियोजना वर्ष 1921 में वाई.एम.सी.ए.( Y.M.C.A.) के तत्वावधान में त्रावणकोर राज्य में एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ श्री स्पेंसर हैच द्वारा आरंभ की गई थी.

**उद्देश्य:**

मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ग्रामीणों के जीवन में प्रचुर मात्रा में पूर्ण उर्ध्वगामी विकास करना.



## चरण II - स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-1953)

**अधिक खाद्य उत्पादन अभियान:** खाद्य उत्पादन में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता को स्वतंत्रता-पूर्व काल में भी महसूस किया गया था और अधिक-खाद्य-उत्पादन अभियान आरंभ किया गया था. अभियान के अंतर्गत, अखिल भारतीय आधार पर पहली बार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे.

लेकिन अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा. स्वतंत्रता के तुरंत बाद (वर्ष 1947), केंद्र सरकार ने वर्ष 1952 तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के रूप में अधिक-खाद्य-उत्पादन अभियान के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित किया और साथ ही कमी को पूरा करने के लिए अन्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाया ताकि देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हुई कमी को पूरा किया जा सके. इसी समय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे अभियान के एकीकरण और समन्वय के लिए व्यवस्था की गई. कुछ राज्य सरकारों ने गाँव, तालुका, जिला और राज्य स्तरों पर गैर-आधिकारिक समितियों की स्थापना करके अभियान के कार्य से जनता को जोड़ा. अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं को समय-समय पर संशोधित किया गया.

### अधिक-खाद्य-उत्पादन जांच समिति की रिपोर्ट:

हालांकि अधिक-खाद्य-उत्पादन अभियान को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए, लेकिन यह देखा गया कि प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर रहा था और कार्यक्रम के प्रति कृषकों की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी. परिणामस्वरूप, वर्ष 1952 में भारत सरकार ने अधिक-खाद्य-उत्पादन अभियान के कामकाज की जांच करने के लिए जीएमएफ(GMF) जांच समिति के नाम से एक समिति नियुक्त की.



इस समिति के निष्कर्षों से पता चला कि खाद्य उत्पादन की समस्या खाद्य आयात को समाप्त करने की तुलना में अधिक व्यापक थी और देश में ग्रामीण जीवन के स्तर को बढ़ाने की व्यापक समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि सुधार था. समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केवल मानकों में प्रशंसनीय सुधार करके ही ग्रामीण जीवन को पूर्ण और समृद्ध बनाया जा सकता है. इसके लिए ग्रामीण जनता को जागृत किया जा सकता है ताकि वे न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में रुचि लें बल्कि अपनी परिस्थिति में सुधार करें तथा स्वयं में बेहतर जीवन जीने की इच्छाशक्ति पैदा करें.

#### **इटावा पायलट परियोजना (1948-52):**

वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ग्रामीण नियोजन एवं विकास में पायलट परियोजना के रूप में एक सुगठित क्षेत्र में गहन सर्वांगीण विकास कार्य का विचार व्यवहार में लाया गया, जिसे भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का अग्रगामी कार्य माना जा सकता है. एक अमेरिकी इंजीनियर, अल्बर्ट मेरिगर (Albert Meryger) ने इस परियोजना की पहल और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह कार्यक्रम स्व-सहायता, लोकतंत्र, एकीकृत दृष्टिकोण, लोगों की आवश्यकताओं, सख्त योजना और यथार्थवादी लक्ष्य, संस्थागत दृष्टिकोण, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग, विस्तार सेवा और आपूर्ति एजेंसियों के बीच निकट समन्वय तथा तकनीकी और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सहयोग के सिद्धांत पर आधारित था.

परीक्षण और त्रुटि की प्रारंभिक अवधि के बाद एक नया प्रशासनिक पैटर्न विकसित किया गया. इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया गया; राष्ट्र निर्माण के विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एक सामान्य एजेंसी के माध्यम से जोड़ा गया और ग्राम स्तर के कार्यकर्ता के लिए बहुउद्देशीय अवधारणा आरंभ की गई. प्रत्येक ग्राम स्तर का कार्यकर्ता 4-5 गांवों की देखभाल करता था.





परियोजना की देखरेख चार विशेषज्ञ अधिकारियों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की सहायता से एक जिला नियोजन अधिकारी द्वारा की जाती थी.

### **इटावा परियोजना:**

इस पायलट परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1945 में की गई थी, लेकिन इसे वर्ष 1948 में सितंबर माह में संयुक्त प्रांत में इटावा से लगभग 11 मील दूर महेवा गांव में लागू किया गया. संयुक्त राज्य अमरीका के लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर इस परियोजना के प्रवर्तक थे. आरंभ में 64 गाँवों का चयन किया गया जो बाद में बढ़कर 97 हो गए. यूपी सरकार और यू.एस.ए. के बिंदु-4 कार्यक्रम ने इस परियोजना में सहायता की.

### **उद्देश्य:**

1. एक औसत जिले में संभव सुधार की सीमा को देखने के लिए.
2. यह देखने के लिए कि परिणाम कितनी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है.
3. अन्य क्षेत्रों में परिणामों के स्थायित्व और प्रयोग का पता लगाने के लिए.
4. ग्रामीणों को हुए लाभ और उनमें बढ़ते आत्मविश्वास के तरीकों का पता लगाने के लिए.
5. सामुदायिक जीवन जीने की भावना का निर्माण करने के लिए.
6. ग्रामीणों में स्व-सहायता की भावना का निर्माण करने के लिए.

### **नीलोखेड़ी परियोजना:**

श्री एस.के. डे जो बाद में वर्ष 1965 तक केंद्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री रहे थे, इस परियोजना में एक जाने-माने व्यक्ति थे. इस परियोजना को मूल रूप से पाकिस्तान से 7000 विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आरंभ किया गया था. बाद में इसे आसपास के 100



गांवों के साथ मिलाकर ग्रामीण व शहरी टाउनशिप बना दिया गया. इस स्कीम को "मज़दूर मंजील" कहा जाता था.

#### उद्देश्य:

1. पाकिस्तान से विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए.
2. जीवन की सभी आवश्यकताओं में टाउनशिप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए..

#### चरण III - सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा काल (1953-1960)

भारत में, संगठित विस्तार वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ अस्तित्व में आया, उसके बाद वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ हुआ तथा शिक्षा और अनुसंधान अध्ययन वर्ष 1955 में कृषि महाविद्यालय, सबौर, बिहार में कृषि विस्तार शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत के साथ आरंभ हुआ.

**सामुदायिक विकास परियोजना (1952):** अधिक-खाद्यान-उत्पादन जांच समिति की रिपोर्ट और इटावा परियोजना के सफल अनुभव के परिणामस्वरूप चयनित राज्यों में फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त वित्तीय सहायता से 15 पायलट परियोजनाओं की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई. कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की समग्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता करने के अलावा, ये परियोजनाएँ विस्तार कर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में भी कार्य करती थीं. यह जल्द ही महसूस किया गया कि ग्रामीण आबादी में एक बेहतर जीवन जीने की इच्छा जागृत करने तथा गांवों में स्थायी संपन्नता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, एक बहुत ही साहसी और गतिशील प्रयास की आवश्यकता है. ये पहचान की गई कि इस नए प्रयास की सफलता प्रत्येक स्तर पर लाभार्थियों, सरकारी पदाधिकारियों व गैर-सरकारी पदाधिकारियों के संपूर्ण



सहयोग, ग्राम विकास की तकनीक में ग्रामीणों की शिक्षा तथा आवश्यक इनपुटों का समय पर पर्याप्त आपूर्ति का प्रावधान और अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

इस नए कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए भारत सरकार ने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते के अंतर्गत अमेरिकी सरकार के साथ एक व्यावहारिक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 1952 को, तीन वर्षों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गईं।

परियोजनाओं में लगभग 25,260 गाँव और 6.4 मिलियन आबादी शामिल थी। प्रत्येक परियोजना में 400-500 वर्ग मील शामिल करते हुए लगभग 300 गांवों और लगभग दो लाख की आबादी शामिल की गई थीं। प्रत्येक खंड में 100 गांव और 60,000 से 70,000 की आबादी शामिल करते हुए परियोजना क्षेत्र को तीन विकास खंडों में विभाजित किया गया था। बदले में विकास खंडों को 5-10 गांवों के समूह में विभाजित किया गया था, प्रत्येक समूह एक बहुउद्देशीय ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता के प्रभारी थे। इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य थे: सभी संभावित साधनों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, बेरोजगारी की समस्याओं से निपटना, गाँव में संपर्क में सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना, आवास में सुधार करना, स्वदेशी हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना तथा स्वयं के प्रयासों के माध्यम से गांवों में सुधार करना। संक्षेप में, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों का सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना था।



## 2.2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) - कृषि में विस्तार कार्यक्रमों का आधार

सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय विस्तार कार्यक्रम है जिसमें आजीविका के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसे 2 अक्टूबर, 1952 को आरंभ किया गया। इसे कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम और लाभ प्राप्त हुए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) ने ग्रामीणों के विकास हेतु उनके दैनिक जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह इतना सफल और उद्देश्यपूर्ण था कि संयुक्त राष्ट्र ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया- " ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए सरकारी पदाधिकारियों के साथ लोगों के स्वयं के प्रयासों का उपयोग किया जाता है ताकि इन समुदायों को राष्ट्र की जीवनशैली के साथ जोड़ा जा सके और उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया जा सके "।

सीडीपी जिसने लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया और धीरे-धीरे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित किया, जिसकी आवश्यकता पिछले कई वर्षों से थी।

### राष्ट्रीय विस्तार सेवा

सरकारी प्रायोजन के अंतर्गत ग्रामीण विकास गतिविधियों को सीडीपी के शुभारंभ के साथ आरंभ किया गया था। इन पायलट परियोजनाओं के शुभारंभ के कुछ महीनों के भीतर यह प्रमुखता से अनुभव किया गया था कि लोग केवल तैयार ही नहीं बल्कि कार्यक्रम के लिए उत्सुक भी थे। सभी परियोजना क्षेत्रों के लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी जो वास्तव में सरकार और



कार्यक्रम के प्रायोजकों की अपेक्षाओं से बहुत अधिक था. इस तथ्य ने देश के अन्य हिस्सों में कार्यक्रम के तेजी से फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया. लेकिन देश के संसाधन उसी महत्व के साथ व्यापक योजना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे जैसा कि पहले 355 परियोजनाओं के लिए परिकल्पित किया गया था. अतः सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ-साथ एक और कार्यक्रम आरंभ करने का फैसला किया जिसका स्वरूप कुछ कम गहन था, जिसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कहा जाता है. राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल, 1953 में तैयार किया गया था तथा इसका उद्घाटन एक वर्ष बाद 55 सामुदायिक परियोजनाओं के बाद 2 अक्टूबर, 1953 को किया गया था.

यह भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख विकास था. चूंकि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम दोनों में अंतर्निहित मूल विचार समान थे, इसलिए दोनों को केंद्र के साथ साथ राज्यों में एक एजेंसी के अंतर्गत एकीकृत कर दिया गया. दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक और अंतःसंबंधित थे तथा साथ-साथ चलते थे. राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को लगभग 10 वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 1960-61 के बीच संपूर्ण देश में फैलाने का विचार था.

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बीच के अंतर-संबंध को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है:

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बीच अंतर-संबंध की व्याख्या करना आवश्यक है. इन आंदोलनों में उद्देश्य समान हैं. राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक स्थायी संगठन है और यह पूरे देश में फैला है. यह बुनियादी संगठनात्मक, आधिकारिक, गैर-आधिकारिक और



विकास के लिए न्यूनतम वित्तीय प्रावधान करता है। आगे की राशि केंद्र सरकार से और राज्य के अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत आवंटित होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लॉक जहां अधिकतम लोकप्रियता के साथ सफल परिणाम मिले हैं, को गहन विकास के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यह गहन विकास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और स्थानीय समर्थन व उत्साह पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन ही इकाई से होती है जिसे विकास खंड कहा जाता है। यह औसतन 100 गांवों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी आबादी 60,000 से 70,000 की है, जो 150 से 170 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन एन.ई.एस. ब्लॉकों को उसी गहनता से विकसित नहीं किया गया जैसा कि सामुदायिक विकास ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को किया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लॉकों के रूप में विकसित क्षेत्रों में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गहन विकास कार्यों के लिए समय-समय पर चयन किया जाता है और जो ब्लॉक चुने जाते हैं वे सी.डी. ब्लॉक कहलाते हैं। केवल उन्हीं ब्लॉकों का चयन किया जाता है जो उनके कामकाज में अच्छे परिणाम देते हैं और जहां लोगों की भागीदारी बहुतायत में होती है।

#### **सामुदायिक विकास विस्तार सेवा के लिए संगठनात्मक सेट-अप:**

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए संगठनात्मक सेट-अप राष्ट्रीय स्तर से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों के माध्यम से ग्राम स्तर तक चलता है और इस नए सेट-अप के तीन मुख्य घटक हैं।

(क) प्रत्यक्ष लाइन कर्मचारी जैसे राज्य विकास आयुक्त, बी.डी.ओ और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता।



(ख) सहायक या विशेषज्ञ कर्मचारी, जैसे कि राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी विभागों के विभिन्न प्रमुख और ब्लॉक स्तर पर विस्तार अधिकारी.

(ग) पंचायती राज व्यवस्था - जिलापरिषद, ब्लॉक समितियां और ग्राम पंचायतें.

(क) **राष्ट्रीय स्तर:** राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की नीतियां भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाई जाती हैं. परिषद की सदस्यता में संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं. योजना आयोग योजना निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और केंद्र के साथ-साथ राज्यों की वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है. कृषि विस्तार और सामुदायिक विकास (अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम) के संबंध में राष्ट्रीय मार्गदर्शन, नीति निर्माण और तकनीकी सहायता देने के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय जिम्मेदार है. कृषि विभाग में कृषि आयुक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सभी कृषि विकास कार्यक्रमों का प्रभारी होता है जिसे कई सहायक आयुक्तों और निदेशकों व अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. इस विभाग के भीतर, विस्तार प्रशिक्षण निदेशालय जो विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है, वीएलडब्ल्यू, ग्राम-स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों और अन्य लोगों तथा कृषि सूचना निदेशालय जो कृषि प्रसार से संबंधित नए प्रौद्योगिकी और नवाचार का विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रसार के लिए संबंधित है, का विशेष उल्लेख किया जा सकता है.

(ख) **राज्य स्तर:** राज्य स्तर पर भी एक राज्य विकास समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं और अन्य संबंधित मंत्री इसके सदस्य होते हैं. यह समिति राज्य



की योजनाओं व कार्यक्रमों तथा क्षेत्रों और जिलों के लिए लक्ष्य तय करने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति के अलावा, आमतौर पर कई अन्य सलाहकार या तकनीकी समितियां भी होती हैं।

जैसा कि वास्तविक प्रशासनिक कामकाज का संबंध है, राज्य विकास आयुक्त विकास कार्यक्रमों के निर्देशन, समन्वय और समग्र मार्गदर्शन करने तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच संचार के दो-तरफा चैनल को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार शीर्ष स्तर का अधिकारी है। वह कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शक्ति और बिजली जैसे विभिन्न विकास विभागों की गतिविधियों का समन्वय करता है। इन तकनीकी विभागों के प्रमुख तकनीकी कार्यक्रमों की योजना बनाने व उन्हें लागू करने और आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, जनशक्ति और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) जिला स्तर: जिला स्तर पर भी, आमतौर पर जिला कलेक्टर या उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला विकास या जिला योजना समिति होती है। इस समिति के अन्य सदस्य जिले के विभागों के प्रमुख, जिला बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं।

जिन राज्यों में, पंचायती राज संचालित हो रहे हैं, वहां जिलों में विकास कार्यक्रम की योजना, समन्वय और समेकन के लिए जिलापरिषद जिम्मेदार हैं।

जिला स्तर पर सभी विकास विभागों की गतिविधियों का समन्वय करने वाला प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा और ग्रामीण उद्योगों के जिला-स्तर के तकनीकी प्रमुख अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक रूप से, वे एक





ओर जिला कलेक्टर के प्रति जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ अपने विकास विभाग के प्रमुखों के प्रति.

(घ) ब्लॉक स्तर: जिले को कई सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में विभाजित किया गया है. खंड विकास अधिकारी ब्लॉक टीम का प्रमुख होता है और ब्लॉक स्तर पर विकास विभागों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है. उसे कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहयोग, पंचायत, इंजीनियरी, सामाजिक शिक्षा और ग्रामीण उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आठ विस्तार अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है..

राज्यों में गैर-आधिकारिक स्तर पर, जहां पंचायती राज लागू किया गया है, पंचायत समिति (जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है) के पास विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और निष्पादित करने के लिए वैधानिक शक्तियां हैं. समिति को बीडीओ और विस्तार अधिकारियों से सहायता प्राप्त होती है. जहाँ भी पंचायती राज कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ ब्लॉक विकास सलाहकार समितियाँ कार्य करती हैं.

(ङ) ग्राम स्तर: ग्राम स्तर पर, बहुउद्देश्यीय ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता मुख्य विस्तार कर्मचारी होते हैं. वह प्रशासनिक पदानुक्रम में अंतिम विस्तार अधिकारी हैं और मुख्य संपर्क व्यक्ति हैं. वह ग्राम स्तर पर सभी विकासात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है और विभिन्न तकनीकी विभागों और ग्रामीणों के बीच कड़ी का कार्य करता है. आमतौर पर, एक सामान्य सामुदायिक विकास ब्लॉक में 10 ग्राम स्तर के कार्यकर्ता होते हैं. गहन कृषि विकास कार्यक्रम (IADP) ब्लॉकों में उनकी संख्या दोगुना है.



गैर-आधिकारिक स्तर पर, आमतौर पर प्रत्येक गांव में या गांवों के समूह के लिए एक पंचायत होती है, और वह सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने तथा उनमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है.

#### चरण IV - गहन कृषि विकास काल (वर्ष 1960 - के बाद)

इस बात को ध्यान में रखते हुए, कृषि जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था, के विकास पर अधिक जोर दिया गया था. तदनुसार, वर्ष 1960 के बाद से कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए थे.

इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य देश के लोगों का आर्थिक उत्थान करना और उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालना था. सभी कार्यक्रमों में कृषि विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जो पूरी तरह से केवल कृषि पर निर्भर थे, उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना था. अब तक के वर्षों में आरंभ किए गए कार्यक्रम हैं:

- इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (आईएडीपी)
- इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम (आईएएपी)
- हाई यील्ड वराइटी प्रोग्राम (एचवाईवीपी)
- स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी (एसएफडीए) और मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स (एमएफएएल)
- डॉट प्रोन एरिय प्रोग्राम (डीपीएपी)
- कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएडीपी)



- इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईआरडीपी)
- ट्रेनिंग एंड विज़िट (टी एंड वी) सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन
- गहन मवेशी विकास परियोजना (द इंटेसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) (आईसीडीपी)
- ट्रेनिंग ऑफ रूरल युथ फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट (टीआरवाईएसईएम)
- डेवलपमेंट ऑफ वूमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया (डीडब्ल्यूसीआरए)
- नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (एनएईपी)
- टेक्नलॉजी मिशन ऑन ऑयलसीड (टीएमओ)
- जवाहर रोजगार योजना
- मनरेगा
- राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेसन प्रोजेक्ट (एनएआईपी)

इन सभी कार्यक्रमों में, हालांकि कृषि विस्तार के विकास की दिशा में प्रयास नहीं किए गए, लेकिन निश्चित रूप से इनसे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई और अन्य ग्रामीण उद्यमों के संचालन में सहयोग मिला, जिससे अंततः अधिक आय और आजीविका सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली. परंतु इन सभी कार्यक्रमों ने शिक्षा, सूचना, ज्ञान, कौशल, समझ और अन्य संबंधित मामलों में अपने ग्राहकों और लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए विस्तार दृष्टिकोण का पालन किया ताकि उन्हें आर्थिक उत्थान के उनके लक्ष्य को पूरा करने में सशक्त बनाया जा सके.



### 2.3 कृषि विकास के लिए विस्तार की रणनीति

कृषि विस्तार आजीविका के कृषि तथा गैर-कृषि स्रोतों का संयोजन कर ग्रामीण और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विश्व के पचहत्तर प्रतिशत (75%) गरीब (विश्व बैंक ने अपनी वर्ष 2000-2001 की रिपोर्ट में ऐसे लोगों का अनुमान लगाया है जिन्हें प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम में जीवित रहना पड़ता है) किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के परिवारों में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य वाले किसी भी कार्यक्रम को कृषि विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। इस तरह के कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कृषि विस्तार की प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान युग में कृषि विस्तार के निम्नलिखित स्पष्ट उद्देश्य होंगे:

- कृषि और गैर-कृषि स्रोतों के आय को मिलाकर किसानों की आय तथा फसलों और पशुओं की पैदावार बढ़ाकर जीवन स्तर को बढ़ाने में किसानों की मदद करना।
- सतत ग्रामीण आजीविका तथा कृषि को विकसित करने के लिए किसानों को न केवल वित्तीय पूंजी की आवश्यकता होती है बल्कि सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक और स्वस्थ मानव संसाधन (DFID का सतत ग्रामीण आजीविका ढांचा) की भी आवश्यकता होती है और किसान इन तक पहुंच सकें इसके लिए विस्तार प्रणाली को उन्हें शिक्षित करना पड़ता है।

अतः विश्व व्यापार संगठन के शासन काल में उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, भारतीय किसानों को चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसे संभव बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित कृषि वैज्ञानिकों, विस्तार कर्मियों और कृषि प्रशासकों को मिलकर कार्य करना होगा तथा आईसीएआर(ICAR) संस्थानों



और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसंधान को भी विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने ध्यान और दिशा को बदलना होगा ताकि यहां के किसानों को विश्व के अन्य किसानों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने में सहायता प्रदान की जा सके.

### **कृषि विस्तार व इसकी रणनीति को नई दिशा की आवश्यकता**

कृषि विस्तार ज्ञान तैयार करने और उसका प्रसार करने तथा किसानों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने केंद्र है. इसलिए अधिकांश कृषि विकास परियोजनाओं में विस्तार प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कृषि विस्तार में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के प्रतिभागी होते हैं तथा सभी हितधारकों को मिलकर पीपीपीपी (सार्वजनिक, निजी, पंचायत, साझेदारी मोड) मोड पर कार्य करना चाहिए.

### **नई सहस्राब्दि में विस्तार के लिए चुनौतियां**

जैसे-जैसे हम नई सहस्राब्दि में आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक और व्यवहार्य होगा, जिससे किसानों को सतत उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी - विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में छोटे मिश्रित कृषि प्रणाली में, ऊपरी क्षेत्र व अन्य स्थानों पर जो उपेक्षित थे. यह ग्रामीणों के उपभोग के साथ-साथ उनके उत्पादन के मामले में भी सफलता को मापने की मांग करता है. बदले में, ऐसी कृषि विस्तार प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो खेती करने वाले पुरुषों और महिलाओं को इस प्रकार से संगठित करने में मदद करे - जो उन्हें कृषि विस्तार का नेतृत्व करने तथा कृषि अनुसंधान प्रणाली पर पर्याप्त शक्ति और प्रभाव डालने के लिए सशक्त बना



सके ताकि वे उपयोगी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकें जो उन खेती करने वालों की आवश्यकताओं और रुचियां के अनुसार सही हो.

आमतौर पर, विस्तार को नई सहस्राब्दी में छह चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है. वे हैं:

1. कृषि में नियंत्रण, जवाबदेही और स्थिरता
2. व्यापक कृषि विस्तार नीति विकसित करना
3. लक्ष्य ग्राहक की शैक्षिक और तकनीकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना
4. महिला कृषक और महिला विस्तारक
5. आईसीटी के माध्यम से विस्तार में संचार सहायता में सुधार
6. विस्तार प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना

#### 2.4 कृषि विकास और विस्तार कार्यक्रम

अब तक, विस्तार का उद्देश्य किसी भी कीमत पर उत्पादकता बढ़ाना था और इस प्रक्रिया में ग्राहकों की आवश्यकताओं और समस्याओं, इनपुट आपूर्ति और सूचना सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए उचित प्रौद्योगिकी विकास और उसके प्रसार, तकनीकी उन्नयन, विपणन और प्रबंधन का मुकाबला करने के लिए किसानों के प्रशिक्षण और विस्तार कर्मियों के ज्ञान तथा कौशल उन्नयन जैसे प्रमुख मुद्दों का ध्यान नहीं रखा गया.

#### नई सहस्राब्दी में विस्तार में उभरती प्राथमिकताएं

उदारीकृत अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ को देखते हुए अब समय आ गया है कि कृषि विस्तार बदलते परिदृश्य का मुकाबला करने हेतु अपनी नई रणनीति बनाए और न केवल कई तकनीकी विकल्पों के साथ, बल्कि नए बाजार के अवसरों और लाभ,



अधिक लाभ और आय की स्थिरता की जानकारी के साथ किसानों तक पहुँचने के दृष्टिकोण को अपनाए। इस उद्देश्य के लिए, विस्तार को पुनर्परिभाषित, पुनर्निर्धारित और विभिन्न भूमि आयामों के स्वामित्व, परिस्थितियों और आय वाले किसानों के अलग-अलग समूहों की समस्याओं के कई प्रकार से समाधान देने के लिए सुसज्जित किया जाना है। इनमें प्राथमिकताएं हैं:

1. कृषि उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी विकल्प और विकास- बास्केट दृष्टिकोण.
2. स्थान विशिष्ट और आवश्यकता-आधारित विस्तार रणनीतियां और दृष्टिकोण.
3. प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए सहभागिता विस्तार.
4. संबंधित विकास विभागों और संगठनों के बीच संबंध और समन्वय. (पीपीपीपी मोड)
5. विस्तार में नए संचार चैनलों और मीडिया समर्थन का उपयोग.(आईसीटी)
6. कृषि विस्तार में मानव संसाधन विकास और प्रबंधन.
7. विस्तार सेवाओं की लागत साझाकरण और विस्तार का निजीकरण.
8. प्रभावी विस्तार रणनीति बनाने के लिए संस्थागत नवाचार.

इन आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से किसानों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। उनमें से कुछ हैं:



### इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (आईएडीपी)

उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान रखते हुए, आईएडीपी (IADP) कार्यक्रम को उसके पहले चरण में जुलाई, 1960 में विभिन्न राज्यों के 7 चयनित जिलों में आरंभ किया गया था और बाद में दूसरे चरण में वर्ष 1963-64 के दौरान 9 और जिलों में विस्तारित किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत और गहन दृष्टिकोण से उन्नत प्रथाओं के पैकेज को अपनाते हुए कृषि उत्पादन की समस्याओं को हल करना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियां जबरदस्त थीं और इसने कृषि के माध्यम से ग्रामीणों के गरीबी उन्मूलन में वास्तव में सेंध लगा दी। इस कार्यक्रम को लोकप्रिय रूप से पैकेज प्रोग्राम के रूप में जाना जाता था।

### इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम (आईएएपी)

देश की विशाल आबादी के लिए भोजन की मांग की पूर्ति के लिए, यह निर्णय लिया गया कि देश के कम से कम 20 से 25 प्रतिशत खेती वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और उसे गहन कृषि विकास के लिए चुना जाए। तदनुसार, वर्ष 1964 में देश के 114 जिलों में आईएएपी (IAAP) प्रचालन में आया। आईएएपी (IAAP) का मुख्य उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में उत्पादन के विभिन्न सहायक उपकरणों के गहन और समन्वित उपयोग से मुख्य फसलों के उत्पादन में प्रगतिशील वृद्धि करना था।

आईएएपी (IAAP) ने चयनित क्षेत्र तथा चयनित फसलों के खाद्यान के उत्पादन में वृद्धि करके आंशिक रूप से अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया।





### हाई यील्ड वराइटी प्रोग्राम (एचवाईवीपी)

आईएडीपी(IADP) और आईएएपी (IAAP) पैकेज दृष्टिकोण और गहन कृषि से संबंधित थे और इन कार्यक्रमों ने खाद्य उत्पादन को कुछ हद तक बढ़ाया. लेकिन बाद में, जब उपज का उत्पादन स्थिर हो गया, तो वे आगे खाद्य उत्पादन की आवश्यकता की मांग को पूरा नहीं कर सके और इस अनुभव ने एचवाईवीपी (HYVP) की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया.

खरीफ 1966-67 में एचवाईवीपी (HYVP) अस्तित्व में आया जिसका एकमात्र उद्देश्य चयनित फसलों के उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग करके कुल खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था. चयनित फसलें थीं - धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार और मक्का. एचवाईवीपी (HYVP) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं: (1) इनपुट जैसे बीज, उर्वरक और पादप संरक्षण रसायनों की आपूर्ति (2) क्रेडिट की आपूर्ति (3) सहकारी विपणन (4) राष्ट्रीय प्रदर्शन तथा (5) प्रशिक्षण.

इन कार्यक्रमों से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए, विशेष रूप से उत्पादन बढ़ाने तथा उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और पादप संरक्षण रसायनों जैसे उत्पादन वृद्धि के उपलब्ध साधनों के बारे में कृषकों को जागरूक करने के क्षेत्र में. हालाँकि, इस कार्यक्रम की असफलताएँ भी थीं जैसे प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ, कीटों और रोगों के प्रति कुछ फसलों की संवेदनशीलता तथा कई कृषकों द्वारा अभ्यासों के पैकेज को पूर्ण रूप से न अपनाना.

इस अवधि के दौरान और उसके बाद, यह महसूस किया गया कि कुल कृषकों में लगभग 60 प्रतिशत छोटे किसानों को अपनी खेती के आर्थिक विकास के लिए विशेष सहायता और विकास प्रणाली की आवश्यकता होती है.



### ड्रॉट प्रोन एरिय प्रोग्राम (डीपीएपी)

भारत में, कुल भूमि का लगभग 19 प्रतिशत अक्सर सूखे से प्रभावित होता है. इस समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने जून, 1973 में 5 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ड्रॉट प्रोन एरिय प्रोग्राम (DPAP) का शुभारंभ किया.

ड्रॉट प्रोन एरिय प्रोग्राम (DPAP) का मूल उद्देश्य सूखे के प्रभाव की गंभीरता को कम करना तथा लोगों की आय को स्थिर करना था, विशेष रूप से पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के लिए. डीपीएपी (DPAP) ने निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया था:

1. सिंचाई के संसाधनों का विकास और प्रबंधन
2. मृदा में नमी संरक्षण और वनीकरण
3. फसलों के पैटर्न का पुनर्गठन और चारागाह विकास
4. खेती करने के अभ्यास में परिवर्तन
5. विशेष कार्य योजना के माध्यम से छोटे किसानों, मध्यम किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पशुधन विकास.

डीपीएपी (DPAP) कार्यक्रम देश के 13 राज्यों के 74 जिलों में संचालित हो रहा था. इस कार्यक्रम ने मृदा और नमी संरक्षण, वानिकी और चारागाह विकास, दुधारू पशुओं के वितरण, भेड़पालक सहकारी समितियों के संगठन के क्षेत्र में लक्ष्य को पार कर लिया तथा इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में कार्यक्रम लक्ष्य स्तर से अधिक हो गए. हालाँकि, डीपीएपी की कुछ कमियां भी थीं, जैसे कि लाभार्थी और क्षेत्र विकास कार्यक्रम उन्मुख दृष्टिकोण गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को अधिक हद तक हल नहीं कर सकते थे.



### कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएडीए)

सिंचाई आयोग ने पाया कि सिंचाई क्षमता का उपयोग धीमा था और दक्ष नहीं था, परिणामस्वरूप सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि हुई. राष्ट्रीय कृषि आयोग का भी यही विचार था कि प्रत्येक पुरानी सिंचाई परियोजना को उन्नत किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा सिंचित क्षेत्रों की आवश्यक सिंचाई की जा सके और इसके संचालन के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए योजना बनाई जाए. इन सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने जुलाई, 1973 में क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की और बाद में इसे जून, 1974 में सीएडीए (CADA) में बदल दिया गया. सीएडीए (CADA) की मूल अवधारणा सिंचाई, मृदा संरक्षण, कृषि विस्तार और सहयोग तथा क्रेडिट एजेंसियों जैसे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करना था.

सीएडीए (CADA) का मूल उद्देश्य सिंचाई की संभावनाओं और वास्तविक रूप से सिंचाई की गई भूमि में उसके योगदान के बीच की खाई को पाटना था. सीएडीए (CADA) का महत्वपूर्ण कार्य अपनी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध जल का उपयोग करना और आधुनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में जल का समान वितरण करना था. हालाँकि इस कार्यक्रम ने बांध/नहरों के माध्यम से सिंचित जल की उपलब्धता के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता की लेकिन यह देश में भूमि के विशाल क्षेत्र की आवश्यकता/मांगों को पूरा नहीं कर सका और इस प्रक्रिया में जहाँ भी ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं, इन क्षेत्रों के किसानों ने उनकी खेती के लिए सिंचाई के पानी का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ उठाया, परंतु अन्य क्षेत्र इससे वंचित रह गए तथा दो क्षेत्रों और उसके लोगों के बीच खाई चौड़ी होती गई.



सीएडीए ने सिंचाई के लिए जल प्रदान करके उत्पादन बढ़ाने में सहायता की तथा बड़े किसानों को और अधिक निवेश करने एवं उच्च लाभ प्राप्त करने में भी मदद की. और यह साबित हो गया कि यदि सिंचाई और उसका उचित प्रबंधन हो तो फसलों की उत्पादकता कुछ ही समय में बढ़ाई जा सकती है. इस कार्यक्रम में परियोजना के प्रसार, लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण की कठिनाई तथा संभावित और वास्तविक खेती योग्य नियंत्रित क्षेत्र की अनुपलब्धता जैसी कुछ कमियां थीं.

### ट्रेनिंग एंड विज़िट (टी एंड वी) सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन

ट्रेनिंग एंड विज़िट (T&V) सिस्टम, डॉ. डैनियल बेनोर (विश्व बैंक के सलाहकार) के दिमाग की उपज थी, जिसे भारत में कृषि विस्तार प्रणाली के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1974 में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए अवलोकन, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना था ताकि उन्हें कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके.

यह नई कृषि विस्तार रणनीति विश्व बैंक के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट एस. मैक नमारा (Robert S. Mc. Namara) द्वारा वर्ष 1970 में नैरोबी में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर आधारित है, जिसे आर्थिक विकास को गति देने और 20 वीं शताब्दी के अंत तक गरीब देशों से संपूर्ण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था. यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना थी और इजरायल में पहली बार आरंभ होते हुए कई देशों में शुरू की गई थी.



भारत में यह प्रणाली वर्ष 1974 में दो राज्यों अर्थात् राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पहली बार आरंभ की गई थी और उसके बाद देश के 16 अन्य राज्यों में फैल गई, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विस्तार सेवा प्रदान करना था जो उत्पादन और आय बढ़ाने में किसानों की सहायता करने में सक्षम हो तथा कृषि विकास के लिए उचित सहायता प्रदान कर सके. इस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में व्यावसायिकता, एक ही नियंत्रणकर्ता, प्रयास की एकाग्रता, समयबद्ध कार्य, क्षेत्र और किसान अभिविन्यास, विनियमित और निरंतर प्रशिक्षण और अनुसंधान के साथ निकट संबंध शामिल हैं.

टी एंड वी प्रणाली के परिणामस्वरूप किसानों, पेशेवर विस्तार कर्मियों और शोधकर्ताओं के बीच गतिशील लिंक का निर्माण हुआ. किसानों के खेतों में, चाहे वह सिंचित हो या वर्षा जल पर आधारित हों, कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टी एंड वी प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था.

अपने विस्तार नेटवर्क में टी एंड वी (T & V) प्रणाली को अपनाने और उसे कार्यान्वित करने से, भारत ने प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रणाली के साथ-साथ वैज्ञानिक साधनों सहित अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में बहुत कुछ हासिल किया.

### **नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (एनएईपी)**

एनएईपी का मूल उद्देश्य विस्तार प्रणाली के साथ अच्छी तरह से विकसित अनुसंधान प्रणालियों के बीच की खाई को पाटना था ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अधिक तीव्र गति से हो सके. परिणामस्वरूप, सामान्य रूप से ग्रामीण सेक्टर और विशेष रूप से कृषि सेक्टर में उत्पादन में वृद्धि हो और वे समृद्ध हो सकें.



इन विशेष विस्तार प्रयासों के बावजूद, कुछ सेक्टरों में सफलता प्राप्त करने में बड़े अंतर बने रहे, जिन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी.

## 2.5 कृषि विकास में विभिन्न ग्राहक केन्द्रित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं

स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी (एसएफडीए) और मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स (एमएफएएल)

एसएफडीए (SFDA) को उत्पादक के रूप में छोटे किसानों की सहायता करने और उनकी विशेष समस्याओं का पता लगाने तथा मझौले किसानों और खेतिहर मजदूरों की पहचान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, ताकि उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें और खेती करने में सहायता करने के लिए उन्हें मजदूरी के रूप में उचित आय दिलवाने में मदद की जा सके.

एसएफडीए (SFDA) को पहली बार 168 जिला स्तरीय एजेंसियों में आरंभ किया गया जिसमें 1818 ब्लॉक शामिल थे. इसे संयुक्त रूप से एसएफ/एमएफएएल (SF/MFAL) ब्लॉक के रूप में बनाने के लिए बाद में इसमें एमएफएएल (MFAL) को जोड़ दिया गया था.

इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां यह थीं कि सभी छोटे किसान, मझौले किसान और खेतिहर मजदूर अपनी समस्याओं की पहचान करने और उन्हें सरकार की सहायता से हल करने के लिए एक छत के नीचे एकत्रित हो गए थे. इसने खेतिहर मजदूरों को, जहां वे मजदूरी करते थे वहां के भू-स्वामियों से न्यूनतम मजदूरी दिलाने में भी सहायता की. मझौले और छोटे किसान दोनों को, जिनकी पहचान एसएफडीए (SFDA) और एमएफएएल (MFAL) द्वारा उनकी खेती



के तौर-तरीकों के लिए किया गया था, विभिन्न एजेंसियों से कई सब्सिडी मिलीं और जिसके कारण कुछ हद तक वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके.

हालाँकि, यह कार्यक्रम पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इसमें देश के समस्त क्षेत्र शामिल नहीं थे और साथ ही इसमें चयनित ब्लॉकों/जिलों में ग्रामीण जीवन के केवल एक या दो पहलुओं और ग्रामीणों के वर्ग को शामिल किया गया था. इन कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर की योजना और निगरानी गायब थी.

### **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम / आईआरडीपी)**

आईआरडीपी (IRDP) की मूल अवधारणा एकीकृत प्रणाली में ग्रामीण विकास नीतियों की योजना और कार्यान्वयन दोनों पर थी. इसमें शामिल थे (1) विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय करना (2) गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारी एजेंसियों के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण संबंध में सुधार करना (3) कार्यक्रमों, परियोजनाओं को बनाने की योजना आदि तय करने में स्थानीय स्तर के प्रशासन को महत्व देना (4) स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और व्यक्तिगत मूल्यों में परिवर्तन तथा गांव में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रति ग्रामीणों की धारणा एवं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, विकास कार्यक्रम के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में लोगों की सहभागिता.

आईआरडीपी ने अपने संचालन में सभी सेक्टरों को शामिल किया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक उत्थान में मदद मिल सके. इन सेक्टरों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी, उद्योग, विपणन और सेवा सेक्टर शामिल थे. आरंभ में, इस कार्यक्रम ने



जबरदस्त प्रभाव डाला और आर्थिक स्थिति में सुधार किया। लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में, लाभार्थियों के अनुचित चयन के परिणामस्वरूप वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए।

इस समस्या के कारण तथा देश के लगभग सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इसकी विशाल मशीनरी के कारण, उचित अनुवर्ती लगभग अनुपस्थित था। विशेष रूप से आर्थिक विकास के लिए लाभार्थियों को ऋण की मंजूरी या कुछ इनपुट वितरण के बाद, किसी ने भी लाभार्थियों पर नज़र नहीं रखी। लाभार्थियों के चयन के लिए बैंच मार्क सर्वेक्षण योजना के अनुसार नहीं किया गया था तथा ब्लॉक स्तर पर विकास विभाग और लोगों के बीच समन्वय की कमी थी और इस प्रक्रिया में, कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बहुत कम थी। समस्या ब्लॉक और जिला स्तर से नौकरशाही के कठोर दृष्टिकोण के कारण भी हुई। हालांकि, आईआरडीपी (IRDP) ने ग्रामीणों में आर्थिक विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न की और इस उद्देश्य के लिए सरकार से उसकी भूमिका की अपेक्षा की।

### **गहन मवेशी विकास परियोजना (दि इंटेन्सिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट / आईसीडीपी)**

अगस्त, 1952 में प्रमुख ग्रामीण स्कीम की पहल देश में मवेशियों और भैंसों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। आईसीडीपी (ICDP) की शुरुआत वर्ष 1964-65 में हुई थी। परियोजना के उद्देश्य प्रमुख ग्रामीण स्कीम के समान ही थे, लेकिन इसमें व्यापक गुंजाइश थी। इसने दुग्ध उत्पादन में सफलता प्राप्त करने हेतु पशुपालकों द्वारा बेहतर अभ्यास अपनाने के लिए एक पैकेज की परिकल्पना की (राष्ट्रीय कृषि आयोग, वर्ष 1976)। इस पैकेज में शामिल थे:

1. मवेशियों का प्रजनन





2. स्क्रब बैलों को बधिया करना
3. पशु चिकित्सा सहायता और रोग नियंत्रण
4. दूध रिकॉर्डिंग का पंजीकरण
5. अधिक दूध देने वाले मवेशियों को पालना
6. दुग्ध उत्पादन के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन
7. पशुओं का भोजन और भूसा विकास सहित प्रदर्शन, चारे के बीज का वितरण, साइलेज बनाना और भूसा काटने को लोकप्रिय बनाना और
8. दुग्धालय का विस्तार

प्रमुख डेयरी संयंत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में कार्यक्रम आरंभ किया गए थे ताकि इन संयंत्रों को अधिक मात्रा में दूध के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके.. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईसीडीपी (ICDP) ने देश में दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद की.

**स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग ऑफ रूरल युथ फॉर सेल्फ-एंप्लॉयमेंट/टीआरवाईएसईएम)**

केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त, 1979 को केंद्र प्रायोजित योजना टीआरवाईएसईएम (TRYSEM) आरंभ की गई थी. टीआरवाईएसईएम (TRYSEM) आईआरडीपी (IRDP) को सुविधाजनक बनाने का एक घटक है. टीआरवाईएसईएम (TRYSEM) का प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना था ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों, उद्योगों, सेवाओं एवं व्यवसाय उद्यमों के व्यापक क्षेत्र में स्वरोजगार कर सकें. इस प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से



बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को अपने स्वयं के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में आय अर्जित करने में मदद की और उन्हें स्थायी आजीविका कमाने में व्यस्त कर दिया. हालांकि यह कार्यक्रम देश की भारी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सका, लेकिन इसने स्व-रोजगार के लिए स्वयं पहल करने तथा स्वयं के विकास के लिए आय अर्जन करने का मार्ग दिखाया.

### **ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डेवलपमेंट ऑफ यूमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया / डीडब्ल्यूसीआरए)**

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक अनोखा कार्यक्रम डीडब्ल्यूसीआरए(DWCRA) वर्ष 1982-83 में आईआरडीपी(IRDP) की उप-योजना के रूप में आरंभ किया गया था. कार्यक्रम के पीछे तर्क यह था कि महिलाओं की आय का परिवार के पोषण और शैक्षिक स्थिति के साथ सकारात्मक संबंध है तथा उसे महिलाओं की स्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण के लिए जाना जाता है. यदि वह विकसित और सशक्त हैं, तो वह अपने बच्चों की देखभाल अधिक वांछित तरीके से कर सकती है. इस कार्यक्रम के माध्यम से, अधिकांश ग्रामीण महिलाओं ने कुछ आय अर्जित करना शुरू कर दिया तथा इससे वह स्वयं की और अपने बच्चों की बहुत हद तक देखभाल करने में सक्षम हो गयीं.

डीडब्ल्यूसीआरए(DWCRA) का उद्देश्य महिलाओं को आय सृजन संबंधी गतिविधियाँ उपलब्ध करना था और सहायता प्राप्त महिलाओं के लिए एक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक सहायता प्रदान करना था ताकि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रभावी प्राप्तकर्ता बन सकें. डीडब्ल्यूसीआरए(DWCRA) की अनूठी विशेषता समूह में महिलाओं की मदद करना था न कि व्यक्तिगत रूप में. इसलिए, समूह दृष्टिकोण ने समूह के मुद्दों के प्रभाव के रूप में



समूह के प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने और बेहतर निष्पादन करने में मदद की. यह बहुत प्रभावी था और इस कार्यक्रम से कई ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिला.

यद्यपि ऊपर सूचीबद्ध कई कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना था परंतु इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान कई समस्याएं आयीं. समस्याएं प्रभावी रूप से संगठनात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक बाधाओं से संबंधित थीं जिनकी पहचान कृषि विस्तार और अन्य संबंधित विकास कार्यक्रमों के टी एंड वी(T&V) प्रणाली की लंबी निरंतरता के दौरान की गई थी.

#### **तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन (टेक्नालॉजी मिशन ऑन ऑयलसीड/टीएमओ)**

प्रौद्योगिकी मिशन लोगों के एक समूह के लिए विशेष असाइनमेंट कार्य था जिसेके अंतर्गत एक तकनीकी कार्यक्रम को निश्चित समय के भीतर पूरा करना था. इसे राष्ट्रीय स्तर पर आम तौर पर लोगों के जीवन में व्याप्त समस्याओं को एक निश्चित समय सीमा में, परिणाम-उन्मुख, बहु-विषयक, अत्यधिक गहन कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने के लिए बनाया गया था. इस कार्यक्रम में शामिल संगठनों और एजेंसियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां दी गईं और कार्य की प्रगति पर उच्चतम स्तर तक बारीकी से नज़र रखा गया. कार्यक्रम को लागू करने में न केवल सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया बल्कि धीमी गति से चलने वाले कारकों की भी पहचान की गई और उन्हें जल्द से जल्द हटाने के लिए कदम उठाए गए. उदार वित्तीय सहायता से कार्यक्रम संचालित किया गया तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन धन की अनुपलब्धता के कारण बिल्कुल भी बाधित नहीं हुआ. भारत ने इस कार्य को एक चुनौती के रूप में लिया और देश में तिलहन उत्पादन में काफी हद तक सफलता प्राप्त की.



भारत में प्रमुख कमी वाला क्षेत्र तिलहन उत्पादन का था, जिसके लिए मई, 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य देश को पौधों से प्राप्त खाने योग्य और न खाने योग्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके आयात को कम करना था. इसे विभिन्न विकासात्मक, वैज्ञानिक, बैंकिंग, विपणन और प्रसंस्करण एजेंसियों से जुड़े एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाना था. तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की निम्नलिखित रणनीति थीः:

- i. फसल की तकनीक में सुधार करना
- ii. बेहतर उत्पादन तकनीक लागू करने में किसानों का समर्थन करना
- iii. फसल कटाई के बाद की तकनीक में सुधार करना; और
- iv. कटाई के बाद की तकनीक को लागू करने के लिए उद्योग को समर्थन देना

कम लाभकारी फसलों के स्थान पर तिलहन की खेती करके तथा बेहतर तकनीक और शुष्क खेती के बेहतर तरीकों और पद्धतियों को अपनाकर तिलहन की खेती के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई थी. विस्तार पद्धतियों में शामिल थे - ब्लॉक प्रदर्शन, किसानों का प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञ और विस्तार एजेंट; सुनिश्चित इनपुट आपूर्ति एवं प्रौद्योगिकी पैकेज; खेत में दैनिक किसान सम्मेलन; और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सूचना का संचार. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किसानों के लिए मजबूत सहायता प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने वनस्पति तेल के निरंतर उत्पादन के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एनओडीपी/ NODP) की शुरुआत की.



## जवाहर रोजगार योजना

गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) को इस कार्यक्रम में मिला दिया गया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय को केंद्र और राज्यों द्वारा 80:20 आधार पर साझा किया गया था. इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सहायता सीधे जिलों को जारी की जाती थी. इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को प्राप्त होने वाले आवंटन का 80 प्रतिशत से कम ग्राम पंचायतों को नहीं दिए जाने थे. यह अनुमान लगाया गया था कि यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य जो अकुशल रोजगार की मांग करेंगे, को कम से कम पूर्ण रोजगार का अवसर प्रदान करेगा (ग्रामीण विकास विभाग, वर्ष 1989).

## मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारतीय नौकरी गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त, 2005 को कानून द्वारा लागू किया गया. यह योजना किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो वर्ष 2009 की कीमतों पर, 120 रु. प्रति दिन के वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मैनुअल कार्य करने को तैयार है, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करती है. वित्त वर्ष 2010-11 में केंद्र सरकार की इस योजना का परिव्यय 40,000 करोड़ रुपए था.

यह अधिनियम ग्रामीणों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वालों, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या न हों, के लिए अर्ध या गैर-कुशल कार्य. निर्धारित कार्य बल में लगभग एक तिहाई महिलाएँ हैं. आरंभ में



इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कहा जाता था, परंतु 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदल दिया गया.

वर्ष 2011 में, इस कार्यक्रम की व्यापक आलोचना हुई, क्योंकि अन्य भारतीय गरीबी घटाने वाले कार्यक्रमों की तुलना में यह अधिक प्रभावी नहीं था. अपने अच्छे इरादों के बावजूद, भ्रष्ट अधिकारियों, धन के स्रोत के रूप में घाटे का वित्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित अवसंरचनाओं की खराब गुणवत्ता और गरीबी पर अनपेक्षित विनाशकारी प्रभाव के कारण मनरेगा विवादों से घिरी हुई है.

### राष्ट्रीय बागवानी मिशन (नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक भारतीय बागवानी स्कीम है. [1] बागवानी को राज्य में उपलब्ध अधिकतम क्षमता तक विकसित करने और राज्य में सभी बागवानी उत्पादों (फल, सब्जियां, फूल, रोपण फसलें, मसाले, औषधीय सुगंधित पौधे) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005-06 में 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे आरंभ किया गया था.

इसके उद्देश्य हैं:

1. क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीतियों पर आधारित क्षेत्र के माध्यम से बागवानी सेक्टर का समग्र विकास करना
2. बागवानी उत्पादन में वृद्धि, कृषक परिवारों को पोषण सुरक्षा और उनकी आय में सुधार करना;



3. बागवानी विकास के लिए जारी कई कार्यक्रमों तथा नियोजित कार्यक्रमों में अभिसरण और तालमेल स्थापित करना;
4. पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सहज मिश्रण के माध्यम से तकनीकों को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रसार करने के लिए;
5. कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना;

### राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अगस्त, 2007 में आरंभ की गई, जो अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की एक राज्य योजना स्कीम है. राष्ट्रीय विकास परिषद के तत्वावधान में आरंभ की गई इस योजना का लक्ष्य 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-11) की अवधि के दौरान कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों (जैसा कि भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित है) के विकास के माध्यम से कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करना था.

यह स्कीम अनिवार्य रूप से एक राज्य योजना स्कीम है जो भारत के राज्यों और प्रांतों की स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक/जलवायु परिस्थितियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों/ प्रौद्योगिकी और फसल के पैटर्न पर जानकारी समाविष्ट करते हुए उनके जिलों में कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की योजना बनाने की स्वायत्तता प्रदान करती है ताकि कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके और अंततः कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिक से अधिक की जा सके.



### राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना (नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेसन प्रोजेक्ट/ NAIP)

भारत सरकार ने विश्व बैंक के समर्थन से राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का संचालन आईसीएआर (ICAR) कर रहा है। परियोजना का समग्र उद्देश्य सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों, कृषक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से कृषि नवाचारों को लागू करके गांवों में गरीबी उन्मूलन और आय सृजन के लिए भारतीय कृषि के त्वरित और सतत प्रपांतरण को आसान बनाना है। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना गरीबी दूर करने और आय में सुधार करने के लिए अधिक से अधिक बाजार उन्मुखीकरण हेतु भारतीय कृषि क्षेत्र के सतत प्रपांतरण में योगदान करता है। इसका विशिष्ट उद्देश्य कृषि नवाचारों का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों, किसानों, निजी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच सहयोग में तेजी लाना है। इस परियोजना के चार उद्देश्य हैं-

1. सूचना, संचार और प्रसार प्रणाली; व्यवसाय योजना और विकास; अधिगम और क्षमता निर्माण; नीति और लिंग विश्लेषण और परिकल्पना; वित्तीय प्रबंधन और खरीद प्रणालियों को फिर से तैयार करना; और परियोजना कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (NARS) में बदलाव के प्रबंधन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को मजबूती प्रदान करना.
2. उत्पादन-से-उपभोग प्रणाली पर निधि अनुसंधान.
3. स्थायी ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर निधि अनुसंधान.
4. कृषि विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान का समर्थन





## विशेषताएं

परियोजना में दक्षतापूर्ण कार्य के लिए मजबूत और पारदर्शी शासन रणनीति होगी. आधुनिक वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन और परिणामों की रूपरेखा तथा निगरानी का पालन करने के लिए संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित की जाएंगी जो निरंतर प्रगति और अपेक्षित आउटपुट सुनिश्चित करेंगे. पर्यावरणीय और सामाजिक संरक्षा प्रबंध की कड़ी निगरानी के साथ-साथ व्यवस्थित आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण की जाएगी. परियोजना का एक अन्य प्रमुख घटक राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रणाली के आत्म-नवीकरण के लिए मजबूत संस्थागत अधिगम और क्षमता निर्माण योजना है. इस योजना में व्यापक प्रशिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता, कृषि के लिए ज्ञान और शिक्षा प्रसार प्रबंधन में आधुनिक आईसीटी का उपयोग करना, वैश्वीकृत कृषि बाजार और अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, अवलोकन और दूरदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं.

## फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन और नियमित विस्तार?

फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन, आज आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लाइन विभागों में किया जाने वाला एक आउटरीच विस्तार शिक्षा कार्यक्रम है, ताकि उन्हें क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के साथ उन्मुख किया जा सके. जबकि नियमित विस्तार से तात्पर्य लाइन विभागों द्वारा सीधे किसानों के लिए की जाने वाली विस्तार गतिविधियां और कार्यक्रम हैं.



### भारत में कृषि विश्वविद्यालय (संपर्क, अधिगम और विस्तार)

जबकि विभिन्न प्रशासनिक सेट-अप की कोशिश की गई और अपनाया गया, भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के रूप में कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा क्षेत्र विस्तार (विस्तार शिक्षा) के मानक और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अन्य उल्लेखनीय नवाचार आरंभ की गई थी. इस तरह का पहला विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित पंतनगर (उत्तर प्रदेश) में गोविंदबल्लभ पंत कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था. इसके बाद, प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय (कुछ राज्यों में एक से अधिक) की स्थापना की गई और वर्तमान में भारत में अधिगम, अनुसंधान और विस्तार के एकीकृत कार्य का निष्पादन करते हुए 67 कृषि विश्वविद्यालय (64 एसएयू और 3 सीएयू, दिसंबर, 2019) कार्य कर रहे हैं. विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए, इन विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के पास विस्तार शिक्षा निदेशालय है, जिसके प्रमुख एक निदेशक हैं, जिन्हें सभी प्रमुख विषयों जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन, मृदा विज्ञान, कीटविज्ञान, पादप रोगविज्ञान, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि इंजीनियरिंग और विस्तार शिक्षा से संबंधित विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा सहायता मिलती हैं. विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य के कृषि विभाग के विस्तार कर्मियों को नई कृषि तकनीक, किसानों में नई कृषि प्रौद्योगिकी का संचार, किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अप टू डेट रखना है, ताकि किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा उचित विस्तार साहित्य का उपयोग किया जा सके तथा चयनित क्षेत्रों में विस्तार-शिक्षा कार्यक्रम और विकासात्मक गतिविधियां की जा सकें.



## 2.6 अन्य देशों में विस्तार कार्यक्रम

### बांग्लादेश

बांग्लादेश की कोमिला परियोजना (Comilla project), जिसने पूरे विश्व में ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं में रुचि पैदा की, को देश में विस्तार कार्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है. 1960 के दशक के आरंभ में (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) ग्रामीण विकास के लिए सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कोमिला में एक राष्ट्रीय अकादमी शुरू की गई थी. विशेष रूप से, जिले का कोतवाली पुलिस स्टेशन कृषि विकास पर ध्यान देने वाले ग्रामीण विकास पद्धतियों को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक प्रयोगशाला था. परीक्षण और त्रुटि द्वारा ( By trial and error) अकादमी ने एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया, जो विस्तार एजेंटों के लिए विशेष रूप से रुचिकर है तथा जो स्थानीय लोगों और अकादमी के बीच कुछ गतिविधियों को करने के लिए समझौता करने की सुविधा प्रदान करता है जैसे - स्वयं को ग्राम सहकारी समितियों में व्यवस्थित करना; और यह गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए प्रमुख एजेंसी बन गया जो कृषि विस्तार का विषयवस्तु है.

### श्रीलंका

श्रीलंका की खेती की यह विशेषता है कि उसकी कृषि प्रणाली में पर्याप्त विविधता है. अधिकांश किसान निर्वाह के लिए छोटे खेतों में खेती करते हैं, जबकि अन्य व्यावसायिक स्तर पर फसलों / पशुधन का उत्पादन करते हैं.

विस्तार दृष्टिकोण एक विभाग की तुलना में कई विभागों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के इर्द-गिर्द केंद्रित है और समूहिक विस्तार पद्धतियों के उपयोग पर जोर देता है. उपर्युक्त दृष्टिकोण की मूल अवधारणाएं हैं - किसान केंद्रित, समस्त खेत, समस्या गणना, समस्या विश्लेषण और



समस्या समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से किसान की आवश्यकताओं पर आधारित मंडल, जिला और प्रांतीय कार्यक्रमों को तैयार करने में नीचे से ऊपर की ओर भागीदारी की योजना. समान हितों तथा समान संसाधन बंदोबस्त के साथ किसान संदर्भ समूहों (एफआरजी) को स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी. एफआरजी को विस्तार अधिकारी और कृषक समुदाय के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करना था.

### इंडोनेशिया

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) कार्यक्रम को वर्ष 1989 में इंडोनेशियाई सरकार ने पर्यावरणीय गिरावट को देखते हुए एक जागरूक निर्णय के रूप में आरंभ किया था. इसे राष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयास के रूप में अधिक स्थायी कृषि प्रथाओं को आरंभ करने के लिए व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर किया गया पहला प्रयास कहा जाता है.

आईपीएम (IPM) विस्तार दृष्टिकोण फार्मर फील्ड स्कूलों (FFS) पर आधारित है जो स्वरूप से गैर-औपचारिक हैं तथा धान की खेती के मौसम के मुख्य भाग तक जारी रहते हैं. एक प्रशिक्षण क्षेत्र है जिसका एक सेक्शन आईपीएम सिफारिशों को पालन करता है और दूसरा क्षेत्र अधिक पारंपरिक कृषि विस्तार सेवा की सलाह को पालन करता है. व्याख्यान विधि का उपयोग शायद ही किया जाता है, इसके बजाय प्रशिक्षुओं को खेतों पर ध्यान देने और कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण में निष्कर्षों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इसे क्षेत्र के समस्त स्कूल समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर इस पर चर्चा की जाती है. किसान-से-किसान तक प्रसार करने के लिए समूहों के सक्रिय सदस्यों को अन्य समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे सामूहिक प्रतिकृति के लिए महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जाता है.



इस कार्यक्रम ने आईपीएम किसान क्षेत्र के स्कूल मॉडल के आधार पर नई राष्ट्रीय विस्तार परियोजना को बनाने के लिए पहले ही विश्व बैंक को प्रेरित कर लिया है. कार्यक्रम के अंतर्गत, स्थानीय सरकारों से धन प्राप्त करने का कार्य जारी है. अब तक, यह कार्यक्रम अपेक्षाकृत संभ्रांत किसानों तक पहुंच गया है तथा इंडोनेशिया में धान की खेती करने वाले अधिकांश किसानों तक पहुंचाने के तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

### फिलीपींस

वर्ष 1991 के स्थानीय सरकार संहिता के अंतर्गत, फिलीपींस की कांग्रेस ने कृषि विस्तार सहित 'बुनियादी सेवाओं' का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करने के लिए विकेन्द्रीकरण करते हुए स्थानीय सरकारों को अधिकार दे दिया, जो अब तक कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी थी. संसाधनों और परिसंपत्तियों को हस्तांतरित किया गया और साथ ही विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए शक्तियां भी प्रदान की गईं. इसके लिए विस्तार प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी. उपयोग की जाने वाली विस्तार पद्धतियों की सीमा व्यक्तिगत से लेकर समूह विस्तार तक, जनसमूदाय से लेकर लोक मीडिया और आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) तक होती हैं. हाल के कार्यक्रमों में, मुख्य उत्पादन क्षेत्र (केपीए) विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है जो विशिष्ट वस्तुओं के लिए अति उपयुक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा कृषि-जलवायु उपयुक्तता और उत्पादों के लिए बाजारों की उपलब्धता पर आधारित हैं. इस दृष्टिकोण से, दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है और किसानों के निवेश का भुगतान होता है. इस दृष्टिकोण में किसानों और मछुआरों के सशक्तीकरण की केंद्रीय भूमिका होती है तथा कृषि सुधार से भूमि और जल संसाधनों तक किसानों की पहुंच मिलेगी.



वर्ष 1992 में फिलीपीन परंपरा का के अनुसार 'एयर ऑन द स्कूल' नामक एक पायलट परियोजना का निर्माण सरकार तथा फिलीपीन कृषि, वानिकी व प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान एवं विकास परिषद के साथ किया गया था. स्थापना के बाद स्थानीय किसानों के लिए आवश्यक बाहरी जानकारी (भागीदारी के तरीकों से), अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को रेडियो के साथ-साथ मुद्रित सामग्री या वीडियो के माध्यम से प्रसारित किए गए. रेडियो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए सामुदायिक सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया गया.

## चीन

चीन में ग्रामीण सुधार के साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक वातावरण में काफी बदलाव किया गया है. इन्हें निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- प्रबंधकीय इकाई कम्यून और ब्रिगेड से व्यक्तिगत परिवार में बदल गई. इन संगठनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रत्येक किसान परिवार के पास औसतन 0.5 हेक्टेयर का एक छोटा खेत उपलब्ध है;
- पारंपरिक कृषि आधुनिक और व्यवसायिक कृषि में बदल गई;
- कृषि प्रणाली बदल गई है, कई युवा किसान और कई अनुभवी किसान दूसरे सेक्टरों में चले गए;
- प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय और विपणन ज्ञान के लिए किसानों की मांग में वृद्धि हुई है; और
- कृषि उत्पादन में बाजार दृष्टिकोण को तेजी से अपनाया गया.

पहला राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 'हार्वेस्ट प्रोग्राम' वर्ष 1987 में आरंभ किया गया था. इस कार्यक्रम ने चीन में ग्रामीण विकास और किसानों की आय में बहुत योगदान दिया और अभी भी यह विकास की प्रक्रिया में है. बीजिंग कृषि विश्वविद्यालय ने वर्ष 1994 में एक विस्तार विभाग



की स्थापना की. विस्तार कार्य के संचालन के लिए नए विचारों का उपयोग करने हेतु कई केंद्र स्थापित किए गए. इसके अलावा, कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और कृषि विस्तार के बीच सहयोग में सुधार के लिए कृषि मंत्रालय की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी समिति कार्य कर रही है. इस प्रकार, चीनी सरकार एक ही समय में दो कार्य करने का प्रयास कर रही है:

- किसानों के लिए राज्य में सभी स्तरों पर शीघ्र अति शीघ्र एक नई विस्तार प्रणाली स्थापित करना; और
- विस्तार प्रणाली के कार्य को कुशलतापूर्वक चलने देना.

अब चीनी विस्तार प्रणाली के सामने यह चुनौती है कि उसके पास स्थापित की गई प्रणाली को संचालित करने के लिए धन की कमी है. ग्रामीण उत्पादन की सामूहिक प्रणाली के बरकरार रहने की तुलना में अब प्रौद्योगिकी नवाचार और फैलाव की समग्र मांग कहीं अधिक दिखाई देती है. जबकि मांग बढ़ी है और इस मांग को पूरा करने की व्यावहारिक कठिनाइयां भी कई गुना बढ़ी हैं क्योंकि ग्रामीण उत्पादन की पिछली सामूहिक प्रणाली के अंतर्गत बरकरार सीमित संख्या की तुलना में अब प्रणाली को लाखों उत्पादन इकाइयों को सेवा प्रदान करनी है. सरकार से मिलने वाले धन की कमी के कारण स्थिति और खराब हो गई है. ऐसा लगता है कि, सरकार धीरे-धीरे विस्तार संगठन को देने वाली वित्तीय सहायता कम कर देगी और किसानों को प्राप्त होने वाली सेवा के लिए कुछ सेवाशुल्क देना होगा.

इस संदर्भ में, चीनी सरकार चीन में विस्तार प्रणाली के लिए कुछ बदलावों की परिकल्पना कर रही है. वे हैं -

1. कृषि विस्तार को अनिवार्य दृष्टिकोण से दूसरे (उदाहरण के लिए- सहभागिता) दृष्टिकोण में स्थानांतरित करना आवश्यक है.



2. विस्तार प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से निचले स्तरों पर, न केवल अधिक कर्मचारियों, बल्कि अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है.
3. सरकार के पास दीर्घकालिक नियोजन दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे एक सुसंगत नीति तैयार करनी चाहिए.
4. किसानों के संगठनों को विकसित करने की आवश्यकता है.

### ऑस्ट्रेलिया

वर्ष 1990 में एक समुदाय आधारित लैंडकेयर (LANDCARE) कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो सरकार के समर्थन के साथ एक जमीनी पहल है. मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, समुदाय आधारित लैंडकेयर (भूमि का देखभाल) समूह महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वे स्थानीय कार्रवाई के लिए सही प्रकार में मार्गदर्शन कर सकेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में, लैंडकेयर (भूमि देखभाल) आंदोलन व्यापक रूप से भूमि क्षरण के पुनः उन्नयन, देशी वनस्पति के संरक्षण तथा ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के संदर्भ में पर्याप्त प्रभाव डालने हेतु सामुदायिक कार्रवाई के लिए रूपरेखा प्रदान करता है. यह ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों और प्रांतों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने और फैलाने में बेहद प्रभावी रहा है. इस आंदोलन में सामुदायिक सहभागिता पारिस्थितिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए नीतिगत, संस्थागत और विधायी प्रतिक्रियाओं से आगे निकलने में सक्षम रही है.

### संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका अपने विश्वविद्यालय-आधारित विस्तार के लिए सुविख्यात है. संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर, राज्य विश्वविद्यालयों ने शिक्षा और अनुसंधान के अलावा,





विस्तार के लिए स्थानीय देशों और यूएसडीए(USDA) (संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग) के साथ परंपरागत रूप से सहयोग किया है. भूमि-अनुदान कॉलेजों के विस्तार लक्ष्य व्यावहारिक शिक्षा से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में स्थानांतरित हो गए हैं और हाल ही में, इसका स्थान मानव संसाधन विकास की व्यापक अवधारणा ने ले लिया.

शक्तिशाली निजी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विकास संगठनों के उभरने और कृषि उत्पादन क्षेत्र के भीतर नाटकीय बदलाव के कारण, सहकारी विस्तार सेवा समन्वय और सहयोग के संबंध में नई चुनौतियों का सामना कर रही है. पारंपरिक कार्य के अलावा, नेटवर्किंग इसका मुख्य कार्य होगा. इस मॉडल में, ज्ञान का उपयोग करने वाले उद्योग के साथ-साथ बीच के और अंत-उपयोगकर्ता विस्तार प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं.

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सहकारी विस्तार सेवा अभी भी एकमात्र प्रणाली है जिसमें मुख्य विस्तार कार्य विश्वविद्यालय के पास रहता है. कुछ विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत ने शैक्षिक संस्थानों को व्यावहारिक विस्तार कार्य में एकीकृत किया है. विस्तार के लिए शैक्षिक संस्थानों का मुख्य योगदान योग्य कर्मियों का प्रशिक्षण देना होगा. कुछ भारतीय कृषि विश्वविद्यालय विस्तार कार्य का पूरा भार उठाए बिना यूएस मॉडल के करीब आ गए हैं. क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं जो मंत्रालय द्वारा केवल अपर्याप्त रूप से निष्पादित किए गए हैं, इस प्रकार राज्यों द्वारा साधारण विस्तार कार्य का समर्थन किया गया. उल्लेखनीय विशेषताएं हैं- ग्राहकों की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन, उपयोगकर्ता-उन्मुख अनुसंधान, राज्य कर्मियों के लिए गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण तथा अकादमिक शिक्षा और क्षेत्र में अभ्यास के बीच मजबूत संबंध.



## 2.7 परिवर्तन एजेंट (चेंज एजेंट) /विस्तार एजेंट

संपूर्ण विस्तार प्रक्रिया विस्तार एजेंट/कार्यकर्ता पर निर्भर है, जो सभी विस्तार गतिविधियों के महत्वपूर्ण तत्व है. विस्तार एजेंट की प्रभावशीलता अक्सर विस्तार कार्यक्रम की सफलता या विफलता को निर्धारित कर सकती है. विस्तार एजेंट को लोगों के साथ विविध प्रकार से कार्य करना पड़ता है. यह अक्सर एक अंतरंग संबंध होता है और जिसके लिए बहुत अधिक चातुराई और संसाधनों की आवश्यकता होती है. विस्तार एजेंट अनिवार्य रूप से उन लोगों के साथ कार्य करता है जिनकी परिस्थितियां उसकी अपनी परिस्थिति से भिन्न होती हैं. वे शिक्षित व प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, जो किसानों के साथ कार्य करते हैं, जिनमें अधिकतर बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त होते हैं और ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो कि उनसे काफी भिन्न हो सकता है.

विस्तार एजेंट एक परिवर्तन एजेंट (चेंज एजेंट) है: वह किसानों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए उनमें बदलाव लाने के लिए हस्तक्षेप करता है. एजेंट की मूल भूमिका ग्रामीण क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र तथा व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र में परिवर्तन लाना होता है.

1. विस्तार एजेंट कोशिश करता है कि लोग अपनी समस्याओं को पहचाने और उसमें रुचि लें.
2. विस्तार एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्राथमिकता अभिवृत्ति, व्यवहार और सामाजिक संगठन में परिवर्तन लाना है.
3. विस्तार एजेंट बहु-प्रयोजन एजेंट होता है जो सरकार और लोगों के बीच लिंक के रूप में काम करते हैं.



4. विस्तार एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो यह महसूस करने के बाद कि ग्रामीण समाज के लिए कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता हैं, बदलाव की प्रक्रिया को आरंभ करता है.
5. विस्तार एजेंट एक कार्यकर्ता है जिसकी मुख्य भूमिका लोगों को उनके अपने संगठनों के माध्यम से उनकी समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने में सहायता करना है.
6. विस्तार एजेंट वो पेशेवर है जो परिवर्तन एजेंसी(चेंज एजेंसी) द्वारा वांछित दिशा में नवाचार/निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है.

शिक्षक, सूत्रधार (फैसिलिटेटर) या उत्प्रेरक की भूमिका में, जिसे विस्तार एजेंट को अपनी इयूटी के दौरान निष्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है. एजेंट ज्ञान/संचार पहलू के साथ कम और किसानों के व्यक्तिगत विकास के साथ अधिक जुड़ा हुआ है.

विस्तार एजेंट विशिष्ट कार्यक्रमों या लक्ष्यों से कम तथा किसानों को विश्वास हासिल करने में मदद करने, उनको व्यवस्थित करने और विस्तार गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें प्रेरित करने में अधिक संबद्ध हैं.

विस्तार एजेंट की भूमिका अनिवार्य रूप से किसानों की सहायता करना और उन्हें स्वयं की पहलों को विकसित करने तथा अपनी समस्याओं से निपटने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है.

अध्यापक	सूत्रधार/ फैसिलिटेटर	संगठनकर्ता	पंच/मध्यस्थ
शिक्षक	ब्रोकर	प्रशासक / व्यवस्थापक	वकील/ अधिवक्ता
नेता	सलाहकार / परामर्शदाता	एनेबलर(संबल)	उत्प्रेरक
संप्रेषक	मध्यस्थ/बीच वाला	कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट)	मित्र



प्रेरक/कार्यकर्ता	श्रोता	प्रदाता	उत्तेजक (स्टिमुलेटर)
-------------------	--------	---------	-------------------------

उपरोक्त सूची हमें एक एजेंट की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं की विविधता दर्शाती है, लेकिन उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थिति का अध्ययन करना, समस्याओं का विश्लेषण करना और एक ऐसी अवस्था को अपनाना जो उन विशेष समस्याओं को हल करने के लिए प्रासंगिक हो. इस पर विचार किया जाना चाहिए और एक विस्तार एजेंट को बिना सावधानी से सोचे समझे कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए कि वह इसे बदलने में उत्तम सहायता कैसे कर सकता है.

#### विस्तार एजेंट हैं:

- ज्ञान और विकास के बीच की कड़ी
- अनुसंधान और विकास के बीच की कड़ी
- बाजार और किसान के बीच की कड़ी
- कृषक समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच की कड़ी

#### विस्तार एजेंट का ज्ञान और व्यक्तिगत कौशल

विस्तार एजेंट वह है जिसे तकनीकी पहलुओं और जिस कृषि प्रणाली में वह कार्य कर रहा है, उसके मुख्य तत्वों का पर्याप्त ज्ञान है. उसे ग्रामीण जीवन, स्थानीय परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृति और मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए. उसे सरकार के प्रमुख कानून व अन्य संस्थागत नीतियों से परिचित होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों, विकास कार्यक्रमों, क्रेडिट कार्यक्रमों तथा नौकरशाही और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं.



विस्तार एजेंट में संगठन और नियोजन, संचार, विश्लेषण और निदान, नेतृत्व और पहल जैसे कौशल होने चाहिए. और व्यक्तिगत गुण जैसे विस्तार कार्य के प्रति विश्वसनीयता, विस्तार कार्य करने और किसानों के साथ संबंधों के संदर्भ में प्रतिबद्धता एवं किसानों के साथ कार्य करने में उसमें विनम्रता होनी चाहिए. परिवर्तन एजेंट(चेंज एजेंट) को किसानों की इच्छाओं और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनके साथ ऐसे कार्य करना चाहिए जो उन्हें उन लोगों के रूप में सम्मान दिला सके जिनके पास योगदान करने के लिए ज्ञान और विचार हैं. अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास और कुछ हासिल करने का दृढ़ निश्चय हो.

सार्वजनिक रूप से बोलना एक कौशल है. सार्वजनिक रूप से बोलना संचार का एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावी तरीका है, यदि इसमें निपूणता हासिल हो. सार्वजनिक भाषण विस्तार एजेंट को अपने उत्साह और तकनीकी ज्ञान को निष्पादित करने का अवसर प्रदान करता है.

स्थानीय नेतृत्व का उपयोग, एक योग्य विस्तार एजेंट हमेशा अपने विस्तार कार्य में स्थानीय किसानों की सहायता लेने का प्रयास करेगा.

### **एक विस्तार एजेंट को क्या करना चाहिए ?**

किसी भी विस्तार कार्यकर्ता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि बिना किसी अस्पष्टता के उसकी कार्यसूची, कार्य निष्पादन में उसकी भूमिका तथा अपनी जिम्मेदारियों को जानना और समझना है.

विस्तार कार्यकर्ता को अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसानों और खेती से संबंधित सभी जानकारियों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए. ऐसा करने के लिए विस्तार कार्यकर्ता को पहले अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले



गांवों में 2-3 अनौपचारिक दौरे करना चाहिए. धीरे-धीरे, ग्रामीणों के साथ चर्चा करें (जो भी मिलें) और एक विस्तार कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ तालमेल विकसित करने का प्रयास करें. एक बार ग्रामीणों के साथ अच्छा तालमेल विकसित हो जाने के बाद, गांव के लोगों की क्रियाकलापों, सामाजिक स्तर, उगाई जाने वाली फसलों, फसलों के लिए अपनाई गई पैटर्न, जानवर जो वे पालते हैं, उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं आदि के संबंध में समझने के लिए पीआरए(PRA) साधनों का उपयोग करें. ज्ञानी और जानकार बनने के लिए विस्तार कार्यकर्ता के शीघ्र अति शीघ्र निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों का डेटा बेस तैयार करनी चाहिए:

- उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित भूमि उपयोग विवरण,
- उसके अधिकार क्षेत्र में मृदा की प्रकृति और प्रकार,
- सिंचाई या सिंचित क्षेत्र,
- सिंचाई के स्रोत जैसे टैंक, कुंतास, एयकट्स (ayacuts) के साथ बड़ी/छोटी सिंचाई परियोजनाओं, बोरवेल, तेल इंजनों, बिजली की मोटरों की संख्या आदि,
- वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत क्षेत्र,
- फसलवार, मौसमवार कृषिगत क्षेत्र, उत्पादकता व उत्पादन विवरण,
- पिछले दो वर्षों का फसलवार, वर्षा का डेटा, पिछले दो वर्षों का माहवार,
- किसानों के पास ट्रैक्टर सहित उपलब्ध प्लांट प्रोटेक्शन उपस्कर/ औजार/ कृषि.

### मशीनरी

- एससी/ एसटी किसान - गांववार खेतों की संख्या और क्षेत्र सहित.
- छोटे और मझौले किसानों के पास उपलब्ध खेतों की संख्या, हेक्टेयर में भूमि सहित.



- उसके अधिकार क्षेत्र में इनपुट डीलरों की सूची.
- अधिकार क्षेत्र में समस्याग्रस्त मृदा के अंतर्गत भूमि. खारा - क्षारीय मृदा/सोडिक मृदा/ निचले क्षेत्र या जल ठहराव वाले क्षेत्र/खनिज भंडार वाले क्षेत्र आदि से संबंधित जानकारी.

### **मृदा परीक्षण अभियान:**

1. मृदा परीक्षण के महत्व और लाभ को समझने के लिए किसान को शिक्षित करें,
  2. किसान के साथ मिट्टी के नमूने एकत्रित करें,
  3. विश्लेषणात्मक परिणामों को संप्रेषित करने में तत्पर रहें,
  4. उर्वरक के प्रयोग की सिफारिश (मैक्रो/माइक्रो पोषक तत्वों) मिट्टी परीक्षण के परिणाम के आधार पर एडीए/एओ या केवीके वैज्ञानिक के परामर्श से ही करें.
- यह गतिविधि मार्च-मई के महीनों के दौरान ही की जानी चाहिए.

नवीनतम विकसित तकनीकों को अपनाते हुए प्रदर्शनों और मिनी किट के माध्यम से प्रत्येक गांव में प्रगतिशील किसानों की पहचान करें.

ब्लॉक कृषि अधिकारी के मार्गदर्शन में क्षेत्र की समस्याओं, तकनीकी समस्याओं/उत्पादन में बाधाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण करें तथा तदनुसार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों का मार्गदर्शन करें.

विभागीय स्कीमों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें. कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्कीम के दिशानिर्देशों के साथ पूरी तरह से परिचित रहें. विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रों/ किसानों का पहले से पहचान करें.



क्षेत्र के दौरों, किसान सभाओं, क्षेत्र दिवसों और प्रेस बैठकों के आयोजन में ब्लॉक कृषि अधिकारी की आवश्यकता अनुसार सहायता करें.

सभी स्कीमों के संदर्भ में रिकॉर्ड/रजिस्टर का रखरखाव करें. कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का प्रलेखन करें.

नियमित और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस/ NAIS) के अंतर्गत आवंटित समय में फसल कटाई प्रयोग का संचालन करें, जन प्रतिनिधियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें. उन्हें सभी स्कीमों की जानकारी देते रहें तथा कीटों के हमलों के दौरान भी सूचित करें.

### विस्तार कार्यकर्ता को कौन-कौन से प्रक्रिया कौशलों और दक्षताओं की आवश्यकता है ?

1. आचरण को आकलन की आवश्यकता है
2. आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता दें
3. हितधारकों की पहचान करें और उन्हें विस्तार कार्यक्रमों में संलिप्त करें
4. सामुदायिक मंचों का संचालन करें
5. ब्रेनस्टॉर्मिंग अभ्यास का संचालन करें
6. बाजार के अवसरों की पहचान करें
7. लिंग विश्लेषण के आधार पर सेवाओं की रचना करें
8. कार्य योजना बनाएं
9. कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्रस्ताव बनाना
10. खेत और घर का दौरा करें
11. पद्धति बनाएं और परिणामों का प्रदर्शन करें





12. फार्मर क्षेत्र स्कूलों का आयोजन करें और फार्म स्कूलों को बढ़ावा दें
13. फील्ड डे का आयोजन करें
14. मॉडल गांव की स्थापना करें
15. प्रभावी ढंग से बैठकें आयोजित करें
16. संघर्षों को संभालें
17. समय प्रबंधन करें
18. समूहों और टीम वर्क का प्रबंधन करें
19. समूहों के स्वभाव को समझें और/या समूहों की सुविधा पर ध्यान दें.
20. फील्ड कार्यक्रम का मूल्यांकन रिपोर्ट लिखें
21. सर्वेक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करें
22. समूहिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करें
23. विस्तार मूल्यांकन रिपोर्ट लिखें तथा परिणाम और उसके प्रभाव को साझा करें
24. प्रभावशाली प्रस्तुति दें
25. समुदाय के नेताओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करें
26. विस्तार अभियान आयोजित करें
27. समाचार पत्रों या मास मीडिया के लिए लिखें
28. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी)/पहुंच तथा वेब-आधारित संसाधनों का सही उपयोग करें.



## 2.8 सारांश

यह अध्याय स्पष्ट रूप से पाठक को कृषि विस्तार और उसके कार्यक्रम की गतिविधियों की उत्पत्ति तथा किसानों की सहायता के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी देता है। यह पाठक के समक्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। यह अध्याय भारत और अन्य देशों में कृषि विकास और विशिष्ट कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए विस्तार की रणनीति को समझने के लिए पाठक को अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। अंततः यह अध्याय बताता है कि एक परिवर्तन एजेंट (चेंज एजेंट) कौन होता है और वर्तमान विस्तार प्रणाली में उसकी क्या भूमिका है। संपूर्ण विस्तार प्रक्रिया विस्तार एजेंट पर निर्भर करती है, जो सभी विस्तार गतिविधियों का महत्वपूर्ण तत्व है। विस्तार एजेंट की प्रभावशीलता अक्सर विस्तार कार्यक्रम की सफलता या विफलता को निर्धारित करती है।

## 2.9 प्रश्न

1. हमें अपनी सेवा प्रणाली में विस्तार की आवश्यकता क्यों है?
2. कृषि विस्तार के चारों नमूनों का वर्णन करिए?
3. स्वतंत्र-पूर्व काल के विकास प्रयासों का संक्षेप में वर्णन करें?
4. विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक विकास विस्तार सेवाओं के लिए संगठनात्मक सेट-अप क्या हैं?
5. भारत में कृषि विकास के लिए विस्तार रणनीति क्या हैं?
6. तीन नवीनतम कृषि विकास कार्यक्रमों के बारे में बताएं?

परिवर्तन एजेंट(चेंज एजेंट) कौन है और वर्तमान विस्तार प्रणाली में उसकी क्या भूमिका है?



### 2.10 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
3. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
4. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
5. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
6. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan



## यूनिट-3

### विस्तार पद्धतियां - व्यक्तिगत, समूह और जन संपर्क

#### संरचना

- 3.0. उद्देश्य
- 3.1. परिचय
- 3.2. व्यक्तिगत संपर्क पद्धति के माध्यम से विस्तार
- 3.3. समूह संपर्क पद्धति के माध्यम से विस्तार
- 3.4. जन संपर्क पद्धति के माध्यम से विस्तार

#### 3.0 उद्देश्य

इस यूनिट के पूरा होने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित कार्य में सक्षम हो जाएंगे:

- लक्षित दर्शकों तक पहुँचने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों से परिचित हो जाएंगे.
- विस्तार कार्यक्रम की गतिविधियों का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत, समूह और जन पद्धतियों और उसके लाभ एवं हानि को समझ सकेंगे,
- लक्षित समूहों की आवश्यकताओं और विशेषताओं के आधार पर उचित विस्तार पद्धतियों का चयन कर सकेंगे और निर्णय लें सकेंगे.

#### 3.1 परिचय

विस्तार कार्यकर्ता वास्तव में एक शिक्षक है. उसे उचित परिप्रेक्ष्य में समस्याओं की परिकल्पना करनी चाहिए और प्रभावशाली अधिगम के लिए सार्थक अधिगम स्थिति की व्यवस्था करनी चाहिए. यह विभिन्न अधिगम तकनीकों का उचित उपयोग करने के लिए कहता है.



शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित बदलाव लाने में अधिकांश सफलता विस्तार कार्यकर्ता द्वारा एक शिक्षक के रूप में प्रासंगिक स्थितियों में सबसे प्रभावशाली तकनीक का चयन करने के कौशल पर निर्भर करती है।

कृषि विस्तार के मामले में, अधिगम का मुख्य विषय व्यक्तिगत किसान द्वारा नवाचार को अपनाना और उसके उपरांत समुदाय में उसी का प्रसार करना होता है। इस प्रकार, नवाचार या नवाचार का विचार मूल मंत्र, कच्ची सामग्री या संदेश बन जाता है, जिसे प्रभावशाली संप्रेषण के लिए विस्तार अधिगम पद्धतियों की मदद से रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल परिस्थिति है क्योंकि नवाचार को अपनाना व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, आजमाइश और ग्रहण करने के चरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया से शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, इसके प्रत्येक चरण में प्रभावशालि अधिगम पद्धतियों के प्रभावी और विचारशील समूहन की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, किसान एक ही दर या अनुपात में नवाचार को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि वे अलग-अलग श्रेणियों में बंट जाते हैं जैसे कि नवप्रवर्तक(innovators), शीघ्र ग्रहण करने वाले(early adopters), शीघ्र बहुमत में आने वाले(early majority), देर से बहुमत आने वाले(late majority) और सुस्त। इस प्रकार के शिक्षार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए विस्तार कार्यकर्ता को अधिगम पद्धतियों की उपयुक्त संयोजन की रचना और निर्माण करना है। फिर भी, नवाचार की विशेषताएं कुछ हद तक उस पद्धति को निर्धारित करती हैं, जिसे कृषि-सूचना के प्रसार के लिए चुना जाना चाहिए।



विस्तार कार्यकर्ता का मुख्य कार्य ग्रामीणों को शिक्षित करना है. विस्तार पद्धतियां विस्तार कार्यकर्ता के साधन हैं. इन साधनों को विस्तार-अधिगम पद्धतियां कहा जाता है. विस्तार-अधिगम पद्धतियों को उन साधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उपयोग उन परिस्थितियों के निर्माण के लिए किया जाता है जिनमें विस्तार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी के बीच संप्रेषण हो सके.

अधिगम पद्धतियों की प्रभावशीलता उसी के संयोजन पर निर्भर करती है. शोध अध्ययनों ने निर्णायक रूप से दर्शाया है कि अधिगम के विभिन्न चरणों में नवाचार को अपनाकर सकारात्मक रूप से विभिन्न विस्तार अधिगम पद्धतियों के संयोजन से संबंधित है.

चैनल या संप्रेषण पद्धति , जिसे विस्तार अधिगम पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, का चुनाव आमतौर पर लक्षित दर्शकों की संख्या और उनके स्थान तथा संप्रेषण के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करता है. उन्हें व्यक्तिगत, समूह और जन पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. प्रत्येक पद्धति की लाभ और कमियां दोनों हैं. विस्तार एजेंट को परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार किसी विशेष पद्धति या पद्धतियों के मेल को चुनना होता है.

### **व्यक्तिगत संपर्क पद्धति के माध्यम से विस्तार**

#### **व्यक्तिगत पद्धति**

व्यक्तिगत पद्धति में विस्तार एजेंट प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान बनाए रखते हुए, लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण करता है. इस पद्धति का अनुसरण तब किया जाता है जब संपर्क किए जाने वाले लोगों की संख्या कम होती है, वे संचारक के पास निवास करते हैं और संप्रेषण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होता है. व्यक्तिगत पद्धति के कुछ उदाहरण हैं:



खेतों और घर का दौरा, किसानों की कॉल, व्यक्तिगत पत्र, अनुकूलक या मिनी किट आजमाइश और फार्म क्लिनिक.

#### व्यक्तिगत पद्धति के लाभ हैं:

- विस्तार एजेंट को तालमेल बनाने में मदद करता है.
- खेत और घर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा.
- प्रशासक और स्थानीय नेतृत्व का चयन करने में मदद करता है.
- लोगों के रवैए को बदलने में मदद करता है.
- जटिल प्रथाओं को सिखाने में मदद करता है, और
- प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रभावी ढंग से सुगम बनाता है.

#### व्यक्तिगत पद्धति की कमियां हैं:

- इस पद्धति में समय अधिक लगता है और यह अपेक्षाकृत महंगी है.
- इसके श्रोतागण कम हैं, और
- इस पद्धति में विस्तार एजेंट कुछ व्यक्तियों के प्रति पक्षपात कर सकता है या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है.

#### व्यक्तिगत पद्धति हैं:

**खेत और घर का दौरा:** यह विस्तार एजेंट द्वारा किसान या गृहिणी के साथ उनके खेत या घर पर विस्तार कार्य के लिए सीधे आमने-सामने संपर्क है.

#### उद्देश्य

1. किसानों और गृहणियों से परिचित होना और उनका विश्वास हासिल करना.
2. खेत और घर से संबंधित मामलों पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना और / या देना.



3. विशिष्ट समस्याओं को हल करने और कौशल सिखाने के लिए सलाह देना और सहायता करना.
4. रुचि जगाना.

**फार्मर्स काल:** यह जानकारी प्राप्त करने और सहायता के लिए विस्तार एजेंट के कार्य स्थल पर किसान या गृहिणी द्वारा की गई कॉल है.

#### **उद्देश्य**

1. खेत और घर से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान प्राप्त करना.
2. किसान और गृहिणी को समस्या का उचित पहचान करने में सक्षम बनाने हेतु रोगग्रस्त पौधों या कीड़ों, कीटों आदि के नमूने लाना.

**व्यक्तिगत पत्र:** यह पत्र विस्तार एजेंट द्वारा विस्तार कार्य के संबंध में किसी खास किसान या गृहिणी को लिखा जाता है. इसे व्यक्तिगत संपर्क का विकल्प माना जाना चाहिए.

#### **उद्देश्य**

1. खेत और घर की समस्याओं से संबंधित पूछताछ का जवाब देना.
2. महत्वपूर्ण विस्तार गतिविधियों पर जानकारी भेजना या सहयोग लेना.

**अनुकूलित या मिनि किट आजमाइश:** यह किसान की परिस्थिति की उपयुक्तता निर्धारित करने की एक पद्धति है या अन्यथा एक नया अभ्यास है. इसे खेत पर सहभागिता प्रौद्योगिकी विकास अभ्यास माना जा सकता है जिसमें किसान की पसंद और अभ्यास के बारे में उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण है.





### उद्देश्य

1. किसान के संसाधनों, बाधाओं और क्षमताओं के अंतर्गत एक नए और आशाजनक अभ्यास का परीक्षण करना.
2. मौजूदा उपलब्ध प्रथा की तुलना में नई प्रथा के लाभों का पता लगाना.

**फार्म क्लिनिक:** फार्म क्लिनिक एक सुविधा है जो कृषि समस्याओं के निदान और उपचार तथा व्यक्तिगत किसानों को कुछ विशेष सलाह देने हेतु विकसित की गई है. विस्तार एजेंसी गाँव में और/या संगठन के मुख्यालयों तथा उप-केंद्रों में फार्म क्लिनिक स्थापित कर सकती है, जहाँ संबंधित विषय विशेषज्ञ विस्तार एजेंटों के सहयोग से किसानों से व्यक्तिगत रूप से, निश्चित स्थान, दिन और समय पर मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसका निदान और उपचार करते हैं.

### 3.3 समूह संपर्क पद्धति के माध्यम से विस्तार

#### समूह पद्धति

आपसी संप्रेषण और समान हितों के लिए कम संख्या में लोगों के एकत्रित होने को समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इस पद्धति में, विस्तार एजेंट समूहों में लोगों के साथ संवाद करता है न कि व्यक्तिगत रूप से. इस पद्धति को तब अपनाया जाता है जब एक साथ कई लोगों के साथ संवाद करना आवश्यक होता है और जो संचारक से बहुत दूर नहीं होते हैं तथा संप्रेषण के लिए यथोचित समय भी उपलब्ध होता है. समूह पद्धति के उदाहरण हैं-परिणाम प्रदर्शन, पद्धति प्रदर्शन, समूह बैठक पद्धति, छोटे समूह प्रशिक्षण, क्षेत्र दिवस या किसान दिवस तथा अध्ययन यात्रा या एक्सपोजर दौरे.



### समूह पद्धति के लाभ हैं:

- विस्तार एजेंट को एक समय में कई लोगों के साथ आमने-सामने संपर्क करने में सक्षम बनाता है.
- लक्षित समूह के चयनित हिस्से तक पहुँचा जा सकता है.
- ज्ञान और अनुभव को साझा करना आसान करता है और इस प्रकार समूह के सदस्यों के अधिगम को सुदृढ़ करता है.
- सामाजिक संपर्क के लिए लोगों की मूल इच्छा को संतुष्ट करता है.
- समूह के प्रभाव के कारण बदलाव को स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है.
- अधिक कवरेज के कारण व्यक्तिगत पद्धति की तुलना में कम महंगा है.

### समूह पद्धति की कमियां हैं:

- समूह के सदस्यों के हितों में व्यापक विविधता के कारण अधिगम में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है.
- बैठक आयोजित करना अपने आप में एक उद्देश्य माना जा सकता है और
- निहित स्वार्थ, जाति समूह और गाँव के मन-मुटाव समूह के सदस्यों द्वारा उन्मुक्त वार्तालाप और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.

### समूह पद्धतियां हैं:

**परिणाम प्रदर्शन:** स्पष्ट तौर पर श्रेष्ठतर परिणाम दिखा कर लोगों को नई प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने की यह एक पद्धति है. प्रदर्शन खेत में या चयन किए गए व्यक्तियों के घर पर आयोजित की जाती हैं और इसका उपयोग उनके पड़ोस में लोगों के समूह को शिक्षित



और प्रेरित करने के लिए किया जाता है. यह समुदाय में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक बहुत प्रभावी पद्धति है.

### उद्देश्य

1. किसान को उसकी परिस्थिति अनुसार सिफारिश की गई नई प्रथाओं के लाभ और प्रयोज्यता को दिखाना.
2. समुदाय में लोगों के समूह को इसके परिणाम को दिखाकर नई प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना.

**प्रदर्शन पद्धति:** यह लोगों के समूह के समक्ष अपेक्षाकृत कम समय में किया जाने वाला प्रदर्शन है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि पूर्ण रूप से नई प्रथा या पुरानी प्रथा को बेहतर तरीके से कैसे अपनाया जाए. यह अनिवार्य रूप से एक कौशल प्रशिक्षण है, जिसमें परिणाम में सुधार लाने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने पर जोर दिया जाता है.

### उद्देश्य

1. कौशल सिखाने और लोगों को कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना.
2. अप्रभावी या दोषपूर्ण प्रथाओं से छुटकारा पाना

**समूह बैठक:** यह सदस्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, लोगों के समूह द्वारा कुछ निर्णयों पर पहुंचने की एक लोकतांत्रिक पद्धति है. सामूहिक बैठकों और चर्चाओं का उद्देश्य सामूहिक निर्णय लेना और समूह के सदस्यों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके व्यक्तिगत निर्णय लेने में सुधार करना है.



### उद्देश्य

1. चर्चा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और कई व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव को एकत्रित करके समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना.
2. कम संख्या में प्रतिभागियों को शामिल करके गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना.

**छोटे समूह का प्रशिक्षण:** उन लोगों के समूह को, जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, उचित अधिगम परिस्थिति उपलब्ध कराकर विशिष्ट कौशल प्रदान करने की यह एक तकनीक है. यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का एक प्रभावशाली पद्धति है.

### उद्देश्य

1. लोगों के छोटे समूह को आवश्यक कौशल प्रदान करना.
2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को नई प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना.

**क्षेत्र दिवस या कृषक दिवस:** क्षेत्र की परिस्थितियों के अंतर्गत प्रथाओं को लागू करके वास्तव में जो हासिल किया गया है, उसे दिखा कर नई प्रथा अपनाने के लिए लोगों को प्रभावित करने की यह एक पद्धति है. क्षेत्र दिवस या कृषक दिवस अनुसंधान फार्म या किसान के खेत या घर में आयोजित किया जा सकता है.

### उद्देश्य

1. प्रतिभागियों को उनकी स्वयं की परिस्थिति में प्रथा की प्रयोज्यता के बारे में समझाना.
2. क्षेत्र की परिस्थितियों में अपने निष्पादन और लाभप्रदता को दिखाकर प्रथा को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना.



**अध्ययन दौरे या एक्सपोजर दौरे:** अध्ययन दौरे में, एक या एक से अधिक विस्तार एजेंटों के साथ इच्छुक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो उनके द्वारा निर्देशित होता है तथा अन्य स्थानों पर खेत और घर पर महत्वपूर्ण सुधारों का अध्ययन और अधिगम करने के लिए अपने पड़ोस से बाहर जाता है.

### उद्देश्य

1. आगंतुकों को एक नई और अलग परिस्थिति की जानकारी देने के लिए जो उनके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगा और उनके मानसिक सीमा का विस्तार करेगा.
2. प्रौद्योगिकी अपनाने के फासले को समझने के लिए.

### 3.4 जन संबंध पद्धति के माध्यम से विस्तार

**फार्मर फील्ड स्कूल:** हाल के दिनों में समूह संबंध पद्धति में फार्म स्कूल, फार्मर लाइफ स्कूल, सूचना संचार उपकरण जैसे अन्य पद्धतियों को शामिल किया गया है.

### जन पद्धति

इस पद्धति में, विस्तार एजेंट विशाल और विविध जनसमुदाय के साथ संप्रेषण करता है, उनके व्यक्तिगत या समूह की पहचान पर ध्यान दिए बिना. आम तौर पर समूह की सीमा को समाप्त कर दिया जाता है. इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब विशाल और व्यापक रूप से बिखरे श्रोतागण को कम समय में संप्रेषित किया जाना होता है. इसके लिए विस्तार एजेंट और कुछ विषय विशेषज्ञ जैसे संचारक हो सकते हैं. श्रोतागण/दर्शकों का आकार समूह बैठक में कुछ सौ, अभियान में कुछ हजार तथा समाचारपत्र, रेडियो और टेलीविजन में कुछ लाख तक हो सकता है. समूह पद्धति के कुछ उदाहरण हैं-फार्म प्रकाशन, समूह बैठक, अभियान, प्रदर्शनी, समाचारपत्र, रेडियो और टेलीविजन.



### जन पद्धति के लाभ :

- यह लोगों में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त है. यह खेती में ज्ञान को उपयोग करने और विचार बदलने में सहायता करता है.
- कम समय के भीतर बड़ी संख्या में लोगों के साथ संप्रेषण किया जाता है.
- आपातकाल में त्वरित संचार की सुविधा प्रदान करता है.
- अधिक कवरेज के कारण छोटा आकार.

### जन पद्धति की कुछ कमियां :

- यह पद्धति कम गहन है.
- श्रोतागण/दर्शकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क के बहुत कम गुंजाइश हैं.
- सामान्य सिफारिशें व्यक्तियों के अनुप्रयोग में बाधा पहुंचाती हैं.
- श्रोतागण/दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर कम नियंत्रण, और
- प्रतिपुष्टि (फीडबैक) की जानकारी प्राप्त होने और परिणामों के मूल्यांकन में कठिनाई.

### जन पद्धतियां हैं :

**फार्म प्रकाशन:** यह एक प्रकार का प्रकाशन है जो विस्तार एजेंसी द्वारा मुद्रित रूप में तैयार किया गया है जिसमें खेत और घर के सुधार से संबंधित जानकारी है. फार्म प्रकाशन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे पत्रक, फोल्डर, बुलेटिन, समाचार पत्र, जर्नल और पत्रिका. फार्म प्रकाशनों का उपयोग अकेले या अन्य विस्तार पद्धतियों के साथ मिलकर किया जा सकता है.

### उद्देश्य

1. कम लागत पर और शीघ्र बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचना.
2. सटीक, प्रेरक, विश्वसनीय और बिना किसी तोड़-मरोड़ के जानकारी प्रदान करना.



**जन बैठक:** यह एक समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं/दर्शकों के लिए दिलचस्प और उपयोगी जानकारी संप्रेषित करने के लिए आयोजित की जाती है। समूह बैठक के लिए श्रोताओं/दर्शकों का आकार कुछ सैकड़ों का हो सकता है, लेकिन मेलों या त्योहारों के समय, यह कुछ हजारों में हो सकता है।

### उद्देश्य

1. किसी महत्वपूर्ण विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना।
2. कार्यक्रम या परियोजना के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और उसकी प्रगति का जानकारी देना।

**अभियान:** समस्या का निदान करने या तत्काल महसूस की गई आवश्यकता को उल्लिखित करने के लिए यह समुदाय को कार्रवाई करने और संगठित होने हेतु प्रेरित करने वाला एक गहन शैक्षिक गतिविधि है। अभियान की अवधि एक दिन की होती है, जो 'जल ही जीवन है', कुछ हफ्तों के लिए चूहा नियंत्रण, कुछ महीनों के लिए वनमहोत्सव (वृक्षारोपण) और कुछ वर्षों तक 'खाद्यान उत्पादन में वृद्धि' अभियान जैसे विषयों पर आधारित होता है। कुछ विषयों (जैसे पर्यावरण, रोग नियंत्रण आदि) पर अभियान पूरे विश्व में आयोजित किए जा सकते हैं। प्रभावी ढंग से चूहा नियंत्रण केवल गांवों के सभी किसानों को शामिल करके अभियानों के माध्यम से ही किया जा सकता है।

### उद्देश्य

1. महत्वपूर्ण समस्याओं या समुदाय के लिए महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं तथा उन्हें हल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करना।



**प्रदर्शनी** : यह समुदाय में जागरूकता एवं रुचि पैदा करने के लिए एक विषय के इर्द-गिर्द क्रमवार मॉडल, नमूने, चार्ट, तस्वीर, चित्र, पोस्टर, सूचना आदि का व्यवस्थित प्रदर्शन है। यह पद्धति सभी प्रकार के लोगों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त है। प्रदर्शनियां गांव, ब्लॉक, उप-मंडल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा सकती हैं।

### उद्देश्य

1. देख कर सीखने को बढ़ावा देना.
2. बेहतर मानकों के साथ लोगों को परिचित करना.

**समाचार पत्र** : यह ढीले मुद्रित कागजों का एक गुच्छा है जो ठीक से तह किया हुआ होता है, जिसमें समाचार, विचार, घटनाएं, विज्ञापन आदि होते हैं और इनकी नियमित अंतराल पर विशेष रूप से दैनिक या साप्ताहिक बिक्री की जाती है। समाचार पत्र आमतौर पर एक विशेष प्रकार के कागज पर मुद्रित होते हैं, जिन्हें अखबारी कागज कहा जाता है।

विस्तार एजेंट अखबार पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, चाहे वह अखबार कितना ही बड़ा या छोटा हो। जबकि, संपादक, रिपोर्टर आदि के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करके विस्तार कार्य के लिए उचित समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। विस्तार गतिविधियों और उपलब्धियों, विस्तार सिफारिशों और प्रथाओं के पैकेज, सफलता की कहानियों, बाजार समाचार, किसानों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने, विस्तार संगठनों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों, इनपुट डीलरों आदि के समाचार प्रकाशित करके समाचार पत्र विस्तार कार्य में सहायता कर सकते हैं। संकटकाल और अति आवश्यक परिस्थितियों में समाचार पत्र संचार का एक अच्छा माध्यम है। अधिकांश भारतीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र सप्ताह के एक निश्चित दिन कृषि या ग्रामीण विकास पर एक पृष्ठ या उसका एक हिस्सा समर्पित करते हैं।





**रेडियो:** यह श्रोताओं हेतु कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो माध्यम है। यह माध्यम दृष्टिकोण में बहुसांस्कृतिक है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यापक रूप से बिखरे और अनुकूल लाखों लोगों के लिए संचार का उपयुक्त माध्यम है। कम लागत के ट्रांजिस्टर सेट की उपलब्धता ने रेडियो को ग्रामीण जीवन में गहराई तक प्रवेश करने में मदद की है।

रेडियो लोगों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने, उनके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करने और अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त है। संकटकाल और अति आवश्यक परिस्थितियों में संचार के लिए यह माध्यम बेहद सुविधाजनक है। अशिक्षित या बहुत कम शिक्षित तथा जो व्यक्तिगत रूप से विस्तार कार्यक्रमों में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं, वे इस माध्यम का लाभ उठाते हुए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कौशल का निर्माण कर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों तक इसकी पहुंच बहुत कम लागत में है। खेती या घरेलू कार्य जारी रखते हुए भी कार्यक्रमों को सुना जा सकता है।

### **खेत और घर पर प्रसारण (फार्म एंड होम ब्रॉडकास्टिंग)**

ग्रामीण श्रोताओं की विविध आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने के लिए जबसे खेत और घर पर प्रसारण के दायरे एवं संरचना में परिवर्तन और बढ़ोत्तरी हुई है, तब से इसका आकार वर्षों से बढ़ता रहा है। खेत और घर पर प्रसारण के व्यापक उद्देश्य हैं -

1. सभी महत्वपूर्ण कृषि उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में कृषक समुदाय को जानकारी देना।
2. गैर-कृषि ग्रामीण आबादी को उनकी आय में सुधार के लिए सहायक और कृषि आधारित उद्यमों के बारे में जानकारी देना।



3. ग्रामीण जीवन की बेहतरी के लिए रचनात्मक कृषि और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में ग्रामीणों की सहायता करना.
4. घर बेहतर बनाने, बेहतर खेती करने के लिए अपने पुरुष साथियों का समर्थन करने और उन्हें वैज्ञानिक खेती की प्रगति के लिए निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण महिलाओं को जानकारी देना.

**टेलीविज़न:** यह एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य-दृश्य (ऑडियो विजुअल) माध्यम है जो सिंक्रोनाइज़्ड ध्वनि के साथ तस्वीरें भी दिखाता है. टेलीविज़न सिनेमा की गतिशीलता के साथ रेडियो की स्पष्टता को जोड़ता है और अपेक्षाकृत कम इकाई लागत पर लंबी दूरी तक संदेश ले जा सकता है. यह दृष्टिकोण में बहुसांस्कृतिक (कॉस्मोपोलाइट) है और इसका उपयोग त्वरित जन जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है.

### 3.5 सारांश

शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सफलता विस्तारक कार्यकर्ता द्वारा अध्यापक के रूप में अधिगम तकनीक को प्रासंगिक परिस्थिति में सबसे प्रभावशाली तरीके से चयनित करने के कौशल पर निर्भर करती है. यह अध्याय पाठक को लक्षित श्रोताओं/दर्शकों तक पहुंचने के लिए संचार के विभिन्न चैनलों को सीखने, विस्तार कार्यक्रम की गतिविधियों में उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत, समूह और जन पद्धतियों एवं उसके लाभ और हानि को समझने तथा लक्षित समूहों की आवश्यकताओं व विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त विस्तार पद्धतियों को उपयोग के लिए चयन करने और निर्णय लेने में मदद करता है.



### 3.6 प्रश्न

1. व्यक्तिगत संपर्क पद्धति का क्या महत्व है?
2. कुछ समूह संपर्क पद्धतियों का उल्लेख करें और समझाएं कि तकनीक के हस्तांतरण में प्रदर्शन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
3. आईसीटी (ICT) साधनों का एक लेखा दें और अपनी सफलता के कुछ उदाहरण लिखें?
4. संपर्क के सबसे सफल तरीके कौन से हैं और क्यों?

### 3.7 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997
3. Gallagher K. 1999. Farmers Field School (FFS) – A Group Extension Process based on Non-Formal Education Methods. Global EPM Facility, FAO.
4. PM. 2002. Textbook of Extension Education. Himalaya Publ.
5. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
6. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
7. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
8. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
9. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan



## यूनिट-4

### वैकल्पिक विस्तार दृष्टिकोण

#### संरचना

4.0 उद्देश्य

4.1 परिचय

4.2 विस्तार के लक्ष्य

4.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

4.4 मानव संसाधन विकास

4.5 विस्तार को संगठित करने के वैकल्पिक तरीके

4.6 विस्तार कर्मचारियों की वर्तमान और भविष्य की भूमिका

4.7. निष्कर्ष

#### 4.0 उद्देश्य

इस यूनिट के पूरा होने के बाद, शिक्षार्थी सक्षम होंगे:

- लक्षित श्रोताओं/दर्शकों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक विस्तार दृष्टिकोणों के साथ परिचित होने में.
- परियोजना की स्थिति और उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त विस्तार दृष्टिकोण का चयन करने और निर्णय लेने में.
- प्रत्येक दृष्टिकोण और परिस्थिति, जिसमें इसे अपनाया जा सकता है, के दर्शन, लाभ और हानि को समझने में.



#### 4.1 परिचय

विस्तार, सूचना के संगठित आदान-प्रदान और कौशल के उद्देश्यपूर्ण हस्तांतरण के रूप में, हाल ही की घटना है। जाहिर है, स्थायी कृषि के उद्भव से ही सूचना और कौशल का हस्तांतरण अस्तित्व में है। आज की प्रथा इस मायने में अलग है कि इस प्रक्रिया में संगठनों का वर्चस्व है और अब यह वियोजित स्थानीय घटनाओं से जटिल, बड़े पैमाने पर और यहां तक कि विश्व भर में सक्रिय है।

इस अध्याय में, विस्तार दृष्टिकोण को उनके सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक रूप और उनसे संबंधित लक्ष्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्य प्रणाली निष्पादनकर्ताओं के विभिन्न समूहों की शक्ति की स्थितियों को दर्शाती है। इसलिए, ऐतिहासिक विकास और इसमें शामिल रुचि लेने वाले समूहों की समझ के बिना, वर्तमान उपलब्धियों और विस्तार दृष्टिकोणों की कमियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि विस्तार के आयोजन के विभिन्न रूप न तो "अच्छे" हैं और न ही "बुरे" हैं। बल्कि, विस्तार सेवाओं को उनके उचित लक्ष्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए। हालांकि, एक सार्वभौमिक मापदंड ग्रामीण समुदायों के लिए उनके सेवा कार्य है। विस्तार, जो अपने ग्राहकों के संपर्क में नहीं है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है, अपनी वैधता खो देता है।

#### 4.2 विस्तार के लक्ष्य

व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के कार्य का नेतृत्व लक्ष्य करते हैं। भविष्य की स्थिति की ओर इशारा करते हुए, वे पिछले अनुभवों से यदि निर्धारित नहीं होते हैं तो प्रभावित अवश्य होते हैं। वे अपने हितधारकों के हितों को दर्शाते हैं और इसलिए विशिष्ट जीवन स्थितियों, शक्ति रखने



वाले पदों और विकास दर्शन के अनुसार भिन्न होते हैं. प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, जैसे इसकी संगठनात्मक संरचना, पसंद के ग्राहक, इसकी संचालन रचना और उपयोग की जाने वाली पद्धतियां, सीधे इसके लक्ष्यों की संख्या से प्रभावित होती हैं और इनका मूल्यांकन लक्ष्य प्राप्ति में इनके योगदान के संदर्भ में किया जाना चाहिए.

विस्तार प्रणाली के भीतर मुख्य भूमिका ग्रामीण समुदायों, विस्तार एवं अन्य विकास कर्मियों, शोधकर्ताओं और वाणिज्य या सार्वजनिक सेवा तथा सहायता संगठनों के कर्मचारियों की होती है. अनुभवों से मिले साक्ष्य कई रूपों को दर्शाते हैं, जिसमें इन समूहों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श को संस्थागत कर दिया गया है. रूप में विविधता समान प्रकार के विविध लक्ष्यों का सुझाव देती है और किसी को भी विस्तार दृष्टिकोणों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. व्यावहारिक रूप में, जबकि, स्पष्ट रूप से वर्गीकरण को बाधित करने वाले लक्ष्यों का लगभग अविभाज्य मिश्रण देखा गया है. ग्राहक के संबंध में एक व्यापक श्रेणी अर्थात् चयनात्मकता का उपयोग करना अधिक उचित है और संबंधित लक्ष्यों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए. इस निरंतरता के दो अंतिम छोर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मानव संसाधन विकास के रूप में चिह्नित किए जाएंगे, जो या तो संकीर्ण तकनीकी या विकास के व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तावित हैं.

#### 4.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अठारहवीं सदी के अंत तक, गुणात्ता में कुछ सधार के साथ सदियों से खेती की तकनीक धीरे-धीरे और लगातार विकसित हुई. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी विस्तार ने नवाचारों की शुरुआत की - मक्का, तंबाकू, आलू की खेती का प्रसार इसके असाधारण उदाहरण हैं - लेकिन प्रयोग और



ज्ञान का प्रसार मूल रूप से स्थानीय खेती के स्तर पर था. कृषि विज्ञान के उदय ने इस संबंध में नाटकीय परिवर्तन किया. सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों द्वारा नई तकनीक का अधिकांश निर्माण वास्तविक कृषि सेक्टर के बाहर किया गया. हाल ही में, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में निजी फर्मों ने कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाया है.

दशकों से शोध-विस्तार-किसान संबंध, विशेष रूप से विकासशील देशों में, एक सरल मॉडल पर आधारित था. विकास करने के लिए, "मॉडेम" शोध परिणामों को "पारंपरिक" किसानों को हस्तांतरित करना पड़ा और ऐसा करने के लिए विस्तार उपयुक्त साधन प्रतीत हुआ. विज्ञान में सामान्य विश्वास और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता ने स्वदेशी ज्ञान को बदनाम किया. हालांकि अभी भी कई प्रशासकों, शोधकर्ताओं और विस्तार एजेंटों का यह मत है, लेकिन अब इस पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं. कृषि प्रणाली अनुसंधान और किसानों के ज्ञान के "रिडिस्कवरी" (पुनःखोज) (Chambers, Pacey, & Thrupp, 1989) ने दर्शाया है कि "उन्नत तकनीक, इनपुट और प्रथाओं का पैकेज है जो आमतौर पर कई स्रोतों से आती है" (UNDP, वर्ष 1991, पृ.2). जबकि, कृषि ज्ञान पर पारंपरिक दृष्टिकोण का पुनर्परीक्षण नई तकनीक के स्रोत के रूप में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकता है. विकासशील देशों के लिए, ऐसा देखा गया है कि त्वरित उत्पादन और समस्याओं का प्रसार - जैसे कि मार्जिनल भूमि का क्षय होना - स्थानीय आबादी की समस्या को सुलझाने की क्षमता से अधिक है. जैसे कहा जाता है नई प्राथमिकताओं को लक्ष्य करना और सूचना हस्तांतरण के बजाय समस्या समाधान पर आधारित ज्ञान प्रणालियों का निर्माण करना.



#### 4.4 मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास की अवधारणा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तुलना में बहुत व्यापक है, जबकि दोनों में निकट संबंध है। न केवल प्रौद्योगिकी की बढ़ती जटिलता बल्कि किसानों के जीवन की परिस्थितियां यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी नए कौशल की मांग करती हैं। इन कौशलों की मदद से, ग्रामीण महिलाएं और पुरुष "समस्याओं के नेटवर्क को बेहतर रूप से समझते हैं और समाधान के लिए उपलब्ध विकल्प ढूंढते हैं" (Albrecht et al., वर्ष 1989, पृ. 34)। परंपरागत रूप से, साक्षरता और गणना के बुनियादी कौशल को पढ़ाना विस्तार गतिविधि नहीं है। गरीब देशों में साक्षरता कार्यक्रमों की सीमित सफलता ने गैर-औपचारिक शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें विस्तार की भूमिका महत्वपूर्ण है (Coombs and Ahmed, वर्ष 1974)। जबकि अधिकांश मामलों में, जिसका विस्तार एक अंग है, इसके लिए विभिन्न संगठनों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन विकास को वास्तविक विस्तार सामग्री के रूप में भी माना जा सकता है।

विस्तार, एक निश्चित अवधि की गतिविधियां जैसे व्यावसायिक शिक्षा का स्थान ले सकता है जो अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और संगठनात्मक कौशल अधिगम होगा जो किसानों को उनकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार मानव संसाधन विकास के उद्देश्य को "महत्वपूर्ण क्षमता" कहा जा सकता है। विस्तार ग्राहक जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वे तकनीकी जानकारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सकते हैं और जिम्मेदारी से निर्णय ले सकते हैं। ऐसे योग्यता वाले व्यक्ति प्रत्येक ग्रामीण समुदाय में मौजूद हैं और वे वही होते हैं जिन्हें सक्रिय रूप से आगे सहायता की आवश्यकता होती है।





इसलिए किसी भी विस्तार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन विकास को औपचारिक या व्यावसायिक शिक्षा तक कम पहुंच वाले वंचित समूहों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में महिला किसान, ग्रामीण युवा और आम तौर पर छोटे किसानों तक पहुंचाना है।

#### 4.5 विस्तार को संगठित करने के वैकल्पिक तरीके

विस्तार के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि समग्र प्रणाली के साथ-साथ विभिन्न विस्तार संगठनों के बीच दर्शाया गया है। इसके अलावा, विशिष्ट उद्देश्य कभी-कभी एक-दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। जबकि छोटे प्रणाली उद्देश्यों के सुसंगत सेट या परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य बैठाने के लिए करीब आ सकते हैं, बड़े संगठनों को समझौतावादी आधार पर कार्य करना चाहिए। इस संबंध में, एक्सिन (Axinn's) का प्रमुख अवलोकन विशेष महत्व रखता है: "एक कृषि विस्तार कार्यक्रम की सफलता का सीधा संबंध उस सीमा से है, जिसके दृष्टिकोण उस कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप हैं जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था" (Axinn, वर्ष 1988, पृ. 135)।

विस्तार को संगठित करने के वैकल्पिक तरीके विभिन्न स्तरों पर विकल्प की मांग करते हैं :

- सार्वजनिक बनाम निजी
- सरकारी बनाम गैर-सरकारी
- ऊपर से नीचे की ओर (नौकरशाही) बनाम नीचे से ऊपर की ओर (सहभागिता)
- लाभ बनाम गैर लाभ
- निः शुल्क बनाम लागत वसूली



- साधारण बनाम सेक्टर
- बहुउद्देशीय बनाम एकल प्रयोजन
- प्रौद्योगिकी संचालित बनाम आवश्यकता उन्मुख

व्यवहार में, विस्तार संगठन हर जगह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मानव संसाधन विकास के समग्र लक्ष्यों का पीछा करते हैं, हालांकि प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। प्रत्येक संगठन के भीतर उद्देश्यों का मिश्रण होता है और देशों के भीतर अक्सर संगठनात्मक पैटर्न का मिश्रण होता है। अलग-अलग समूह होने के बावजूद, सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न का अवलोकन प्रस्तुत करते समय, हम एक अच्छी तरह से निर्मित शब्दावली (Axinn, वर्ष 1988; UNDP, वर्ष 1991), का उपयोग करते हैं। हम उन दृष्टिकोणों के बीच भेद करेंगे, जो कम से कम सिद्धांतिक रूप में, कृषि कार्य में लगे ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को लक्षित करते हैं और जो विशिष्ट मानदंडों के अनुसार जानबूझकर ग्राहक का चयन करते हैं।

### सामान्य ग्राहक दृष्टिकोण

**I. मंत्रालय-आधारित सामान्य विस्तार:** स्वतंत्रता के कुछ समय पहले या बाद, कृषि मंत्रालय के विभागों के नीचे कृषि विस्तार कार्य का आयोजन कई अफ्रीकी और एशियाई सरकारों के लिए एक आदर्श साधन प्रतीत होता था। बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने तथा गुणवत्तापूर्ण जानकारी और सहायता के मामले में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सभी विकल्प खुले प्रतीत हुए। मूल औपनिवेशिक मॉडल में एक ही संगठन के भीतर अनुसंधान और विस्तार को संयुक्त रूप से उपलब्ध थे। छोटे कृषकों के सभी महत्वपूर्ण पहलू - पौधों का उत्पादन, पशुपालन, गृह अर्थशास्त्र - में शामिल हुआ जा सकता था क्योंकि मंत्रालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित वर्गों की स्थापना की थी। सच यह है कि मंत्रालय स्तरीय अनुक्रम ने देश के प्रादेशिक



उप-मंडल का अनुशरण करते हुए प्रणाली के व्यवस्थित फैलाव को गाँवों तक अनुमति दी। सामान्य तौर पर क्षेत्र विस्तार कर्मियों का कार्य गैर-वाणिज्यिक उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के अनुरूप होता है। विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए - प्रौद्योगिकी के संदर्भ में या लक्षित समूहों के संदर्भ में - विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार सिद्धांतिक तौर पर सभी ग्राहक कृषि से जुड़े थे। जहां व्यावसायिक सेवाओं और सहायता संगठनों की कमी थी, वहां उपयोग करने हेतु आवश्यक सेवाओं की अपेक्षा ग्राम-स्तर के विस्तार कर्मचारियों से पूरक जानकारी के रूप में जा सकती थी। कमजोरियों की पहचान होने पर प्रवासी विशेषज्ञता की सहायता से तथा सुधारात्मक उपाय सहित एक स्थिर और राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक पैटर्न सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान कर रहा था। लक्ष्य चुनने, कार्यक्रम निर्माण एवं क्षेत्र में कार्य के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करने में जनता रुचि लेती थी।

अफ्रीका और एशिया में पिछले तीस वर्षों के विस्तार कार्य की समीक्षा से पता चलता है कि वास्तविकता से काफी दूर इसमें जटिलता के कारण विफलता कई गुना है, परंतु इस कारण से इसे बंद नहीं जा सकता है (Moris, वर्ष 1991)। जटिलता के कारण असफलता बहुत अधिक होने के बावजूद, इसे राष्ट्रीय सरकारों की अक्षमता या दुर्बलता के कारण खत्म नहीं किया जा सकता है।

एक कारण लक्ष्यों की विरोधाभास प्रकृति है। जनहित का तात्पर्य है- किसानों और शहरी आबादी की सेवा करना, निर्वाह के लिए उत्पादन करना और निर्यात के लिए नकदी फसलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना और विशिष्ट समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उच्च क्षमता वाले और वंचित उत्पादकों को सहायता प्रदान करना। संक्षेप में कहा जाए तो, प्राथमिकताओं



को निर्धारित करना होगा क्योंकि ये मूल्य निर्धारण नीति शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाते हैं, आधुनिक सेक्टर में नवाचार लाने वाले व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं, गरीब तबके की उपेक्षा करते हैं और महिला किसानों पर ध्यान नहीं देते हैं.

कई मायनों में, अनुक्रमित और अत्यधिक नौकरशाही तरीके जिसमें सेवाएं संगठित हैं, उनकी पूर्ण क्षमताओं को बाधित करती हैं. अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण शायद ही कभी विस्तार क्षेत्र के मूल्यांकन पर आधारित होती हैं क्योंकि प्रणाली ऊपर तक आलोचनाओं के पहुंचने को बढ़ावा नहीं देता है.

जिस तरह से तकनीकी (और अन्य) ज्ञान को क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, वे अक्सर विकृत और पुरानी जानकारी होती हैं.

मंत्रालय की नज़र में, विस्तार कभी भी विशुद्ध रूप से शैक्षिक गतिविधि नहीं रहा है. यह विचार तब तक वैध है जब तक विस्तार कर्मियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य अनुकूल हैं और मूल रूप से ग्राहक उन्मुख हैं (जैसे कि आपूर्ति व्यवस्था करने में सहायता करना). गैर-शैक्षिक गतिविधियों में सांख्यिकीय डेटा संग्रह से लेकर विदेशी आगंतुकों का ध्यान रखना, कुछ भी शामिल हो सकता है. नियमित विस्तार कार्य के लिए असंगत और स्पष्ट रूप से हानिकारक गतिविधियां हैं- ऋण अदायगी की निगरानी करना, रोग नियंत्रण उपायों की निगरानी करना, "स्वैच्छिक" सामुदायिक कार्य और चुनाव अभियान का आयोजन करना.

मंत्रालय आधारित विस्तार आर्थिक, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से अपने अधिकांश संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में असमर्थ रहा है. यहां तक कि कर्मियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि और किसानों के करीब अधिक कर्मचारियों ने भी प्रबंधन करने योग्य ग्राहक-एजेंट



अनुपात में अधिक योगदान नहीं किया. हाल के वर्षों में, यह प्रवृत्ति नकारात्मक रही है. वित्तीय बाधाओं ने कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए बहुत दबाव बनाया है और इसका प्रभाव क्षेत्र स्तर पर सबसे अधिक पड़ा है. जो बच गए हैं उनके पास गतिशीलता बनाए रखने के लिए बहुत कम भौतिक संसाधन बचे हैं.

इसके अलावा, कई विस्तार कार्यकर्ता अपने ग्राहक के सबसे अधिक उत्तरदायी सेक्शन का चयन करते हैं. उन्हें उत्पादन योजनाओं को पूरा करना पड़ सकता है, उनमें नौकरी की संतुष्टि या स्थिति में सुधार करने की चाहत हो सकती है या वे केवल कुछ लक्षित समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रहित हो सकते हैं. अंत में यह कहा जा सकता है कि विस्तार के पास अक्सर ग्रामीण आबादी के बड़े वर्गों को देने के लिए बहुत कम जानकारी होती है. किसान की समस्याओं के पर्याप्त और स्थान-विशिष्ट उत्तर अक्सर उपलब्ध नहीं होते क्योंकि यह शोध का विषय नहीं है या फिर समाधान अभी तक क्षेत्र में नहीं पहुंचा है.

आज की परिस्थिति दो अतिरिक्त पहलुओं के आने से बढ़ गई है, जो सेवा की आंतरिक संरचना का उल्लेख करती हैं: प्रबंधन की समस्याएं और नीचे से नियंत्रण की कमी. मंत्रालय का विस्तार विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने के लिए हजारों लोगों को रोजगार देता है. निर्णय लेने और प्रबंधन को अत्यधिक केंद्रीकृत और औपचारिक रूप दिया गया है. दूसरी ओर विस्तार का कार्यक्षेत्र स्थान-विशिष्ट, लचीले और अक्सर त्वरित निर्णयों तथा कार्रवाई की मांग करता है. "अदृश्य" पुरुष या महिला (Chambers, वर्ष 1974) को प्रबंधित करना तब तक अत्यधिक अप्रभावी होगा जब तक कि उससे आदेश प्राप्ति और उसे निष्पादित करने की उम्मीद है.



इन सभी समस्याओं को अच्छी तरह से जाना जाता है और इनकी आलोचना मंत्रालय के भीतर और बाहर दोनों से हुई है। कमी थी तो, ग्राहकों के संगठित प्रतिक्रिया की। विस्तार के साथ सहयोग करने से इनकार करके किसान भी अपना असंतोष दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास संस्थागत सुधारों को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं होता।

**II. प्रशिक्षण और विस्तार का दौरा (टी एंड वी).** शब्द के संदर्भ के अर्थ में, टी एंड वी (T & V) कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह मंत्रालय-आधारित विस्तार को व्यवस्थित करने का एक प्रकार है। टी एंड वी के गुणों पर विवादास्पद बहस इस तथ्य को अस्पष्ट करती है कि यह मूल रूप से पारंपरिक विस्तार सेवाओं की कुछ अति विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए थी।

**बेनोर और हैरिसन (Benor and Harrison's) का मूल पत्र** - अब तक की सबसे प्रभावशाली विस्तार प्रकाशनों में से एक - यह वर्ष 1970 के दशक के मंत्रालय-आधारित विस्तार प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है (Benor & Harrison, वर्ष 1977, पृ. 6-9). उन्होंने पाया:

- अपर्याप्त आंतरिक संगठनात्मक संरचना
- विस्तार कर्मियों की अक्षमता
- विस्तार सामग्री की असमानता या अप्रासंगिकता
- विस्तार प्रभाव का कमजोर पड़ना

जो भी प्रभाव था, वह "कृषक समुदाय के एक बड़े हिस्से के बजाय पसंदीदा क्षेत्रों में केवल कुछ ही कृपापात्र किसानों" तक पहुंचता था।



जब पहली बार टी एंड वी पेश किया जा रहा था, तो वह आश्चर्यजनक ढंग से मूल और भरोसे वाला प्रतीत हो रहा था क्योंकि वह साधारण तरीके से सरल तत्वों को समझाने का संग्रह था. प्रत्यक्ष रूप से सभी किसानों तक पहुँचने की कोशिश करने और इस प्रकार निरंतर पहले से विफलता को आमंत्रित करने के बजाय, प्रणाली किसानों से संपर्क करने की विधि पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें किसान समान समस्याओं वाले साथी किसानों को जानकारी देने की उम्मीद करते हैं. इसके अंतर्गत नियमित क्षेत्र संपर्क, पर्यवेक्षण और संचार को सुविधाजनक बनाना तथा स्पष्ट एवं प्राप्य उद्देश्यों का निर्धारण, नियमित अंतराल पर निश्चित दौरे सुनिश्चित करना निर्धारित हैं. इसी प्रकार, विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए नियमित सत्र आयोजित किए जाते हैं. अतः महंगे रिफ्रेश पाठ्यक्रमों से बचा जाता है, ज्ञान को चरण-दर-चरण बढ़ाया जा सकता है और प्रणाली को जानकारी से अप-टू-डेट रखा जा सकता है.

इसके अलावा, टी एंड वी (T & V) इस धारणा के तहत कार्य करता है कि उसके विस्तार कार्यकर्ता विशेष रूप से शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और एक एकीकृत विस्तार सेवा मौजूद है. कृषि अनुसंधान न केवल प्रभावी होना चाहिए बल्कि विस्तार के साथ निकट सहयोग में भी कार्य करना चाहिए. बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन दोनों का उपयोग प्रणाली को बदलती परिस्थितियों में लगातार संशोधित करने और अनुकूलित करने के लिए किया जाता है.

उपाय जितने सरल थे, उनका कार्यान्वयन उतना ही कठिन साबित हुआ. पहला- किसान संपर्क अवधारणा - इसमें दो-चरणों में सूचना का प्रवाह होता है, विस्तार कार्यकर्ता से संपर्क में आए किसान तक और वहाँ से अन्य किसानों तक - जो अक्सर विफल रहा है. "गलत चयन" के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया, लेकिन समस्या की जड़ टी एंड वी के विशुद्ध तकनीकी



दर्शन में है। अन्य पहलुओं जैसे संचार कौशल, नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है। व्यावहारिक रूप से, टी एंड वी में ऊपर से नीचे (टॉप-डाउन) का दृष्टिकोण रहा है जिसमें किसानों और गाँव के विस्तार कार्यकर्ताओं दोनों के लिए सहभागिता और पहल करने के लिए बहुत कम संभावना होती है। आत्म-मूल्यांकन के आधार पर आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं पर बहुत कम जोर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, लचीलापन की बजाय कठोरता स्थानीय क्षेत्र के कार्य की विशेषता है।

दूसरा, बेनोर को डर है कि विस्तार सेवाओं के पास "तेजी से विस्तृत करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा" (Benor & Harrison, वर्ष 1977, पृ. 8) जो कई टी एंड वी क्षेत्रों की स्थिति की विशेषता है। भेजे गए मानकीकृत संदेश अक्सर स्थानीय परिस्थितियों के लिए कम प्रासंगिक होते हैं। एक बार टी एंड वी को कम पसंदीदा क्षेत्रों में लागू किया गया था, परंतु शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि हरित क्रांति जैसी तकनीक जो त्वरित और दृश्यमान परिणाम देती है, इसमें उपलब्ध नहीं है। फिर भी, रुचि न लेने वाले किसानों और हतोत्साहित विस्तार कार्यकर्ताओं को शामिल न करते हुए प्रशिक्षण सत्र और कार्यक्रम के अनुसार दौरे किए गए।

राष्ट्रव्यापी विस्तार प्रणाली के रूप में, वर्तमान स्वरूप में टी एंड वी की सीमित सफलता में उसके कई तत्वों की गुणवत्ता और उपयुक्तता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मानव संसाधन विकास के साधनों के साथ-साथ सहभागिता की अवधारणा के साथ कम कठोरता से लागू किए गए, ये तत्व बड़े या छोटे विस्तार संगठनों में सुधार के लिए एक मूल्यवान आधार बन सकते हैं (Nagel et al., वर्ष 1992)।





**III. एकीकृत (परियोजना) दृष्टिकोण:** एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया को प्रभावित करना है। इस रणनीति में जबकि विस्तार ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो किसी क्षेत्र में पूरी आबादी को लक्ष्य करता है लेकिन वंचित समूहों के साथ काम करने पर अधिक जोर देता है। आम तौर पर एकीकृत दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर और विदेशी-वित्त पोषित परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनका लक्ष्य "प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और मानव क्षमता में एक साथ सुधार" के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गरीबी को कम करना है (Rauch, वर्ष 1993, पृ. 6). उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों के रूप में स्व-सहायता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें अंतर्निहित अवधारणा आमतौर पर बहु-सेक्टरल है।

एकीकृत ग्रामीण विकास (IRD) परियोजनाओं का एक दशक से अधिक के मूल्यांकन ने बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य तक पहुंचने में गंभीर कमियों का खुलासा किया है (IBRD, वर्ष 1987; BMZ, वर्ष 1990). परियोजना गतिविधियों द्वारा बड़ी संख्या में गरीबों तक नहीं पहुंचा गया और न ही स्थायी आधार पर सकारात्मक प्रभाव समेकित किए गए। परियोजना की कमियाँ आंशिक तौर पर प्रबंधन से संबंधित थीं और अधिकांश समय महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ बहु-सेक्टरल कार्यक्रमों के अत्यधिक जटिलता की गंभीरता के कम आंकलन के कारण थीं। लक्ष्य समूह के सिद्धांत की अवहेलना और रूपरेखा बनाने की स्थिति (आर्थिक और संस्थागत) के लिए उचित विचार ने एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि अनुकूल तकनीकी समाधानों की कमियों ने निभाई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास (RRD) परियोजनाओं को बेहतर बनाने तथा सभी सामान्य विस्तार दृष्टिकोणों के लिए व्यापक और स्थायी प्रभाव (Rauch, वर्ष 1993) के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास प्रासंगिक हैं। मुख्य अवधारणा समान आधार पर स्थापित स्थानीय रूप से अनुकूलित



समाधानों की उपलब्धता है. इसके लिए न केवल सहभागिता प्रौद्योगिकी पहचान, परीक्षण और प्रसार की आवश्यकता है, बल्कि इसमें शामिल विभिन्न संस्थानों और उनके हितों के बीच मध्यस्थता करने वाली परिवर्तन एजेंसी की सक्रिय भूमिका की भी आवश्यकता है. प्रतिकूल स्वरूप की स्थिति से निपटने, उनपर स्पष्ट रूप से ध्यान रखने और ग्राहकों के पक्ष में उन्हें प्रभावित करने के प्रयास पर विशेष जोर दिया जाता है. अंत में, इन सुधारों को लागू करने के लिए, उद्देश्यों और अवधारणाओं (स्थिरता, भागीदारी, लिंग-विशिष्ट लक्ष्य-समूह दृष्टिकोण और गरीबी उन्मूलन) को उल्लिखित और संचालित (विस्तार) करने के लिए नए प्रयास किए जाने चाहिए.

**IV. विश्वविद्यालय-आधारित विस्तार:** जबकि संयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी विस्तार सेवा (CES) अभी भी एकमात्र प्रणाली है जिसमें विस्तार के मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, कुछ विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत ने शैक्षिक संस्थानों को व्यावहारिक विस्तार कार्य के अंतर्गत संगठित किया है. संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर, राजकीय विश्वविद्यालयों ने पारंपरिक काउंटियों (प्रांतों) और शिक्षा और अनुसंधान के अलावा विस्तार करने के लिए यू.एस. कृषि विभाग के साथ पारंपरिक रूप से सहयोग किया है. पिछले 130 वर्षों के भीतर, भूमि-अनुदान कॉलेजों के विस्तार लक्ष्य व्यावहारिक शिक्षा से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में स्थानांतरित हो गए हैं और जिसने हाल ही में, मानव संसाधन विकास की व्यापक अवधारणा का रूप ले लिया है.

मजबूत निजी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विकास संगठनों के आ जाने से तथा कृषि उत्पादन सेक्टर के भीतर नाटकीय बदलाव होने से सहकारी विस्तार सेवा (CES) समन्वय और सहयोग के संबंध में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है. अपनी पारंपरिक



भूमिकाओं के अलावा, नेटवर्किंग प्राथमिक भूमिका बन जाएगी (Bennet, वर्ष 1990, पृ. 16). इस मॉडल के अंतर्गत, जानकारी का उपयोग करने वाले उद्योग सहित बीच के और अंतिम उपयोगकर्ता विस्तार प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं.

जबकि अधिकांश देशों में, विस्तार को शैक्षिक संस्थानों का मुख्य योगदान योग्य, समर्पित और जिम्मेदार कर्मियों का प्रशिक्षण है, कुछ भारतीय कृषि विश्वविद्यालय विस्तार कार्य का पूरा भार उठाए बिना अमेरिकी मॉडल के करीब आ गए हैं. क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे कार्यों का भार उठाया है जो मंत्रालय द्वारा केवल अपर्याप्त रूप से किए गए हैं, इस प्रकार से वह केवल सामान्य विस्तार कार्य में सहयोग करते हैं. उल्लेखनीय विशेषताएं हैं- ग्राहकों की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन, उपयोगकर्ता-उन्मुख अनुसंधान, राज्य कर्मियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक शिक्षा और क्षेत्र अभ्यास के बीच सूदृढ संबंध. एक राज्य से दूसरे राज्य में मॉडल बदलते रहते हैं. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के पास प्रत्येक जिले में अपनी स्वयं की बहु-विषयक विस्तार दल हैं, जो अनुकूल अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श देने में लगे हुए हैं. परिसर में विस्तार विशेषज्ञों द्वारा समर्थित, वे शोधकर्ताओं, किसानों और राज्य विस्तार कार्यकर्ताओं से अनुभवों के ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में, इन अनुभवों को संसाधित करने की एक अनूठी प्रणाली प्रचलित है. नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जो विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान और विस्तार विभाग के कर्मचारियों सहित उत्कृष्ट किसानों को एकजुट करती हैं. यहां पर अगले सत्र के लिए सभी विस्तार कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले "पैकेज ऑफ प्रैक्टिस" के रूप में नए निष्कर्ष और प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका मूल्यांकन होता है और फिर वह प्रकाशित की जाती हैं (Nagel, वर्ष 1980).



फिलीपींस में, जो मंत्रालय द्वारा संचालित विस्तार के साथ कार्य करता है, विश्वविद्यालय क्षेत्र के संपर्कों को व्यावहारिक विकास कार्यों के साथ जोड़ा दिया गया है. लॉस बैनोस में फिलीपींस विश्वविद्यालय (UPLB) का ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी "सामाजिक प्रयोगशाला" है. विचारों का हस्तांतरण उत्पादन तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संचार रणनीतियों के परीक्षण के साथ-साथ किसानों द्वारा स्वयं को व्यवस्थित करने में सहायता करना भी शामिल है. अनुभवों का यूपीएलबी (UPLB) अधिगम और अनुसंधान में वापस उपयोग किया जाता है. (Axinn, वर्ष 1988, पृ. 102-103).

एनिमेशन रुराले (Animation Rurale). ऐतिहासिक रूप से, बल्कि छोटी अवधि के लिए, एनीमेशन रुराले (AR) की अवधारणा को सेनेगल, आइवरी कोस्ट और मेडागास्कर जैसे फ्रेंकोफोन अफ्रीकी देशों में महत्व मिला (de Wilde, वर्ष 1967, पृ. 391-414; Joerges, वर्ष 1967). जबकि मूल दृष्टिकोण को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इसके कुछ तत्वों को अब ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में फिर से लागू किया जा रहा है.

एनिमेशन रुराले (Animation Rurale) स्वतंत्रता से पूर्व हस्तक्षेप करने वाले सत्तावादी और अक्सर दमनकारी स्वभाव का जवाब था. मूल रूप से फ्रेंच इंस्टीट्यूट डी रेचरचेसडेप्लिपेशन डेस मेथोड्स डी डेवलपमेंट (French Institut de Recherches et d'Application des Méthodes de Development) (IRAM), द्वारा विकसित, यह पाओलो फ्रायरे (Paolo Freire) के ब्राजीलियाई प्रयोगों के लिए कई समानताएं दर्शाता है.

ग्रामीण क्षेत्रों का राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकरण ग्रामीण समुदायों (सामूहिक) और राज्य के बीच बातचीत की पहल करके हासिल किया जाना था. द्वंद्ववात्मक तरीके से, ग्रामीणों की अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने की बढ़ती क्षमता उन्हें औपनिवेशिक निर्भरता से मुक्त करना



था. इस प्रक्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए, एनिमेशन रुराले (AR) ने बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सहयोगियों अर्थात तथाकथित एनिमेटरों (*animateurs*) पर भरोसा किया. ग्रामीणों द्वारा चयनित इन एनिमेटरों (*animateurs*) को अनुभवी और सम्मानित किसान होना चाहिए था, न कि पारंपरिक नेता. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और एनिमेटरों (*animateurs*) के समर्थन के लिए आयोजन किए गए थे. उनका कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर समुदाय के भीतर चर्चा का पहल करना था, इस प्रकार राज्य के साथ बातचीत करने के लिए ग्रामीणों को सशक्त बनाना था. इसके साथ ही ग्रामीणों के लिए सरकारी योजनाओं की "व्याख्या" करना तथा उपलब्ध सेवाओं से उन्हें परिचित कराना था. दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य पारंपरिक संस्थानों का प्रतिस्थापन करना था तथा राज्य में नौकरशाही के साथ अनुबंध पर बातचीत करने में सक्षम "विकास सेल" का निर्माण करना था.

Sülzer और Payr (वर्ष 1990, पृ. 34) कहा कि एनिमेशन रुराले (AR) "विस्तार के दर्शन के रूप में विफल नहीं हुआ ... [जबकि] ... यह राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सफलता हासिल नहीं कर सका." आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण स्थायी प्रभाव का अभाव था. एआर (AR) के उद्देश्यों को लागू करना अत्यंत कठिन था और परिणामस्वरूप, एनिमेटरों (*animateurs*) की भूमिका अस्पष्ट रही. इसके अलावा, पुरस्कृत और चयनित करने में की गई गलतियों के कारण कई एनिमेटर (*animateurs*) जल्द ही अपने कार्य में रुचि खो बैठे. किसान, जैसा कि यह देखा गया, योग्य तकनीकी सहायता प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे और यहां तक कि अगर एनिमेटरों (*animateurs*) ने ग्राम परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आरंभ किया, तो भी लाभ "तकनीशियनों" ने ही प्राप्त किया. अंत में कहा जा सकता है कि यह बहुत ही संदेहास्पद है कि क्या प्रशासन



एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध था जो अपनी खुद की शक्ति को कम करे.

जो बच गया है वह सशक्तिकरण और कई व्यावहारिक अनुभवों का दर्शन है. कई एनजीओ (NGOs) अपनी मूल उत्पत्ति के कारणों को जाने बिना अक्सर एनिमेशन रुराले (Animation Rurale) के विचारों का उपयोग करती हैं. सहभागिता विस्तार पर वर्तमान चर्चा लंबे समय तक इसके प्रभाव को दर्शाती हैं.

### चयनित ग्राहकों के लिए विस्तार

**V. कमोडिटी आधारित विस्तार:** मंत्रालय द्वारा संचालित सामान्य दृष्टिकोण के बाद, सरकार, पैरास्टैटल्स या निजी फर्मों द्वारा संचालित कमोडिटी-आधारित विस्तार सबसे अधिक प्रचलित विस्तार संगठन हैं. ग्राहक बड़े क्षेत्र में फैले हो सकते हैं या निकटता से जुड़े हो सकते हैं, जैसा कि केंद्र संचालित, बड़े सिंचाई परियोजनाओं के मामले में होता है. कमोडिटी-आधारित विस्तार अफ्रीका के कई फ्रैंकोफोन देशों की प्रमुख विशेषता है (Schulz, वर्ष 1973), लेकिन वाणिज्यिक या निर्यात योग्य फसलों का उत्पादन करने वाले अन्य देशों में भी यह प्रभावशाली है.

मूल तर्क औपनिवेशिक शक्तियों के लिए राजस्व अर्जन करने के साथ-साथ ट्रॉपिकल उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था. आज भी, लक्ष्य स्पष्ट रूप से और जानबूझकर उत्पादन और लाभ अर्जन करना ही है. एक विशेष फसल के उत्पादन और विपणन के सभी पहलू ऊर्ध्वाधर एकीकृत हैं, जो अनुसंधान, सलाह और किसानों को दी जाने वाली सहायक सामग्री से लेकर विपणन और यहां तक कि निर्यात तक क्रम से फैले हुए हैं. इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि पारंपरिक खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने तथा मौद्रिक प्रोत्साहन देने से संचयी श्रृंखला का प्रभाव शुरू होता है और इस प्रकार समग्र विकास में योगदान मिलता है.



विस्तार समारोह के आयोजन के संदर्भ में, जो आम तौर पर अच्छी तरह से जांच किए गए प्रौद्योगिकियों के साथ कार्य करता है, में लाभ स्पष्ट प्रतीत होते हैं. संगठनात्मक संरचना को सरल रखते हुए उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है. केवल एक या दो फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से उन विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है जो समाज या संबद्ध बोर्ड के एजेंट होते हैं. एजेंटों और किसानों का नियंत्रण आसान है क्योंकि उन्हें निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में आंका जाता है.

इन लाभों को करीब से देखने से पता चलता है कि वे काफी हद तक कमोडिटी संगठन के नजरिए से निर्धारित हैं. इसमें तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक संगठनात्मक और ग्राहकों के लक्ष्य समान हैं, जैसा कि निजी बागान सेक्टर में कॉफी, चाय, या सीसल बोर्डों के लिए था. छोटे किसानों के लिए, स्थिति काफी भिन्न हो सकती है. प्रणाली के कठोर नियम किसानों की आवश्यकताओं को बहुत कम शामिल होने देती हैं. नियंत्रण और दबाव के बीच की सीमा अक्सर पार हो जाती है, उदाहरण के लिए, जब किसानों को पारंपरिक निर्वाह वाले फसलों की कीमत पर व्यावसायिक फसल लगाने के लिए मजबूर किया जाता है. विस्तार कार्यकर्ताओं को तब सफल माना जाता है जब वे किसानों को संगठन की इच्छा अनुसार "क्या और कैसे" उत्पादन करना है, के लिए सहमत कर लेते हैं. गारंटीकृत विपणन का स्पष्ट लाभ स्वतः कृषि उत्पादक को सुरक्षा नहीं प्रदान करता है. किसान कीमतों में उतार-चढ़ाव पर शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और कुछ मामलों में व्यक्तिगत या संगठन के मुनाफे को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता मानकों को मनमाने ढंग से निर्धारित किया जाता है. कई सरकारों ने कम फार्म-गेट कीमतों को निर्धारित करके अत्यधिक राजस्व वसूलने के दृष्टिकोण का उपयोग किया है.



कमोडिटी दृष्टिकोण की ताकत और साथ ही कमियां इसके संकीर्ण उद्देश्य में हैं. यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में उपयोगी है, लेकिन महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों (जैसे पर्यावरण संरक्षण), साथ ही लक्ष्य समूहों (जैसे गैर-वाणिज्यिक उत्पादकों) पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है. राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य और कमोडिटी-आधारित विस्तार का एक सफल संयोजन, जैसा कि पूर्वी अफ्रीका में प्रचलित है, लक्ष्य प्रप्ति के लिए स्पष्ट नीति और अत्यधिक कुशल प्रबंधन की मांग करता है.

**VI. विस्तार- एक वाणिज्यिक सेवा के रूप में:** वाणिज्यिक विस्तार हाल की घटना है और खेती का या तो ठेठ औद्योगिक रूप है या अन्यथा पारंपरिक खेती का सबसे आधुनिक सेक्टर है. यह या तो इनपुट की पूर्ति करने वाले फर्मों द्वारा बिक्री करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है या किसी कृषि उत्पादक द्वारा मांग की गई विशेष परामर्श सेवा का. दोनों ही मामलों में, संगठन या व्यक्ति का लक्ष्य लाभ अर्जित करना है, जो ग्राहकों की संतुष्टि से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है. अधिकतर प्रत्यक्ष रूप से यह निजी सलाहकारों से संबंधित मामला है जिन्हें तभी सेवानिवृत्त किया जाएगा जब उनके ग्राहकों को लगेगा कि उनके द्वारा किए गए व्यय लाभदायक हैं. बड़े इनपुट आपूर्ति फर्म या ग्रामीण बैंक जो बिक्री कर्मियों के रूप में अपने स्वयं के विस्तार कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं, के पास भी उनके उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा के संबंध में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए. गलत अनुप्रयोग या उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के लिए उत्पाद को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वाणिज्यिक विस्तार के ग्राहक भी लाभ उन्मुख होंगे. उनका उद्देश्य खरीदे गए इनपुट या अनुबंधित विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करना है. वाणिज्यिक विस्तार के उद्भव ने इस बहस को प्रभावित किया कि विस्तार की लागत किसे वहन करनी चाहिए. बढ़ते बजट घाटे को देखते हुए, मुफ्त सार्वजनिक सेवा के रूप में विस्तार के विचार





को अब आम तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि जो लोग वहन कर सकते हैं उन्हें वास्तव में सलाहकार सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहिए। वाणिज्यिक इनपुट आपूर्तिकर्ताओं के मामले में, समाधान बहुत सरल है: उत्पाद की कीमत में विस्तार की लागत शामिल है, जैसा कि अनुसंधान या विज्ञापन का लागत शामिल होता है। दूसरी ओर, निजी परामर्श महंगे हैं और केवल बड़े उत्पादकों या अति विशिष्ट उत्पादकों की पहुंच इन तक है।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया है कि औद्योगिक देशों में सार्वजनिक विस्तार पर लागत साझा करने या पूर्ण रूप से सलाहकार सेवा कार्य का व्यवसायीकरण करने का दबाव है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक तत्वों को जोड़ता है, वर्तमान में जर्मनी के कुछ पूर्वी राज्यों में आरंभ किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ब्रैंडेनबर्ग में कृषि मंत्रालय एक बार परामर्शदाता को सब्सिडी देता है जब वह वास्तव में स्थापित हो जाते हैं। किसानों के पास स्वयं को "विस्तार रिंग" में संगठित करने तथा अपने स्वयं के विस्तार कार्यकर्ताओं को संगठित करने या एक विस्तार सलाहकार, जो एक "विस्तार एसोसिएशन" में एक बार कम से कम बीस ग्राहकों को संगठित कर लेता है और जिसे मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, को चुनने का विकल्प है। दोनों मामलों में, एक निश्चित सीमा के भीतर 80 प्रतिशत तक की विस्तार लागत किसान को प्रतिपूर्ति की जाती है।

निजीकरण और लागत साझाकरण को अधिक प्रभावशीलता और दक्षता के नाम पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये मोटे तौर पर वित्तीय बाधाओं से प्रेरित होते हैं। यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र केवल उचित रिटर्न के मामले में सक्रिय होगा और उन्हें सार्वजनिक हितों की चिंता नहीं होगी।



निजी क्षेत्र की चयनात्मक सहभागिता के कारण, सार्वजनिक प्रकार की सूचनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही जिम्मेदारी लेनी होगी.... सार्वजनिक और गैर-लाभकारी संगठनों को "अनाथ" क्षेत्रों ("orphan" areas) में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करना होगा (Umali & Schwartz, वर्ष 1994).

**VII. ग्राहक-आधारित और ग्राहक-नियंत्रित विस्तार:** बड़े विस्तार प्रणालियों की कमियों से निपटने का एक तरीका विस्तार को स्थानीय बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-सहायता क्षमता का उपयोग करना है. अक्सर बाहरी लोगों द्वारा आयोजित, ये विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण विशिष्ट लक्ष्य वाले समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं, विशेष रूप से उनकी जो वंचित हैं. समस्या-उन्मुख विस्तार गतिविधियों की योजना के लिए अपने ग्राहकों के साथ निकटता और उनके जीवन की परिस्थितियों का गहन ज्ञान आवश्यक है. स्थानीय व्यक्तित्व की पहचान की जाती है, जो बाहरी (गैर सरकारी) संगठन के हटने के बाद नेतृत्व करते हैं. इन संगठनों के सिद्धांत (जागरूकता, सशक्तिकरण, सहभागिता, स्व-सहायता) राष्ट्रीय पैमाने के बिना एनीमेशन रुराले (Animation Rurale) दर्शन के करीब हैं.

ग्राहक-आधारित दृष्टिकोणों का प्रभाव दो स्तरों पर देखा जाना चाहिए. प्रत्यक्ष रूप से, वे अपने ग्राहकों को लाभ देते हैं. मानव संसाधन विकास के संदर्भ में विविधता और बड़ी संख्या में छोटी परियोजनाएं उनकी प्रभावशीलता पर साधारण बयान नहीं देती हैं. जबकि, यह प्रतीत होता है कि तकनीकी क्षेत्र में वे अधिक कमजोर हैं (UNDP, वर्ष 1991, पृ.22). इसके अलावा, वे बहुत सीमित लोगों तक ही पहुंच सकते हैं. इसके अतिरिक्त, वे संगठनात्मक नवप्रवर्तक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने साबित किया है कि सहभागिता व्यवहारिक तौर पर कार्य कर सकती है तथा कई किसान प्रौद्योगिकी विकास में अत्यधिक सक्षम भागीदार हैं. मानव संसाधन विकास



को समान रूप से महत्वपूर्ण विस्तार लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी विस्तार सेवाओं को अपने ऊपर से नीचे (टॉप-डाउन) दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया है।

ताइवान में एक अद्वितीय दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है, जहां किसान एसोसिएशनों के माध्यम से विस्तार कार्य का एक बड़ा हिस्सा किया जाता है (Lionberger & Chang, वर्ष 1970; Axinn & Thorat, वर्ष 1972). प्रांतीय, काउंटी और टाउनशिप स्तर पर संगठित इसकी सदस्यता ताइवान के कुल किसानों का 90 प्रतिशत है। विस्तार शिक्षा किसान एसोसिएशनों द्वारा टाउनशिप स्तर पर कार्यरत एजेंटों द्वारा दी जाती है तथा बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा स्वयं वित्तपोषित होती है।

ऊपर चर्चा किए गए छोटे स्वयं सहायता समूहों के विपरीत, अनुसंधान और अन्य सेवाओं के साथ सुदृढ़ और संस्थागत संपर्क हैं। संपूर्ण विस्तार नीति सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। दूसरी ओर, ग्राहक काफी अलग हैं: खेतों को अत्यधिक आधुनिक बनाया गया है और विस्तार सलाह मांग पर आधारित है।

#### 4.6. विस्तार कर्मचारियों की वर्तमान और भविष्य में भूमिका

व्यक्ति-से-व्यक्ति संप्रेषण परंपरागत रूप से सूचना हस्तांतरण का सबसे महत्वपूर्ण रूप रहा है। प्रिंट मीडिया सहित रेडियो और टेलीविजन पूरक प्रकृति के थे क्योंकि उनके पास अक्सर लक्षित समूह या स्थान की विशिष्टता का अभाव था और जानकारियां अद्यतित नहीं थीं। संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव ने नाटकीय रूप से सूचना हस्तांतरण की गति और गुणवत्ता में वृद्धि की है और औद्योगिक देशों में विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका को बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियाँ व्यक्तिगत मुलाकातों का आंशिक रूप से स्थान ले सकती हैं और



किसी भी एजेंट का प्रमुख कार्य उसे उसके ग्राहकों को सूचना के अन्य आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ना होगा.

इस तथ्य के बावजूद कि उनका उपयोग औद्योगिक देशों तक सीमित नहीं है, मॉडेम संचार के साथ आकर्षण का अर्थ है इस तथ्य को अस्पष्ट करना कि अधिकांश विस्तार कर्मी - जिनमें से 90 प्रतिशत विकासशील देशों (एफएओ, वर्ष 1990) में स्थित हैं - अत्यंत कठिन और हानिकारक स्थिति कार्य कर रहे हैं. वास्तव में, पिछले दो दशकों के दौरान मूल कमियों को दूर करने के लिए बहुत कम बदलाव हुआ है और क्षेत्र एजेंट अभी भी प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी हैं.

संगठनात्मक लक्ष्यों तथा यहां तक कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित और समर्पित क्षेत्र कर्मचारियों के बीच व्यापक विसंगति है. प्रारंभिक भारतीय सामुदायिक विकास गतिविधियों में लगभग पचास क्षेत्र शामिल होते थे (स्व-सहायता के आधार पर बंजर भूमि सुधार से लेकर ग्रामीण आवास तक), सभी स्थानीय ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा प्रशासित होते थे (Dube, वर्ष 1958, पृ. 19-21). अधिकांश विकासशील देशों में क्षेत्रकार्य (फील्डवर्क) की विशेषताएं हैं: मनोबल को कम बढ़ावा देना, गतिशीलता की कमी, वास्तव में कोई उपकरण न देना और बहुत कम वेतन देना. कई विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए, अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत ढूंढ लेना भौतिक अस्तित्व का सवाल है. कम शैक्षिक योग्यता और उन्नति की संभावनाओं की कमी के कारण गुणवत्ता निष्पादन में और कमी आती है. (Swanson, Farner, & Bahal, वर्ष 1990, पृ. 55-64).

अब जब विस्तार कर्मियों के कार्य करने की परिस्थिति में गिरावट आई है, उनकी भूमिका के संबंध में उम्मीदें बढ़ रही हैं. वे अब केवल तकनीकी ज्ञान ट्रांसमिट करने का कार्य नहीं करेंगे. उन्हें अब सहभागिता पद्धति को अपने व्यावहार में अपनाना होगा, लिंगभेद के मुद्दों को पहचान और उन पर कार्य करना होगा, स्वदेशी आवश्यकताओं की पहचान करना और समस्याओं का हल



निकालना होगा तथा गांव के बाहर की दुनिया के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करना होगा. ये सब वर्तमान विषयों में से कुछ नाम हैं, जिनपर उन्हे कार्य करना है. उनकी उभरती भूमिका एक तकनीकी विशेषज्ञ की तुलना में "सामाजिक-आर्थिक सामुदायिक कार्यकर्ता" से मिलती-जुलती है (Blackburn & Flaherty, वर्ष 1994, पृ. 16) लेकिन इसके लिए उनका प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है. उपरोक्त वर्णित स्थितियां अच्छी तरह से ज्ञात और प्रलेखित है. समस्या का महज आकार, हालांकि, अफ्रीका जैसे गरीब देशों में क्षमता से अधिक है. विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं ने धीरे-धीरे इस मुद्दे पर कार्य किया है और गैर-परियोजना क्षेत्रों से कर्मियों को अक्सर निकाल दिया है. राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की कटौती ने भी यथास्थिति हासिल नहीं हुई. सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सामाजिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त मानव संसाधन और सामग्री के बुनियादी संकट का निवारण किसी भी दृष्टिकोण ने नहीं किया. विस्तार के लिए अपने स्वयं के संसाधनों पर भरोसा करने के उपरांत भी, कई देश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं होंगे, जो मानव संसाधन विकास के लिए कम पर अधिक मांग वाली रणनीति है. विशिष्ट विस्तार दृष्टिकोणों के बावजूद, विस्तार कर्मियों के लिए संसाधनों को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.

#### 4.7 सारांश

कृषि विस्तार कार्यक्रम की सफलता का सीधा संबंध उस सीमा से है, जहां तक इसके दृष्टिकोण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी. विस्तार कार्यकर्ताओं के पास विस्तार के दृष्टिकोणों को चुनने के कई विकल्प हैं, जो प्रचलित स्थितियों में उनके लिए उपयुक्त हैं. सही निर्णय तथा एक या कई दृष्टिकोणों के मिश्रण का चयन विस्तार कर्मियों को सफलतापूर्वक कार्य करने में मदद करेगा.



#### 4.8 प्रश्न

1. विस्तार के लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें और अपने अनुभव के साथ उसे सिद्ध करें?
2. वैकल्पिक विस्तार दृष्टिकोण क्या हैं तथा इसके महत्व को समझाएं?
3. आप व्यावसायिक फसलों के लिए कमोडिटी आधारित विस्तार के अवसरों को कैसे उचित ठहराते हैं?
4. आप ग्राहक आधारित और ग्राहक नियंत्रित विस्तार के बारे में क्या जानते हैं?
5. विश्वविद्यालय आधारित विस्तार के बारे में समझाएं?
6. आप एकीकृत परियोजना दृष्टिकोण के बारे में क्या जानते हैं?

#### 4.9 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997
3. Gallagher K. 1999. Farmers Field School (FFS) – A Group Extension Process based on Non-Formal Education Methods. Global EPM Facility, FAO.
4. PM. 2002. Textbook of Extension Education. Himalaya Publ.
5. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
6. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.



## ब्लॉक-II - कृषि विस्तार में नए आयाम

### यूनिट-1 - कृषि विस्तार प्रणाली का पुनरोद्धार

#### संरचना

- 1.0. उद्देश्य
- 1.1. परिचय
- 1.2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- 1.3. टी एंड वी प्रणाली
- 1.4. विस्तार सुधार
- 1.5. एटीएमए की प्रमुख विशेषताएं
- 1.6. एनसीएफ की सिफारिशें
- 1.7. ग्यारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र
- 1.8. एटीएमए (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) में टी एंड वी प्रणाली की आकर्षक शक्ति
- 1.9. उपसंहार

#### 1.0. उद्देश्य

इस यूनिट को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी समझने में सक्षम होंगे

- कृषि विस्तार में सुधारों की आवश्यकता
- कृषि विस्तार में सुधारों की प्रमुख विशेषताएं
- टी एंड वी की आकर्षक शक्तियां
- विस्तार में सुधारों के लिए नितिगत दृष्टिकोण



### 1.1. परिचय

स्थायी रूप से कृषि उत्पादन की बढ़ती मांगों के संदर्भ में कृषि विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रणाली में सुधारों से ऐसे विस्तार सेवा की परिकल्पना करना है जो व्यापक एवं समग्र सामग्रियों तथा ध्येय से परिपूर्ण हो, अर्थात् कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से परे हो. उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और कृषि संबंधी प्रथाओं को हस्तांतरित करने और प्रसार करने जैसा सामान्य कार्य इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा. विस्तार एजेंसियों, सेवाओं और पदाधिकारियों को अधिक सक्रिय और भागीदारीपूर्ण भूमिका निभाने, जानकारी की सूचना देने वाले एजेंटों के रूप में कार्य करने, प्राथमिक उत्पादकों, कृषि शोधकर्ताओं और प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक रूप से सार्थक और न्यायसंगत ज्ञान आधारित पहल करने और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी. यह सब प्रभावशाली और लागत प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए.

राष्ट्रीय कृषि नीति, व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ दसवीं योजना दृष्टिकोण पत्र में कृषि विस्तार में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उठाया गया. इन नीतिगत पहलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और विस्तार सुधारों के लिए नीति निर्देश जारी करने हेतु, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि विस्तार के लिए एक व्यापक नीति फ्रेमवर्क (पीएफएई) विकसित किया गया है.

नीति संरचना की पांच प्रमुख मार्गदर्शक तत्व इस प्रकार हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का सुधार.
- निजी क्षेत्र को प्रभावी ढंग से पूरक, अनुपूरक के तौर पर और जहां भी संभव हो सार्वजनिक विस्तार के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना.





- विस्तार के लिए मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता को संवर्धित करना.
- लिंग भेदभाव की चिंता को दूर कर उसे मुख्यधारा से जोड़ना.
- किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन.

नवंबर, 1998 से प्रभावी, ऊपर सूचीबद्ध सुधारों को सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब, प्रत्येक राज्य में 4 जिलों को शामिल करते हुए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP) के घटक प्रौद्योगिकी प्रसार में नवाचार (ITD) के अंतर्गत परीक्षण किया गया है. इन परियोजना वाले जिलों में एक स्वायत्त संस्था - कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई है, जो परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में किसानों सहित विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है.

## 1.2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में आज मूल विस्तार तंत्र कम समय में अधिक पैदावार करने के (गो मोर फूड) (जीएमएफ) अभियान का परिणाम है जिसे तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने वर्ष 1947 में आरंभ किया था. औपचारिक विस्तार संगठन की कमी के कारण यह अभियान आगे नहीं बढ़ पाया. वर्ष 1948 में, अल्बर्ट मेयर ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्वतंत्रता के बाद के पहले विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की. ग्रामीण विकास में लोगों की सहभागिता का यह पहला उदाहरण था. यह बहुउद्देश्यीय, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता, जो आज भी भारत में मौजूद है की शुरुआत को दर्शाता है. इस प्रमुख परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अनुभव सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के पूर्ववर्ती थे, जो वर्ष 1952 में भारतीय योजना आयोग द्वारा आरंभ किए गए थे.



वर्ष 1953 में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एनईएस) के रूप में व्यापक विस्तार कवरेज देने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया गया था. यह व्यवस्था देश के लिए स्थायी विस्तार आधार बन गई.

वर्ष 1950 के दशक के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने पर खाद्यान की कमी देखी गई, इसने सरकार को अपनी व्यापक ग्रामीण विकास रणनीति को छोड़ने और खाद्य उत्पादन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया. वर्ष 1959, अप्रैल में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एक कृषि उत्पादन टीम ने खाद्य आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला. इस टीम ने अपनी रिपोर्ट "इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट"(भारत में खाद्यान की कमी और उसके निवारण के लिए उठाए गए कदम) नामक शीर्षक में सुझाव दिया कि चयनित क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान और जनशक्ति तथा संसाधनों का संयोजन करते हुए खाद्यान उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन प्रयास किए जाने चाहिए. यह गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईएडीपी) की शुरुआत थी, या जैसा कि आमतौर पर यह पैकेज प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है.

### 1.3. प्रशिक्षण-और-दौरा (टी एंड वी) प्रणाली

प्रशिक्षण-और-दौरा (टी एंड वी) विस्तार प्रणाली की शुरुआत भारत में विस्तार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी. टी एंड वी का मूल आधार यह था कि किसानों द्वारा प्रसार करने और अपनाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी. टी एंड वी विस्तार प्रणाली को पहली बार वर्ष 1974-75 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल नियंत्रित क्षेत्र में प्रमुखता के आधार पर आरंभ किया गया था. सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, परियोजना को वर्ष 1978-79 में 17 अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया.



इस प्रणाली के अंतर्गत ग्राम विस्तार कार्यकर्ता (वीईडब्ल्यू) क्षेत्र स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था. एक ग्राम विस्तार कार्यकर्ता की युक्तिसंगत सीमा 300 से 1200 कृषक परिवारों को कवर करना था. चिन्हित किए गए परिवारों को आठ समूहों में विभाजित किया गया था और समूह के 10 प्रतिशत किसानों को संपर्क किसानों के रूप में चिन्हित गया था. ग्राम विस्तार कार्यकर्ता (वीईडब्ल्यू) तब परिस्थिति के अनुसार एक सप्ताह या एक पखवाड़े में कम से कम आठ समूहों के घरे को कवर करते हुए एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार संपर्क किसानों का दौरा करेगा. इस अवधि के दौरान दो प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए दो दिन तय किए गए थे: पहला- क्षेत्र में कार्यरत 30-40 ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं के एक समूह के लिए तीन से चार चयन किए गए कृषि अभ्यासों में विषय-विशेष विशेषज्ञों (एसएमएस) द्वारा एक दिवसीय पाक्षिक(पंद्रह दिन में एक बार) प्रशिक्षण का आयोजन और दूसरा- कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अनौपचारिक रूप से समन्वित एक दिवसीय साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन. इस प्रकार, एक पखवाड़े में बारह दिनों में से एक ग्राम विस्तार कार्यकर्ता आठ दिन क्षेत्र में, दो दिन प्रशिक्षण में और दो दिन लंबित कार्यों को समाप्त करने में व्यतीत करता है.

### टी एंड वी प्रणाली की शक्तियां

प्रशिक्षण और यात्रा (टी एंड वी) प्रणाली की मुख्य शक्तियां अनुसंधान और विस्तार के बीच घनिष्ट संबंध थे, जो विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञों (एसएमएस) तथा उप-मंडलीय और ब्लॉक स्तरीय विस्तार कर्मचारियों को मासिक कार्यशालाओं के माध्यम से नियमित रूप से वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करते थे. मुख्य उद्देश्य नियमित रूप से विषय विशेषज्ञों (एसएमएस) में तकनीकी कौशल का निर्माण करना था ताकि वे किसानों की वास्तविक तकनीकी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें और सिफारिशों को उपयुक्त रूप से अपना सकें. दूसरा उद्देश्य



यह था कि शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ (एसएमएस) आपस में चर्चा करें और संबंधित उत्पादन सिफारिशों को तैयार करके अगले पखवाड़े के प्रशिक्षण सत्रों के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों और ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं को हस्तांतरण करें ताकि अंततः वह सिफारिशें संपर्क किसान के माध्यम से किसानों तक पहुंचें।

प्रशिक्षण और यात्रा (टी एंड वी) प्रणाली की अन्य शक्ति एसएमएस द्वारा क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना था। सभी स्तरों पर पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता के कारण यह संभव हुआ। टी एंड वी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता (VEW), जो संबंधित कृषि प्रौद्योगिकी की सिफारिशों पर किसानों को सलाह देने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने एवं उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियमित रूप से एक निर्धारित दिन संपर्क किसानों के माध्यम से किसानों के क्षेत्र का दौरा करते थे।

### टी एंड वी प्रणाली की अड़चनें

शोध अध्ययनों से पता चला है कि टी एंड वी प्रणाली ने एक समान प्रभाव नहीं डाला था। इसे मुख्य रूप से चयनित फसलों जैसे चावल और गेहूं के लिए सिंचित क्षेत्रों में सफलता मिली। इस प्रणाली ने अन्य उद्यमों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि पर जोर नहीं दिया। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी फसलों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया, जैसे बाजरा, दाल और तिलहन जो वर्षा आधारित कृषि के रूप में उगाए जाते हैं। जिले से ग्रामीण स्तर तक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की वृद्धि ने राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ डाला, जिसमें अधिकांश धन वेतन घटक को पूरा करने में खर्च किया गया। ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित थी और इसलिए तकनीकी ज्ञान का कम समझ होने के कारण वे प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने में सक्षम नहीं थे।



सामना की जाने वाली अन्य बाधाएं थीं:

- I. सार्वजनिक विस्तार प्रणाली की बहुलता.
- II. कृषि विस्तार प्रणाली पर उचित ध्यान न देना.
- III. विस्तार कार्यक्रम आयोजना में कृषक सहभागिता का अभाव.
- IV. प्रौद्योगिकियों को मंजूरी देने और परिष्कृत करने में स्थानीय क्षमता का अभाव.
- V. सार्वजनिक क्षेत्र का निजी सेक्टर के साथ संपर्क में कमी.
- VI. लिंग भेदभाव को लेकर चिंता का अभाव.
- VII. लाइन विभाग के पदाधिकारियों के बीच सहभागिता और समन्वय का अभाव
- VIII. प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और शोधन की कमी तथा विस्तार में लक्ष्य का अभाव

भले ही, परियोजना 1990 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गई थी, कुछ राज्यों में टी एंड वी प्रणाली को जारी रखा गया था. समय के साथ, मूलभूत विस्तार गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु संसाधनों की कमी के कारण राज्यों ने भी इस प्रणाली को संशोधित किया. हालांकि, उपरोक्त अड़चनों के अलावा, देश भर के राज्यों में टी एंड वी विस्तार प्रणालियों के बाद भी निम्नलिखित अड़चनों को देखा गया है:

- I. पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव
- II. विस्तार पदाधिकारियों में अपर्याप्त तकनीकी क्षमता
- III. बाजार संचालित विस्तार के बजाय आपूर्ति संचालित बाजार
- IV. किसानों के प्रशिक्षण पर जोर का अभाव
- V. अपर्याप्त संचालन संसाधन और वित्तीय स्थिरता



#### 1.4. विस्तार सुधार

वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विस्तार सुधारों की शुरुआत विस्तार प्रणाली को किसान द्वारा चलाने तथा प्रक्रिया और संस्थागत सुधार तंत्र के माध्यम से किसान की जवाबदेही तय करने के लिए टी एंड वी और टी एंड वी प्रणाली के बाद की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के रूप में संस्थागत तंत्र का वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक सात राज्यों और 28 जिलों में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के घटक प्रौद्योगिकी प्रसार में नवाचार (आईटीडी) के अंतर्गत मुख्य परीक्षण को किया गया। सुधारों की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- I. नई संस्थागत व्यवस्था - विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया
- II. लाइन विभागों का अभिसरण - कमियां दूर करने वाली पद्धति (मोड)
- III. मल्टी-एजेंसी विस्तार रणनीतियाँ - निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु (न्यूनतम 10% आवंटन)
- IV. कृषि प्रणाली दृष्टिकोण (एफएसए) के माध्यम से व्यापक-आधार पर विस्तार वितरण
- V. किसान संगठनों (एफओ) और कोमोडिटी हितकारी समूह (सीआईजी) के माध्यम से विस्तार के प्रति समूह दृष्टिकोण
- VI. लिंगभेद संबंधी - न्यूनतम 30% आवंटन
- VII. विस्तार सेवाओं की स्थिरता - न्यूनतम 10% लाभार्थी योगदान
- VIII. नीचे से ऊपर की ओर योजना (बॉटम - अप प्लानिंग)



## विस्तार सुधारों का प्रयोजन

विस्तार सुधार स्कीम का प्रयोजन नई संस्थागत व्यवस्थाओं और संचालन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है - न कि केवल वर्तमान विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करना. एक प्रमुख अवधारणा या लक्ष्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के निर्माण के माध्यम से निर्णय लेने को विकेंद्रीकृत करना है ताकि जिला स्तर पर निर्णय लिया जा सके. दूसरा लक्ष्य कार्यक्रम नियोजन और संसाधन आवंटन में किसान के इनपुट में वृद्धि करना है, विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर तथा हितधारकों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाना है. तीसरा प्रमुख लक्ष्य कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना है, ताकि कार्यक्रम को बल वाले घटक जैसे कृषि प्रणाली नवाचार, किसान संगठन, तकनीकी कमियां एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अधिक प्रभावशाली ढंग से और कुशलता से लागू हो सकें.

### 1.5. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) की प्रमुख विशेषताएं

आत्मा को जिला स्तर पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जो विस्तार गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्य करने के लिए लचीला माहौल प्रदान करती है. आत्मा एक अनोखी जिला स्तरीय संस्था है, जो कृषि प्रणाली के दृष्टिकोण को अपनाते हुए और संबंधित विभागों के कार्यक्रमों का अभिसरण करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों को पूरा करती है. स्थानीय अनुसंधान और विस्तार प्राथमिकताओं को रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजनाओं (एसआरईपी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जिसे सहभागिता पद्धतियों का उपयोग करके विकसित किया जाता है.



आत्मा "सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860" के तहत पंजीकृत है जिसके संचालन में काफी लचीलापन है. इसका संचालन गवर्निंग बोर्ड (जीबी) जो कि कार्यक्रम की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है और कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करता है, के मार्गदर्शन में होता है. आत्मा के कार्यकारी प्रमुख को परियोजना निदेशक (पीडी) के रूप में जाना जाता है जो सीधे आत्मा गवर्निंग बोर्ड को रिपोर्ट करता है.

आत्मा द्वारा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक एसआरईपी (SREP) तैयार करना है, जिसमें जिले की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है. एसआरईपी (SREP) तैयार का उद्देश्य जिले की अनुसंधान और विस्तार आवश्यकताओं की पहचान करना है. यह केवल उन विस्तार गतिविधियों को करने में सहायता करता है जिसकी आवश्यकता जिले के किसानों को है. विभिन्न स्तरों पर एसआरईपी को किसानों और उनके प्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदारी के साथ तैयार किया गया है. कृषि और संबद्ध विभागों के तकनीकी अधिकारियों के साथ-साथ केवीके तथा अन्य अनुसंधान संस्थान भी एसआरईपी को तैयार करने में भाग लेते हैं.

एसआरईपी में दी गई अनुसंधान-विस्तार रणनीतियों के आधार पर आत्मा संस्थानों द्वारा ब्लॉक/जिला स्तर की योजनाएं तैयार की जाती हैं. राज्य स्तर पर बनाई गई राज्य विस्तार कार्य योजना एक समेकित गतिविधि-वार योजना है जिसमें जिला स्तर की सभी योजनाएँ और राज्य स्तर की गतिविधियाँ शामिल हैं.

### **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) क्या है ?**

आत्मा जिले में स्थायी कृषि विकास के लिए कृषि गतिविधियों में शामिल प्रमुख हितधारकों की सोसायटी है. यह अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने तथा सार्वजनिक कृषि





प्रौद्योगिकी प्रणाली (एटीएस) के दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने का केंद्र बिंदु है। यह जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए जिम्मेदार एक पंजीकृत सोसायटी है। एक सोसायटी के रूप में यह परियोजना निधि प्राप्त करने एवं उसे खर्च करने, अनुबंध और समझौते करने तथा परिक्रामी खाते(रिवाल्विंग एकाउंट) जो फीस संग्रह करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, को बनाए रखने में सक्षम होगा और इस प्रकार संचालन लागत की वसूली हो सकती है।

### **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) क्यों ?**

जिला स्तर पर आत्मा जिले की सभी प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। उसे जिले के सभी लाइन विभागों, अनुसंधान संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि विकास से जुड़ी एजेंसियों के साथ संबंध रखना होगा। परियोजना जिलों के भीतर अनुसंधान और विस्तार इकाइयाँ जैसे जेडआरएस(ZRS) या सब-स्टेशन, केवीके(KVK) तथा कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन आदि प्रमुख लाइन विभाग आत्मा के घटक सदस्य बन जाएंगे। प्रत्येक अनुसंधान-विस्तार (आर-ई) इकाई अपनी संस्थागत पहचान और संबद्धता को बनाए रखेगी, परंतु जिला-वार अनुसंधान-विस्तार (आर-ई) गतिविधियों के विषय में कार्यक्रम और प्रक्रियाएँ आत्मा संचालन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी जिसे उसकी प्रबंधन समिति (एएमसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

### **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) की भूमिका तथा जिम्मेदारियां**

आत्मा को गवर्निंग बोर्ड (जीबी) और प्रबंधन समिति (एएमसी) का सहयोग प्राप्त है। गवर्निंग बोर्ड नीति बनाने वाली संस्था है और यह मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ आत्मा की प्रगति और कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करती है। आत्मा की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन समिति जिम्मेदार होगी।



### कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी गवर्निंग बोर्ड (जीबी)

रचना:			
क्र.सं.			
1	जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर	-	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	-	उपाध्यक्ष
3	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (कृषि)	-	सदस्य
4	जेडआरएस(ZRS) /कृषि विज्ञान केंद्र का प्रतिनिधि	-	"
5	एक किसान प्रतिनिधि	-	"
6	एक पशुधन उत्पादक	-	"
7	एक बागवानी किसान	-	"
8	महिला किसान हितकारी समूह का प्रतिनिधि	-	"
9	एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति किसान प्रतिनिधि	-	"
10	गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	-	"
11	जिले के मुख्य बैंक अधिकारी	-	"
12	जिला औद्योगिक केंद्र का प्रतिनिधि	-	"
13	कृषि विपणन बोर्ड का प्रतिनिधि	-	"
14	इनपुट प्रदाता एशोसिएशन का प्रतिनिधि	-	"
15	एक मत्स्य पालन/रेशम उत्पादन प्रतिनिधि	-	"
16	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) परियोजना निदेशक	-	सदस्य-सचिव सह कोषाध्यक्ष (पदेन अधिकारी)
सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन/कार्यकाल:			



	गवर्निंग बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को ए.पी.सी द्वारा गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा.
	<p>i. कुछ प्रारंभिक नियुक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्टैगर(लंबित) किया जाता है ताकि गवर्निंग बोर्ड में दो-तिहाई सदस्यों की सदस्यता एक अतिरिक्त वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सके.</p> <p>ii. गवर्निंग बोर्ड में किसान प्रतिनिधियों का तीस प्रतिशत महिला किसानों के लिए आरक्षित होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हितों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व हो रहा है.</p>

### कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी गवर्निंग बोर्ड के प्रमुख कार्य

- i. रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (SREP) तथा भाग लेने वाली इकाइयों द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन करना.
- ii. जिले के भीतर की जा रही विभिन्न शोध और विस्तार गतिविधियों के लिए, भाग लेने वाली इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करें और उसकी समीक्षा करें तथा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रतिक्रिया और दिशा निर्देश दें.
- iii. जिले के भीतर प्राथमिकता वाले अनुसंधान, विस्तार और संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए परियोजना निधि प्राप्त करें और उसे आवंटित करें.
- iv. जिले के भीतर किसान हितकारी समूहों (एफआईजी) और किसान संगठनों (एफओ) के संगठन के विकास को प्रोत्साहन दें.
- v. किसानों को इनपुट, तकनीकी सहायता, कृषि-प्रसंस्करण और विपणन सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्रों और कंपनियों तथा संगठनों की अधिक सहभागिता हेतु वातावरण प्रदान करें.



- vi. गरीब और मार्जिनल किसानों, विशेष रूप से अनु. जाति, अनु.जनजाति और महिला किसानों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने हेतु कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करें.
- vii. उनके संबंधित आर-ई कार्यक्रमों में प्रतिक्रिया और इनपुट प्रदान करने के लिए प्रत्येक लाइन विभाग, केवीके और जेडआरएस को प्रोत्साहित करें व किसान सलाहकार समितियां स्थापित करें.
- viii. जिले के भीतर कृषि विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए जैसा उचित हो अनुबंध और समझौते करें.
- ix. वित्तीय सहायता के अन्य स्रोतों की पहचान करें जो आत्मा और उसकी सहभागी इकाइयों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे.
- x. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए परिक्रामी निधियों(रिवाल्विंग फंड)/खातों की स्थापना करें और प्रत्येक इकाई को लागत वसूली के आधार पर, चरणबद्ध तरीके से पूर्ण लागत वसूली की प्रक्रिया के साथ कृत्रिम गर्भाधान या मिट्टी परीक्षण जैसे तकनीकी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करें.
- ix. आत्मा के वित्तीय खातों की आवधिक लेखा की व्यवस्था करें; और आत्मा के लिए नियमों और उप-नियमों को अपनाएं और उनमें संशोधन करें.

#### एटीएमए (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) प्रबंधन समिति (एएमसी)

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ) के परियोजना निदेशक | अध्यक्ष |
| 2 | जिला कृषि विभाग के प्रमुख                                    | सदस्य   |



3	जिलाबागवानी विभाग के प्रमुख	"
4	जिलापशुपालन विभाग के प्रमुख	"
5	जिलामत्स्य पालन विभाग के प्रमुख	"
6	जिलारेशम उत्पादन विभाग के प्रमुख	"
7	जिले के अन्य उपयुक्त लाइन विभागों के प्रमुख, जो जिले के भीतर महत्वपूर्ण हो सकते हैं	"
8	कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख	"
9	क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन के प्रमुख	"
10	किसान संगठन के गैर-सरकारी संगठन प्रभारी का एक प्रतिनिधि	"
11	किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष चक्रानुक्रम आधार पर)	"

### प्रबंधन समिति (एमसी) के प्रमुख कार्य

आत्मा प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- i. जिले के भीतर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों और किसानों के सामने आने वाली समस्याओं और बाधाओं की पहचान करने के लिए आवधिक सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) करें.
- ii. जिले के लिए एकीकृत रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) तैयार करें जो जिले के लिए लघु और मध्यम अवधि के अनुकूल अनुसंधान के साथ-साथ प्रौद्योगिकी सत्यापन और शोधन तथा विस्तार की प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करेगा:



इन प्राथमिकताओं को सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के दौरान दर्शाया जाना चाहिए.

- iii. वार्षिक कार्य योजना तैयार करें जो समीक्षा, संभावित संशोधन और अनुमोदन के लिए आत्मा गवर्निंग बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी.
- iv. लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार इकाई (टीडीयू) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित परियोजना खाता बनाए.
- v. निजी क्षेत्र की फर्मों सहित भागीदार लाइन विभागों, जेडआरएस(ZRS), केवीके(KVKs), गैर सरकारी संगठनों, एफआईजी(FIGs)/ एफओ और संबद्ध संस्थानों के माध्यम से इन वार्षिक कार्य योजनाओं के निष्पादन के लिए समन्वय करें.
- vi. ब्लॉक स्तर पर समन्वयन तंत्र स्थापित करना, जैसे फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र (एफआईएसी), जो ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों को एकीकृत करेगा,
- vii. गवर्निंग बोर्ड के समक्ष वास्तव में किए गए विभिन्न शोध विस्तार और संबंधित लक्ष्यों को दर्शाते हुए व हासिल किए गए लक्ष्यों को भी शामिल करते हुए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- viii. गवर्निंग बोर्ड के लिए सचिवालय की व्यवस्था करें और गवर्निंग बोर्ड से प्राप्त नीतिगत दिशा निर्देशों, निवेश हेतु निर्णयों और अन्य प्रकार के मार्गदर्शन पर कार्रवाई करने की पहल करें.

संबंध जोड़ने वाले तंत्र: विस्तार सुधार स्कीम के अंतर्गत वर्तमान तंत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसंधान विस्तार-किसान (आर-ई-एफ) संबंध जोड़ने वाले तंत्रों को प्रस्तावित किया गया है.



I. कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर-विभागीय कार्यकर्ता समूह का गठन कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) जैसे विभागों के बीच प्रभावशाली समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. यह कृषि और लाइन विभागों के माध्यम से राज्य, मंडल और जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और स्थापित करेगा. यह आत्मा द्वारा किए जा रहे कृषि विस्तार और अनुसंधान गतिविधियों की देखरेख के साथ सहयोग भी करता है और अंतर-विभागीय मामलों आदि पर नीति बनाने में हस्तक्षेप भी करता है. राज्य के प्रत्येक चयनित जिलों में स्कीम की गतिविधियाँ की निगरानी के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि)/निदेशक (कृषि) के अंतर्गत एक नोडल सेल की स्थापना भी की जाएगी. यह कार्यकारी समूह महीने में एक बार बैठक करेगा.

II. प्रत्येक चयनित जिले में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने तथा सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली के दिन-प्रति-दिन प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) स्थापित की जाएगी. आत्मा प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी और जिले के सभी लाइन विभागों, अनुसंधान संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों एवं कृषि विकास से जुड़ी एजेंसियों के साथ जुड़ी रहेगी.

III. गवर्निंग बोर्ड (जीबी) और प्रबंधन समिति (एमसी), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी- जिले में विभिन्न उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हितधारकों और किसानों का प्रतिनिधित्व 16 सदस्यों वाला गवर्निंग बोर्ड करता है. यह नीति बनाने वाली संस्था है तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ आत्मा के कामकाज की प्रगति की समीक्षा भी करती है. यह सहभागिता करने वाली इकाइयों द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई रणनीतिक वार्षिक कार्य योजनाओं की



समीक्षा और अनुमोदन करत है. यह सहभागी इकाइयों को जिले में किए जा रहे विभिन्न शोध और विस्तार गतिविधियों के बारे में आवश्यकता अनुसार फीडबैक और दिशा निर्देश प्रदान करता है. यह किसानों के लिए इनपुट, तकनीकी सहायता, कृषि-प्रसंस्करण और विपणन सेवाएं उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों और किसान संगठनों की अधिक से अधिक सहभागिता को सरल बनाएगा. आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक दो महीने में एक बार होगी.

**IV. आत्मा प्रबंधन समिति (एमसी)** में लाइन विभाग के प्रमुख, जेडआरएस, केवीके, गैर सरकारी संगठन और किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि होते हैं. यह आत्मा की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की योजना बनाने और उसकी समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. यह किसानों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों-के सामने आने वाली समस्याओं और बाधाओं की पहचान करने के लिए आवधिक सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) करेगा. यह जिले के लिए एकीकृत रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) तैयार करेगा जो पहचान की गई किसान की महत्वपूर्ण बाधाओं को दर्शाते हुए तथा लघु और मध्यम अवधि के अनुकूल अनुसंधान के सत्यापन और शोधन के विस्तार प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करेगा. जिला स्तरीय लाइन विभाग और अनुसंधान इकाइयां ब्लॉक और फील्ड स्तर के विस्तार कर्मचारियों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण(सेवा-कालीन प्रशिक्षण) और सहायता गतिविधियों का आयोजन करेंगी. प्रबंधन समिति आत्मा गवर्निंग बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए ब्लॉक कार्य योजना(ब्लॉक एक्शन प्लान) (BAPs) भी तैयार करती है तथा लाइन विभागों, जेडआरएस, केवीके, गैर सरकारी संगठन, एफओ तथा निजी क्षेत्र की फर्मों के माध्यम से विस्तार को समन्वित करती है. प्रबंधन समिति (एमसी) को परियोजना निदेशक, आत्मा की अध्यक्षता में प्रत्येक महीने बैठक करना होता है.





**V. फार्म सूचना व परामर्श केंद्र (एफआईएसी):** यह ब्लॉक या मंडल स्तर पर स्थापित किया जाएगा. यह, दूसरी सेवाओं या विकासात्मक गतिविधियों को अन्य इकाइयों या लाइन विभागों के कर्मियों द्वारा प्रबंधित किए जाने के लिए छोड़कर, वास्तव में ब्लॉक/मंडल स्तर पर प्रमुख विस्तार कार्यक्रमों का प्रबंधन करेगा. वास्तव में, फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र आत्मा की विस्तार योजना और संचालन शाखा के रूप में कार्य करेगा. लाइन विभागों के लिए विस्तृत विस्तार कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए यह बैठक में चर्चा के लिए आम बिंदु होगा. यह वह स्तर भी होगा जहां किसानों के लिए इनपुट को कृषक परामर्श समिति (एफएसी) के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से जुटाया जा सकता है. सभी प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित इस प्रकार का तंत्र, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विस्तार प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और संसाधनों को आवंटित करने में सहायता करेगा.

फार्म सूचना और परामर्श केंद्र (एफआईएसी) की टीम प्रत्येक ब्लॉक में एसआरईपी का संचालन करने और एकल खिड़की विस्तार प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए जिम्मेदार होगी. फार्म सूचना और परामर्श केंद्र की टीम ब्लॉक कार्य योजना (बीएपी) तैयार करेगी, जिसमें विस्तार गतिविधियों को आरंभ करने का पूरा विवरण होगा. इस योजना को आत्मा के पास भेजे जाने से पहले एफएसी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए. अनुमोदन के लिए आत्मा गवर्निंग बोर्ड (जीबी) को भेजे जाने से पहले आत्मा प्रबंधन समिति (एएमसी) यह सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएँ तकनीकी और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य हैं और एसआरईपी के अनुरूप हैं. (1) नैदानिक और सहयोग सेवाओं को बनाए रखने (जैसे मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ), (2) फार्म सूचना और परामर्श केंद्र तथा क्षेत्र स्तर के विस्तार कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और तकनीकी



सहायता गतिविधियों का आयोजन करने, (3) अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने और (4) समय-समय पर जिला एसआरईपी को अद्यतित करने के लिए जिला-स्तरीय लाइन विभाग और अनुसंधान इकाइयाँ मौसमी या वार्षिक डब्ल्यूपी (WPs) भी तैयार करेंगी.

**VI. फार्म परामर्श समितियों (एफएसी)** का गठन औपचारिक परामर्श तंत्र प्रदान करने के लिए किया जाएगा. ब्लॉक के भीतर इसका गठन एफओ के सभी प्रमुख हितधारकों और किसान प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा. एफएसी ब्लॉक विस्तार प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए संसाधनों के आवंटन में सिफारिश करने में सहायता करेगी. ब्लॉक स्तर पर ये समितियां प्रत्येक कार्यान्वयन इकाई की समीक्षा करेंगी और उन्हें परामर्श देंगी. एफएसी के अध्यक्ष को चक्रानुक्रम(रोटेशन) पर किसान प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा. एफएसी को सीज़न के दौरान महीने में एक बार बैठक करना है और लीन सीज़न में त्रैमासिक बैठक करना है.

**VII. कृषक संगठन (एफओ)** को ग्राम स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा और बदले में ग्राम स्तर के समूह ब्लॉक और जिला स्तर पर कोमोडिटी एसोसिएशनों (सीए), विपणन सहकारी समितियों और अन्य प्रकार के कृषक संगठनों में विकसित होंगे. ग्रामीण स्तर पर किसान हितकारी समूह (एफआईजी) और किसान एसोसिएशन (एफए) प्रभावी रूप से ब्लॉक कार्य योजना तैयार करने में शामिल होंगे. ये संगठन प्रदर्शनों को आयोजन करने, खेत पर(ऑन फार्म) और अनुकूली परीक्षणों को करने में समन्वय करेंगे तथा विस्तार और अनुसंधान के लिए प्रतिक्रिया देंगे. उनके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से ब्लॉक स्तरीय एफएसी(FACs) और आत्मा के गवर्निंग बोर्ड में शामिल होंगे. आत्मा के गवर्निंग बोर्ड जिले के भीतर विभिन्न प्रकार के कृषक संगठनों में संगठित होने



में अलग-अलग प्रकार के किसानों की सहायता के लिए एक या अधिक एनजीओ का समर्थन करने के लिए परियोजना निधि का चयन और उपयोग करेंगे.

**निधि (धन) की व्यवस्था करने वाले तंत्र:** परियोजना निधि के उपयोग में आत्मा के संचालन में लचीलापन होगा. जैसा आवश्यक हो, आयोजनों के खुलासे की प्रतिक्रिया में भाग लेने वाली प्रविष्टियों के परामर्श से जिला स्तर पर उनसे योजना गतिविधियों को अपनाने की अपेक्षा की जाएगी. जिला विस्तार योजना की रूपरेखा में शामिल गतिविधियां जिनपर सार्वजनिक/निजी भागीदारों की सहमति मिल गई है, हेतु परियोजना निधि जारी करने के लिए आत्मा प्रबंधन समिति अधिकृत होगा और उसे भागीदार-वार और गतिविधि-वार अलग-अलग खाते/उप-खाते बनाना होगा. उसके उपरांत खातों (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षण किए गए) और प्रतिपूर्ति दावों को नोडल सेल के माध्यम से भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा.

**कार्य संचालन के तौर-तरीके: आयोजना और वित्तीय प्रक्रियाएं:** फार्म सूचना और परामर्श केंद्र टीम ब्लॉक कार्य योजना (बीएपी) और बजट तैयार करेगी जिसमें आगामी सत्र के दौरान किए जाने वाले विस्तार और किसान प्रशिक्षण गतिविधियों की रूपरेखा होगी. इन समन्वित योजनाओं को यदि आत्मा द्वारा वित्त पोषित किया जाना है, तो उन्हें एसआरईपी के भीतर उल्लिखित प्रमुख बाधाओं और अवसरों का विवरण देना होगा. इसके अलावा, प्रभारी-अधिकारी (ओआईसी) इन प्रस्तावित ब्लॉक-स्तरीय विस्तार गतिविधियों के समन्वय के लिए और इन प्रस्तावों को समीक्षा हेतु एफएसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा. एफएसी द्वारा इन प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने के बाद उन्हें आत्मा को सौंप दिया जाएगा. आत्मा गवर्निंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले, प्रत्येक ब्लॉक के ओआईसी और एफएसी अध्यक्ष संयुक्त रूप से आत्मा प्रबंधन समिति के समक्ष इन विस्तार योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे. एएमसी



और एफआईएसी के बीच कार्यक्रम संबंधी असहमति के मामले में, इन मुद्दों को जीबी द्वारा हल किया जाएगा.

एक बार ब्लॉक कार्य योजना (बीएपी) जीबी द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो आत्मा परियोजना निदेशक अनुमोदित विस्तार कार्यक्रमों की बजटीय लागत को शामिल करते हुए प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारी-अधिकारी (ओआईसी) को चेक भेजेगा. ओआईसी एक बैंक खाता खोलेगा और प्रत्येक फार्म सूचना और परामर्श केंद्र सदस्य को विस्तार गतिविधियों के अनुमोदित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन आवंटित किया जाएगा. ओआईसी और एफएसी अध्यक्ष सभी अदायगी चेकों पर हस्ताक्षर करेंगे. अनुमोदित विस्तार गतिविधियों के लिए व्यय रसीदों सहित पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ओआईसी जिम्मेदार होगा. इसके अलावा, ओआईसी समय-समय पर आत्मा के समक्ष विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा. यदि सहमत प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय और निष्पादन रिकॉर्ड आत्मा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो व्यक्तिगत ब्लॉक के लिए निधि आवंटन रोक दी जाएगी.

**संचालन प्रक्रियाएं-** सभी फार्म सूचना और परामर्श केंद्र टीम के सदस्य अपने संबंधित लाइन विभागों द्वारा नियोजित होंगे, लेकिन वे बहु-अनुशासनात्मक प्रौद्योगिकी टीम या कार्यकारी समूह के रूप में कार्य करेंगे, जो एकीकृत विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में और उसे कार्यान्वित करने में एसआरईपी के भीतर चार मुख्य कार्यक्रम संबंधी बलों पर जोर देंगे. ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं (वीईडब्ल्यू) के पास दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी होगी; उनकी सहायता के लिए फार्म सूचना और परामर्श केंद्र टीम के सदस्य होंगे, जो प्रदर्शन भूखंडों के अधिष्ठापन के साथ, किसान-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पढ़ाने और किसान दिवस आयोजित करने में और अन्य समूह गतिविधियों के संचालन में सहायता करेंगे. बड़े जिलों में,



कृषि अधिकारी (एओ) ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं (वीईडब्ल्यू) के दिन-प्रतिदिन के कार्य की निगरानी करेंगे, जिसमें तकनीकी पर्यवेक्षण और फार्म सूचना और परामर्श केंद्र टीम द्वारा सहयोग शामिल है. इस प्रस्तावित नई व्यवस्था का लक्ष्य एकीकृत या एकल खिड़की विस्तार प्रणाली का निर्माण करना है.

जहां तक संभव है, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित विकासात्मक गतिविधियों का उपयोग जिले और ब्लॉक के भीतर विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों को निष्पादित करने और उनका सहयोग करने के लिए किया जाएगा. दीर्घावधि में, एसआरईपी और बीएपी कार्यान्वयन में सहायता के लिए केंद्र, राज्य, और जिला निधियों से और अधिक निधि आत्मा को सीधे हस्तांतरित किए जाने का लक्ष्य होगा. लघु अवधि में, जबकि, एफएसी के परामर्श से, फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र यह निर्धारित करेगा कि चल रही ब्लॉक-स्तरीय विस्तार कार्यक्रमों (विशेष रूप से कृषि और बागवानी के लिए) की सहायता के लिए ये विकास गतिविधियां सबसे प्रभावशाली रूप में कहां उपयोग की जा सकती हैं.

प्रभावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कुंजी(समाधान) फार्म सूचना और परामर्श केंद्र टीम के प्रतिष्ठानों के पास होगी, जो ब्लॉक के भीतर विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों (ईईजेड) के लिए विस्तार कार्यक्रमों को बंद कर सकते हैं या उन्हें और अधिक प्रभावी (फाइन-ट्यून) बना सकते हैं. यह ब्लॉक स्तर पर भी लागू होता है, कि किसानों की सहभागिता से ब्लॉक कार्य योजना का विकास अत्यधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. यह वह स्तर है जहां पर स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान हितकारी समूहों (एफआईजी) और ब्लॉक-स्तरीय किसान एसोसिएशनों (एफए) के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप में ब्लॉक-स्तरीय एफएसी में शामिल किया जा सकता है.



### कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी गवर्निंग बोर्ड का संचालन कैसे किया जाए:

- यदि सूचना नहीं दी गई है, तो प्रत्येक गठन के लिए तुरंत अनुनय किया जाना चाहिए.
- जीबी की पहली बैठक आयोजित करने के लिए पीडी को आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिसमें सभी माननीय जीबी सदस्यों को आत्मा की अवधारणा के बारे में बताया जाना चाहिए.
- जीबी सदस्यों की भागीदारी के लिए, जीबी सदस्यों के लिए टीए का प्रावधान किया जाना चाहिए.
- सभी गवर्निंग बोर्ड सदस्यों को एसआरईपी की प्रतियां दी जानी चाहिए. उन्हें गवर्निंग बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए.
- जल्दी से जल्दी निकटतम और सफल आत्मा का एक्सपोज़र दौरा करें.
- एफएसी के सदस्यों को दूसरे कार्यकाल से जीबी सदस्यों के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए.
- जीबी सदस्यों की बैठक तिमाही में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी आयोजित की जानी चाहिए.
- एजेंडे के साथ बैठक से 15 स्पष्ट दिन(पूर्णकालिक दिवस) पहले नोटिस दी जानी चाहिए.
- आत्मा के सभी व्यय को जीबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए. बैठक में परियोजना निदेशक को आत्मा की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए.
- जीबी को लेखा परीक्षा के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित सीए नियुक्त करने का अधिकार है.



### आत्मा प्रबंधन समिति (एएमसी) का संचालन कैसे किया जाए:

- यदि इसका गठन नहीं किया गया है, तो इसके गठन के उपाय किए जाने चाहिए.
- प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाए.
- 8 स्पष्ट दिन (पूर्ण दिवस) पूर्व सूचना दी जानी चाहिए.
- तारीख निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बैठक मुख्यालय दिवस(एचक्यू डे) के दिन आयोजित हो.
- सभी लाइन विभाग कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) को अंगीकार करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
- टीम भावना का संचार किया जाए
- बेहतर होगा कि बैठकें राउंड टेबल पर की जाएं ताकि सभी सदस्यों को अध्यक्ष अर्थात् परियोजना निदेशक(पी.डी.) के बराबर महसूस कराया जा सके.
- बैठकों का स्थान अलग-अलग लाइन विभागों के कार्यालयों में निर्धारित करना बेहतर होगा ताकि शामिल होने वाले सभी लाइन विभाग स्कीम को अंगीकार कर सकें.
- एएमसी की पहली बैठक में, सभी सदस्यों को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की अवधारणा और कार्य की प्रकृति से अवगत कराया जाना चाहिए.
- पीडी (PD) को इस बात पर जोर देना चाहिए कि आत्मा का कार्य अतिरिक्त कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा उन्हें उनके विभाग के कार्य को कुशलतापूर्वक करने और परिणामी तरीके से उसकी कमियों को दूर करने में सहायता करेगी.
- प्रत्येक सदस्य को ब्लॉक/ब्लॉकों का प्रभारी नियुक्त किया जाना चाहिए तथा उसे उसकी प्रगति का पर्यवेक्षण करना चाहिए.



- एएमसी के समक्ष संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए बीटीसी संयोजकों को एएमसी बैठकों में बुलाना बेहतर है.

**फार्म सूचना व परामर्श केंद्र (एफआईएसी/फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र) का संचालन कैसे किया जाए:**

- अधिकांश किसानों के लिए फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र तक पहुंचना आसान है.
- यदि कृषि या किसी अन्य लाइन विभाग के पास अलग से भवन/स्थान उपलब्ध है, तो इसे उस स्थान पर स्थापित करना उचित है.
- यदि कोई अच्छा गैर सरकारी संगठन है, तो उससे फॉर्म सूचना और सलाहकार केंद्र संचालित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए.
- यदि कोई किसान एसोसिएशन/संगठन/ फेडरेशन फॉर्म सूचना और सलाहकार केंद्र संचालित करने के लिए इच्छुक है, तो उसे प्राथमिकता दी जाए.
- यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो फॉर्म सूचना और सलाहकार केंद्र बीटीटी संयोजक के कार्यालय में संचालित किया जा सकता है.
- सलाह दी जाती है कि वहां निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हों:
  - टेलीफोन
  - इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर
  - बैठक आयोजित करने की सुविधा
  - प्रशिक्षण कक्ष उपलब्ध होना चाहिए
  - आवश्यकता के अनुसार स्टेशनरी (लेखन सामग्री)
  - एफआईएसी पर कम से कम एक तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए





- फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ किसान राजस्व/कृषि कार्यालय/कृषि इनपुट शॉप/बस स्टैंड/पंचायत कार्यालय आदि में अक्सर जाते हों।

### **ब्लॉक तकनीकी टीम (बीटीटी) का संचालन कैसे किया जाए:**

- सभी बीटीटी सदस्यों (सभी ब्लॉकों से) को आत्मा की अवधारणा, उसके कार्य आदि के बारे में उन्मुखीकरण किया जाएगा।
- माह में एक बार बीटीटी को बैठक करनी चाहिए
- फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र पर बैठक होनी चाहिए
- एजेंडे के साथ बैठक की सूचना 7 स्पष्ट(पूर्ण) दिवस पहले दी जानी चाहिए
- बैठक की तारीख मुख्यालय के दिन(एचक्यू डे) या अधिकांश सदस्यों की सुविधा के अनुसार तय की जानी चाहिए. ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीटीटी के सभी/अधिकांश सदस्य बैठक में शामिल हों.
- बीटीटी के प्रत्येक सदस्य को एसआरईपी की एक प्रति दी जाएगी/प्रदान की जाएगी
- बीटीटी सदस्यों को यह समझाया जाए कि आत्मा का कार्य अतिरिक्त कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा उनकी कमियों को दूर करते हुए विभागीय कार्य को अधिक प्रभावशाली तरीके से लागू करने में सहायता करेगी.
- सभी बीटीटी सदस्य एसआरईपी के अनुसार कार्य योजना तैयार करेंगे. प्रत्येक विभाग की कार्य योजनाओं पर बीटीटी बैठकों में चर्चा की जा सकती है कि वे एसआरईपी के अनुसार हैं या नहीं. किसी भी तत्काल आवश्यकता वाली गतिविधि को जोड़ने पर विचार की जानी चाहिए, जबकि यह एसआरईपी में इंगित नहीं किया गया है.




- आपसी चर्चा से बीएपी को अंतिम रूप दिया जाएगा और एफएसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

#### कृषक परामर्श समिति (एफएसी/FAC) का संचालन कैसे किया जाए:

- केवल प्रगतिशील/पुरस्कार विजेता किसानों/किसान समूह के नेताओं को ध्यान में रखकर ही सदस्य का चुनाव किया जाना चाहिए
- सभी एफएसी सदस्यों को स्थानीय भाषाओं में आत्मा की पुस्तिका दी जाएगी जिसमें आत्मा की सामान्य जानकारी तथा एफएसी की भूमिका और जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है.
- सभी ब्लॉकों के सभी एफएसी सदस्यों को जिला स्तर पर आत्मा की अवधारणा के बारे में उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए
- सभी एफएसी सदस्यों को स्थानीय भाषा में एसआरईपी का सार दिया जाएगा
- एफएसी की मासिक बैठक फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र पर आयोजित की जाएगी. एफएसी की बैठक में बीटीटी सदस्य भी उपस्थित होंगे
- बैठक के दिन एफएसी को टीए तुरंत दिया जाएगा
- ब्लॉक में उन्हें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है.
- सभी एफएसी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को जीतने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाना चाहिए.
- एफआईएसी के सभी खर्च तथा ब्लॉक गतिविधियां एफआईएसी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए.



## आत्मा में कमोडिटी हितकारी समूहों को बढ़ावा कैसे दिया जाए



### वर्तमान समूहों का उपयोग करना

- बीटीटी सदस्यों को उनके ब्लॉक में मौजूदा समूहों का सूची बनाने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कहा जाना चाहिए. इसके लिए प्रत्येक सदस्य को गांवों का एक समूह दिया जाएगा.
- एएमसी सदस्यों को उनके संबंधित उद्यम के मौजूदा समूहों का सूची बनाने, उनका विश्लेषण और टीएनए(TNA) करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.
- गैर-सरकारी संगठनों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में मौजूदा समूहों का सूची बनाने और उनका विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.

### नए समूह:

- एनजीओ की सहायता से नए समूह बनाएं. क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को सचेत किया जाना चाहिए और उन्हें समूह गठन के लाभ के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.
- किसानों के लिए समूह के लाभों का एक मॉड्यूल विकसित किया जाना चाहिए.
- प्रत्येक क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता को कम से कम एक समूह बनाने का लक्ष्य दिया जाना चाहिए.

### याद रखने योग्य बिंदु

- एक समूह में 10-20 सदस्य हो सकते हैं



- समूह के सदस्य एक गांव से हो सकते हैं या आसपास के दो से तीन गांवों से भी हो सकते हैं.
- समूह का कम से कम एक कॉमन(समान) हित होना चाहिए (कोमोडिटी,विपणन, आदि.)
- नाममात्र पंजीकरण शुल्क के साथ आत्मा में समूह का औपचारिक पंजीकरण होना चाहिए
- आवेदन में सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर होने चाहिए एवं अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पते होना चाहिए. इसके अलावा समूह का नाम, उसका स्थान आदि भी होना चाहिए.
- कम से कम मासिक बैठकें अवश्य आयोजित की जाए.
- समूह को उनके विशेष उद्यम के एक अधिकारी द्वारा सहयोग किया जाए.
- समूह को अनेक गतिविधियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा
- प्रशिक्षण एकशपोज़र यात्रा, डेमो(प्रदर्शन)
- ऋण की सहायता
- धन की व्यवस्था करना आदि.
- यदि संभव हो तो सरल प्रतिकृति (अनुकरण) के लिए सफलता की कहानियों को संग्रह करें
- गुणवत्ता को मात्रा से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए
- समूह सजातीय(एक ही प्रकार) के होने चाहिए
- .प्रत्येक माह की बैठक में, उन्हें अगली बैठक की तारीख तथा किस विषय पर समूहों को ब्रीफिंग की आवश्यकता है, का निर्णय लेना चाहिए.

### विस्तार सुधार स्कीम (वर्ष 2010) के लिए संशोधित दिशानिर्देश

वर्ष 2005 से 2009 तक विस्तार सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार ने पूर्ववर्ती स्कीमों में



संशोधन करके और उन्हें सुदृढ़ करके चल रही केंद्र प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का सहयोग" को संशोधित किया है. संशोधित स्कीम के बारे में एक विस्तृत परिपत्र दि. 16.04.10 को जारी किया गया था, ताकि राज्य सरकारें समय रहते अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे सकें.

**स्कीम की व्यापक विशेषताएं:** पूर्व-संशोधित स्कीम (जिसे अब, अप्रैल, 2010 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया है) ने विस्तार पदाधिकारियों के माध्यम से किसानों को, प्रशिक्षण प्रदान करके और उन्हें एक्सपोजर दौरे, प्रदर्शन, अध्ययन भ्रमण, प्रदर्शनियों आदि में शामिल करके लाभान्वित किया. विस्तार से संबंधित गतिविधियों के इस संपूर्ण स्वर को व्यापक रूप से आत्मा कैफेटेरिया कहा जाता है. जिला स्तर पर विस्तार गतिविधियों के समन्वय के लिए आत्मा के रूप में एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाई गई थी. इसी प्रकार, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों जो समेती(एसएएमईटीआई) के रूप में लोकप्रिय हैं, को राज्य स्तर पर विस्तार पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया था. हालांकि, समेती और आत्मा के स्तर पर समर्पित जनशक्ति और अवसंरचनाओं के अभाव में, विस्तार वितरण तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सका. प्रणालीगत सुधारों के बजाय गतिविधियों जैसे नीचे से ऊपर की ओर योजना(बॉटम-अप प्लानिंग), बहु-एजेंसी विस्तार रणनीति, लिंगभेद को खत्म कर मुख्यधारा से जोड़ने, संबद्ध क्षेत्रों को कवरेज और अभिसरण के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था. ब्लॉक स्तर से नीचे औपचारिक विस्तार तंत्र मुख्य रूप से फार्म स्कूलों के माध्यम से था. हालांकि, फार्म स्कूल किसान-से-किसान विस्तार सुनिश्चित करने के प्रभावशाली माध्यम रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच सीमित थी. इसके अलावा, पूर्व संशोधित स्कीम में ब्लॉकों की संख्या के संदर्भ में राज्यों के आकार को उचित महत्व नहीं दिया गया था.



संशोधित स्कीम राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण और विस्तार की पहल करने के लिए समर्पित विशेषज्ञ और पदाधिकारियों की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, किसान मित्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक विस्तार की पहुंच में सुधार की उम्मीद की जाती है। समेती को अवसंरचना और जनशक्ति सहयोग से एचआरडी (HRD) और विस्तार पदाधिकारियों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। चयनित जारी गतिविधियों के लागत मानदंडों को भी संशोधित किया गया है और वर्ष 2010 के आत्मा कैफेटरिया के अंतर्गत कुछ नई आवश्यकता आधारित गतिविधियों को आरंभ किया गया है।

**उद्देश्य:** के उद्देश्यों के स्कीम रूप में संशोधित स्कीम निम्नलिखित प्रमुख विस्तार सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर नवीन, पुनर्गठित और स्वायत्त संस्थानों स्थापित करना.
- सार्वजनिक/निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं को शामिल करते हुए बहु-एजेंसी विस्तार रणनीतियों को प्रोत्साहित करना.
- कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक-आधार एक एकीकृत विस्तार वितरण तंत्र सुनिश्चित करना.
- सीआईजी(CIG) और एफआईजी(FIGs) के रूप में किसानों की आवश्यकताओं के पहचान के अनुरूप विस्तार के लिए समूह दृष्टिकोण को अपनाना;
- नियोजन, निष्पादन और कार्यान्वयन में कार्यक्रमों के अभिसरण की सुविधा.
- महिला किसान समूहों को प्रोत्साहित करके और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके लिंगभेद संबंधी समस्याओं को दूर करना.
- लाभार्थी योगदान के माध्यम से विस्तार सेवाएं स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं.



उपरोक्त उद्देश्यों को मजबूत संस्थागत व्यवस्थाओं, समर्पित जनशक्ति और नई रणनीतियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि नीचे वर्णित है.

### 1.6 रणनीति

संशोधित स्कीम को संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

#### राज्य स्तर:

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) को मंजूरी प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है, जो राज्य कृषि योजना (एसएपी) का हिस्सा बनेगी.
2. राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) को अंतर विभागीय कार्यकारी समूह (आईडीडब्ल्यूजी) द्वारा सहयोग दिया जाएगा. राज्य के भीतर स्कीम की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन समन्वय और प्रबंधन के लिए आईडीडब्ल्यूजी जिम्मेदार है.
3. राज्य नोडल सेल (एसएनसी), राज्य नोडल अधिकारी और राज्य समन्वयक (सहायक कर्मचारियों सहित) के साथ मिलकर जिला कृषि कार्य योजनाओं (डीएपी) की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करेगा, राज्य कृषक परामर्श समिति के माध्यम से प्राप्त किसानों की प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) को विधिवत तैयार करेगा तथा एसएलएससी से इसका अनुमोदन लेगा. इसके बाद एसएनसी अनुमोदन की सूचना देगा और इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समेती एवं आत्मा के माध्यम से निगरानी करेगा. राज्य में समेती (एसएएमईटीआई) विस्तार पदाधिकारियों में क्षमता



निर्माण के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करेगा और उसे लागू करेगा. ऐसा करते समय समेती (एसएएमईटीआई) प्रशिक्षण सामग्री के दोहराने(डुप्लीकेशन) एवं ओवरलैपिंग, प्रशिक्षण समय-सारणी और प्रशिक्षुओं की जांच करेगा.

**जिला स्तर:** आत्मा एक स्वायत्त संस्था है, जिसे किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर स्थापित किया गया है. आत्मा गवर्निंग बोर्ड आत्मा का सर्वोच्च निकाय है जो संपूर्ण नीति निर्देश देता है. आत्मा गवर्निंग बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन में जिला आत्मा सेल द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें परियोजना निदेशक, आत्मा, उप-परियोजना निदेशक और कर्मचारी शामिल हैं. आत्मा प्रबंधन समिति स्कीम के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाला कार्यकारी निकाय है. जिला कृषक परामर्श समिति जिला स्तर की योजनाओं और उनके कार्यान्वयन पर किसानों की प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला निकाय है. आत्मा अपने समर्पित कर्मचारियों के साथ, जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा, जो रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) को तैयार करने के साथ-साथ जिले के भीतर कृषि विस्तार प्रणाली के संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा. कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया की पद्धति पैरा 1.4.7 में वर्णित किया गया है.

**ब्लॉक स्तर:** ब्लॉक स्तर पर, दो निकाय अर्थात् ब्लॉक प्रौद्योगिकी टीम (बीटीटी) (एक टीम जिसमें ब्लॉक के कृषि और सभी लाइन विभागों के अधिकारी शामिल हैं) और ब्लॉक कृषक परामर्श समिति (बीएफएसी) (एक समूह, जिसमें विशेष रूप से ब्लॉक के किसान शामिल हैं) संयुक्त रूप से कार्य करना जारी रखेंगे (बीएफएसी किसानों की प्रतिक्रिया और इनपुट की जानकारी देता रहेगा). बीटीटी को सलाह देने के लिए बीएफएसी चक्रानुक्रम (रोटेशन) आधार पर ब्लॉक के भीतर विद्यमान किसान हितकारी समूहों (एफआईजी)/एफओ का प्रतिनिधित्व






करेगा. इन दोनों निकायों से युक्त ब्लॉक आत्मा सेल, ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक और विषय सामग्री विशेषज्ञ ब्लॉक कार्य योजना (बीएपी) को तैयार करने और उनके निष्पादन के माध्यम से ब्लॉक के भीतर विस्तार को सहयोग देंगे.

#### **ग्राम स्तर:**

1. ग्राम स्तर पर किसान मित्र (एफएफ) विस्तार प्रणाली और किसानों के बीच (प्रत्येक दो गांवों में से एक के लिए) एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा. किसान मित्र (एफएफ) गांव में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर सलाह देने के लिए उपलब्ध रहेगा. एफएफ किसानों के समूहों को एकत्रित करेगा तथा ऐसे समूहों, व्यक्तिगत किसानों और महिला किसानों को सीधे व्यक्तिगत रूप से एक के साथ एक से बातचीत से या समूहों में तथा साथ ही किसानों की ओर से आम सेवा केंद्रों (CSC)/किसान कॉल सेंटरों (KCC) के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सूचनाओं/सेवाओं तक पहुंच बनाकर जानकारी के प्रसार को सुगम बनाएगा.
2. जहां भी उनकी संबंधित स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध हैं, कृषि-उद्यमी किसानों को गुणवत्ता वाले इनपुट उपलब्ध कराके और उन्हें महत्वपूर्ण तकनीकी सलाह देकर विस्तार पदाधिकारियों के प्रयासों को पूरा करेंगे.
3. फार्म स्कूल प्रत्येक ब्लॉक में 3 से 5 केंद्र बिंदुओं पर किसान-किसान विस्तार के लिए एक तंत्र के रूप में काम करेंगे.

निम्नलिखित आरेख में विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक संरचना को दर्शाया गया है:





## 1.6 सहभागी निकायें:


राज्य में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित सहभागी निकाय स्थापित किए जाएंगे.

- राज्य स्तर: अंतर-विभागीय कामकाजी समूह (IDWG)
- एसएएमईटीआई (समेती) कार्यकारी समिति
- राज्य कृषक परामर्श समिति (SFAC)
- जिला स्तर: कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) गवर्निंग बोर्ड
- आत्मा प्रबंधन समिति (AMC)
- जिला कृषक परामर्श समिति (DFAC)
- ब्लॉक स्तर: ब्लॉक प्रौद्योगिकी टीम (BTT)
- ब्लॉक कृषक परामर्श समिति (BFAC)

**कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया:** एसआरईपी एक व्यापक दस्तावेज है, जो सभी कृषि और संबद्ध सेक्टरों/गतिविधियों में कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियों तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी निर्माण की कमियों एवं प्रौद्योगिकी प्रसार को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए अनुसंधान/विस्तार प्राथमिकताओं की पहचान करता है. जिला स्तर पर लाइन विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), निजी क्षेत्र, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय से नए जिलों के लिए एसआरईपी तैयार किया जाएगा.

- इन एसआरईपी पर प्रत्येक पांच वर्ष बाद पहचानी गई नई कमियों और महत्व के उभरते हुए क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए फिर से गौर किया जाएगा.

- एसआरईपी वार्षिक आधार पर ब्लॉक कार्य योजना (बीएपी) के निर्माण का आधार होगा. जिला कृषि कार्य योजना (डीएएपी) तैयार करने के लिए ब्लॉक कार्य योजना को जिला स्तर पर समेकित किया जाता है.
- जिला योजनाओं को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वे जिले के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत बनाए गए व्यापक जिला कृषि योजना (सीडीएपी) के सब-सेट के रूप में कार्य करते हैं.
- डीएएपी को राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) के रूप में समेकित किया जाएगा, जो बाद में राज्य कृषि योजना (एसएपी) का हिस्सा बनती हैं.



### स्कीम के घटक:

संशोधित स्कीम में गतिविधियों के दो उप-समूह हैं :

- वर्षों से जारी स्वीकृत चरणबद्ध पद्धति और निधि की उपलब्धता के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों और पदाधिकारियों का सहयोग आवश्यक है. हालाँकि, राज्यों के मामले में, जिनके पास पहले से ही समान/अधिक संख्या में समर्पित विस्तार पदाधिकारी उपलब्ध हैं और जो समान योग्यता और अनुभव रखते हैं, जैसा कि स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित है और जिसका विवरण



अनुबंध-II(ए) और अनुबंध-III(बी) में उपलब्ध है, तदनुसार व्यक्तियों की आवश्यक संख्या घट जाएगी. राज्यों के पास निधि की उपलब्धता के आधार पर, वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेषज्ञों और पदाधिकारियों का सहयोग अधिकतम 50% की सीमा तक की ही लिया जा सकता है. 50% की इस सीमा के भीतर, राज्य विभिन्न स्तरों पर इन पदों को भरने के लिए अपनी प्राथमिकताएं विकसित कर सकते हैं. इस प्रकार से जनशक्ति (मैनपावर) के लिए अधिक प्रतिशत लक्ष्य (अगले अध्याय में दिए गए कुल संख्या में से) आने वाले वर्षों के लिए निर्धारित किए जाएंगे.


**ii. गतिविधियों की कैफेटरिया:** समर्पित जनशक्ति के आवश्यक घटक के अतिरिक्त, गतिविधियों की कैफेटरिया तैयार की गई है. राज्य कैफेटरिया से स्थानीय रूप से उपयुक्त गतिविधियों का चयन कर सकते हैं. निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष में निष्पादित की जाने वाली कैफेटरिया से बाहर की सीमित प्रतिशत गतिविधियां करने के लिए व्यय का अनुकूलित उपयोग करना होगा. यह राज्यों को उनकी गतिविधियों को प्राथमिकता देने में अपेक्षित लचीलापन प्रदान करता है.

**II. विशेषज्ञों और पदाधिकारियों का सहयोग:** विस्तार संबंधित जनशक्ति में वृद्धि:

विस्तार संबंधित जन शक्ति में वृद्धि तीन स्तरों पर प्रस्तावित है अर्थात राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर. संशोधित आत्मा स्कीम के अंतर्गत पदाधिकारियों की पदानुक्रमित संरचना निम्न प्रकार है:

(इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई विस्तार संबंधित जनशक्ति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां; विभिन्न स्तरों के लिए स्वीकृत, विशेषज्ञों और पदाधिकारियों के सहयोग को दर्शाते हुए बयान; प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों/पदों का विवरण, भर्ती का प्रकार, प्रस्तावित वेतन और सुझाई गई

योग्यताएं विस्तार सुधारों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुबंध में उल्लिखित हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट [agricoop@nic.in](http://agricoop@nic.in) पर उपलब्ध है।





### राज्य स्तर:

- I. **राज्य नोडल सेल:** राज्य नोडल सेल में राज्य नोडल अधिकारी, राज्य समन्वयक और सहायक कर्मचारी शामिल होंगे. राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जो सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार मिनिस्टेरियल स्टॉफ भी प्रदान करेगा. राज्य स्तरीय गतिविधियों को करने के लिए, जैसा कि आत्मा कैफेटेरिया में निर्दिष्ट है तथा राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए एवं राज्य नोडल अधिकारी (अर्थात कृषि निदेशक/आयुक्त या समकक्ष) को राज्य में कृषि विस्तार प्रणाली के संपूर्ण प्रबंधन में सहायता करने हेतु, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक राज्य समन्वयक की मंजूरी दी गई है. इस स्कीम के अंतर्गत राज्य समन्वयक को अनुबंधित किया जाना है. राज्य समन्वयक पूरी तरह से राज्य नोडल अधिकारी की देखरेख में कार्य करेगा.
- II. **समेती:** राज्य तथा जिला/ब्लॉक स्तर के विस्तार पदाधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए और दौरो के माध्यम से जमीनी स्तर पर विस्तार पदाधिकारियों और किसानों तक पहुंचने के लिए, प्रत्येक राज्य में समेती(एसएएमईटीआई) के लिए निम्नलिखित जनशक्ति प्रदान की जाती है. निदेशक, समेती आत्मा स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किए गए राज्य नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में पूर्ण रूप से कार्य करेगा. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां राज्य नोडल अधिकारी निदेशक, समेती के समकक्ष या उससे उच्च रैंक का अधिकारी नहीं है, निदेशक समेती उस अधिकारी के संपूर्ण मार्गदर्शन में कार्य कर सकता है, जिसके नीचे राज्य नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया



है. समेती के संकाय सदस्यों (उप निदेशकों) को निदेशक समेती को रिपोर्ट करना होगा. राज्य स्तर पर संपूर्ण स्टाफ की स्थिति नीचे दी गई है.

पोस्ट ब्लॉकों की संख्या	राज्य मुख्यालय राज्य समन्वयक	एसएमईटीआई (समेती)				कुल कर्मचारी
		निदेशक	उपनिदेशक	एकाउंटेंट/ क्लर्क	कंप्यूटर प्रोग्रामर	
< 100	1	1	4	1	1	8
100 - 400	1	1	8	1	1	12
> 400	1	1	12	1	1	16

**जिला स्तर:** परियोजना निदेशक, आत्मा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रत्येक आत्मा इकाई में निम्नलिखित पांच मुख्य कर्मचारी होते हैं, जो जिले के भीतर कृषि विस्तार सेवाओं के प्रबंधन सहित आत्मा प्रबंधन समिति (एएमसी) और आत्मा गवर्निंग बोर्ड की नियमित बैठकों के लिए जिम्मेदार हैं :

- I. परियोजना निदेशक - 1;
- II. उप परियोजना निदेशक-2
- III. एकाउंटेंटव स्थापना क्लर्क-1;
- IV. कंप्यूटर प्रोग्रामर/संचालक-1.

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के परियोजना निदेशक को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करना होगा तथा दो उप परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे. परियोजना





निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे.

**ब्लॉक स्तर:** बीटीटी और एफएसी की आत्मा संबंधी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में इस योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (बीटीएम) नियुक्त किया गया है. आत्मा संबंधी सभी गतिविधियों के लिए बीटीटी संयोजक के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत बीटीएम कार्य करेगा. बीटीएम निम्नलिखित कार्य करेगा:

- ब्लॉक कार्य योजना (ब्लॉक एक्शन प्लान) तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में बीटीटी की सहायता करेगा;
- फार्म स्कूलों का संचालन (महत्वपूर्ण गतिविधि है- किसान-से-किसान विस्तार को बढ़ावा देना);
- किसान हितकारी समूहों और कमोडिटी हितकारी समूहों (विशेष कोमोडिटी के आसपास किसानों का संगठन) को संगठित करना और तकनीकी विषय पर पारस्परिक विचार-विमर्श करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना;
- ब्लॉक के भीतर सभी एफआईजी/एफओ की सूची बनाना. इसके अलावा, बीटीटी के कार्यों को पूरा करने में बीटीएम उसकी सहायता भी करेगा.

प्रत्येक ब्लॉक में, विशेष रूप से विभिन्न ब्लॉकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विस्तार सेवाओं के वितरण के लिए दो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक (एटीएम) रखे जाने हैं.



- इन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधकों (एटीएम) की विशेषज्ञता का क्षेत्र विभिन्न ब्लॉकों के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर तय किए जाएंगे. इन एटीएम को निम्नलिखित कार्य करने के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रदान की जाएगी.
- कृषि और संबद्ध विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों तथा ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक के माध्यम से, ये एटीएम आम सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटरों) और किसान कॉल सेंटरों को आवश्यक इनपुट प्रदान करेंगे.
- बीटीएम से तकनीकी सहायता मिलने के साथ, उनसे फार्म स्कूलों, किसान मित्रों, किसान समूहों और सामान्य रूप से किसानों को तकनीकी और ज्ञान रूपी सहयोग मिलने की भी उम्मीद है.

ब्लॉक स्तर पर बीटीएम और एटीएम को परियोजना निदेशक (पीडी), आत्मा द्वारा राज्यों द्वारा पहचान की गई तंत्र के माध्यम से अनुबंधित किया जाएगा. जबकि एटीएम, बीटीएम के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे, बीटीएम पीडी, आत्मा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा. हालांकि, कुछ राज्य बीटीएम और एटीएम को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से पीडी, आत्मा के साथ जोड़ने को प्राथमिकता दे सकते हैं, यदि कृषि और संबद्ध विभागों की गतिविधियों को पहले से ही ब्लॉक स्तर पर बीडीओ द्वारा समन्वित किया जा रहा है.

नोट: कैफेटेरिया की गतिविधियों और अन्य स्पष्टीकरण के बारे में अधिक जानकारी हेतु कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट [landoff@nic.in](mailto:landoff@nic.in) पर विस्तार सुधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश पढ़ें.



## 1.7 सारांश

हमने सीखा कि सार्वजनिक विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत और संचालन प्रक्रिया में बदलाव लाए गए हैं। यदि आत्मा की अवधारणा को सच्चे अर्थों में लागू किया जाता है तो यह जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा और विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम नियोजन और संसाधन आवंटन में किसानों के इनपुट को बढ़ाएगा तथा हितधारकों के प्रति जवाबदेही में वृद्धि होगी। यह समन्वय और एकीकरण करने में सहायता करता है, ताकि कृषि प्रणाली नवाचारों, किसान संगठनों, प्रौद्योगिकी की कमियों को दूर करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों को बल मिल सके और उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से और कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके।

## 1.8 प्रश्न:

1. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी क्या है तथा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की प्रमुख विशेषताएं लिखें?
2. प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य बताएं।
3. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में आप कोमोडिटी हितकारी समूहों को कैसे बढ़वा देंगे?
4. विस्तार सुधारों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से लिखें।
5. टी एंड वी प्रणालियों की शक्तियों और कमियों को विस्तार से लिखें।

## 1.9 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997



## यूनिट-2

### रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी/ SREP)

#### संरचना

- 2.0. उद्देश्य
- 2.1. परिचय
- 2.2. रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी/SREP)
- 2.3. रणनीतिक योजना क्या है?
- 2.4. रणनीतिक योजना क्यों?
- 2.5. रणनीति योजना का दायरा
- 2.6. रणनीतिक योजना का संबंध
- 2.7. कृषि विकास में रणनीतिक योजना की आवश्यकता
- 2.8. एसआरईपी की विषय वस्तु
- 2.9. एसआरईपी को कैसे विकसित किया जाए
- 2.10. एसआरईपी का संचालन
- 2.11. कृषि विपणन योजना के साथ एसआरईपी को सुदृढ़ करना
- 2.12. विपणन योजना के विकास हेतु उठाए गए कदम
- 2.13. उपसंहार



## 2.0. उद्देश्य

इस यूनिट को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे

- रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी/SREP) की आवश्यकता तथा महत्व को समझने में.
- एसआरईपी को विकसित करने के कदमों और प्रक्रिया को जानने में.
- एसआरईपी को संचालित करने में.

### 2.1. परिचय

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) जिले में कृषि के विकास में तेजी लाने के लिए मांग आधारित, स्थिति विशिष्ट, बहु-आयामी उन्मुख रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (SREP) विकसित करने के लिए अनिवार्य है. एसआरईपी (SREP) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विस्तार की कमियों की पहचान करने की प्रक्रिया है. यह जिले में कृषि के विकास के लिए उपयुक्त रणनीतिक योजना का सुझाव देता है.

### 2.2. रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी/ SREP)

पिछले दशक के दौरान कई प्रबंधन साधन विकसित किए गए जो प्रभावशाली तरीके से हितधारक की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने में सहायक हैं. इन साधनों के आधार पर, जिला स्तर पर एसआरईपी तैयार करने के लिए सहभागिता पद्धति पर कार्य किया गया है.

अनुसंधान और विस्तार प्रणाली, दोनों का अंतिम उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है. उत्पादकों की आवश्यकता के आधार पर विस्तार और शोध के लिए एजेंडा तैयार करने का



परिणाम प्रौद्योगिकी है, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वीकार्य होगा. इससे जिले में होने वाले विस्तार और अनुसंधान गतिविधियों, दोनों के लिए संसाधनों के आवंटन में सहायता मिलती है. इसलिए कृषक समुदाय, विशेष रूप से संसाधनों से गरीब और अन्य वंचित समूहों की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक जिले में रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) समय की आवश्यकता है.

### 2.3 रणनीतिक योजना क्या है?

रणनीतिक योजना एक प्रबंधन कार्य है, जो एक संगठन के विकास और भविष्य से संबंधित है. इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन सही दिशा में आगे बढ़ता रहे.

रणनीतिक योजना की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक संगठन के हितधारक (और अन्य जिन्हें वे जुड़े रहने के लिए आमंत्रित करते हैं) मिलकर रणनीतिक विचार और कार्य करते हैं ताकि संगठन और उसके पर्यावरण के बीच उपयुक्त वातावरण बनाया जा सके.
- यह बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की योजना है.
- यह संगठन, उसके मिशन, उसकी योजना तथा उसके वातावरण के संदर्भ में शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों (SWOT) पर व्यापक तौर पर ध्यान देता है.
- इसे संगठन के मिशन से सहमत होना होगा.
- इसे संगठन की योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए अर्थात हितधारकों द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित और साझा किया जाना चाहिए.



- उम्मीद है, यह रणनीतिक और कार्यान्वयन योग्य योजना तैयार करता है जो बाहरी वातावरण और आंतरिक क्षमताओं के बीच पूर्ण रूप से उपयुक्त है.

संक्षेप में, रणनीतिक योजना है

- भविष्य में क्या हासिल करने का इरादा है?
- वहाँ कैसे पहुंचा जाए?

इसमें निम्नलिखित मूलभूत विकल्प शामिल हैं

- संगठन के मिशन या लक्ष्य का पीछा करना,
- लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और सेवाएं
- आवश्यक संसाधन, जनता, धन, विशेषज्ञता तथा सुविधाओं आदि को कैसे जुटाना है और उनका उपयोग कैसे करना है.

#### 2.4. रणनीतिक योजना क्यों?

रणनीतिक योजना

- संगठन के लिए एक रोड मैप का कार्य करता है
- कार्य संबंधी निर्णयों के व्यवस्थित संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है
- संगठन के विकास के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति भी प्रदान करता है
- सुनिश्चित करता है कि संगठन हमेशा तैयार रहे
- सुनिश्चित करता है कि संगठन हितधारकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे.
- संगठन के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है



- पर्यावरणीय परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितता का मुकाबला करने के लिए तंत्र के रूप में कार्य करता है
- अग्रिम रूप से रुझानों को समझने में संगठन की सहायता करता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने और कार्य करने के लिए समय - सीमा का लाभ प्रदान करता है
- पर्यावरण को अव्यवस्थित प्रतिक्रिया से बचने में सहायता करता है
- संगठन और बाहरी वातावरण के बीच सबसे उपयुक्त वातावरण को संभव बनाता है
- प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और मूल दक्षता निर्माण में सहायता करता है
- अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों का उपयोग करता है
- संगठन को न केवल भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि भविष्य को उसके पक्ष में भी आकार देता है

### 2.5. रणनीतिक योजना का दायरा

- रणनीतिक रूप से सतर्क रहना
- भविष्य उन्मुख होना
- अवसरों का दोहन करने के लिए जोखिम लेने में सक्षम होना
- पर्यावरणीय खतरों से बचे रहना
- परिवर्तनों को तेजी से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करना
- प्रभावशाली ढंग से और अधिक आर्थिक रूप से प्रतिक्रिया देना
- अभिसरण लाना
- बड़े संसाधन उत्पन्न करने में सक्षम होना
- प्रौद्योगिकी, विस्तार और बाजार सहायता प्रणालियों में विशेषज्ञता हासिल करना





## 2.6 रणनीतिक योजना का संबंध

- भविष्य - इसका संबंध भविष्य में दीर्घकालिक गतिशीलता से है; दिन-प्रतिदिन के कार्य से नहीं
- विकास - इसका संबंध विकास की दिशा, सीमा, गति और समय से है.
- पर्यावरण - संगठन और उसके पर्यावरण के बीच उपयुक्त वातावरण
- रणनीति - इसका संबंध रणनीति से है; संचालन गतिविधियों से नहीं
- एकीकरण - इसका संबंध एकीकरण से है; किसी विशेष कार्य से नहीं
- इसका संबंध प्रमुख दक्षताओं और दीर्घकालिक, टिकाऊ, संगठनात्मक क्षमता निर्माण करके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाने से है.

## 2.7 कृषि विकास में रणनीतिक योजना की आवश्यकता

कृषि तथा संबद्ध विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन का वर्तमान तंत्र प्रकृति में केंद्रीकृत है. यह ऊपर से नीचे की ओर (टॉप डाउन) दृष्टिकोण समग्र / एकीकृत दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तिगत वस्तुओं / उद्यमों पर केंद्रित है. यह तदर्थ प्रकृति का है और इसमें सभी की भूमिका नहीं है. किसानों को लाभ का उपयोग करने वाला माना जाता है बजाय जिम्मेदार सहभागी के रूप में, जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें. "विस्तार सुधार योजना" के अंतर्गत, उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्रत्येक जिले के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) को सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (SREP) विकसित करने की आवश्यकता है.



रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (SREP) का विकास तथा उपयोग निम्नलिखित रूप से सहायता करता है:

- जिले में प्रचलित परिदृश्य का अवलोकन करने में
- विभिन्न कृषि प्रणालियों में समस्याओं और अवसरों का पता लगाने और समझने में तथा किसान समुदाय की प्राथमिकताओं और इच्छाओं को जानने में
- जिले में ठोस तरीके से कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक योजना की सुविधा प्रदान करने में
- विकास प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर सभी को शामिल करने की सुविधा और लंबे समय तक सार्वजनिक विस्तार प्रणाली पर कुल भार को साझा करने में
- किसानों के लाभ के लिए चल रहे विकासात्मक कार्यक्रमों के समाकलन को सुविधाजनक बनाने और उनका नया स्वरूप तैयार करने में
- प्रचलित कृषि-पारिस्थितिक स्थिति के संबंध में प्रत्येक ब्लॉक के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं का विकास करने में
- किसान केंद्रित, बाजार उन्मुख, विस्तार-अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में

## 2.8. एसआरईपी की विषय वस्तु


कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र (AEZ) में सभी जगह विस्तार और अनुसंधान हस्तक्षेप प्रचलित कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों (AES) के अनुसार फसलों, पशुधन और कृषि प्रणालियों के बीच, जैसा कि वे सड़कों, बाजारों, इनपुट आपूर्ति आउटलेटों, सेवा सुविधाओं से प्रभावित होती हैं, तथा कृषक परिवारों के मध्य उनके संसाधन निधि और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रतिबिंब के रूप में भिन्न-भिन्न होंगे.



इसलिए, एसआरईपी तैयार करते समय, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली नवाचारों या सफलता की कहानियों को पहचानें, जो मौजूदा कृषि प्रणालियों में तेजी ला सकते हैं या विविधता प्रदान कर सकते हैं और उस पर कार्य करें. इससे कृषक परिवारों की आय में वृद्धि होगी.
- कृषक समूहों और संगठनों के माध्यम से बाजारों, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों तक किसान की पहुंच बढ़ाएं
- मौजूदा कृषि प्रणालियों में गंभीर तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए खेत पर (ऑन-फार्म) सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी विकास, परीक्षण और शोधन
- प्रत्येक एईएस(AES) के भीतर स्थायी उत्पादन प्रणालियों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) योजना को बढ़ावा देना.

एसआरईपी (SREP) के दो सेक्शन होंगे; और प्रत्येक सेक्शन में दो सब-सेक्शन होंगे:





**नैदानिक सेक्शन:** सूचना सब-सेक्शन (जिले के लिए)

- **सामान्य विशेषताएं:** जिले के भौगोलिक क्षेत्र, उप-मंडलों की संख्या, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव आदि. यह प्रमुख शहरों, कस्बों, सड़कों, रेल लाइनों आदि के साथ ब्लॉकों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ हो सकता है. नदियों के मानचित्र, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और घटना की आवधिकता (स्रोत- जिला सांख्यिकीय हैंड बुक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो)
- **कृषि-जलवायु सूचना:** वर्षा (मात्रा और वितरण पैटर्न), तापमान और सापेक्ष आर्द्रता आदि (स्रोत- जिला कार्यालय)
- **कृषि-पारिस्थितिक स्थितियां:** कृषि-पर्यावरण क्षेत्र, कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियाँ, विशेषताएं, प्रतिशत सहित क्षेत्र और मानचित्र, फसल उत्पादन से संबंधित मौसम की जानकारी, (स्रोत- एसएयू/SAU, एनबीएसएस/NBSS और एलयूपी/LUP, नागपुर)
- **जनसांख्यिकीय आंकड़े:** पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जनसंख्या, जाति, साक्षरता, आयु वर्ग, परिवारों की कुल संख्या, खेत के आकार के आधार पर भूमिहीनों का वर्गीकरण; मार्जिनल; छोटे; मझौले; बड़े (स्रोत - जिला सांख्यिकी अधिकारी, लाइन डिपार्टमेंट., राजस्व रिकॉर्ड और जनगणना)
- **भूमि आधारित प्रणाली पर सूचना:** क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, बीज, कृषि मशीनीकरण, उर्वरक की खपत के रुझान आदि के आधार पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु संसाधन आदि. जिले में फसल कटाई के बाद की हानि, उपयोग में लाए गए जैविक खाद, जैविक उत्पाद, औषधीय और छोटे वनों से सुगंधित उत्पाद आदि. (स्रोत- जिला कार्यालय, एसएयू, अन्य संस्थान)



- **अवसंरचना सुविधाएं:** भौतिक संसाधन जैसे कार्यालय, खेत, कारखाने, पौधशालाएं, पशु चिकित्सालय, अनुसंधान स्टेशन, प्रशिक्षण संस्थान, योग्यता और प्रमुख भूमिकाओं के साथ कर्मचारियों का पैटर्न, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, अक्वा कल्चर प्रयोगशालाएं, नैदानिक प्रयोगशालाएं, हैचरी(अंड उत्पत्तिशाला), आईपीएम - सेवा प्रदाता, कृषि-चिकित्सा तथा कृषि-सेवा केंद्र, मृदा स्वास्थ्य और जल गुणवत्ता, खाद्य उत्पाद एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं आदि (स्रोत- जिला कार्यालय, एसएयू, अन्य संस्थान).

### **भूमि (मृदा/ जल/ वनस्पति):**

**मृदा:** 1. मृदा कटाव की तीव्रता और गंभीरता (हल्का / गंभीर / बहुत गंभीर); 2. समस्याग्रस्त मृदा (किस हद तक और कितना गंभीर): खारा / क्षारीय / सोडिक मृदा; दियारा भूमि; ताल भूमि; घुमावदार नदियों से प्रभावित; 3. वर्तमान परती भूमि - समय श्रृंखला आंकड़े तथा क्षेत्र परती होने का कारण; 4. स्थायी तौर पर परती भूमि (स्रोत: राजस्व रिकॉर्ड, या आर्थिक सांख्यिकी ब्यूरो); 5. मृदा के प्रकार (रचना, संरचना और गहराई): बलुई(सैंडी), बलुई दोमट (सैंडी लोम), दोमट रेतीली(लोमी सैंड), दोमट(लोम), चिकनी दोमट मिट्टी(क्ले लोम), चिकनी मिट्टी(क्ले).

**जल:** भूजल का उपयोग, समय सीरीज़ आंकड़े (खुले कुएं / बोरवेल, नलकूपों की संख्या और उसकी सिंचाई क्षमता), भूतल जल निकायों की वर्तमान स्थिति (टैंक / तालाब) तथा उनके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, जलग्रहों (कैचमेंट) की वर्तमान स्थिति और जल निकाय (वॉटर बॉडी)- टैंकों का परकोलेशन टैंकों में रूपांतरण, यदि कोई हो, बैक वाटर जहाँ कभी लागू हो, आश्वासित जलापूर्ति अवधि और सिंचाई के अन्य स्रोत. (स्रोत: भूजल विभाग और एम आई विभाग).

**वनस्पति:** निजी भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र - सार्वजनिक भूमि का उपयोग (समय सीरीज़ आंकड़े), फसल और फसल प्रणालियों सहित निजी भूमि में विविधीकरण, घास भूमि, बहुउद्देशीय



पेड़ और बायो-मास उत्पादन, वन के अंतर्गत क्षेत्र (संरक्षित या आरक्षित - ओपन फॉरेस्ट) (स्रोत कृषि विभाग, बागवानी और वन विभाग).

**वर्षा आधारित क्षेत्र** : फसल उगाने की अवधि, सुनिश्चित नमी की उपलब्धता अवधि (स्रोत: SAU)

**सिंचित क्षेत्र** : सिंचाई के सभी स्रोत और क्षेत्र तथा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिशत (ब्लॉक वार / एईएस वार), क्षेत्र सहित सिंचाई के स्रोत और प्रत्येक स्रोत के तहत प्रतिशत (ब्लॉक वार / एईएस वार) (अलग-अलग मानचित्र में), पूर्ण होने के करीब सिंचाई परियोजनाएं. सिंचाई जल की गुणवत्ता (नमक, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक आदि), भूजल और सतही जल, एवं नहर के जल - संभावित रूप से निर्मित, के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई की अवधि और वास्तविक सिंचित क्षेत्र (स्रोत: भूजल, एम आई और सिंचाई विभाग, जिला कार्यालय).

**चल रहे विकासात्मक कार्यक्रम**: विस्तार और अनुसंधान विकास कार्यों के लिए स्कीम वार निधि बंटवारे के साथ विभिन्न लाइन विभागों, जेडआरएस(ZRSs), केवीके(KVKs) और डीआरडीए (DRDAs) आदि की विस्तार और अनुसंधान गतिविधियों.

**निधिकरण(फंडिंग)**: कुल आवश्यकताओं, आवंटित निधि, अंतर/कमी; जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा महसूस की गई बाधाएं (स्रोत-जिला कार्यालय).

**बाजारों पर जानकारी**: स्थानीय, पंचायत, ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बाजार जो संभाली गई कमोडिटी की मात्रा, शंडिस (Shandys) की स्थिति और संभाली गई कमोडिटी की मात्रा एवं गुणवत्ता सहित फसलों, फलों और सब्जियों, पशुधन और पशुधन उत्पादों, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन आदि के मामले में जिले की सेवा करते हैं.

- **अनुबंध कृषि**: जिले में मौजूद अनुबंध खेती और उनका विश्लेषण (स्रोत-जिला कार्यालय)



- **कृषि-प्रसंस्करण सुविधाएं:** पैकिंग सामग्री, वर्तमान स्थिति एवं विकल्प, प्रसंस्करण इकाइयों के प्रकार (छोटे दाल मिलें, छोटे आटा मिलें, छोटी राइस मिलें, पल्प एंड प्लैंक मिलें, सुगंधित पदार्थ निकालने वाले संयंत्र आदि, प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता (स्रोत: जिला उद्योग कार्यालय).

जिले के अंदर और बाहर कृषि - प्रसंस्करण सुविधाएं जो प्रत्येक कमोडिटी के मामले में जिले के उत्पाद (संख्या, स्थान, निर्मित क्षमता और उपयोग आदि) को पूरा करती हैं (स्रोत- जिला कार्यालय).

- **कृषि-ऋण:** ब्रेक अप और वॉल्यूम के साथ बैंकों, सहकारी समितियों, अनौपचारिक ऋण स्रोतों आदि से कृषि ऋण, विभिन्न संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक समूहों का कृषक परिवारों तक पहुंच. एसएचजी: माइक्रो क्रेडिट, केसीसी और गोल्ड कार्ड रखने वाले, खेत तक जल प्रबंधन, डिफाल्टर की स्थिति, फसल बीमा का विवरण, संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों की संख्या और संस्थागत ऋण का लाभ नहीं उठाने वाले किसानों की संख्या एवं किसी भी प्रकार के ऋण का लाभ नहीं उठाने वाले किसानों की संख्या (स्रोत - जिला कार्यालय, लीड बैंक).
- **विपणन अवसंरचना:** कमोडिटी वार संख्या, स्थान, क्षमता, टैरिफ आदि के साथ भंडारण, कोल्ड चेन, पैक हाउस, ग्रेडिंग आदि (स्रोत- जिला कार्यालय).
- **इनपुट और सेवा सुविधाएं:** ये सुविधाएं जिले के अंदर और बाहर उपलब्ध हैं, जो विभिन्न भूमि आधारित उद्यमों, कस्टम हायरिंग, इनपुट सेवा प्रदाताओं (संस्थागत और व्यक्तिगत), किसानमित्र और गोपाल सेवाओं तथा किसी अन्य पैरा-तकनीकी सेवाओं के मामले में जिले की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. (स्रोत- जिला कार्यालय)



- **किसान समूह और संगठन** - संख्या, उद्देश्य, संरचना, की जाने वाली गतिविधियां, सदस्यता (मानदंड और प्रकार), अन्य संगठनों के साथ संबंध, आय के स्रोत, जल उपयोगकर्ता संघ, एसएचजी (SHG's), यूजी (UG's), सीआईजी (CIG's), आरएमजी (RMG) समूह (पुरुष / महिला और मिश्रित) चरवाहे, बैफ(BAIF) दुग्ध सहकारी संस्था द्वारा प्रायोजित सीबीए (CBAs) (मवेशी ब्रीडर्स संघ), पीएसीएस (PACS), एलएमपीएस (LAMPS) मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं के रूप में गैर सरकारी संगठन. (स्रोत- जिला कार्यालय)
- **निजी क्षेत्र के संगठन और गैर सरकारी संगठन:** निजी क्षेत्र के संगठन और गैर-सरकारी संगठन विभिन्न भूमि आधारित उद्यमों के मामले में, गतिविधि की प्रकृति, लक्षित समूहों का प्रसार, सदस्यता आदि के साथ विकास, विस्तार और अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (स्रोत- जिला कार्यालय).
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** : कंप्यूटर, टीवी एवं रेडियो स्टेशन, दूरसंचार और इंटरनेट सुविधाएं आदि प्रिंट मीडिया, (समाचार पत्र, पत्रिकाओं, बुलेटिन और हैंडआउट्स).

#### प्रतिनिधि गांवों से जानकारी

- **भौगोलिक क्षेत्र:** खेती योग्य क्षेत्र, खेती के अंतर्गत भूमि, वर्षा आधारित क्षेत्र, वन के अंतर्गत क्षेत्र, चरागाह, मौजूदा परती भूमि, निम्नीकृत(डीग्रेडड) भूमि, लवणीय(खारा) और समस्याग्रस्त भूमि, सामान्य भूमि, आदि हेक्टेयर में.
- **जनसंख्या:** पुरुष, महिला, बच्चे, साक्षरता, पुरुष और महिला का प्रतिशत, परिवारों की संख्या, कृषक परिवारों की संख्या, भूमिहीनों, चरवाहों, कारीगरों आदि की संख्या.





- **वर्षा आधारित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र:** प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्र और प्रतिशत, क्षेत्र सहित सिंचाई के स्रोत और प्रत्येक स्रोत का प्रतिशत; कुए से सिंचाई (हेक्टेयर में); ट्यूबवेल से सिंचाई (हेक्टेयर में); लिफ्ट इरिगेशन (हेक्टेयर में), टैंक से सिंचाई (हेक्टेयर में), नहर से सिंचाई (हेक्टेयर में), नदी से सिंचाई (हेक्टेयर में) और जाल भूमि, लगभग पूर्ण होने वाली सिंचाई परियोजनाएं और उसके अंतर्गत संभावित शामिल क्षेत्र, आदि.
- **कृषक परिवारों की संख्या:** आकार - छोटे, मार्जिनल, बड़े, भूमिहीन, विभिन्न कृषि प्रणालियां, कृषि प्रणालियों के घटक (उद्यम), फसल पैटर्न (सिंचित और वर्षा आधारित), फसल की गहनता (सिंचित और वर्षा आधारित), क्षेत्र का फसल वार उत्पादन, उत्पादकता.
- **भूमि और मृदा:** भूमि उपयोग के आँकड़े (क्षेत्र और प्रतिशत) मृदा, उनकी समस्याएं और उनके वितरण के साथ मानचित्र. (स्रोत- पीआरए(PRA) किया जाना है)
- **कृषि प्रणालियां:** कृषि समुदाय संसाधन स्थिति की विशेषताएँ (संचालन होल्डिंग, फार्म मशीनरी, ड्राफ्ट पावर, पारिवारिक श्रम, आय, आदि). प्रबल मौजूदा कृषि प्रणाली (उद्यमों के संयोजन के साथ), प्रत्येक उद्यम से उत्पन्न लाभ (स्रोत- पीआरए किया जाना है)
- **कृषि - प्रसंस्करण सुविधाएं:** गाँव के अंदर और बाहर की सुविधाएँ जो प्रत्येक कमोडिटी के मामले में गाँव (संख्या, स्थान, क्षमता निर्मित और उपयोग आदि) में उत्पादन को पूरा करती हैं. (स्रोत- पीआरए किया जाना है)
- **बाजारों की जानकारी:** स्थानीय, पंचायत, ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बाजार जो फसलों, फलों और सब्जियों, पशुधन और पशुधन उत्पादों, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन इत्यादि




के साथ-साथ कोमोडिटी की मात्रा को संभालते हुए कृषि के मामले में गाँव को सेवा प्रदान करते हैं.

- **भंडारण सुविधाएं:** गाँव या आस-पास उपलब्ध क्मोडिटी वार, संख्या सहित, स्थान, क्षमता, टैरिफ आदि जो गाँव को सेवा प्रदान करते हैं.
- **कृषि ऋण:** बैंकों, सहकारी समितियों, अनौपचारिक ऋण स्रोतों आदि से ब्रेक अप और वॉल्यूम सहित, विभिन्न संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक समूहों से कृषक परिवारों तक पहुंच.
- **इनपुट और सेवा सुविधाएं:** ये सुविधाएं जिले के अंदर और बाहर उपलब्ध हैं, जो विभिन्न भूमि आधारित उद्यमों, कस्टम हायरिंग, इनपुट सेवा प्रदाताओं, किसानमित्र और गोपाल सेवाओं, पैरा-तकनीकी सेवाओं के मामले में गाँव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. (स्रोत-पीआरए)
- **किसान समूह और संगठन:** संख्या, उद्देश्य, संरचना, की गई गतिविधियाँ, सदस्यता (मानदंड और प्रकार), अन्य संगठनों के साथ संबंध, आय के स्रोत आदि.
- **निजी क्षेत्र के संगठन और गैर सरकारी संगठन:** विभिन्न भूमि आधारित उद्यमों के मामले में, गतिविधि की प्रकृति, लक्षित समूहों का प्रसार, सदस्यता आदि के साथ विकास, विस्तार और अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं

### रणनीति सेक्शन

प्रत्येक पहचाने गए वर्तमान कृषि प्रणाली को कृषि प्रणालियों के अन्य विकल्पों के संदर्भ में विश्लेषण करने की आवश्यकता है. कृषि प्रणाली को संचालित करने वाली मुख्य इकाई

किसान और उसका परिवार है. कृषि स्तर पर प्रयोग (फार्म लेवल एक्सपेरिमेंटेशन) की प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर कृषि प्रणाली विकसित हुए हैं.



**वर्तमान कृषि प्रणालियों और उद्यमों का विश्लेषण :**

इसमें सिफारिश की गई और अपनाए गए आईएनएम(INM) तथा आईपीएम(IPM) प्रथाओं सहित प्रत्येक एईएस(AES) के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत भूमि और जल संसाधनों के स्वामित्व, विकास और उपयोग के पैटर्न शामिल हैं. जिले में लाइन विभागों के अधिकारियों की बहु-अनुशासनात्मक दल, प्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा समर्थित जेआरएस(ZRS) और केवीके(KVK) के वैज्ञानिकों (विशेषतया दल में एक अर्थशास्त्री) द्वारा यह कार्य किया जाता है.



**वर्तमान कृषि प्रणालियों पर संसाधन की स्थितियों का प्रभाव:** इसके बाद विभिन्न एईएस(AES) के अंतर्गत प्रमुख मौजूदा कृषि प्रणालियों को उसकी उत्पादकता और आय के संदर्भ में विश्लेषण करना आवश्यक है। प्रत्येक उद्यम में फसल/कोमोडिटी की विभिन्न कृषि परिस्थितियों के संदर्भ में सिफारिश के विषय में उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने में अंतर, अलग-अलग कृषि प्रणाली और संसाधन की उपलब्धता के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों की अंतर-निर्भरता।

यह भी आवश्यक है कि परियोजना वाले जिले में चल रही अनुसंधान गतिविधियों और अनुसंधान हेतु उत्पन्न आवश्यकताओं के मद्देनजर अनुसंधान स्टेशनों की पिछली सिफारिशों एवं पिछले विश्लेषण के माध्यम से अपनाने में की गई कमियों का विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

**वर्तमान कृषि प्रणाली का विश्लेषण करने वाले कदम:**

- क) प्रत्येक एईएस(AES) में विद्यमान प्रबल कृषि प्रणालियों (कम संसाधन के लिए और संसाधन संपन्न के लिए) को पहचानें और विभिन्न मौजूदा कृषि प्रणालियों का आर्थिक विश्लेषण करें। (लागत लाभ अनुपात)।
- ख) किसी किसान द्वारा व्यक्तिगत तौर पर एईएस(AES) में आरंभ की गई नवीन कृषि प्रणाली को देखें (सफलता की कहानियां)।
- ग) एईएस(AES) में जेडआरएस(ZRS) या एसएयू(SAU) तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुशंसित और आरंभ की गई कृषि प्रणाली को देखें।
- घ) वर्तमान कृषि प्रणाली में से प्रत्येक में नए अवसरों और लापता उद्यमों को खोजें। उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा संपूर्ण रिटर्न में वृद्धि के लिए प्रणाली को उसकी विविधता या गहनता के लिए पुनः उपयोग किया जाना चाहिए.\*\* (SWOT- विश्लेषण)



- ड) कई विकल्प प्रस्तुत करना और उनके कार्यान्वयन के लिए सहमति और राय लेना. एईएस (AES) के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प की पहचान करने के लिए मैट्रिक्स रैंकिंग का उपयोग करें.
- च) सुझाए गए कृषि प्रणाली के संदर्भ में मौजूदा कृषि प्रणाली की तुलना कमियों का पता लगाने और रणनीति बनाने में सहायता करेगी.

**\*\* एसडब्ल्यूओसी (SWOC) विश्लेषण: (शक्ति, कमजोरियां, अवसर, चुनौतियां)**

एसडब्ल्यूओसी(SWOC) विश्लेषण अलग-अलग कृषि प्रणालियों के संबंध में किया जाता है, जैसा कि प्रत्येक एईएस(AES) में देखा गया है. एसडब्ल्यूओसी(SWOC) विश्लेषण रणनीति बनाने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है क्योंकि यह पहचान करने में मदद करता है -

- वर्तमान कृषि प्रणालियों और सफलता की कहानियों के भीतर मौजूदा शक्ति,
- वर्तमान कृषि प्रणालियों के भीतर की कमजोरियाँ,
- अवसर, जो बाजार की नई संभावनाओं, नई तकनीकों, सेवाओं आदि के लिए स्कोप प्रदान करने के मामले में वर्तमान कृषि प्रणालियों के अनुकूलतम उपयोग के लिए फायदेमंद हैं.
- प्राकृतिक संसाधनों के आधार, वर्तमान कृषि प्रणालियों और बाजार आदि के लिए वास्तविक संभावित खतरे.

पहचान किए गए मुद्दों और एसडब्ल्यूओसी(SWOC) विश्लेषण के निष्कर्षों को किसानों के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि सामान्य समझ के साथ मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सके.

**प्रत्येक फसल/कोमोडिटी के लिए वर्तमान कृषि परिस्थितियों में विश्लेषण के लिए कदम:**



- विभिन्न कृषि परिस्थितियों की पहचान करें जिसमें प्रत्येक उद्यम के तहत फसल या कोमोडिटी उगाई जाती है (बुवाई के समय, पिछली फसल, सिंचाई के स्रोत, समस्याग्रस्त मिट्टी आदि जैसे कारकों के आधार पर).
- किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रथाओं (उत्पादन प्रथाओं) की पहचान करें.
- एसएयू(SAU) या किसी अन्य शोध संस्थानों द्वारा दी गई अनुशंसित प्रथाओं को एकत्रित करें.
- किसानों द्वारा अनुशंसित प्रथाओं के साथ मौजूदा प्रथाओं की तुलना करके कमियों को पहचानें
- अनुशंसाओं को परिशोधित या संशोधित करने तथा उन्हें अपनाने में लगे समय सीमा का आकलन करने के लिए दल में वैज्ञानिकों की सहायता से तकनीकी पैकेज को फिर से संश्लेषित करें.
- उन्हें अपनाने में लगे समय सीमा का आकलन करने के लिए किसानों की जांच करें और उत्पादन प्रणाली में उन्हें अपनाने में लगे समय अंतराल के कारणों के आधार पर रणनीतिक मुद्दों की पहचान की जाए.

#### **रणनीति तैयार करना:**

**रणनीति सब-सेक्शन :** यह सेक्शन विभिन्न कार्यक्रम घटकों के संबंध में प्रत्येक एईएस(AES) के लिए अनुसंधान और विस्तार के लिए रणनीति बनाता है.

विस्तार और अनुसंधान के लिए अलग से, इस सब-सेक्शन की रणनीतियों को प्राथमिकता वाले रणनीतिक मुद्दों के आधार पर विकसित किया जाएगा. इस कार्य को जिले में लाइन विभागों, केवीके (KVK) और जेडआरएस (ZRS) वैज्ञानिकों के दल के साथ प्रशिक्षकों से समर्थित



एक अर्थशास्त्री द्वारा किया जाना है. सामान्यतया, निम्नलिखित श्रेणियों में रणनीतियों का विकास किया जाना है.

### रणनीति की श्रेणियां :

- I. वर्तमान कृषि प्रणालियों का विविधीकरण और गहनता
- II. वर्तमान कृषि प्रणालियों में विभिन्न उद्यमों/कोमोडिटी से उत्पादकता/आय में सुधार.  
(इन घटकों में प्राकृतिक संसाधनों को स्थिरता प्रदान करने और विस्तार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कृषि समुदाय (पुरुष और महिला) को सक्षम बनाया जाता है).
- III. उत्पादन प्रणाली की स्थिरता
- IV. विस्तारकों, शोधकर्ताओं, किसानों, बाजार के खिलाड़ियों तथा गैर-सरकारी संगठनों जैसे अन्य भागीदारों में क्षमता निर्माण. सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी संगठन के क्षेत्र में कृषि तथा अन्य लाइन विभागों और अनुसंधान संस्थानों की विभिन्न चल रही योजनाओं का ब्यौरा एवं पुनः डिजाइनिंग. फसल कटाई के बाद की तकनीकों और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लाभ में वृद्धि के लिए बाजारों का विस्तार.
- V. आईसीटी विस्तार को बढ़ावा और उपयोग
- VI. सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
- VII. लिंगभेद को खत्म करना (सशक्तीकरण)
- VIII. परियोजना/क्षेत्र के लिए आवश्यक माने जाने वाले कोई अन्य कार्यक्रम घटक.

### गतिविधियों का सब-सेक्शन:

रणनीतियाँ परियोजना के लक्ष्य/उद्देश्यों को प्राप्त करने में तभी सहायक हो सकती हैं जब उन पर कार्यवाई की जाएं. इसलिए, संबंधित कार्यक्रम घटक की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न



गतिविधियों पर कार्यवाई करना आवश्यक है. वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का वर्णन करते समय प्रत्येक गतिविधि की इकाई और इकाई लागत तथा इकाइयों की कुल संख्या (कुल लागत के साथ) का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है. इसके बाद, प्रत्येक एईएस (AES) जो गतिविधि अनुसूची के आधार पर किसी भी ब्लॉक में प्रचलित है, के लिए ब्लॉक स्तर की वार्षिक कार्ययोजना को ब्लॉक तकनीकी दलों द्वारा तैयार किया जाना है.

यह ध्यान रखना चाहिए कि एनएटीपी (NATP) के अंतर्गत ब्लॉक एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में सामान्य गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए. बल्कि, एनएटीपी (NATP) के उद्देश्यों के अनुरूप नई गतिविधियाँ अनुसूची की गतिविधियों से तैयार की जानी चाहिए.

## 2.9. एसआरईपी (SREP) को कैसे विकसित किया जाए

एसआरईपी (SREP) जब प्रचलित कृषि-पारिस्थितिक, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और विभिन्न सरकारी विभागों के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप होता है तो वह मांग आधारित होनी चाहिए. इसे नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण (बॉटम-अप एप्रोच) के साथ विकसित किया गया है. जबकि यह मुख्य ग्राहकों यानि कृषक समुदाय को महत्व देता है, यह कृषि विकास के परिदृश्य में अन्य हितधारकों के विचारों पर भी ध्यान देता है. इसलिए, किसी भी एनएटीपी (NATP) जिले के लिए एसआरईपी (SREP) विकसित करने की कार्यप्रणाली वर्तमान में सरकार के विभिन्न लाइन विभागों में उनकी गतिविधियों के लिए योजना और रणनीति तैयार करने की प्रचलित पद्धति से भिन्न है. एसआरईपी (SREP) विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम हैं:

### एसआरईपी (SREP) विकसित करने वाले कदम -

**पहला कदम -** जिले की टीम का अभिविन्यास

**दूसरा कदम -** जिले के भीतर कृषि-पर्यावरण-स्थितियों (एईएस) की पहचान





**तीसरा कदम -** एईएस (AES) टीम को प्रशिक्षण

**चौथा कदम -** सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह

**पांचवा कदम -** आंकड़ों का विश्लेषण, अनुसंधान और विस्तार मुद्दों की पहचान और प्राथमिकता

**छठा कदम -** जिले में अनुसंधान और विस्तार मुद्दों के लिए रणनीति बनाना

**सातवां कदम -** गतिविधियों की अनुसूची तैयार करना

**आठवां कदम -** एसआरईपी का अनुमोदन

## 2.10. एसआरईपी का संचालन

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के संचालन बोर्ड से अनुमोदन के बाद, यह सेक्शन एसआरईपी (SREP) के संचालन से संबंधित है। एसआरईपी (SREP) का दस्तावेज़ जिले में अनुसंधान, विस्तार और विकासात्मक गतिविधियों की दिशा तय करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, यह विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के आवंटन का खाका तैयार करने में सहायता करता है। अतः एसआरईपी (SREP) ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्य योजनाओं के विकास के लिए एक मूल दस्तावेज़ का कार्य करता है।

### एसआरईपी (SREP) के संचालन में शामिल कदम :

एनएआरपी(NATP) के आईटीडी (ITD) घटक के अंतर्गत पूर्ववर्ती कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) जिलों में एसआरईपी (SREP) के कार्यान्वयन के अनुभवों के आधार पर, जहां संचालन की प्रक्रिया को पांच प्रमुख क्षेत्रों जैसे- कार्य योजना, निधि प्रवाह तंत्र(फंड फ्लो मेकेनिज्म), विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी में वर्गीकृत किया जा सकता है।



### क. कार्य योजना:

कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित रणनीतियों के संचालन में कार्य योजना एक विशिष्ट कदम है ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके. रणनीति की प्रकृति दीर्घकालिक हैं, जबकि कार्य योजना इन रणनीतियों को चरणबद्ध तरीके से साकार करने में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाती है. यद्यपि रणनीतियां भविष्य में संभावित दिशा प्रदान करती हैं, कार्य योजना वित्तीय तौर-तरीकों के साथ क्या, कब, कहां, कौन, किसके लिए और कब तक के संदर्भ में कार्यशैली की रूपरेखा प्रदान करती है.

### कार्य योजना की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :

1. परियोजना निदेशक जिले के सभी जीबी(GB), एएमसी (AMC), बीटीटी (BTT) और एफएसी (FAC) सदस्यों को अनुमोदित एसआरईपी की प्रतियां वितरित करेगा. एसआरईपी (SREP) एक मूल दस्तावेज है जिसमें से बीएपी(बीएपी), डीएपी (DAP) और एसईडब्ल्यूपी (एसईडब्ल्यूपी) तैयार किए जाते हैं और इन योजनाओं को बनाने में सभी हितधारकों को एसआरईपी (SREP) की जटिलताओं के साथ पूरी तरह से परिचित होना चाहिए.
2. बीटीटी(BTT) सदस्यों को एसआरईपी (SREP) की गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए जो उनके ब्लॉक के लिए प्रासंगिक (AESs) हैं.
3. गतिविधियों की पहचान करने के लिए एसआरईपी (SREP) एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जबकि बीएपी(बीएपी) का निर्माण बीटीटी (BTT) और एफएसी (FAC) सदस्यों को निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखकर करना चाहिए.
  - a) एसआरईपी (SREP) में चिन्हित की गई विस्तार गतिविधियाँ;
  - b) समूह की मांग जैसा कि एफएसी सदस्यों द्वारा की पहचान की गई हैं;



- c) जारी स्कीम का ब्योरा.
- d) नकल के लिए पहचान की गई सफल कहानियां.

बीएपी(बीएपी) तैयार करने के लिए प्रत्येक एफआईए(FIA) पर बीटीटी(BTT) और एफएसी (FAC) की संयुक्त बैठक में उपरोक्त चार आयामों को वार्षिक/मौसम के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है.

4. धन की उपलब्धता और अनुसंधान की प्राथमिकता तथा विस्तार गैप पर विचार करते हुए एफएसी (FAC) आवश्यक सुधार करने के बाद इस योजना को मंजूरी देगा. बीटीटी (BTT) का संयोजक अनुमोदित बीएपी(बीएपी) को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के पास भेजने के लिए जिम्मेदार है.
5. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) का परियोजना निदेशक, एएमसी (AMC) बैठक आयोजित करेगा और सभी ब्लॉकों से बीएपी(बीएपी) को उनकी प्रासंगिकता की तकनीकी जांच तथा ब्योरे की रूपरेखा की जांच के लिए प्रस्तुत करेगा.
6. इस बीच, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ब्लॉकों की सीमाओं से बाहर तथा एसआरईपी से निकलने वाले मुद्दों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी स्तर की कार्य योजना तैयार करेगा. जबकि, पीडी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (PD आत्मा) को 10वीं योजना स्कीम “विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु” में दिए गए ‘कैफेटरिया ऑफ एक्टिविटीज’ का उल्लेख करना चाहिए.
7. एक बार एएमसी (AMC) जब बीएपी(बीएपी) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) स्तर की कार्य योजना की जांच कर लेती है, तो यह जिला कार्य योजना (DAP) का आधार



- बन जाता है. एएमसी (AMC) को धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस डीएपी को तैयार करना चाहिए.
8. परियोजना निदेशक डीएपी (DAP) पर चर्चा के लिए जीबी (GB) का आयोजन करेगा. जीबी फंड की उपलब्धता के आधार पर डीएपी में मुद्दों को प्राथमिकता देगा और डीएपी को मंजूरी देगा. जीबी यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण ब्लॉक में निधि का आवंटन समान हो.
  9. परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) एसएएमईटीआई (SAMETI) की सुविधा से एसईडब्ल्यूपी (एसईडब्ल्यूपी) को तैयार करने और भारत सरकार (GOI) से धन जारी करवाने के लिए अनुमोदित डीएपी (DAP) को राज्य के नोडल अधिकारी के पास भेजेगा.

#### ख. निधि प्रवाह तंत्र (फंड फ्लो मेकेनिज्म)

भारत सरकार द्वारा 10वीं योजना “विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु” के अंतर्गत परिचालित प्राथमिक दस्तावेजों के अनुसार, एसईडब्ल्यूपी(एसईडब्ल्यूपी) के आधार पर निधि राज्य स्तर पर राज्य द्वारा चिन्हित एक स्वायत्त संस्थान के पास रखा जाएगा, जिसे आगे एसएएमईटीआई (SAMETI) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) को हस्तांतरित किया जाएगा.

1. एक बार जब जिले को निधि प्राप्त हो जाएगी, तो उसे क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए प्रत्येक एफएसी(FAC) को आबंटित कर दी जाएगी. अध्यक्ष, एफएसी और संयोजक बीटीटी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित बैंक खाते में निधि जमा की जाएगी.
2. एफआईएसी(फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र s) में आयोजित मासिक या पाक्षिक(फोर्टनाइटली) बैठकों के दौरान, बीटीटी(BTT) सदस्य बीएपी(बीएपी) में चिन्हित की



गई गतिविधियों को करने के लिए अग्रिम राशि लेते हैं. गतिविधियां जिन्हे करने के लिए अग्रिम राशि ली गई थी, उनके पूरा होने के तुरंत बाद या 15 दिनों के बाद जो भी पहले हो, अग्रिम राशि के खर्च का ब्योरा एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ दिया जाना चाहिए.

3. संयोजक, बीटीटी(BTT) द्वारा प्रत्येक एफआईएसी(फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र ) पर केशबुक, प्रोसीडिंग रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर आदि जैसे रिकॉर्ड बनाए जाएंगे.

**ग.विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:** संयोजक, बीटीटी द्वारा निधि प्राप्त करने के बाद, क्षेत्रीय कार्यक्रमों को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है. विस्तार कार्यक्रम जैसे जागरूकता शिविर, एक्सपोजर दौरे, प्रदर्शन, प्रशिक्षण आदि.

**घ. अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:** एसआरईपी (SREP) में पहचाने गए अनुसंधान योग्य मुद्दों को जेडआरएस (ZRS) के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान विस्तार परिषद(जेडएआरईसी( या केवीके (KVK) के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के (एसएसी)पास भेजा जाएगा. एसआरईपी (SREP) के दौरान उठाए गए मुद्दों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाएगा-

- a. दीर्घकालिक अनुसंधान योग्य मुद्दे
- b. अल्पकालिक अनुसंधान योग्य मुद्दे

दीर्घकालिक मुद्दों को निवारण के लिए एसएयू (SAU), आईसीएआर (ICAR) संस्थानों के पास भेज दिया जाएगा. अल्पकालिक मुद्दों को केवीके (KVK) और/या जेडआरएस (ZRS) जैसे स्थानीय अनुसंधान संस्थानों की सहायता से, विशेषतया खेत पर ही आजमाइश (परीक्षण) के माध्यम से निवारण किया जा सकता है.

**ड. क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी:**



- ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर की गतिविधियों की निगरानी मासिक आधार पर एफआईएसी(फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र ) स्तर पर की जाएगी. की गई प्रगति की समीक्षा बीटीटी (BTT) और एफएसी (FAC) सदस्यों की संयुक्त बैठक में प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान की जाएगी. बीटीटी (BTT) के संयोजक सभी लाइन विभागों की प्रगति रिपोर्ट संकलित करेंगे और परियोजना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.
- निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा).
- ब्लॉकों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एएमसी (AMC) द्वारा जिला स्तर पर गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह के दौरान की जानी चाहिए. जीबी हर तिमाही प्रगति की समीक्षा करेगा.
- आम राय बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर जीबी और एफएसी की संयुक्त वार्तालाप कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए..
- राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र में अंतर-विभागीय कार्य समूह (आईडी डब्ल्यूजी) द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट, क्षेत्र निरीक्षण, कार्यशाला आदि प्रस्तुत करना शामिल है, जिसका संयोजक राज्य नोडल अधिकारी होता है.

## 2.11 कृषि विपणन योजना के साथ एसआरईपी (SREP) को सुदृढ़ करना

### परिचय

कृषि उपज के उत्पादन और विपणन पहलू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. उत्पादन-आधारित विपणन के बजाय बाजार संचालित उत्पादन आज की मांग है. वर्तमान व्यवस्था के तहत, उत्पादन वृद्धि से जुड़े कृषि और संबद्ध विभाग विपणन सेटअप से पूर्ण रूप से वियोजित हो गए हैं. इसके कारण जिला स्तर पर विभिन्न स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन में



एकीकरण का स्पष्ट अभाव हो गया है. कृषि उपज के विपणन के लिए कृषि और संबद्ध विभागों को एक मंच पर लाना समय की आवश्यकता है. यह किसानों के लाभ हेतु तालमेल का पता लगाने के लिए स्कीमों और संसाधनों को एक साथ लाने के लिए कहता है. जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) प्लैटफॉर्म के माध्यम से इस उद्देश्य को साकार करने का प्रयास किया गया है. एसआरईपी (SREP) ने पहचान की गई कमियों के आधार पर कृषि और संबद्ध कोमोडिटी के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में अनुसंधान और विस्तार रणनीतियों को शामिल किया. जबकि, एसआरईपी (SREP) में विपणन घटक को उचित महत्व नहीं मिला, क्योंकि विपणन एजेंसियां सामान्य राजकीय बजट आवंटन के माध्यम से प्रशासन की मुख्यधारा और उसकी निगरानी का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए भी क्योंकि ये एजेंसियां पूर्ण रूप से एक अलग अधिनियम के अंतर्गत स्वायत्त एपीएमसी (APMC) के नेटवर्क द्वारा शासित हैं. यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि उत्पादन और विपणन एजेंसियों को एक ही मंच पर लाकर एसआरईपी में विपणन घटक को शामिल करने की आवश्यकता है.

वर्तमान में, राज्य का कृषि विपणन सेटअप संबंधित एपीएमआर (APMR) अधिनियम के अंतर्गत शासित है. राज्य का कृषि विपणन सेटअप आम तौर पर द्विसदनीय प्रणाली है जिसमें विपणन बोर्ड और निदेशालय शामिल हैं. विपणन बोर्ड के अंतर्गत, एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समितियों) का नेटवर्क राज्य की कृषि विपणन आवश्यकताओं को पूरा करता है. एपीएमसी नेटवर्क (लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों) के माध्यम से संचालित विनियमित विपणन प्रणाली ने अतीत में आवश्यकताओं को पूरा किया है. हालांकि, समय के साथ-साथ विनियमित विपणन प्रणाली और कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण



कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस प्रणाली में कुछ सुधारों की आवश्यकता है ताकि कृषि अर्थव्यवस्था के विपणन पहलुओं को उत्पादन के मोर्चे पर अनुकूल बनाया जा सके. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, ऐसा देखा गया है कि विपणन विभाग विभिन्न कृषि उपज के लिए अलग-अलग उत्पादन समूहों में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करते हैं. इसने, बदले में, विपणन एजेंसियों के कामकाज में कई दुष्परिणामों को जन्म दिया है. विभिन्न कृषि कोमोडिटी उपजाने वाले किसानों की विपणन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विपणन एजेंसियों के कामकाज में इन कमियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है.

कृषि विपणन प्रणाली के प्रभाव को अवसंरचना सुविधाओं (हार्डवेयर) और विभिन्न चल रही विपणन प्रथाओं (सॉफ्टवेयर), दोनों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है. वर्तमान प्रणाली के विश्लेषण से पता चलता है कि विपणन मोर्चे पर मौजूदा कमियां मुख्य रूप से उत्पादन विभागों और विपणन विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण हैं. यह भी देखा गया है कि विपणन पहलुओं को ठंडे बस्ते में डालते हुए, वर्तमान कृषि नीति/योजनाएं मूल रूप से उत्पादन-केंद्रित हैं.

कृषि विपणन प्रणाली केवल विनियमित बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में बदलाव ने विभिन्न वैकल्पिक विपणन प्रणालियों जैसे अनुबंध खेती, प्रत्यक्ष बाजार, वायदा बाजार, स्पॉट बाजार, समूह विपणन, हब और टर्मिनल बाजारों के स्पोक मॉडल आदि के रूप में विपणन प्रणालियों में परिवर्तन लाया है. इन साधनों में आधुनिक कृषि उत्पादन प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है. अतः उत्पादन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार विपणन प्रणाली को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है. इसके लिए





एक एकीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से दोनों एजेंसियों अर्थात उत्पादन और विपणन को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है. एसआरईपी(SREP) इस दिशा में एक सही कदम है. इस प्रकार, एसआरईपी(SREP) में विपणन घटक का समावेश किसानों के लिए कृषि नियोजन प्रक्रिया को सार्थक बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर लाने के लिए आज की आवश्यकता है.

## 2.12 विपणन योजना बनाने के कदम

### पहला कदम: कृषि और विपणन विभाग के बीच सामंजस्य

एसआरईपी (SREP) तैयार करने के पहले चरण में, राज्यों के कृषि निदेशालयों ने विपणन निदेशालय को शामिल नहीं किया. परिणामस्वरूप, एसआरईपी (SREP) के लिए जिला कोर टीम को विपणन विभाग के जिला स्तरीय गठन का समर्थन नहीं मिला. इसके कारण कृषि विपणन मोर्चे पर एसआरईपी को तैयार करने में न्याय नहीं किया जा सका. अतः पहले कदम के रूप में, एसआरईपी में विपणन योजना को शामिल करने के लिए निदेशक (कृषि) और निदेशक (विपणन) के बीच सामंजस्य स्थापित होनी चाहिए. एसआरईपी में विपणन योजना के समावेश होने से उसमें विपणन विभाग की वर्तमान नियोजन गतिविधियों में सुधार लाने की जबरदस्त क्षमता आई है, क्योंकि विपणन योजना अब जिले के उत्पादन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी. यह योजना विपणन विभाग के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए अपेक्षित बाजारों को जोड़ने में बहुत उपयोगी और व्यावहारिक साबित होगी.

**दूसरा कदम: कोर टीम का गठन:** कृषि, विपणन, बागवानी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, सिंचाई, वन आदि, कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों और



कृषि विज्ञान केंद्र तथा जिले में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के वैज्ञानिकों के साथ जिला स्तरीय कोर टीम का गठन किया जाना चाहिए.

**तीसरा कदम: कोर टीम का अभिविन्यास:** कोर टीम को विपणन के विभिन्न पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाना होगा जिसके लिए प्रारूप/कार्यक्रम तैयार किए गए हैं. टीम को जिले में प्रचलित विपणन प्रथाओं के बारे में संवेदनशील बनाना होगा जिसमें विनियमित विपणन, अनुबंध खेती, प्रत्यक्ष विपणन, खुदरा चैन लिंकेज, वायदा बाजार, स्पॉट (हाजिर) बाजार, कृषि उपज के प्रसंस्करण और निर्यात आदि शामिल हैं.

**चौथा कदम: विपणन घटक के लिए आंकड़ों का संग्रह:** चूंकि एपीएमसी (APMC) विपणन विभाग का नोडल क्षेत्र निर्माण है और जिले का प्रत्येक भाग किसी न किसी एपीएमसी या अन्य के अंतर्गत आता है, इसलिए कृषि विपणन के संबंध में प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े एकत्र करने के लिए एपीएमसी को संदर्भ बिंदु होना चाहिए. यह एसआरईपी (SREP) के अंतर्गत जिले के सभी एईएस (AES) के सभी प्रतिनिधि ब्लॉकों को स्वतः ही शामिल कर लेगा. चूंकि आने वाली (कोमोडिटी) के आधार पर प्रत्येक एपीएमसी अपने स्वयं के मुद्दों, चुनौतियों और अवसंरचनाओं की आवश्यकताओं के साथ एक अनोखी इकाई है, इसलिए जिले के प्रत्येक एपीएमसी को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए. प्रत्येक एपीएमसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से कम से कम 10 किसानों से जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए. नमूने के रूप में जानबूझकर चयनित किसानों को कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं जैसे अनुबंध खेती, प्रत्यक्ष विपणन, वायदा बाजार आदि के बारे में जानकारी/आंकड़े प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए. आंकड़े संग्रह आरंभ करने से पहले, टीम को विपणन विभाग की सहायता से स्वयं को जिले के विपणन परिदृश्य से परिचित कर लेना चाहिए. इस गतिविधि में विपणन विभाग के प्रतिनिधि



की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जैसा कि जिले के विपणन पहलुओं के लिए तैयार किए गए स्वरूपों से स्पष्ट है, आंकड़ों को विभिन्न हितधारकों जैसे किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, प्रोसेसरों, एपीएमसी पदाधिकारियों आदि से एकत्रित किया जाना चाहिए.

**पांचवा कदम: आंकड़ों का विश्लेषण और समेकन:** आंकड़े विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग हितधारकों से अनुसूची (भाग- I) और प्रारूप (भाग- II) का उपयोग करके एकत्रित किए जाने हैं. (कृपया अनुबंध- I देखें). अनुसूचियां कमियों को खोजने और प्रणाली में कमियों के कारणों को दूर करने में सहायता करेंगी. इससे जिले के विपणन योजना के विभिन्न उप-घटकों के संबंध में भविष्य की रणनीतियों को बनाने में भी सहायता मिलेगी. कमियों और रणनीतियों को एसआरईपी(SREP) दस्तावेज़ में शामिल किए जाने वाले अंतिम प्रारूपों/तालिकाओं के प्रासंगिक कॉलम में उल्लिखित किया जाना चाहिए. कार्यक्रमों/सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण भविष्य की रणनीतियों पर ध्यान देने के साथ-साथ उत्पादन पैटर्न, फसल विविधीकरण आदि को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए व्यापक विपणन परिदृश्य को तैयार करने में उपयोग किया जाना चाहिए.

### 2.13 सारांश

हम समझ गए हैं कि जिले में कृषि विकास में तेजी लाने के लिए मांग आधारित, स्थिति विशिष्ट, बहु-भूमिका उन्मुख रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना एसआरईपी (SREP) विकसित करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) अनिवार्य है. एसआरईपी (SREP) मूल दस्तावेज है, जो जिले में प्रचलित परिदृश्य, समस्याओं, विभिन्न कृषि प्रणालियों में अवसरों, विपणन, कृषि समुदाय की वरीयताओं और प्राथमिकताओं, दीर्घकालिक दृष्टि की सुविधा तथा



ठोस तरीके से जिले में कृषि विकास के लिए रणनीतिक योजना का अवलोकन करने में सहायता करता है.

#### 2.14 प्रश्न

1. रणनीतिक योजना क्या है? इसकी आवश्यकता और महत्व को समझाएं?
2. रणनीतिक योजना की सामग्री के बारे में विस्तार से समझाएं.
3. आप कृषि प्रणाली का विश्लेषण कैसे करते हैं? फसल के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं
4. आप एसआरईपी(SREP) को कैसे विकसित करते हैं?
5. एसआरईपी(SREP) के संचालन में शामिल विभिन्न कदमों का वर्णन करें.
6. आप कृषि/विपणन योजना से एसआरईपी(SREP) को कैसे सुदृढ़ करेंगे?
7. बाजार योजना में शामिल कदमों को समझाएं?

#### 2.15 अन्य अध्ययन

1. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
2. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
3. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
4. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
5. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan



## यूनिट - 3

### किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली

#### संरचना:

3.3.0. उद्देश्य

4.3.1. परिचय

4.3.2. फार्मस्कूल का अर्थ और संकल्पना

4.3.3 आदर्श रायथू (एक मॉडल किसान)

4.3.4 मुख्य किसान केंद्रित विस्तार सलाहकार और वितरण सेवाएं (एलईएडीएस/LEADS)

4.3.5 प्रगतिशील किसान

4.3.6 कॉन्टेक्ट फार्मर

4.3.7. उपसंहार

#### 3.0 उद्देश्य

इस यूनिट को पढ़ने के उपरांत, शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे:

- किसान की अगुवाई वाले विस्तार के माध्यम से विभिन्न कृषि परिस्थितियों से प्रासंगिक स्थान विशिष्ट तकनीकों का प्रसार करने में.
- सफल किसान के रूप में एक अनुभवात्मक अधिगम स्थिति स्थापित करने में.
- ग्रामीण स्तर पर साथी किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों के रूप में सफल किसानों की सेवाओं का उपयोग करने में.



- स्थानीय किसानों के लाभ के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषि प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने में
- किसान - विस्तार - अनुसंधान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में.

### 3.1. परिचय

अतीत में देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कृषि विस्तार प्रणाली ने कृषि विकास के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की संरचना में परिवर्तन, जिस संदर्भ जिसमें यह संचालित होते हैं और भविष्य में तकनीकी नवाचारों की संभावनाओं की प्रकृति यह सवाल उठाती हैं कि क्या हरित क्रांति का समर्थन करने वाली संस्थानें आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगी. देश में लगभग 12 करोड़ और उससे अधिक खेत हैं तथा खेतों विखंडन बढ़ रहा है, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विस्तार कार्य करने वालों की संख्या कम हो रही है, परिणामस्वरूप किसान और विस्तार कार्य करने वालों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. इसके बदले, विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर वर्तमान में कई संगठन कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और विभिन्न प्रकार के कृषक प्रशिक्षण केंद्रों (कृषिज्ञान केंद्र आदि) में किसानों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं. फसल के पैटर्न, सिंचाई के स्रोत, मृदा के प्रकार और किसानों के संसाधन आधार आदि प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार खेती की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं. ये सभी स्थान विशिष्ट तकनीक के साथ-साथ वितरण में भी आवश्यक हैं. ग्राम स्तर पर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक वैकल्पिक विस्तार वितरण तंत्र की आवश्यकता है.



यह भारत सरकार की पहल है और पूरे देश में विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया है. किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर से नीचे शायद ही कोई प्रशिक्षण संस्थान है. इसी कारण विस्तार प्रणाली की वर्तमान खामियों को दूर करने के लिए फार्म स्कूलों के रूप में एक वैकल्पिक प्रणाली की आवश्यकता है.

### 3.2 फार्मस्कूल का अर्थ और संकल्पना

देश भर में मौजूद कई कृषि "उज्ज्वल स्पॉट"/सफलता की कहानियां पुरुषों और महिलाओं की कड़ी मेहनत और अभिनव कृषि पहल से जुड़ी हैं. कृषि पंडित, कृषकश्री (केरल का एक पुरस्कार) तथा किसानों के अन्य उत्कृष्ट अनुभवों का लाभ सहभागिता अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के लिए अधिक व्यवस्थित तरीके से उठाया जा सकता है. फार्म स्कूल कार्य करके सीखें और साथ ही साथ "देख कर विश्वास करें" के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं. इस प्रकार क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए जमीनी यथार्थ की भावना पैदा करने के लिए फार्म स्कूल ग्रामीण स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु महत्वपूर्ण साधन बन जाएंगे.

फार्म स्कूल गांव में सफल किसानों और अन्य लोगों के बीच महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करते हैं. ये किसान सामान्य रूप से वो किसान हैं जिन्हें अन्य किसानों द्वारा प्रौद्योगिकियों को अपनाने, कृषि उपज में अंतर और आय में वृद्धि तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में सफल किसान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है.



फार्म स्कूल राज्य या जिला स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों, केवीके(KVK) की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और आईसीटी(ICT) आधारित विशेषज्ञ प्रणाली के नेटवर्क से निरंतर आधार पर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

यह आम तौर पर माना जाता है कि किसान-से-किसान अधिगम सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली संप्रेषण तंत्र है. यह माना जाता है कि, यदि किसान विस्तार गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं, तो इससे विस्तार में लागत काफी हद तक कम हो सकती है. इसके अलावा, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा चूंकि किसान सहकर्मी किसानों से सुनकर प्रौद्योगिकी अपना पसंद करते हैं क्योंकि वे समान समस्याएं, विश्वास और सांस्कृतिक विशेषताएं अर्थात् समान सामाजिक/सांस्कृतिक वातावरण साझा करते हैं. यह संचार के पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करके जानकारी को आसानी से संप्रेषित करता है. खेती के समृद्ध अनुभवों के कारण खेती करने वाले किसानों को कई फायदे होंगे और वे इसे आसानी से साथी किसानों को बता सकते हैं. प्रशिक्षित किसान अपने-अपने गाँव में आयोजित फार्म स्कूल के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे. प्रशिक्षित किसान को उसके इलाके में एक राय देने वाला नेता/प्रमुख संचारक होना चाहिए. कुछ अन्य मॉडल जहां "किसान" एक शिक्षक है और जिन्हें अलग-अलग राज्यों में कोशिश किया गया है, की चर्चा नीचे की गई है:

### 3.3 आदर्शरायथू (मॉडल किसान):

आंध्र प्रदेश सरकार वर्ष 2007 से आदर्शरायथू का उपयोग करके कृषि विकास में किसान के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है.





आदर्शरायथू आरंभ करने का उद्देश्य अनुसंधान और विस्तार के बीच की दूरी को कम करने में सहायता करने के लिए किसानों और कृषि के विस्तार कर्मचारियों तथा अन्य लाइन विभागों के बीच एक नोडल कार्यकारी नियुक्त करना है. सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की सफलता, सूचना और ज्ञान को साझा करने की प्रक्रिया में नियमित अनुबंध के माध्यम से एक दूसरे को विस्तार प्रणाली के एक हिस्से के रूप में पहचानते हुए, आदर्शरायथू के साथ-साथ विस्तार कर्मियों के माइंड सेट के विकास पर निहित है.

फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए पोलमबाड़ी के सफल कार्यान्वयन पर, उन्नत फसल योजना, खेती की लागत में कमी, माइक्रो सिंचाई प्रथाओं, विपणन मुद्दों, फसल कटाई के बाद की तकनीक, सिंचाई और अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों पर किसानों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण स्तर पर सुविधा के रूप में आदर्शरायथू की स्थापना करके राज्य में विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया.

उपरोक्त विचारों और सिफारिशों से प्रेरित होकर, आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 50,000 "आदर्शरायथू" (मॉडल किसान) नियुक्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे प्रो.स्वामीनाथन की रिपोर्ट और किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति में कृषि विज्ञान प्रबंधक के रूप में संदर्भित किया गया है. आदर्शरायथूओं को वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 के दौरान चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक 200 से 250 किसानों में से एक की दर से राज्य भर के विभिन्न पंचायतों से निम्नलिखित मानदंडों को विधिवत अपनाते हुए चुना गया था:

- i) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
- ii) आयु 25 - 45 वर्ष होनी चाहिए (दूसरा चरण)



iii) खेती करता हो

vi) उसी गाव का रहने वाला हो

### आदर्शरायथू के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- यह विस्तार कर्मचारी से जानकारी लेकर किसानों तक पहुंचाने और किसानों की प्रतिक्रिया को विस्तार कर्मचारी तक पहुंचाने का कार्य करते हुए किसानों के लिए विस्तार/इनपुट की सहायता में लगे किसानों और सभी विभागों/एजेंसियों के विस्तार कर्मचारियों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है.
- आरकेवीवाई(आरकेवीवाई), एनएफएसएम(NFSM), एनएचएम(NHM), फसल बीमा, ऋण, पशुक्रांति, जीवनक्रांति और अन्य केंद्र तथा राज्य की योजनाओं सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गणना के कार्यान्वयन में विस्तार कर्मचारियों की सहायता करना.
- उसके साथ जुड़े 200 से 250 किसानों के रिकॉर्ड को बनाए रखना, जैसे कि नाम, सर्वेक्षण संख्या, आकार (हेक्टेयर में), कब्जे की प्रकृति (मालिक/किरायेदार), जाति (एससी / एसटी / ओसी / बीसी), श्रेणी (एमएफ) / एसएफ / ओएफ), किसी संगठन के साथ संबद्धता (एसएचजी / आरएमजी / जेएलजी / डब्ल्यूयूए / अन्य), खेती की प्रकृति (कृषि / बागवानी / रेशम पालन / एएच / मत्स्य / डेयरी / वानिकी ), फसलें उगाई गईं(हेक्टेयर में), संस्थागत ऋण (लघु अवधि और दीर्घकालिक) तथा निजी स्रोतों से ऋण.

### किसानों को इसके बारे में जानकारी दें:

- योजनाओं, तकनीकों आदि के संबंध में दिन-प्रतिदिन हो रहे विकास.
- इनपुट की उपलब्धता के साथ सब्सिडी यदि कोई हो तो और उसका लाभ उठाने की प्रक्रिया.



- विशेष इनपुट की विफलता के मामले में उठाए जाने वाले कदमों के इनपुट के लिए व्यापक नियामक तंत्र.
- विशेष अभियानों जैसे- आरसीवाई(RCY), रायथूसदास्सुस(RythuSadassus) और प्रजापाठम(Prajapatham) आदि में किसानों को जुटाना.
- कृषि और लाइन विभाग के कर्मचारियों के साथ माह के तीसरे सोमवार को मंडल मुख्यालय पर आयोजित मासिक बैठक में भाग लें.

आदर्शरायथू गैर-ऋण वाले किसानों की पहचान कर सूची तैयार करेगा और उसे बैंक प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएगा, उसकी एक प्रति एमएओ(MAO) को भी देगा. आदर्शरायथू किराये पर खेती कर रहे किसानों की भी पहचान करेगा तथा ऋण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त जवाबदेही(लायबिलिटी) समूहों का गठन करेगा और प्रत्येक समूह में पांच किसान होंगे. विस्तार कर्मचारी के साथ माह के पहले शनिवार या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य दिन क्षेत्र में जाएँ. तकनीकी साहित्य जैसे कि पदिपंतलु, व्यवसायपंचांगम और विभिन्न विभागों की स्कीमों की जानकारी, विस्तार कर्मचारी/ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर आदि को अपने पास रखें. समय-समय पर विस्तार कर्मचारियों द्वारा सुझाई गई अन्य गतिविधियों में भाग लें. नए चयनित/तैनात आदर्शरायथू के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

#### 3.4 मुख्य किसान केंद्रित विस्तार सलाहकार और वितरण सेवाएं (एलईएडीएस/LEADS)

कृषि निदेशालय, केरल वर्ष 2010-11 के दौरान 'कृषि विस्तार को सुदृढ़ बनाना' स्कीम के अंतर्गत एक नए कृषि विस्तार कार्यक्रम एलईएडीएस (LEADS) को लागू कर रहा है. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल संस्थानें हैं- कृषि विभाग तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय.



विस्तार की वर्तमान प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए, फ्रंटियर विस्तार प्रणाली की अवधारणा जिले के भीतर कृषि-पारिस्थितिक जोन के आधार मुख्य किसान-सैटेलाइट किसान संकल्पना के चारों ओर घूमती है, जो पायलट परीक्षण के लिए प्रस्तावित है। कृषि में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कड़ी में मुख्य किसान एक महत्वपूर्ण एजेंट है तथा राज्य में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए मुख्य किसान की सेवाएं नहीं ली जाती हैं।

#### विशेष लक्षण :

1. नियमित क्षेत्र दौरा उन्मुख विस्तार प्रणाली प्रस्तावित है। प्रत्येक पंचायत से तीन मुख्य किसानों का चयन किया जाएगा और मुख्य किसानों के आसपास तीन सैटेलाइट समूह बनाए जाएंगे। प्रति मुख्य किसान 10,000 रुपये नवाचार निधि दी जाएगी तथा प्रति सैटेलाइट किसान समूह को 5,000 रुपये रिवाँल्विंग निधि के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. कृषि भवन के कृषि अधिकारी मुख्य किसानों का चयन करेंगे और किसी वर्तमान समूह को चिन्हित करेंगे/मुख्य किसानों के आसपास नए समूहों का गठन करेंगे। पंचायत में यदि कोई पुरस्कृत किसान उपलब्ध है तो उसे भी मुख्य किसान के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। पुरस्कार विजेताओं के न होने पर, पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अधिकतम फसल उत्पादकता या प्रति इकाई एरिया आय के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने वालों को मुख्य किसान के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. प्रत्येक जिले में चिन्हित नोडल संस्थानों के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर मुख्य किसानों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी।
4. मुख्य किसानों, सैटेलाइट किसानों के समूहों, कृषि भवन के विभागों के पदाधिकारियों, ब्लॉक स्तर के सहायक निदेशकों, उप निदेशकों और अन्य सहयोगी पदाधिकारियों, फील्ड सहायकों,



प्रौद्योगिकी प्रबंधकों, नोडल संस्थानों और सहयोगी संस्थानों को ऑडियो परामर्श के लिए सीयूजी नेटवर्क के अंतर्गत बीएसएनएल मोबाइल फोन के साथ प्रीपेड कनेक्शन प्रदान किया जाएगा. किसान परियोजना के सहयोग से एसएमएस आधारित सलाहकार सेवा भी लागू की जाएगी.

### मुख्य किसानों का चयन

- कृषि भवन के कृषि अधिकारी प्रत्येक पंचायत से तीन मुख्य किसानों का चयन करेंगे.
- प्रत्येक मुख्य किसान के पास से, दस किसानों का सैटेलाइट किसान समूह चयन किया जाएगा.
- मुख्य किसान का क्षेत्र पंचायत का प्रौद्योगिकी हब बनाना चाहिए.
- प्रौद्योगिकी प्रसार में मुख्य किसान की संभावित भूमिका होनी चाहिए.
- शुरुआत में चावल, नारियल, सब्जी और केला उगाने वाले किसानों को चयन किया जाएगा.
- पुरस्कार विजेताओं और फसल उत्पादकता या प्रति इकाई एरिया से आय के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले किसानों को मुख्य किसान के रूप में चिन्हित किया जाएगा.

### 3.5 प्रगतिशील किसान:

प्रगतिशील किसान वह है जो उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का उपयोग करता है और उससे लाभ उठाता है. वह एक अभिनव किसान हो भी सकता है और नहीं भी. वे राय देने वाले नेताओं के रूप में किसानों द्वारा लगभग स्वीकार किए जाते हैं. उदाहरण: तिलहन अनुसंधान निदेशालय ने कुछ किसानों को प्रगतिशील किसानों के रूप में पहचाना और उनकी तिलहन प्रौद्योगिकियों को प्रसार के लिए वेबसाइट पर रखा.



### 3.6 कॉन्टेक्ट फार्मर (संबद्ध किसान)

ग्राम स्तर पर प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए टी एंड वी (T&V) प्रणाली में कॉन्टेक्ट फार्मर मुख्य व्यक्ति है। इसने कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम दिए हैं, लेकिन फिर भी सफलता कॉन्टेक्ट फार्मर की क्षमता पर निर्भर करती है।

### 3.7 सारांश

इस यूनिट में देश के सभी राज्यों में चल रही वर्तमान विस्तार प्रणाली का किसान से किसान विस्तार तक के संबंध पर एक तुलनात्मक तस्वीर पेश की गई है। उपरोक्त सभी किसान से किसान विस्तार तक के संबंध कृषि और संबद्ध सेक्टरों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। किसानों से किसानों के बीच सूचना, विचार, ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान होता है। किसान आमतौर पर प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं यदि उस गांव के अन्य किसान उन प्रौद्योगिकियों को अपनाते हैं। केवल किसानों से किसानों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के कारण ही उत्पादन और प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकियों, विपणन प्रथाओं आदि को अपनाया जाता है। यह किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी तरीका है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए एक तेज तंत्र के रूप में उभर रहा है। यह लागत प्रभावी है, मानव संसाधन की बचत करता है, मांग संचालित और स्थिति विशिष्ट है।

### 3.8 प्रश्न

1. फार्म स्कूल क्या है? आपके द्वारा आयोजित फार्म स्कूल का वर्णन करें।
2. कौन एक मुख्य किसान है और वह विस्तार सलाहकार और वितरण सेवाओं का सहयोग कैसे करता है?



3. आप आदर्शरायथु के बारे में क्या जानते हैं?

### 3.9 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997
3. Gallagher K. 1999. Farmers Field School (FFS) – A Group Extension Process based on Non-Formal Education Methods. Global EPM Facility, FAO.
4. PM. 2002. Textbook of Extension Education. Himalaya Publ.
5. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
6. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
7. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
8. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
9. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan



## यूनिट-4

### फार्मर फील्ड स्कूल - अवधारणा और उनका संचालन

#### संरचना:

- 4.0. उद्देश्य
- 4.1. परिचय
- 4.2. फार्मर फील्ड स्कूल का अर्थ
- 4.3. फार्मर फील्ड स्कूल की मूल अवधारणा
- 4.4. फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण के सिद्धांत
- 4.5. फार्मर फील्ड स्कूल की विशेषताएं
- 4.6. विशिष्ट चावल आईपीएम फील्ड स्कूल
- 4.7. आईपीएम फील्ड स्कूलों पर विचार
- 4.8. उपसंहार

#### 4.0. उद्देश्य

*इस यूनिट को पढ़ने के उपरांत, शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे:*

- फार्मर फील्ड स्कूलों की मूल अवधारणाओं को समझने में
- फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण के सिद्धांतों और विशेषताओं को समझने में
- किसान फील्ड स्कूलों के संचालन में शामिल प्रक्रियाओं को समझने में और
- फील्ड स्कूलों की अवधारणा को समझने में





## 4.1 परिचय

हरित क्रांति की शुरुआत छोटे किसानों की फसल उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी. जल की पहुंच, उन्नत किस्में और अन्य इनपुटों में सुधार करके, हरित क्रांति ने 1960 और 1990 के दशक के बीच चावल की औसत पैदावार को दोगुना करने में मदद की..

1970 के दशक के दौरान यह अधिक स्पष्ट हो गया कि कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न कीट प्रतिरोध और पुनरुत्थान ने हरित क्रांति से मिलने वाले लाभों के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न कर दिया. उसी समय, अनुसंधान किया जा रहा था जिसने प्रमुख चावल कीटों के जैविक नियंत्रण की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया. जबकि, अनुसंधान संस्थानों में उत्पन्न ज्ञान और कीटनाशक के आक्रामक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से सामान्य तौर से किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति में अभी भी अंतर है. आने वाले वर्षों में, मिश्रित परिणामों के साथ, एशिया में छोटे किसानों - विशेष रूप से चावल किसानों - तक एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रणाली को पहुंचाने के लिए कई दृष्टिकोणों से प्रयास किए गए. कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि आईपीएम के सिद्धांत इतने जटिल थे कि छोटे किसानों को उसका उस्ताद बनना बहुत कठिन था तथा केवल उन पर केन्द्रित संदेश ही किसानों को उनकी प्रथाओं को बदलने के लिए विश्वास दिलाने का एकमात्र तरीका था.

वर्ष 1980 के दशक के अंत तक, इंडोनेशिया में किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक नया दृष्टिकोण सामने आया, जिसे 'फार्मर फील्ड स्कूल' (FFS) कहा जाता है. पद 'फार्मर फील्ड स्कूल' इंडोनेशियाई अभिव्यक्ति सेकोलहलपंगन (Sekolah Lapangan) से आया है जिसका केवल अर्थ है- फील्ड स्कूल. प्रथम फील्ड स्कूल वर्ष 1989 में सेंट्रल जावा में 50 प्लांट सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उनके आईपीएम प्रशिक्षण के प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में फील्ड प्रशिक्षण पद्धतियों का



परीक्षण करने और उसे बनाने के प्रमुख सीजन के दौरान स्थापित किया गया था. सेकोलहलपंगन(SekolahLapangan) नाम शैक्षिक लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए रखा गया; पाठ्यक्रम क्षेत्र में आयोजित हुआ और क्षेत्र की स्थितियों ने अधिकांश पाठ्यक्रम को परिभाषित किया, लेकिन फसल (चावल) की बुवाई से कटाई तक क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया गया और उनका विश्लेषण किया गया. सीजन के अंत में पैदावार का आकलन करते हुए फसल प्रबंधन पर समूह के निर्णयों का मूल्यांकन किया गया. आईपीएम पद्धतियों और किसान के पारंपरिक पद्धतियों की तुलना करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा शोध अध्ययन के लिए एक क्षेत्र स्थापित किया गया था. पूर्व और बाद के परीक्षण किए गए थे, पूरे सीजन एक ही किसान और सुविधा प्रदान करने वालों ने भाग लिया और स्नातक की उपाधि उपस्थिति और अधिगम के निष्पादन पर आधारित था. किसानों को स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. इस प्रकार, फील्ड स्कूल बिना दीवार के एक स्कूल था जिसने बुनियादी कृषि-पारिस्थितिकी और प्रबंधन कौशल सिखाया. भागीदारी तरीके के अलावा, फार्मर फील्ड स्कूलों का इससे अच्छा और कोई सही तरीका नहीं है.

एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) पर आधारित फार्मर फील्ड स्कूल को किसानों को उनकी पद्धतियों को विविध और गतिशील पारिस्थितिक परिस्थितियों में बदलने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया था. नीति-निर्माता और योगदानकर्ता फार्मर फील्ड स्कूल के परिणामों से प्रभावित हुए और कार्यक्रम का तेजी से विस्तार हुआ. आखिरकार, चावल की खेती के लिए आईपीएम फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रम बारह एशियाई देशों में लागू किए गए और धीरे-धीरे सब्जियों, कपास, और पशुधन तथा अन्य फसलों के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया. नब्बे के दशक के मध्य के उपरांत, एशिया में हुए अनुभव का उपयोग विश्व के अन्य हिस्सों में आईपीएम



फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रमों को आरंभ करने में किया गया. नई कोमोडिटी को जोड़ा गया और इन कार्यक्रमों के स्थानीय अनुकूलन और संस्थागतकरण को प्रोत्साहित किया गया. वर्तमान में, विश्व भर में 30 से अधिक देशों में विकास के विभिन्न स्तरों पर आईपीएम फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

#### 4.2 फार्मर फील्ड स्कूल का अर्थ

फार्मर फील्ड स्कूल वयस्क शिक्षा का रूप है, जो इस अवधारणा से विकसित किया गया है कि किसान क्षेत्र अवलोकन और प्रयोग से बेहतर सीखते हैं. फसल बुवाई से लेकर कटाई तक के नियमित सत्रों में किसानों के समूह फसल के पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का निरीक्षण करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं. सरल प्रयोग किसानों को कार्यपरक संबंधों (जैसे कीट-प्राकृतिक शत्रु की जनसंख्या गतिशीलता और फसल क्षति-उपज संबंधी) में उनकी समझ को बेहतर बनाने में सहायता करता है. इस चक्रीय अधिगम प्रक्रिया में, किसान विशेषज्ञता विकसित कर लेते हैं जो उन्हें उनके फसल प्रबंधन निर्णयों को लेने में सक्षम बनाता है. विशेष समूह गतिविधियाँ साथियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा संचार कौशल और समूह निर्माण को मजबूती प्रदान करती हैं.

#### 4.3. फार्मर फील्ड स्कूल की मूल अवधारणा

फार्मर फील्ड स्कूल की मूल अवधारणा है:

- यदि मैं इसे सुनता हूँ, तो मैं इसे भूल जाता हूँ
- यदि मैं इसे देखता हूँ, तो मैं इसे याद रखता हूँ
- यदि मैं इसकी खोज करता हूँ, तो मैं इसे जीवनभर अपनाता हूँ



**1. वयस्क गैर-औपचारिक शिक्षा:** फील्ड स्कूलों का मानना है कि किसानों के पास पहले से ही अनुभव और ज्ञान का खजाना है. यह भी मानना है कि गहनता कार्यक्रमों के दौरान हो सकती हैं गलत धारणाएं और बुरी आदतें सीखी गई हों (जैसे कि प्राकृतिक दुश्मनों का कम ज्ञान, क्षेत्र में देखे गए किसी कीट का बुनियादी डर, आदि). इसलिए क्षेत्र के स्कूल कृषि-पारिस्थितिक का बुनियादी ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए उन्मुख हैं, लेकिन सहभागिता के रूप में ताकि कार्यक्रम में किसानों का अनुभव एकत्रित हो सके. उदाहरण के लिए, जब क्षेत्र में देख कर, सुविधादाता किसानों से पूछेंगे कि एक प्राकृतिक दुश्मन के रूप में यह क्या है और पूछेंगे कि किसको मालूम है कि यह क्या खा सकता है. किसान अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सुविधादाता के ज्ञान में वृद्धि होती है. अगर किसी के बीच असहमति है, तो सही उत्तर खोजने के लिए सुविधादाता और प्रतिभागी सामान्य अध्ययन करेंगे. एक फील्ड स्कूल के किसान इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ मादा बीटल कीटों की शिकार थीं या पौधे का कीट थीं. एक किसान ने अपनी पसंद पर दूसरे से दांव लगाया. सुविधादाता ने दिखाया कि कैसे मादा बीटल को एक मर्तबान जिसमें में उसका शिकार(कीट) है, में रखा जाए और एक मर्तबान जिसमें पत्तियां हैं, में रखा जाए. परिणाम यह हुआ कि मादा बीटल ने कीड़े को खा लिया और हारने वाले को अपनी पीठ पर गाँव के चारों ओर विजेता को घुमाना पड़ा. वास्तव में दोनों प्रकार की मादा बीटल हैं लेकिन एक बालों वाली('hairy') है और दूसरी बिना बालों वाली. किसानों ने यह देखा.

**2. तकनीकी रूप से मजबूत सुविधाप्रदाता:** फील्ड स्कूल आमतौर पर सरकार के विस्तार कर्मचारी सदस्य, किसान संगठन या गैर सरकारी संगठन के द्वारा आरंभ किया जाता है. परंतु सभी मामलों में व्यक्ति के पास कुछ कौशल होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति



संबंधित फसल उगाने में कुशल होना चाहिए. ज्यादातर देशों में, विस्तार कर्मचारियों ने कभी भी 'बीज से बीज' फसल नहीं उगाया है और अधिकांश में आत्मविश्वास की कमी होती है. इसी कारण से, अधिकांश आईपीएम कार्यक्रमों ने लंबे समय तक चलने वाले सीजन पाठ्यक्रमों में फील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आरंभ किया है जो उन्हें आईपीएम फसल की वृद्धि और प्रबंधन में बुनियादी तकनीकी कौशल प्रदान करते हैं. कुछ लोगों ने इसे "किसान सम्मान पाठ्यक्रम" कहा है जिसमें क्षेत्र के कर्मचारियों को पता चलता है कि खेती करना कितना कठिन है और किसान उनके "विस्तार संदेशों" को तुरंत क्यों नहीं अपनाते हैं. फील्ड स्कूलों में शिक्षा की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इस सीजन में सुविधा कौशल और समूह गतिशीलता/समूह निर्माण पद्धतियां भी शामिल हैं. एक अनिश्चित प्रशिक्षक अच्छा प्रशिक्षक नहीं है. जब अपरिहार्य अज्ञात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो एक आत्मविश्वासी प्रशिक्षक ही आसानी से कह सकता है कि "मुझे ज्ञात नहीं है, चलो मिलकर पता लगाते हैं".

**3. फसल फोनोलॉजी और सीमित समय के आधार पर:** फील्ड स्कूल और प्रशिक्षकों के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण फसल फोनोलॉजी पर आधारित है; पौधों के मुद्दों का अध्ययन अंकुरित होने के चरणों के दौरान किया जाता है, उर्वरक मुद्दों पर चर्चा उच्च पोषक तत्वों की मांग के चरणों के दौरान की जाती है और इसी तरह की और भी चर्चाएं की जाती हैं. यह पद्धति एक शिक्षक के रूप में फसल का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसान ने जो भी सीखा है उसका तुरंत उपयोग और अभ्यास कर सके. साप्ताहिक आधार पर बैठक का मतलब है कि किसान पाठ्यक्रम के पूरे सत्र में शामिल हो रहे हैं.



- 4.समूह अध्ययन:** अधिकांश फील्ड स्कूलों को लगभग सामान्य हित वाले 25 व्यक्तियों के समूह के लिए आयोजित किया जाता है, जो अपने व्यक्तिगत अनुभव और शक्ति दोनों के साथ एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं और "महत्वपूर्ण जनसमूदाय" का निर्माण कर सकते हैं. व्यक्ति के रूप में, कुछ नया करने की कोशिश करना अक्सर सामाजिक रूप से अनुचित होता है (जैसे स्प्रे कम करना, फसलों को कवर करना), लेकिन समूह के समर्थन से, कुछ नया करने की कोशिश स्वीकार्य कर ली जाती है. 25 व्यक्तियों की संख्या मोटे तौर पर वह संख्या है जो आराम से एक सुविधाप्रदाता के साथ मिलकर कार्य कर सकती है. आमतौर पर इन 25 व्यक्तियों को पांच व्यक्तियों के समूहों में उप-विभाजित किया जाता है ताकि सभी सदस्य क्षेत्र अवलोकन, विश्लेषण, चर्चा और प्रस्तुतियों में बेहतर तरीके से भागीदारी कर सकें.
- 5.फील्ड स्कूल की साइट:** फील्ड स्कूल (लर्निंग फील्ड) हमेशा उस समुदाय में आयोजित किए जाते हैं जहां किसान निवास करते हैं ताकि वे साप्ताहिक तौर पर शामिल हो सकें और फील्ड स्कूल की पढ़ाई जारी रख सकें. विस्तार अधिकारी फील्ड स्कूल के दिन साइट का दौरा करता है.
- 6.समूह निर्माण:** सुविधाप्रदाता के कार्यों में से एक फील्ड स्कूल को सहायता समूह के रूप में विकसित करने में सहायता करना है ताकि फील्ड स्कूल बंद होने के बाद प्रतिभागी एक दूसरे की सहायता कर सकें.
- 7.मूल विज्ञान:** फील्ड स्कूल फील्ड अवलोकनों, सीज़न-के दौरान लंबे शोध अध्ययनों और अपनी गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं. यह देखा गया है कि जब किसानों ने अपने स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं के अनुसार मूल बातें सीख ली हैं, तो वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो प्रभावी होते हैं.

**8.अध्ययन क्षेत्र [गैर-जोखिम]:** दो एकड़ के अधिगम क्षेत्र में, एक एकड़ दीर्घकालिक प्रयोगों को करने के लिए है. जिसमें से प्रत्येक समूह अध्ययन के लिए एक छोटा (आमतौर पर लगभग 1000 वर्ग मीटर) क्षेत्र होता है. यही फील्ड स्कूलों की बुनियाद है. फील्ड स्कूल के लिए यह क्षेत्र आवश्यक है क्योंकि इसमें किसान व्यक्तिगत जोखिम उठाए बिना अध्ययन कर सकते हैं और जहां उन्हें प्रबंधन निर्णय लेने की अनुमति है, जिसका शायद वे अपने स्वयं के खेत पर आजमाइश न करें. यह किसानों को उनके अपने खेत में प्रयोग से पहले उन्हें स्वयं एक नई पद्धति का परीक्षण करने का तरीका प्रदान करता है. यह अधिक दिलचस्प अनुसंधान विषयों जैसे डिफोलिएशन सिमुलेशन(बनावटी पतझड़) की अनुमति देता है जिसमें पत्तियां तोड़ दी जाती हैं. इस क्षेत्र की व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती हैं.

#### 4.4. फार्मर फील्ड स्कूलों के सिद्धांत


1. "स्वस्थ फसल उगाएं" का अर्थ है उचित फसल एवं पौधा प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग करके पौधों को पर्यावरण या कीट की समस्या से मुक्ति दिलाएं, कीट के हमले (कीड़े और बीमारी) से संबंधित पोषक तत्वों की कमी से बचाएं और पौधों में कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध को बढ़ावा दें [शैक्षणिक अवधि: सांस्कृतिक नियंत्रण].



2. "प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण" कीटों और रोगों से जैविक नियंत्रण प्रदान करता है. परजीवियों, शिकारियों और रोगजनकों को लंबे समय से कीटों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के शोध में सूक्ष्मजीव प्रतिपक्षी (microbial antagonists) और पौधों की बीमारियों के प्रतिद्वंद्वी भी महत्वपूर्ण हैं. नियंत्रण प्रणाली के लिए वर्टीब्रेट प्राकृतिक शत्रु भी आवश्यक हैं.



3. संरक्षण आमतौर पर अनुचित कीटनाशक अनुप्रयोग से बचना है (हर्बिसाइड, कवकनाशी और कीटनाशक सभी का कीड़ों और रोग प्राकृतिक शत्रुओं पर प्रभाव पड़ता है) या मृदा में फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक मृदा के कार्बनिक पदार्थों में सुधार किया जाए है. प्राकृतिक शत्रुओं के निवास का संरक्षण और विकास प्राकृतिक शत्रुओं (जैसे उल्लू के निवास, मकड़ियों के लिए मल्लिचंग और परजीवियों के लिए फूलों के नेक्टर) को संरक्षित करने के अधिक प्रभावी तरीके हैं. विशेष परिस्थितियों में पालतु प्राकृतिक शत्रुओं का बचाव या उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है (Inoculation or inundation), लेकिन यह





संरक्षण प्रयासों के लागू होने के बाद ही संभव हो सकता है. [शैक्षणिक अवधि: सांस्कृतिक नियंत्रण].

4. "फसलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें" का अर्थ है जल, मृदा और पौधों के प्रबंधन के लिए उचित समय पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लेना. उपयोग किए गए इनपुट पारिस्थितिक आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित हैं: [शैक्षणिक अवधि: इनपुट विश्लेषण].



5. यह महत्वपूर्ण है कि मृदा, कीट और फसलों के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के खेतों में "किसान विशेषज्ञ बन जाएं". विशेषज्ञता से तात्पर्य है - कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ. सरल नियम और निर्देश अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं परंतु दीर्घकालिक स्थानीय विकास को नहीं बनाए रख सकते हैं.



फार्मर फील्ड स्कूल न केवल उस प्रथा से संबंधित है, जिसके बारे में किसान सीखना चाहते हैं बल्कि किसानों के साथ किसान जैसा व्योहार भी करते हैं. किसानों को फील्ड प्रबंधन कौशल में उस्ताद बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करने के उद्देश्य से फार्मर फील्ड स्कूल संचालित किए जाते हैं. किसान अपने ही खेत में अपने स्वयं के निर्णयों को लागू करता है.



फार्मर फील्ड स्कूल में समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखा जाता है, न कि बाधाओं के तौर पर. किसान समूहों को कई विश्लेषणात्मक तरीके सिखाए जाते हैं. समस्याओं को क्रमवार समूहों के समक्ष रखा जाता है ताकि प्रशिक्षु क्षेत्र में आने वाली किसी भी समस्या की पहचान करने और उससे निपटने की अपनी क्षमता में विश्वास पैदा कर सकें.

फार्मर फील्ड स्कूल कई सिद्धांत सिखाते हैं, जो संबंधों के कारण और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं और किसानों को उन्हें खोजने और सीखने में सहायता करते हैं. इसके विपरीत पैकेज वाले दृष्टिकोण केंद्रीय योजनाकारों पर किसानों की निर्भरता को बढ़ाते हैं क्योंकि न तो वे लागत प्रभावी हैं और न ही किसान की प्रबंधन कौशल की गुणवत्ता में सुधार करने में प्रभावी हैं.

अतः, फार्मर फील्ड स्कूलों के प्रमुख सिद्धांत हैं- शिक्षार्थी तय करते हैं कि क्या प्रासंगिक और क्या सार्थक है और शिक्षार्थी द्वारा उसका खोजा जाना चाहिए. अधिगम उस स्थिति में पनपता है जिसमें सिखाने को एक सरल प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो लोगों को उनके लिए घटनाओं के व्यक्तिगत अर्थ का पता लगाने और उन्हें खोजने में सहायता करता है; अधिगम अनुभव का परिणाम है; लोग जिम्मेदार तब बनते हैं जब वे जिम्मेदारी लेते हैं और सफलता का अनुभव करते हैं; सहकारी दृष्टिकोण सक्षम बना रहे हैं; जैसे-जैसे लोग सहयोगी समूह दृष्टिकोण में निवेश करते हैं, वे अपने स्वयं के मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करते हैं; अधिगम एक विकासवादी प्रक्रिया है तथा उसकी विशेषताएं हैं- स्वतंत्र और खुले विचारों वाले संप्रेषण, टकराव, स्वीकृति, सम्मान और गलतियां करने के अधिकार; वास्तविकता पर प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अनोखा है; कैसे सीखते हैं और समस्याओं को हल कैसे करते हैं



पर जैसे-जैसे वे अधिक जागरूक होते जाते हैं, वे सीखने और कार्रवाई करने की अपनी शैलियों में सुधार कर सकते हैं तथा उनमें संशोधन कर सकते हैं. (Jules N. Prettty)

#### 4.5. फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण की विशेषताएँ

**विशेषज्ञ के रूप में किसान:** यहां पर करके सीखना प्रशिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है. किसान जिस विशेष कृषि पद्धति के बारे में अध्ययन करना और सीखना चाहते हैं, उससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों को स्वयं करके सीखते हैं. ये वार्षिक फसलों, पशुधन / चारा उत्पादन, बगीचे या वन प्रबंधन से संबंधित हो सकते हैं. मुख्य बात यह है कि किसान अपने क्षेत्र का अध्ययन स्वयं करते हैं. उनका प्रशिक्षण तुलनात्मक अध्ययनों (विभिन्न उपचारों वाले) और क्षेत्र अध्ययनों पर आधारित होता है, जो वे स्वयं करते हैं न कि विस्तार / शोध कर्मचारी. ऐसा करने में वे उस विशेष पद्धति के विशेषज्ञ बन जाते हैं जिसकी वे जांच कर रहे हैं.

**खेत प्राथमिक अधिगम सामग्री है:** सभी अधिगम खेत पर आधारित हैं. खेत ही वह स्थान है जहाँ किसान सीखते हैं. अधिगम फील्ड (2.00 एकड़) का चयन फार्मर फील्ड स्कूल के प्रशिक्षुओं में से किसी एक प्रशिक्षु के खेत को किया जाता है. छोटे उप-समूहों में कार्य करते हुए वे क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों पर अपने विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं और आगे की चर्चा, पूछताछ और सुधार के लिए फार्मर फील्ड स्कूल के अन्य किसानों के समक्ष अपने निर्णय के रखते हैं.

#### एक सामान्य फार्मर फील्ड स्कूल अधिगम क्षेत्र का खाका (2 एकड़)

किसान के अभ्यास हेतु ( $\frac{1}{2}$ एकड़)	लंबी अवधि के प्रयोग हेतु (एक एकड़)	आईपीएम ( $\frac{1}{2}$ एकड़)
---	---------------------------------------	---------------------------------



**विस्तार कार्यकर्ता सुविधाप्रदाता के रूप में हैं शिक्षक नहीं:** विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है न कि एक पारंपरिक शिक्षक की. एक बार किसान को जब पता चल जाता कि उन्हें क्या करना है और क्षेत्र में क्या अवलोकन करना है, तब विस्तार कार्यकर्ता पीछे से भूमिका निभाता है और केवल पूछे जाने पर ही सहायता और मार्गदर्शन करता है. बैठकों के दौरान प्रस्तुतिकरण देना किसानों का काम है न कि विस्तार कार्यकर्ता का. बैठक के दौरान प्रत्येक कार्य समूह के सदस्यों को जिम्मेदारी लेते हुए अपने साथी किसानों के लिए अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है. विस्तार कार्यकर्ता बाद के चर्चा सत्रों में एक योगदानकर्ता के रूप में भाग ले सकता है न कि एक नेता के रूप में ताकि उस समय क्या कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है की सहमति पर आम राय बनाई जा सके.

**पाठ्यक्रम समाकलित है:** पाठ्यक्रम समाकलित है. फसल, पशुपालन, बागवानी, रेशम उत्पादन के साथ पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शिक्षा को मिलाकर समग्र दृष्टिकोण बनाया जाता है. क्षेत्र में सामना की जाने वाली समस्याएं एकीकृत सिद्धांत हैं.

**प्रशिक्षण मौसमी चक्र का अनुसरण करता है:** जिस पद्धति की जांच की जा रही है, प्रशिक्षण उसके मौसमी चक्र से संबंधित है. वार्षिक फसलों के लिए यह खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक का होगा. चारा उत्पादन के लिए मात्रा और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष के शुष्क मौसम को शामिल करना होगा, जब पशुओं के चारे की आपूर्ति आमतौर पर कम होती है. पेड़ की पैदावार और संरक्षण के उपायों जैसे हेज रो और ग्रास स्ट्रिप्स के लिए प्रशिक्षण कई वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता होगी, ताकि किसान अपनी लगाई गई पूरी लागत और उससे हुए लाभ देख सकें.



**नियमित समूह बैठकें:** किसान नियमित अंतराल पर आपस में मिलते हैं. वार्षिक फसलों के लिए फसल के मौसम के दौरान ऐसी बैठकें प्रत्येक 1 या 2 सप्ताह में हो सकती हैं. अन्य कृषि/वानिकी प्रबंधन प्रथाओं के लिए बैठकों की संख्या विशिष्ट गतिविधियां करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है.

**अधिगम सामग्रियों का निर्माण शिक्षा ग्रहण करने वाले करते हैं:** किसानों ने जो कुछ भी क्षेत्र में आजमाइश करते समय अवलोकन किया है, उसी के निष्कर्ष पर वे अपनी अधिगम सामग्रियां स्वयं बनाते हैं. ये सामग्रियां हमेशा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं, इन्हें बनाने में कम लागत आती है, ये शिक्षार्थियों द्वारा नियंत्रित होती हैं और इस प्रकार शिक्षार्थियों द्वारा दूसरों के साथ इन पर चर्चा भी किया जा सकता है. शिक्षार्थी सामग्रियों का अर्थ जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही सामग्री का निर्माण किया है.

**समूह की क्रियाशीलता/टीम निर्माण:** प्रशिक्षण में संचार कौशल, समस्या समाधान, नेतृत्व और चर्चा पद्धतियां शामिल हैं. किसानों को इन कौशलों की आवश्यकता होती है. सामुदायिक स्तर पर सफल गतिविधियों के लिए आवश्यक है कि किसान प्रभावशाली नेतृत्व कौशल का प्रयोग कर सकें और अपने निष्कर्षों को दूसरों तक पहुँचाने की क्षमता रखें.

#### **एफएफएस कार्यान्वयन में प्रमुख चरण**

- एफएफएस-संरचना और विशेषताएं
- प्रतिभागी
- सुविधाप्रदाता
- कक्षा (क्लासरूम)
- अवधि



- बैठक की आवृत्ति
- पाठ्यक्रम
- सत्र का विवरण
- फील्ड डे

**बेंच मार्क सर्वेक्षण:** प्रारंभिक बैठक में बेंच मार्क सर्वेक्षण किया गया, जिसमें किसानों से उनकी खेती के तरीकों, स्थानीय कीट समस्याओं और खेती की खामियों को जानने के लिए पिछले सत्र के आधारभूत आंकड़े एकत्र किए गए. आईपीएम कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कार्य योजना (पाठ्यक्रम) तैयार करने हेतु इन आंकड़ों की आवश्यकता होती है. आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर कमियों की पहचान की जाती है और कमियों को दूर करने के लिए फसल के विकास के विभिन्न चरणों में उनका प्रयोग करने के लिए पाठ्यक्रम में उपयुक्त बदलाव प्रस्तावित किया जाता है ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके.

**फार्मर फील्ड स्कूल की सामान्य संरचना:** सहभागिता दृष्टिकोण के मामले में फार्मर फील्ड स्कूल पारंपरिक प्रकार के अधिगम से भिन्न हैं. प्रत्येक सप्ताह एक चयनित दिन सत्रों का संचालन सुबह 8 बजे से शाम 1.00 बजे किए जाते थे. सत्र के दौरान विभिन्न अभ्यास किए जाते थे जैसे- बैलेट बॉक्स टेस्ट के माध्यम से पहले और बाद में मूल्यांकन (किसानों के ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए), कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण, कीट/रक्षकों की पहचान, पीएआर(PAR) (सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान), कीड़ों का चिड़ियाघर गतिविधियां. इन गतिविधियों में से अधिकांश क्षेत्र में किए जाते थे. इस 14 सप्ताह के फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रम ने कीट जटिलताओं में बदलाव, फसल विकास के चरण के अनुरूप कीटों और रक्षकों की जनसंख्या की



गतिशीलता का अध्ययन करने में सहायता की. इन क्षेत्र अभ्यासों, समूह क्रियाशीलता आदि ने किसानों को आईपीएम दृष्टिकोणों को समझने और अपने स्वयं के क्षेत्रों में आईपीएम विशेषज्ञ बनने में मदद की.

### **एफएफएस की प्रक्रिया**

#### **I. आयोजन और प्रबंधन**

अवधि: आमतौर पर 4-5 घंटे

**अधिगम:** उप-समूहों के माध्यम से

**सत्र प्रबंधन:** मेजबान टीम

**नेतृत्व:** चुने हुए प्रतिनिधि

#### **विशिष्ट पोलांबाडी सत्र (Polambadi session)**

प्रत्येक पोलांबाडी की अवधि 4-5 घंटे की होगी, अधिमानतः सुबह 8.00 बजे से शाम 1.00 बजे तक.

8.00am - पिछले सप्ताह की गतिविधियों की समीक्षा, दिन की गतिविधि के बारे में जानकारी देना.

8.30am - कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पर फील्ड अवलोकन.

9.45am - लघु जलपान

10.00am - शक्तिवर्धक या समूह निर्माण अभ्यास.

10.30am - कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण आरंभ करना, निष्कर्ष निकालना और चर्चा करना, प्रबंधन का निर्णय.



12.00am - प्रत्येक टीम परिणाम प्रस्तुत करती है और समूह आने वाले सप्ताह के लिए प्रबंधन की आवश्यकताओं पर आम सहमति बनाती है.

12.30pm - विशेष विषय

1.00pm - दिन की समीक्षा करना, अगले सप्ताह के लिए योजना बनाना, समापन करना.

प्रत्येक दिन फार्मर फील्ड स्कूलों को चार महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना होगा: वे हैं

- I : विषय सामग्री और एईएसए (AESA)
- II : प्रयोग कार्य
- III : समूह की क्रियाशीलता
- IV : विशेष विषय

#### I. एईएसए चार चरण की प्रक्रिया है

1. क्षेत्र का अवलोकन.
2. प्रेजेंटेशन साइज़ पेपर पर क्षेत्र अवलोकन को विस्तृत रूप से दर्शाएं.
3. उप-समूहों द्वारा परिणामों और निष्कर्षों / निर्णयों का प्रस्तुतिकरण.
4. सामूहिक कार्यान्वयन हेतु लिए गए निर्णयों का संपूर्ण समूह पालन करता है.



## कृषि- पारिस्थितिकी प्रणाली में विश्लेषण के चरण



1. अवलोकन



2. रिकार्डिंग



3. छोटे समूह बनाकर चर्चा करना



4. आरेख (ड्राइंग)



किसानों द्वारा कृषि- पारिस्थितिकी प्रणाली में विश्लेषण पर प्रस्तुतीकरण

## II. प्रयोग के लिए कार्य


तुलनात्मक अध्ययन

फील्ड अध्ययन उदाहरण के लिए कीट चिड़ियाघर, मृदा की बनावट आदि.

दीर्घकालिक या अल्पकालिक

## III. समूह की क्रियाशीलता

टीम निर्माण कौशल, संगठनात्मक कौशल,  
सहयोग, योजना आदि विकसित करना.



## IV. विशेष विषय

मौजूदा ज्ञान पर बढ़ाएं

किसानों के बीच परस्पर संपर्क और जानकारी साझा करने में सक्षम बनाएं

मांग आधारित सूचना प्रसार सुनिश्चित करें.


किसानों, विस्तार अधिकारियों और वैज्ञानिकों के बीच वार्तालाप को बढ़ावा दें.

## V. विशेष चावल आईपीएम फील्ड स्कूल

आईपीएम फील्ड स्कूल 25 किसानों के लिए एक क्षेत्र आधारित अधिगम अनुभव है. फील्ड स्कूल पूरे फसली सीजन चलता है, इस दौरान कम से कम 12 बार बैठकें होती हैं और प्रत्येक



बैठक चार से पांच घंटे की अनुमानित अवधि की होती है. इस उद्देश्य के साथ कि प्रतिभागी पूरे सीजन चावल के खेत की पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का अवलोकन और विश्लेषण कर सकें. प्रत्येक बैठक में गतिविधियों का एक सेट पैटर्न होता है: कृषि - पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र अवलोकन, विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण; विशेष विषय; और समूह की क्रियाशीलता. कृषि - पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण फील्ड स्कूल की मुख्य गतिविधि है, और अन्य गतिविधियों को इसकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है.



कृषि - पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण और अन्य गतिविधियों के दौरान, किसान पाँच 'छोटे समूहों' में विभाजित होते हैं और प्रत्येक छोटे समूह में पांच प्रतिभागी होते हैं. यह छोटे समूह चर्चा के लिए एक आदर्श आकार है. यह संख्या पर्याप्त विचारों की विविधता प्रकट करने का अवसर देती है. यह इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि कम मुखर प्रतिभागियों को सक्रिय भूमिका निभाने से हतोत्साहित करे. फील्ड स्कूल पूरा होने के बाद पच्चीस किसान गांव के संदर्भ में उचित आकार के आईपीएम के लिए पड़ोस से सहायता समूह का गठन करते हैं.



प्रतिभागियों का चयन किसान समूह, जिसमें से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा के सदस्यों के साथ आईपीएम(IPM) फील्ड स्कूल सुविधाप्रदाता के नेतृत्व में एक बैठक में होता है। इस बैठक में फील्ड स्कूल प्रक्रिया को समझाया जाता है। सुविधाप्रदाता संभावित प्रतिभागियों को यह भी समझाता है कि उनसे संपूर्ण सीजन की अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह शामिल होने की उम्मीद की जाती है। संभावित प्रतिभागियों को इसके लिए सहमत होने ('सीखने का अनुबंध') या अपना नाम वापस लेने का अवसर दिया जाता है।

कुछ देशों में एफएफएस बैठकों की संख्या को 16 बैठकों तक बढ़ा दिया गया है और प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। जब एफएफएस चावल के अलावा अन्य फसल पर किया जाता है, तो आवश्यक ही उस फसल के विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र (उदाहरण के लिए पौधे की फिजियोलॉजी, कीड़े, आदि) की विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर परिवर्तन होते हैं। किसी भी एफएफएस की प्रक्रिया समान होनी चाहिए; जब भी एफएफएस विभिन्न फसलों के साथ आयोजित किया जाएगा, परिवर्तन सामग्री में ही होगा।

**कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण:** कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण की प्रक्रिया अवलोकन और निर्णय लेने के मामलों में किसानों के कौशल में वृद्धि करती है और गंभीरता से सोचने की उनकी शक्तियों को विकसित करने में सहायता करती है। प्रक्रिया आईपीएम और गैर-आईपीएम प्लॉटों के छोटे समूह के अवलोकनों से आरंभ होती है। अवलोकन प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी फील्ड आंकड़े एकत्रित करते हैं - जैसे प्रति पहाड़ी हरवाहों(टिलर) की संख्या तथा विभिन्न कीड़े और उनकी आबादी एवं कीटों और पौधों के नमूने। ये आंकड़े दस चावल की पहाड़ियों से एकत्रित किए जाते हैं। संपूर्ण अवलोकन के दौरान अवलोकन करने में प्रतिभागियों की सहायता करने के लिए सुविधाप्रदाता मौजूद रहते हैं।

क्षेत्र अवलोकन के बाद, किसान सभा स्थल पर लौट आते हैं और जो उन्होंने अभी-अभी क्षेत्रों में अवलोकन किया है, क्रेयॉन के उपयोग से उसका आरेख न्यूज़प्रिंट(अखबारी कागज) या पोस्टर पेपर के एक बड़े टुकड़े पर बनाते हैं. आरेख में शामिल हैं:

- a) क्षेत्रों में देखे गए कीट और प्राकृतिक शत्रु (एक ओर कीट, दूसरी ओर प्राकृतिक शत्रु);
- b) चावल का पौधा, जो पौधे के आकार और विकास की अवस्था के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे कि टिलर की संख्या, पौधे का रंग और दिखाई देने वाला कोई भी क्षति को इंगित करता है; पर्यावरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं (खेत में पानी का स्तर, धूप, छाया प्रदान करने वाले पेड़, खरपतवार और इनपुट).

**कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण**

**Agro – Eco system Analysis**

The diagram illustrates an agro-ecosystem analysis for rice. It features a central drawing of a rice plant with various insects and birds around it. The diagram is divided into four main sections:

- Beneficial Insects:** Lists 5 types of beneficial insects with their counts: 1. 10, 2. 4, 3. 6, 4. 3, 5. 10.
- Harmful Insects:** Lists 7 types of harmful insects with their counts: 1. 1, 2. 30, 3. 2, 4. 1, 5. 1, 6. 4, 7. 100.
- General Information:** Lists 6 general information points: 1. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1.
- Farmers decisions:** Lists 3 farmer decisions: 1. 1, 2. 1, 3. 1.

छोटे समूह के सभी सदस्य आंकड़ों के आरेखण और विश्लेषण में शामिल होते हैं. आरेखण करते समय, किसान उन आंकड़ों पर चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जो उन्होंने क्षेत्र से एकत्रित किए हैं. अपने विश्लेषण के आधार पर वे क्षेत्र में किए जाने वाले कार्रवाईयों



पर निर्णय लेते हैं. समूह द्वारा सहमति के अनुसार किए जाने वाले इन कार्रवाईयों पर लिए गए निर्णयों का सारांश भी आरेख में शामिल होता है.

इसके बाद प्रत्येक छोटे समूह का एक सदस्य इन निष्कर्षों और निर्णयों को बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है. परिणामों की इस संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद प्रश्नों और चर्चा के लिए मंच को खोल दिया जाता है. बड़ी समूह चर्चाओं में अक्सर वैकल्पिक परिदृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण के लिए प्रश्न जैसे "आप क्या करेंगे अगर ....". प्रस्तुतीकरण, प्रश्न-उत्तर और चर्चा का यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक कि सभी पांचों छोटे समूह अपने परिणाम प्रस्तुत नहीं कर देते हैं. बाद में चर्चा के लिए संदर्भ और सामग्री के रूप में पिछले सप्ताहों के कृषि-पारिस्थितिक तंत्र के निष्कर्षों को अपने पास में रखा जाता है.

#### 4.6.1. कृषि-पारिस्थितिक तंत्र गतिविधि मैट्रिक्स

गतिविधि	महत्वपूर्ण चरण	अभियुक्ति	संकेतक
(प्रमुख एफएफएस गतिविधि अच्छी आईपीएम आदतें विकसित करती हैं: -अवलोकन -विश्लेषण	अवलोकन और कृषि-पारिस्थितिक तंत्र का आरेख बनाना	प्रतिभागियों को अवलोकन की प्रक्रिया और उसके प्रयोजन या उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है. क्षेत्र में प्रतिभागी नोट बनाते हैं, नमूने एकत्रित करते हैं. आरेखण का उद्देश्य अवलोकन का सारांश बनाना व विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना है.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गतिविधि से पहले प्रतिभागियों को सूचित किया जाएगा               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) गतिविधि का लक्ष्य और</li> <li>b) गतिविधि के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया</li> </ol> </li> <li>2. सभी प्रतिभागियों की क्षेत्र में उपस्थिति आवश्यक है.</li> <li>3. अवलोकन की प्रक्रिया में संपूर्ण पौधा शामिल होता है.</li> <li>4. अवलोकन लिखा जाना चाहिए</li> <li>5. नमूने एकत्रित किए जाने चाहिए.</li> </ol>



<p>-निर्णय लेना किसानों को आईपीएम विशेषज्ञ बनाती हैं)</p>	<p>प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण</p>	<p>बड़े समूह के समक्ष प्रत्येक छोटे समूह के एक सदस्य द्वारा परिणामों का विश्लेषण, उत्पन्न समस्याओं, पूछे गए प्रश्नों को प्रस्तुत करना. प्रयोजन: क्षेत्र की परिस्थितियों पर चर्चा करना और आवश्यकता पड़ने पर हल करना. उद्देश्य: पारिस्थितिकी तंत्र अवलोकन के आधार पर निर्णय लेने और विश्लेषणात्मक कौशल में सुधार करने के लिए. विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में मदद करने के लिए सुविधाप्रदाता प्रश्न पूछकर /जांचकर समूह को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करता है</p>	<p>6. आरेखण, अवलोकन का सारांश बनाएं.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रत्येक छोटे समूह के सदस्य द्वारा प्रस्तुतियां बनाना.</li> <li>2. प्रतिभागी प्रस्तुतकर्ता के प्रश्न पूछते हैं.</li> <li>3. सुविधाप्रदाता विश्लेषण के अनुरूप प्रश्न पूछता है</li> <li>4. समूह क्षेत्र की परिस्थितियों और कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र संबंध पर चर्चा करते हैं</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "क्या यदि" परिदृश्यों पर चर्चा की जाए.</li> <li>2. तुलना के लिए पिछले सप्ताह के कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के आरेख का उपयोग.</li> <li>3. समूह द्वारा क्षेत्र प्रबंधन निर्णयों की गंभीरता से जांच.</li> </ol>



			<p>4. आर्थिक कारकों के अलावा अन्य कारकों पर भी विश्लेषण किया जाता है. (उदाहरण के लिए- पौधों के चरण, प्रकृतिक शत्रु)</p> <p>5. गतिविधि के दौरान जो सीखा गया था, उसका विश्लेषण करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए सुविधाप्रदाता प्रमुख प्रश्नों का उपयोग करता है</p>
--	--	--	--

“कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधि मैट्रिक्स” वर्णन करता है कि जब कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण गतिविधियां की जा रही हों, तो पर्यवेक्षक को क्या देखने में सक्षम होना चाहिए. जबकि यह मुख्य रूप से एक रूपरेखा है, 'संकेतक' कॉलम उन अवलोकन योग्य प्रक्रियाओं को दर्शाता है जो प्रक्रिया के लिए मौलिक हैं. ध्यान दें कि सुविधाप्रदाता की भूमिका प्रतिभागियों को सीखने में सहायता करना है, न कि उन्हें सिखाना.

**विशेष विषय:** विशेष विषय चावल कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और आईपीएम सिद्धांतों पर कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण का समर्थन अधिक गहराई से करते हैं. विशेष विषय मूलभूत प्रयोगात्मक पद्धतियों में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. लोकप्रिय विशेष विषयों में चूहा नियंत्रण, पादप फिसियोलॉजी, कीटों के कृत्य और उनकी परस्पर क्रियाएं, कीटनाशक उपयोग संबंधित मुद्दे और सामान्य क्षेत्र पारिस्थितिकी शामिल हैं.





#### 4.6.2. विशेष विषय - गतिविधि मैट्रिक्स

गतिविधि	महत्वपूर्ण चरण	अभियुक्तियां	संकेतक
विशेष विषय (विषय जैसे पारिस्थितिकी, चूहों, जीव विज्ञान, आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं.)	लक्ष्य का कथन	प्रतिभागियों को गतिविधि का उद्देश्य और उन्हें क्या सीखना है, मालूम होना चाहिए.	1. गतिविधि आरंभ करने से पहले प्रतिभागियों को गतिविधि के लक्ष्य और प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए.
	छोटे समूह की प्रक्रियाएं	प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्यों. उनके पास सभी सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए.	1. सभी प्रतिभागी सक्रिय हैं और गतिविधि में शामिल हैं. 2. कोई भी छोटा समूह एक व्यक्ति द्वारा इतना भी हावी नहीं होने दिया जाता कि दूसरों को बिलकुल स्थान न मिले.
	प्रस्तुतीकरण	प्रतिभागियों द्वारा विश्लेषण की गई गतिविधि. सुविधाप्रदाता प्रमुख प्रश्नों को पूछते हैं ताकि	1. क्या हुआ और क्यों हुआ के सारंश सहित प्रतिभागी गतिविधि के दौरान अपने कार्य के परिणाम प्रस्तुत करते हैं.



		<p>प्रतिभागियों को मालूम हो कि गतिविधि के दौरान क्या हुआ और क्यों विशेष विषय आईपीएम के लिए महत्वपूर्ण विषयों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं.</p>	<p>2. नेता प्रतिभागियों से गतिविधि की प्रक्रिया में कदमों की जांच करने और "वास्तविक जीवन" में सीख को लागू करने में सहायता करने के लिए प्रमुख प्रश्न पूछते हैं.</p>
--	--	--	--

**समूह क्रियाशीलता :** समूह की क्रियाशीलता गतिविधि का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता करना है कि कैसे:

- दिए गए समस्याग्रस्त परिस्थितियों में समूह कार्य करते हैं
- सामंजस्य और सहयोग विकसित किया जा सकता है
- अच्छी तरह से कार्य करने वाले समूहों में संप्रेषण क्रिया एक मूलभूत तत्व है

ये गतिविधियाँ आम तौर पर प्रशिक्षक द्वारा प्रस्तावना के साथ आरंभ होती हैं, जो एक समस्या गठित करता है जिसे समूह द्वारा हल करना आवश्यकता है. कई अभ्यास शारीरिक और सक्रिय हैं, जबकि अन्य दिमागी पहली(ब्रेन टीज़र) पर अधिक आधारित होते हैं. विशिष्ट समस्या को दूर करने के लिए कार्य करने के अनुभव को साझा करते हुए और लोगों को सहयोग करने में बेहतर सहायता करने के बारे में सीखते हुए, कोई भी मामला हो समूह को कुछ मज़ा ही आता है.



#### 4.6.3. समूह क्रियाशीलता - गतिविधि मैट्रिक्स:

गतिविधि	महत्वपूर्ण बिंदु	अभियुक्तियां	गुणवत्ता के संकेतक
समूह क्रियाशीलता (समूहकार्य और समस्या हल करने की कौशल को बढ़ता है).	प्रक्रिया	गतिविधि शुरू होने से पहले प्रतिभागियों को उद्देश्यों और प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है. गतिविधि के लिए सामग्रियां, यदि आवश्यक हों तो गतिविधि आरंभ होने से पहले उपलब्ध होनी चाहिए. उद्देश्य प्राप्त हेतु गतिविधि के लिए अनुमत समय पर्याप्त है. लॉजिस्टिक मुद्दे प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गतिविधि आरंभ होने से पहले प्रतिभागियों को गतिविधि के लक्ष्य और प्रक्रिया को बताया जाता है.</li> <li>2. सभी प्रतिभागी शामिल होते हैं / सक्रियता से भाग लेते हैं, गतिविधि में कोई भी अकेला व्यक्ति हावी नहीं होता है.</li> </ol>
	संकलन	नेतृत्व का कार्य है: गतिविधि के उद्देश्य की समीक्षा करे; गतिविधि के दौरान क्या हुआ, उप पर चर्चा का नेतृत्व करे; गतिविधि के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को इंगित करे; गतिविधि के दौरान	<p>नेता:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) गतिविधि के लक्ष्य और प्रक्रिया की समीक्षा करता है;</li> <li>b) गतिविधि के आधार पर प्रतिभागियों को प्रमुख अधिगम बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है;</li> </ol>



	प्रतिभागियों को उनके अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने में सहायता करे.	c) ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो प्रतिभागियों को अनुभव से सीखने में मदद करते हैं.
--	--	---

सुविधाप्रदाता की भूमिका प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता करना है कि उन्होंने क्या अनुभव किया है ताकि वे इस बात को अधिक समझ सकें कि लोग विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं.

**सामग्रियां:** इन गतिविधियों की सहायता करने के लिए आवश्यक कुछ सामग्रियां हैं- प्लाईवुड शीट (आरेख बनाने के लिए बेस), अखबारी कागज(न्यूजप्रिंट) या पोस्टर पेपर का बड़ा टुकड़ा, क्रेयॉन और बड़े फेल्ट टिप वाले पेन. अधिगम सामग्रियां सीखने वाले बनाते होते हैं. कीटों के चित्र बनाने से लेकर विश्लेषणात्मक उपकरणों तक अपनी अधिगम सामग्रियां किसान स्वयं निर्माण करते हैं. ये सामग्रियां हमेशा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं, इन्हें बनाने में कम लागत आती है, ये शिक्षार्थियों द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा इनपर शिक्षार्थियों द्वारा अन्य लोगों के साथ चर्चा किया जा सकता है. शिक्षार्थी सामग्रियों का अर्थ समझते हैं क्योंकि उन्होंने ही इन सामग्रियों का निर्माण किया है.

#### 4.7. आईपीएम फील्ड स्कूलों पर विचार

प्रशिक्षण दृष्टिकोण का आधार गैर-औपचारिक शिक्षा है, जो स्वयं में एक 'अधिगम केंद्रित' खोज प्रक्रिया है. यह सहभागिता, आत्मविश्वास, संवाद, संयुक्त निर्णय लेने और आत्मनिर्णय को बढ़ावा देकर सक्रिय समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को सशक्त बनाना चाहता है. 'कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण' के आधार पर किसानों द्वारा 'खोज अधिगम (डिस्कवरी



लर्निंग)' जो अपने स्वयं के क्षेत्र अवलोकन का उपयोग करता है, विज्ञान पर आधारित है. कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण पद्धति नवीनतम कीटशास्त्र-विषय (एंटोमोलॉजिकल) ज्ञान के आधार पर सावधानी पूर्वक विकसित की गई थी. इसलिए यह सहभागिता दृष्टिकोण 'विज्ञान की अखंडता' का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि विज्ञान के उपयोग का एक नया परस्पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) माध्यम है. *Roling and van de Fliert in Facilitating Sustainable Agriculture (pp. 163-165)*

#### 4.8 सारांश

इस यूनिट में हमने फार्मर फील्ड स्कूल के अर्थ और उसकी बुनियादी अवधारणाओं को जाना है. पद "फार्मर फील्ड स्कूल" इंडोनेशियाई मूल के सेकोलहलपंगन शब्द से आया है. यह प्रौढ़ शिक्षा का एक रूप है, जो इस अवधारणा से विकसित हुआ है कि किसान क्षेत्र अवलोकन और प्रयोगात्मक विधि से अच्छी तरह से सीखते हैं. नियमित सत्रों में फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक, पड़ोसी किसानों के समूह आपस में फसल के पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का अवलोकन करते हैं और उसपर चर्चा करते हैं. सरल प्रयोगात्मक विधि किसानों को कार्यात्मक संबंधों में उनकी समझ को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं. फार्मर फील्ड स्कूल का विकास एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) के आधार पर किया गया था ताकि किसानों को विविध और गतिशील पारिस्थितिक स्थितियों में उनके अभ्यासों में सहायता मिल सके. बाद में, आईपीएम फार्मर फील्ड स्कूलों के अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आए जो अच्छे शैक्षिक परिणाम प्रदान करने में सफल रहे हैं. हमने फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण के सिद्धांतों और विशेषताओं को भी शामिल किया. विशेष चावल आईपीएम फील्ड स्कूल फार्मर फील्ड स्कूल को संचालित करने में पदाधिकारियों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. फार्म स्कूल नवाचार करने वाले किसानों या सफल किसानों जो वास्तव में पहले से वैज्ञानिक और स्थायी कृषि के माध्यम से अपने खेतों में



उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ा रहे हैं. किसान से किसान अधिगम को बढ़ावा देने के लिए फार्मर फील्ड स्कूल और फार्म स्कूल एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विस्तार साधन होंगे. नवाचार करने के निर्णय अवधि को कम करने तथा उन्हें अंगीकार करने की दर में वृद्धि करने के लिए इन नवाचार विस्तार साधनों को प्रभावशाली रूप से योजनाबद्ध करने और लागू करने की आवश्यकता है.

#### 4.9 प्रश्न:

1. फार्मर फील्ड स्कूल क्या है? उसके सिद्धांतों को समझाएं.
2. एफएफएस की महत्वपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध करें और उन्हें समझाएं.
3. प्रत्येक दिन एफएफएस के सत्र में कौन से विभिन्न विषय शामिल किए जाते हैं?
4. एफएफएस में समूह की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण क्यों है?

#### 4.10 अन्य अध्ययन

1. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
2. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
3. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
4. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
5. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan

---

## ब्लॉक-III: कृषि विकास के लिए संस्थागत ढांचा

### यूनिट-1 - कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए संस्थागत सहयोग

#### संरचना:

#### 1.0 उद्देश्य

#### 1.1 परिचय

#### 1.2 कृषि विस्तार के लिए संस्थागत सहयोग तथा विस्तार संगठनों के सक्रिय पहल

#### 1.3 कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, सहकारिता और ऋण संस्थानों का सहयोग

#### 1.4 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए गैर सरकारी संगठन

#### 1.5 जन विकास के लिए पंचायत राज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

#### 1.6 उपसंहार

#### 1.0 उद्देश्य

#### *इस यूनिट को पढ़ने के उपरांत, शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे :*

- कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थागत सहयोग को समझने में
- विभिन्न कार्यक्रमों और किसानों की सहायता के लिए विस्तार संगठनों की सक्रिय पहलों को जानने में
- कृषि और ग्रामीण विकास में सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों, सहकारी समितियों और ऋण संस्थानों की भूमिकाओं को समझने में



- ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में बेहतर रूप से समझ सकेंगे और
- ग्राम विकास में पंचायत राज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को समझ सकेंगे.

## 1.1 परिचय

देश में कृषि विकास को सुनिश्चित करने के लिए, जो इसकी 70% आबादी का मुख्य आधार है, आगे आनी वाली सरकारों ने कार्यक्रमों, परियोजनाओं, अभियानों तथा विभिन्न अन्य शैक्षिक और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विकास संबंधी कई पहलें और प्रयास आरंभ किए. 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत की विशालता को देखते हुए, प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्था वाली सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों और गतिविधियों ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए. तथा सरकारी प्रयास से सब कुछ उम्मीद करना व्यावहारिक रूप से कठिन भी है. इसीलिए, निजी संस्थाओं और अन्य आर एंड डी तथा व्यावसायिक घरानों को 1970 के दशक के बाद से विशेष रूप से हरित क्रांति की अवधि के दौरान कृषि विकास उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनी शक्ति लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. प्रौद्योगिकी के अलावा, स्थायी कृषि विकास के लिए अन्य सेवाओं जैसे इनपुट आपूर्ति, ऋण, बाजारों तक पहुंच, स्थानीय सरकार का सहयोग आदि से सहायता की आवश्यकता होती है. अतः विभिन्न सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से संस्थागत सहयोग आवश्यक है. 'हरित क्रांति' के उपरांत कृषि विकास परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं. ये 21वीं सदी की कृषि गतिशीलता की विशेषता के रूप में बहुलता सामने आई हैं. कृषि विकास को प्रभावित करने वाली यह बहुलता संस्थानों की संख्या और उनके प्रकार के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं. इन संस्थानों की पूरकता और प्रतिस्पर्धा को जानने के लिए कृषि विकास के लिए संस्थागत सहयोग की व्यापक समझ आवश्यक है ताकि स्थायी कृषि विकास के लिए अनुकूल





संस्थागत वातावरण बनाया जा सके. कृषि विस्तार के लिए विभिन्न संस्थागत सहायता प्रणालियों की रूपरेखा अगले भाग में प्रस्तुत की गई है.

## 1.2 कृषि विस्तार के लिए संस्थागत सहयोग तथा विस्तार संगठनों की सक्रिय पहल

विस्तार सेवा और उसके प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था काफी हद तक उन कार्यों पर निर्भर करती है जिन्हे उन्हें निष्पादित करना है और वातावरण जिसमें उन्हें संचालित करना है. जैसे यह वातावरण तेजी से बदल रहा है, विस्तार संगठनों के कार्य को भी बदलना होगा. प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं :

- 1) बढ़ती आबादी और बढ़ती आय के कारण कई देशों में कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. आय में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, अनाज और मुख्य उपज (स्टेपल) की तुलना में पशु और बागवानी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अतीत में, अधिकांश उत्पादन अधिक भूमि पर खेती करके और उसके बड़े अनुपात की सिंचाई करके प्राप्त किया गया था. जबकि, खेती की भूमि और उसकी सिंचाई पर आगे और विस्तार करने पर बंधन होने के कारण, उत्पादन में और अधिक वृद्धि अनिवार्य रूप से उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों द्वारा की जानी है.
- 2) आर्थिक उदारीकरण ने किसानों को विश्व बाजार में उनके उत्पादों को बेचने के लिए नए अवसर खोले हैं, लेकिन यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जोखिम में भी डालता है. ये विकास अधिक कुशल किसानों के पक्ष में हैं जिन्हे सुव्यवस्थित इनपुट आपूर्ति, विपणन, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार प्रणालियों द्वारा सहयोग प्राप्त है.
- 3) कई वर्तमान कृषि पद्धतियां टिकाऊ नहीं हैं. अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं को विकास के लिए अक्सर सामूहिक निर्णय की आवश्यकता होती है, जबकि अतीत में विस्तार मुख्य रूप से व्यक्तिगत निर्णय का समर्थन करते थे.



- 4) यह कम से कम विस्तार एजेंटों को अपने किसानों के लिए नई कृषि प्रणालियों पर निर्णय लेने में सहायता करना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना नई उत्पादन तकनीकों पर उनके लिए निर्णय लेना. अक्सर किसान को उसके लिए खुले विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करने में सहायता की आवश्यकता होती है, बजाय विस्तार की सिफारिशों को पालन करने के. दूसरे शब्दों में, किसानों में उनकी पसंद को चुनने की क्षमता बढ़ाने की तुलना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कम महत्वपूर्ण होता है.
- 5) किसान न केवल सार्वजनिक कृषि विस्तार सेवाओं से नई जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि तेजी से बढ़ती विभिन्न विस्तार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी जानकारियां प्राप्त करते हैं. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकास ने सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के कई नए अवसर खोले हैं. किसान केवल अपने विस्तार एजेंटों की ओर रुख अन्य सूचना स्रोतों की तुलना में कम लागत पर अधिक विश्वसनीय और समयबद्ध जानकारी के लिए करेंगे. सबसे कम औद्योगिकृत देशों को अनुसंधान और विस्तार संगठनों की आवश्यकता होती है, जो अतीत की तुलना में अब किसानों के लिए जानकारी और शिक्षा की आवश्यकताओं पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं. इस प्रकार, स्वयं विस्तार संगठनों को अपने किसानों के स्वदेशी ज्ञान और अनुभव के साथ-साथ सूचना के सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना चाहिए.
- 6) गैर-सरकारी संगठनों के लिए निजीकरण और सरकारों के वित्तीय सहायता के माध्यम से विस्तार संगठनों की वित्तव्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में कई मजबूत शक्तियां हैं.

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अब से दस साल बाद के अधिकांश विस्तार संगठनों को काफी अलग तरीके से संगठित करना होगा. केवल वे संगठन जो संरचना और संस्कृति में सक्रीय रूप से परिवर्तन करते हैं, उभरते हुए प्रतिस्पर्धी विकास की गतिशीलता में बने रहने में सक्षम होंगे. विस्तार एजेंटों की कार्यशैली और जिस प्रकार से वे उसे किसानों से जोड़ते हैं, उसमें बहुत बड़े



परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन प्रक्रिया को निर्देशित करने में विस्तार प्रबंधकों का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान कर्मियों और किसानों के साथ सीधे संपर्क रखने वाले सामान्य विस्तार एजेंटों के बीच सूचना का आदान-प्रदान अच्छा हो, विस्तार संगठनों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, चूंकि महिलाएं कृषिकार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए प्रभावशाली रूप से उनकी सहायता करने के लिए महिला विस्तार एजेंटों की अक्सर आवश्यकता होती है।

विस्तार सेवा सहित किसी भी संगठन की सर्वोच्च संरचना, उस संगठन के कार्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इस प्रकार, एक विस्तार सेवा की सर्वोच्च संरचना बड़े पैमाने पर उत्पादन लाइन पर उत्पाद बनाने वाले कारखाने से अलग है।

### 1.3 कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक और निजी सेक्टरों, सहकारिता और ऋण संस्थानों का सहयोग

**सार्वजनिक और निजी सेक्टर:** पिछले दो दशकों में सार्वजनिक विस्तार के लिए सहयोग में गिरावट देखी गई और विश्व भर में निजी सेक्टर में कई विस्तार सेवा प्रदाता (ईएसपी) व्यापक रूप से उभर कर आए हैं। इसी तरह, पिछले दो दशकों के दौरान भारत में विस्तार सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों की संख्या और प्रकार में भी वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या और संगठनात्मक पहुंच के संदर्भ में, सार्वजनिक सेक्टर के राज्य कृषि विभाग (डीओए) विस्तार प्रावधान पर हावी हैं। अन्य लाइन विभाग, अनुसंधान केंद्र और सार्वजनिक सेक्टर में कृषि विश्वविद्यालय विस्तार में केवल बहुत सीमित भूमिका निभाते हैं। ईएसपी(ESPs) की एक सांकेतिक सूची तालिका 1 में प्रस्तुत की गई है और तालिका 2 में उनकी प्रकृति के आधार पर ईएसपी(ESPs) के प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं।



तालिका-1 भारत में विस्तार सेवा प्रदाता - निधि और उसके वितरण की प्रकृति

क्र.सं.	विस्तार सेवा प्रदाता	निधि की प्रकृति	वितरण की प्रकृति
1.	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE)  विस्तार और अन्य स्कीम डिविजन के माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग (DAC)  पशुपालन विभाग, स्कीम के माध्यम से डेयरी और मत्स्य पालन	सार्वजनिक	सार्वजनिक (फ्रंट-लाइन)
2.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	सार्वजनिक	सार्वजनिक (फर्स्ट-लाइन)
3.	कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, वानिकी, ग्रामीण विकास आदि के राज्य विकास विभाग	सार्वजनिक	सार्वजनिक (मुख्यधारा)
4.	कृषि विज्ञान केंद्र	सार्वजनिक + निजी	सार्वजनिक और निजी
5.	एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन	निजी + सार्वजनिक	सार्वजनिक + निजी
6.	कृषि-उद्योग निगम/खादी और ग्रामोद्योग निगम	सार्वजनिक	सार्वजनिक
7.	कृषि-व्यवसाय फर्म	निजी	निजी



8.	कृषि-इनपुट डीलर	निजि	निजि
9.	गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेंसियां	निजि + सार्वजनिक	निजि
10.	किसान एसोसिएशन	निजि	निजि
11.	उत्पादक सहकारिता	निजि + सार्वजनिक	निजि
क्र.सं.	विस्तार सेवा प्रदाता	निधि की प्रकृति	वितरण की प्रकृति
12.	परामर्शदाता	निजि	निजि
13.	प्रिंट मीडियम (समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, आदि.)	सार्वजनिक + निजि	निजि
14.	ऑल इंडिया रेडियो(आकाशवाणी)	सार्वजनिक	सार्वजनिक
15.	टेलीविजन (दूरदर्शन)	सार्वजनिक + निजि	सार्वजनिक + निजि
16.	बैंक (नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, शिड्यूल्ड बैंक आदि।)	सार्वजनिक और निजि	सार्वजनिक और निजि
17.	इंटरनेट	निजि	निजि
18.	डोनर एजेंसियां	निजि	निजि और सार्वजनिक

स्रोत: Samanta and Sontakki (2005)

बड़ी संख्या में निजी एजेंसियां कृषि और संबद्ध सेक्टरों में लगे किसानों को सलाहकार और अन्य सहायता सेवा प्रदान करती हैं। इनमें शामिल हैं: इनपुट एजेंसियां, किसान संगठन, निर्माता



सहकारी समितियां, कृषि-प्रसंस्करण कंपनियों, कृषि-विपणन फर्म, गैर-सरकारी संगठन, कृषि-व्यवसाय घर, व्यक्तिगत परामर्शदाता, परामर्शदाता फर्म, वित्तीय संस्थान, मीडिया और इंटरनेट सेवाएं. जबकि, इन निजी विस्तार प्रदाताओं की उपस्थिति आम तौर पर अति संपन्न क्षेत्रों और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर पक्षपाती होती है. निजी सेक्टर के फसल/कमोडिटी केंद्रित विस्तार बहुत उपयोगी होते हुए भी, एक मायने में संकीर्ण हैं क्योंकि वे अन्य संबंधित मुद्दों जैसे किसान संगठन विकास या ऐसे मुद्दों जो संसाधन उपयोग की स्थिरता से संबंधित हैं, के साथ जुड़े नहीं हैं.

**तालिका 2. सरकार (सार्वजनिक), सहकारी, निजी और गैर-सरकारी सेक्टरों में प्रमुख विस्तार सेवा प्रदाता (ESPs)**

सेक्टर	प्रमुख विस्तार सेवा प्रदाता
सरकार (सार्वजनिक)	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) (विस्तार का डिजाइन); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानें, कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, आदि के राज्य विकास विभाग.; इफ्को(IFFCO)
सहकारी	एनडीडीबी(NDDDB), एएमयूएल(AMUL), दुग्ध उत्पादक/डेयरी सहकारी समितियां, तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां, मछुआ सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, आदि.
गैर-सरकारी	भारतीय कृषि-उद्योग फाउंडेशन, एमवाईआरएडीए(MYRADA), सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, मधुमक्खी, श्रीस्टी, एमएसएसआरएफ(MSSRF), सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी, आदि.



निजी	आईटीसी लिमिटेड (सोया-चौपाल, एक्वा-चौपाल), जुआरी फ़र्टिलाइज़र, मोनसांटो, सिंजेंटा, महिको, नाथ सीड्स, प्रो-एग्रो, सीबा गीगी(CIBAGiegy), साइनामिड(Cynamid), आरसीएफ, एचएलएल, वोकहार्ड, वेटइंडिया, वेटफार्मा, होईस्ट(Hoechst), रैनबैक्सी, टेफे(TAFE), मेस्सी एंड फर्ग्यूसन, हिंदुस्तान ट्रैक्टर, आदि.
------	--

स्रोत: Samanta and Sontakki (2005)

दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों और गरीब उत्पादकों (विशेष रूप से कम मूल्य वाली फसलें उगाने वाले और जिनके पास विपणन के लिए कम अधिशेष है) को निजी के साथ-साथ सार्वजनिक सेक्टर दोनों से विस्तार की सेवा बहुत कम मिलती है। वे शायद ही कभी छोटे और गरीब उत्पादकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिन्हें अपनी आजीविका में सुधार के लिए व्यापक तौर पर सहायता की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों और समूहों को लक्ष्य करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, जिसके लिए सार्वजनिक निधि के उपयोग की योजना बनाई जानी चाहिए। सार्वजनिक निधि का उपयोग किसान संगठनों को निधि देने हेतु भी किया जा सकता है ताकि वे सार्वजनिक सेक्टरों सहित अन्य सेवा प्रदाताओं से सेवा लेने के लिए अनुबंध कर सकें। जबकि, प्राथमिकता देने, मांग, अनुबंध और निगरानी सेवाओं के लिए किसान संगठनों की क्षमता को सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। निजी विस्तार सार्वजनिक विस्तार का विकल्प नहीं है और आने वाले वर्षों में विस्तार को महत्वपूर्ण सार्वजनिक निधिकरण की आवश्यकता है।

**सहकारिता:** सभी प्रकार के सहकारी उद्यमों का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण को समाप्त करना है। जबकि यह उनका मूल उद्देश्य है, उनके उद्देश्य देश/क्षेत्र विशिष्ट, समय विशिष्ट और समुदाय/लक्ष्य जनसंख्या विशिष्ट भी हैं। भारत में सहकारी उद्यम का उद्देश्य अपने सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, आर्थिक विषमताओं को कम



करना तथा अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है. कृषि विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि विस्तार कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहकारिता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक किसान के लिए स्वयं अपने कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है.

**सहकारिता का मूल प्रयोजन:** सहकारी उद्यमों के उद्देश्य हमेशा बड़े सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए. दूसरे शब्दों में, सहकारीता निजी, संयुक्त स्टॉक कंपनी की तरह नहीं है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना हो सकता है, बावजूद इसके कि समाज के अन्य वर्गों पर उसका नतीजा क्या होगा. सहकारी उद्यम का उद्देश्य सामाजिक वस्तुओं को बढ़ावा देना है, इसके अलावा वो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने का कार्य भी करता है.

यहां यह भी जोर दिया जाना चाहिए कि सहयोग का मूल उद्देश्य वास्तव में शिक्षा है - लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों में बदलाव लाना. सहकारी उद्यम सहयोग के इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है. इस प्रकार, सभी सहकारी उद्यमों का एक उद्देश्य - अपने सदस्यों को न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा प्रदान करना है.

मैक्रो स्तर पर, सभी सहकारी समितियों के सामने मूल चुनौती है बुनियादी रूप से बड़े और उभरते आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण में समाज के प्रति उनकी प्रासंगिकता. यह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर साधन खोजने की निरंतर चुनौती है. माइक्रो स्तर पर, तीन प्रकार की सहकारी समितियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं- क) उत्पादक सहकारी समितियाँ: कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि; ख) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ: समुदाय के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की डिलीवरी और मुद्रा की उच्च मूल्य सुनिश्चित करना; ग) श्रमिक सहकारिता: श्रमिकों की आय सृजन क्षमता में वृद्धि करना और बेरोजगारी कम करना.

मूल रूप से भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है. कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के अलावा और कुछ भी सहकारी समितियों की प्रभावशीलता को बेहतर नहीं बना सकता है और न ही समाज





में अधिक समृद्धि ला सकता है. अब व्यापक रूप से यह समझा जाने लगा है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावशाली वितरण प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो किसानों को आश्वस्त करती हैं, उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता करती हैं, उन्हें फसल कटाई के बाद की चिंताओं से राहत दिलाती हैं और उन्हें उच्च कीमत प्राप्ति के लिए आश्वस्त करती हैं. अब, सहकारी समितियां इन सभी कार्यों को करने के लिए सिद्धांत: अनुकूल हो गई हैं. जहां भी नेतृत्व ने इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से किया है, वहां पर परिणाम शानदार मिले हैं. इस प्रकार, सहकारी उद्यमों के सामने यह पहली बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे सहकारी उद्यमों के लिए.

### वित्तीय/ऋण संस्थान

जैसा कि यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि खेती करने हेतु प्रयास करने के लिए किसानों की 4 बुनियादी आवश्यकताएं हैं और यदि वे उन्हें हासिल कर लेते हैं, तो उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा. 4 बुनियादी आवश्यकताएं हैं:

- बेहतर प्रौद्योगिकी और उसके प्रबंधन पद्धति के बारे में जागरूकता,
- उपयुक्त खेत नियोजन और संसाधन प्रबंधन पर सलाह,
- नई तकनीकों, उत्पादन इनपुटों और ऋण के उपयोग के लिए व्यावहारिक कृषि कौशल, और
- फसल कटाई के बाद की और मार्किंग सेवाएं.

अतः किसानों की इन 4 बुनियादी आवश्यकताओं में से एक को भी अलग नहीं किया जा सकता है ताकि उन्हें अपने प्रयासों में आत्म-संतुष्टि मिल सके. अपने परिवार के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उत्थान के लिए अधिक लाभ अर्जन करने हेतु अधिक से अधिक उत्पादन करने और विपणन करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लेना सबसे महत्वपूर्ण है. और यहां किसानों



को उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय या ऋण संस्थानों की भूमिका आवश्यक हो जाती है।

वर्तमान में, कई सार्वजनिक और निजी संस्थान हैं जो इस उद्देश्य के लिए किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। वे हैं: राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, किसान सहकारिता, राज्य सहकारी बैंक, नाबार्ड और उन जैसे कई अन्य। विशेष रूप से कृषि उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों का ग्राहकों को अन्य ऋणों की तुलना में किसानों को विशेष ब्याज दरों पर कृषि उत्पादन ऋण प्रदान करने का एक विशेष कार्यक्रम है। वर्ष 1979 के बाद से, जब कुछ चुनिंदा बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, तब कृषि उत्पादन के लिए इन विशेष ऋणों को आरंभ किया गया और इन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की गई। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ऋण की सहायता ने किसानों को इनपुटों जैसे उर्वरकों, पादप संरक्षण रसायनों, बीजों और उनके जैसे अन्य का बेहतर उपयोग करके अधिक उत्पादन करने और अधिक लाभ प्राप्त करने के उनके सपने को साकार किया है। जबकि, इस प्रणाली ने छोटे, मझौले और मार्जिनल किसानों की तुलना में बड़े और अमीर किसानों की अधिक सहायता की है।



#### 1.4 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए गैर सरकारी संगठन

**गैर सरकारी संगठन:** भारत में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संगठनों का भागीदारी का इतिहास रहा है। वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों की विशेषताएं जो इस तरह की भागीदारी का समर्थन करती हैं, वे हैं:

1. अधिकांश गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण समुदाय की सेवा के मूल उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। वे अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता के कारण क्षेत्र में बने हुए हैं न कि ऊपर से किसी तानाशाही शक्ति के कारण।
2. अधिकांश गैर-सरकारी संगठन छोटे संगठन हैं जो एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जमीनी स्तर पर उनका एक मजबूत नेटवर्क होता है। वे स्थानीय समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की पद्धतियों में सक्षम होते हैं..
3. गैर सरकारी संगठन किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए राजी करने में सक्षम हो सकते हैं क्योंकि वे उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं।
4. गैर-सरकारी संगठन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामान्य योजनाओं और मॉडलों को संशोधित कर सकते हैं। राज्य ग्राम स्तर के कार्यकर्ता और कृषि विस्तार अधिकारी अपने उच्च प्राधिकारियों से प्राप्त डिज़ाइनों को संशोधित नहीं कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कार्यकर्ताओं को उन अप्रासंगिक मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो किसानों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
5. गैर-सरकारी संगठन आमतौर पर कार्यक्रम प्रबंधन में मजबूत होते हैं और इसलिए कार्यक्रम को अधिक कुशलता से व्यवस्थित करने और उसकी निगरानी करने में सक्षम होते हैं।



6. गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से सेवा संगठन हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विस्तार एजेंसियों की तुलना में वे आम तौर पर कड़ी मेहनत करते हैं और कुशल होते हैं.

गैर-सरकारी संगठन कार्य करने में नौकरशाही का कम और भागीदारी पद्धति का तरीका अधिक अपनाते हैं.

वे किसानों को अपने स्वयं के अनुभवों से और एक-दूसरे से सीखने की सुविधा देने में अधिक सक्षम हैं. वे नई विकास पद्धतियों की खोज करने की अधिक संभावना रखते हैं.

इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठन आपदा प्रबंधन और संकट की स्थिति से निकालने में बहुत मददगार हैं.

**गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों का विस्तार दृष्टिकोण:** गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों में से प्रत्येक के कार्य करने का तरीका अपने आप में अनूठा है, और व्यापक तौर पर उसके उद्देश्यों और संसाधनों द्वारा निर्धारित किया जाता है. वर्ष 1943 से वर्ष 1993 तक पांच वर्षों तक की अवधि में रामकृष्ण मिशन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण (रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद, वर्ष 1993), न केवल विस्तार एजेंसियों के लिए, बल्कि अन्य स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी इस संबंध में एक आंख खोलने वाला तथ्य हो सकता है.

**विकास के लक्ष्य:** मिशन के विभिन्न शाखा केंद्रों द्वारा एक नियम के रूप में अपनाया गया विकास का संपूर्ण लक्ष्य, मानव में 'संभावित देवत्व' का विकास था. अवधारणा का संचालन करते समय, विकास वास्तव में उत्पादन पद्धतियों में सुधार के बेहतर तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से अधिक आय सृजन को बढ़ावा देता है. इस प्रकार आय सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है.



**प्रवेश द्वार:** विकास रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक प्रवेश द्वार का चयन है जिसके माध्यम से एक बाहरी एजेंसी समुदाय में विकास कार्य करने के लिए प्रवेश करती है। प्रवेश द्वार आम तौर पर समुदाय की चिंता वाले प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होना चाहिए ताकि स्वीकृति त्वरित और उत्साहजनक हो। स्वयं समुदाय के परामर्श से विकसित किए गए प्रवेश कार्यक्रम समुदाय के साथ एक मजबूत तालमेल स्थापित कर सकते हैं।

**अवसंरचनाएं:** विभिन्न शाखा केंद्रों द्वारा अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तीन प्रकार के बुनियादी अवसंरचनाओं पर भरोसा किया जाता था। पहला था- भिक्षुओं का ऐसे लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, जिनके पीछे मिशन की सद्भावना थी। दूसरा था- प्रशिक्षण और प्रेरणा के माध्यम से समर्पित युवाओं के समूह का निर्माण जो कार्यान्वयन केंद्र के संदेश को संप्रेषित करने के लिए अपने स्वयं के समुदायों में प्रतिनियुक्त हैं।

तीसरा प्रकार था- स्थानीय युवा क्लबों की स्थापना करके और उन्हें पुनः सक्रिय करके सामुदायिक संगठन के माध्यम से स्थानीय युवा नेतृत्व का निर्माण करना और फिर उन्हें निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्तता के साथ संचालन संरचनाओं में पिरोना। सामुदायिक आयोजन की प्रक्रिया के माध्यम से समूहों की पहचान करने और उन्हें बनाने के बाद ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

यह सोचा गया था कि बेहतर होगा यदि प्रत्येक स्तर पर पूर्ण निर्णय लेने की शक्ति वाले आत्मनिर्भर संगठनों का निर्माण हो सके, क्योंकि केवल इस प्रकार के संगठन ही ग्रामीण विकास कर सकते हैं।

**कार्य करने की पद्धति:** कार्य करने की पद्धति मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाली आध्यात्मिक विकास के सहारे आधारित थी। तीन बड़े मिशन केंद्रों में, पल्लीमोंगल और दिव्यायन का मानना था कि प्रशिक्षित युवा ग्रामीण विकास पर सफलतापूर्वक अपना संदेश संप्रेषित



कर सकते हैं. अतः उनके कार्य करने की पद्धति आधारित थी - योग्य कार्यकर्ताओं के चयन, उन्हें कार्य के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित करने और उन्हें इस उम्मीद के साथ निर्धारित समुदाय में भेजने कि व्यक्ति मिशन के केंद्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिक गतिविधियों में बदल देगा. उन्होंने सामुदायिक स्तर पर नए संगठनों को भी बढ़ावा दिया जहां पर इन प्रशिक्षित कर्मियों ने एकजुटता दिखाई. संक्षेप में, अपनाए गई कार्य पद्धति मिशन द्वारा प्रशिक्षित और प्रेरित व्यक्तियों के कार्य निष्पादन पर आधारित था.

दूसरी ओर, लोक शिक्षा परिषद ने सामुदायिक संगठनों के प्लैटफार्म पर अपनी गतिविधियां विकसित कीं, जो स्पष्ट रूप से क्लस्टरों पर आधारित थीं एवं व्यक्तियों पर निर्भर नहीं थीं. इस मामले में, कार्यक्रम तभी सफल होते हैं यदि क्लस्टर कार्य करते हैं, जो आगे इस बात पर निर्भर करता है कि युवा क्लब उन क्लस्टरों पर कितना दबाव डालते हैं कि इन्हे सही रास्ते पर रखा जा सके.

**स्थिरता:** किसी भी कार्यक्रम की योग्यता, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, बाहरी एजेंसी द्वारा प्रारंभिक समर्थन वापसी के बाद, उसके आगे जारी रहने की क्षमता के संदर्भ में परखा जाता है. लोक शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को व्यवहार्य बनाना स्थानीय उद्यमिता और विपणन पर निर्भर करता है. इस मामले में, केवल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उद्यम को चुनने का विकल्प संबंधित व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है, जिसे स्वयं के लिए वित्त एवं विपणन सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है.

### 1.5. जन विकास के लिए पंचायती राज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

**पंचायती राज:** कृषि विकास कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता आवश्यक है क्योंकि लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के बिना उनका कोई विकास नहीं हो सकता है. अतः सरकारी और निजी संगठनों द्वारा प्रत्येक विकास पहल प्रायोजित और लाभार्थी दोनों का संयुक्त प्रयास रहा है. यह



अच्छी तरह से माना जाता है कि कृषि विकास कार्यक्रमों की सफलता काफी हद तक लोगों की सहभागिता पर निर्भर करती है। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सरकार का मुख्य सिद्धांत रहा है और वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवानरे जी. मेहता समिति ने, जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, गांवों को अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी निधियों का उपयोग करके अपना विकास सुनिश्चित करने हेतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मार्ग पर चलते हुए पंचायत राज संस्थाओं को आरंभ करने का सुझाव दिया।

वर्तमान संदर्भ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है, जो सरकार जनता से अपना अधिकार प्राप्त करती है, उसे स्थानीय स्तर पर निर्णय और कार्रवाई के लिए कुछ हद तक जनता में वितरित कर देती है। भारत में इसे लोकप्रिय रूप से पंचायत राज के रूप में जाना जाता है। यह सोचा गया था कि पंचायत राज लोकतांत्रिक स्थानीय स्व-सरकार की एक प्रणाली के रूप में उभरेगा जो विकास, नगरपालिका और अंततः विनियामक कार्यों का निर्वहन करेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की परिकल्पना इस प्रकार की गई है -

- I. गाँव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित और संगठित रूप से जुड़े हुए लोकतांत्रिक निकायों की स्थापना;
- II. इन निकायों को सभी विनियोजन और विकासात्मक गतिविधियों का भार सौंपना; तथा
- III. इन निकायों के लिए पर्याप्त संसाधनों का हस्तांतरण जो उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं।

मेहता (वर्ष 1978), ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की समिति की रिपोर्ट में भारत में पंचायती राज के तीन चरणों की पहचान की है - आरोहण का चरण (वर्ष 1959-64); ठहराव का चरण (वर्ष 1965-69); और गिरावट का चरण (वर्ष 1969-77)।



समिति ने पाया कि इस अवधि के दौरान पंचायती राज व्यवस्था में ठहराव और गिरावट के मुख्य कारण थे --

- i. अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों को पीआरआई (PRIs) के दायरे से बाहर रखते हुए, उन्हें निष्क्रिय बना दिया;
- ii. पीआरआई को कम निधि आवंटन करना, उनके संसाधन आधार को कमजोर बनाता है;
- iii. पंचायती राज व्यवस्था के साथ नौकरशाही प्रशासन के सामंजस्य की कमी;
- iv. उपयुक्त कानूनों के अभाव में या वर्तमान कानूनों को लागू करने में राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी;
- v. चुनावों को टालना और पीआरआई का अधिक्रमण; तथा
- vi. पंचायती राज और उसके उद्देश्यों में वैचारिक स्पष्टता का अभाव.

समिति ने आगे देखा कि पीआरआई पर आर्थिक या सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में का वर्चस्व था, जिससे कमजोर वर्गों को कोई लाभ नहीं मिलता था. विकास संबंधी गतिविधियों की दिशा बदल के या उनमें में मिलावट करके राजनीतिक गुटबाजियों ने पीआरआई के कार्य निष्पादन को दूषित कर दिया गया था. भ्रष्टाचार, अकुशलता, प्रक्रियाओं के प्रति उदासीनता, दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, संकीर्ण निष्ठा, प्रेरित कार्य, सेवा कार्य के बजाय शक्ति संकेंद्रण - इन सभी ने औसतन ग्रामीणों के लिए पंचायती राज की उपयोगिता को सीमित कर दिया था.

वर्ष 1977 से देश के कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुद्धार हुआ. जिन कारकों ने उसके पुनरुद्धार में योगदान दिया, वे हैं -

1. पंचायतों के साथ अधिकार और जिम्मेदारी साझा करने में सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति.





2. पंचायती राज व्यवस्था और उन्हे कड़ाई से लागू करवाने से संबंधित उपयुक्त कानूनों को अधिनियमित करना.
3. पंचायत चुनावों को नियमित अंतराल पर कराना.
4. पंचायतों में ग्रामीण समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न वर्गों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना.
5. सरकार का गरीबों के प्रति रवैया और पंचायत राज निकायों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना.
6. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में पंचायतों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना.
7. पंचायतों को पर्याप्त धन और सुविधाओं का प्रावधान.
8. पंचायतें उचित रूप से कार्य कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक सहायता और पर्यवेक्षण.
9. पंचायती राज व्यवस्था की सामान्य समझ के लिए अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना.

पंचायत राज को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए, भारत के संविधान में संशोधन किया गया (वर्ष 1992 का तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम) जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में मील का पत्थर माना जा सकता है.

पुनर्गठित पंचायत प्रणाली को जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन के लिए महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों सहित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. विस्तार को पंचायतों के साथ कार्य करने की प्रणाली विकसित करनी होगी ताकि जमीनी स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को वास्तविकता में बदला जा सके.



## 1.6 उपसंहार

किसानों को उत्पादन करने के प्रयास में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक जानकारी, ज्ञान, कौशल और इनपुट प्राप्त करने में केवल प्रभावशाली विस्तार संगठन ही सहायता कर सकते हैं। सहकारी समितियां, ऋण संस्थान, गैर सरकारी संगठन, ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं इन किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता करने में अग्रणी हैं और सार्थक विस्तार संगठनों को उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंचने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

अतः विस्तार संगठनों के लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

1. ग्राहकों, जो आम तौर पर किसान, खेती करने वाली महिलाएं और ग्रामीण युवा हैं, को अनुसंधान से ज्ञान का हस्तांतरण.
2. निर्णय जो ग्राहकों को लेना है, उनपर सलाह देना, कभी-कभी एक निश्चित निर्णय लेने की सिफारिश करके, कभी-कभी उन विकल्पों के परिणामों में पर्याप्त अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में उनकी मदद करना जिनके बीच से वे चुन सकते हैं ताकि वे अपना निर्णय ले सकें.
3. शिक्षित करना. ग्राहकों को इस तरह से निर्णय लेने में सहायता करना कि वे भविष्य में खुद भी इस तरह के निर्णय लेने में सक्षम हों.
4. ग्राहकों के लिए उनके लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अन्य के साथ मिलकर होने वाली संभावनाओं को जानने में उनकी सहायता करना ताकि अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए वे अपना मार्ग स्वयं चुनने में सक्षम हो सकें.
5. वांछनीय और निरंतर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना.



### 1.7 प्रश्न

1. संस्थान के समर्थन से आप क्या समझते हैं और वर्तमान संदर्भ में यह कैसे उपयोगी है?
2. विस्तार संगठन की सक्रिय पहल के बारे में विस्तार से समझाएं.
3. कृषि विस्तार कार्यक्रम के लिए निजी सेक्टर से मिलने वाले सहयोग के बारे में लिखें.
4. ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें.
5. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? पंचायती राज की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें.

### 1.8 अन्य अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997
3. Gallagher K. 1999. Farmers Field School (FFS) – A Group Extension Process based on Non-Formal Education Methods. Global EPM Facility, FAO.
4. PM. 2002. Textbook of Extension Education. Himalaya Publ.
5. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
6. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
7. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
8. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
9. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan



## यूनिट-2

### कृषि विस्तार प्रबंधन में मामलों का अध्ययन और सफलता की कहानियां

#### संरचना

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 परिचय
- 2.2 मामलों का अध्ययन और सफलताएं
- 2.3 उपसंहार

#### 2.0 उद्देश्य

*इस यूनिट को पढ़ने के उपरांत, शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे :*

- अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि सेक्टर से संबंधित सफल मामलों की पहचान करने के महत्व को समझने में.
- नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करने, राजी करने और प्रभावित करने के लिए सफलता की कहानियों का उपयोग करने के महत्व को समझने में.

#### 2.1 परिचय

'सफलता की कहानी' वास्तविकता का स्नैपशॉट कहलाती है, इसे जीवन का टुकड़ा और विकास के पहलुओं के रूप में जाना जाता है, जो विश्लेषण के साथ परिस्थिति को समझने में सहायता करता है. यह दिशा निर्देशों का संग्रह है जिसे नमूने के तौर पर टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है.



'सफलता की कहानी' केवल 'कहानी' नहीं है, बल्कि वास्तविक घटनाओं के वर्णन की कला और विज्ञान है. यह तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर होनी चाहिए, तथ्यों का समर्थन करने के लिए पुष्टिपरक सबूतों के प्रावधान के साथ. गुणात्मक सफलता की कहानी की प्रमुख योग्यता अनुभवों का व्यवस्थित प्रलेखन है जो इसे अन्य से अलग करता है. एक सफलता की कहानी की विशेषता उसमें प्रथाओं और प्रक्रियाओं का संग्रह है जिसने अत्यधिक 'परिवर्तन' करने में सहायता की है तथा इसे तीन बुनियादी आयामों को स्पष्ट करना चाहिए, अर्थात्

अंतर क्या है?

यह कैसे अलग है?

यह क्यों अलग है?

सफलता की कहानी का प्रलेखन करने का अंतिम मिशन है "सफलता के प्रभाव को एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों तक पहुंचाना". इसके उद्देश्य हैं -

- 'अनोखेपन' (सफलता) के संदेश को पहचानना और उसे संप्रेषित करना.
- 'अनोखेपन' (सफलता) के कारणों का विश्लेषण करना
- 'अनोखेपन' (सफलता) को दोहराने के लिए दिशानिर्देशों (प्रथाओं और प्रक्रियाओं) का संग्रह प्रदान करना.

हमारे विस्तार कार्यक्रम के प्रयासों के परिणामस्वरूप सफल किसानों या समुदाय के बीच प्रत्यक्ष सफलता के अवलोकन से मिनले वाली संतुष्टि बहुत आनंददायक है. ये सफलताएँ कई रूप ले सकती हैं और किसी एक व्यक्ति, समूह या बड़ी आबादी पर केंद्रित हो सकती हैं. जबकि, किसी भी सफलता की कहानी में अंतर्निहित विषय एक व्यक्ति या समाज पर सकारात्मक परिणाम है जो हमारे कार्यक्रम के प्रयासों का परिणाम है.



### अंततः सफलता की कहानियाँ होनी चाहिए-

- लघु, स्पष्ट, सरल और पठनीय
- सकारात्मक परिवर्तन और प्रपांतरण को दर्शाने वाली
- परियोजना के हस्तक्षेप को उजागर करने वाली
- कृषक समुदायों को सशक्त बनाने वाली
- किसानों का ध्यान तत्काल आकर्षित करने वाली

एनएटीपी(NATP) आईटीडी (ITD) के दौरान किसानों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रलेखित सफलता की कहानियाँ कृषि विकास और विस्तार कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं.

### 2.2 मामला - 1: से इट विद फ्लावर्स लेकिन पहले दरियादिली के साथ उगाएं

**क्रिसैंथेमम (*Chrysanthemum*) प्रसार की कहानी :** यह स्थान सूखा ग्रस्त अहमदनगर जिला था. वर्ष 2000 में इसमें अकोल्नेर, चास, कोंकनगाँव, भोएरेपाथर, पिंपलगाँव और नागदेवले के क्रिसैंथेमम (*chrysanthemum*) उगाने वाले किसान और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) कर्मी शामिल थे..

हालांकि 'से इट विद फ्लावर्स' एक पुरानी कहावत है, फूलों पर हमने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था. केवल देवताओं और वर के लिए ही उनका उपयोग होता था. अब परिदृश्य बदल गया है और फूल आवश्यक कोमोडिटी के रूप में मांग में हैं. जन्मदिन, वर्षगांठ, उद्घाटन, घर की सजावट और उत्सव के ऐसे सभी अवसर फूलों के बिना नहीं मनाए जा सकते. वे अब सब रंगों, शेडों, सुगंध - तीखे या सरल सभी मौसमों में बाजार में उपलब्ध हैं. फूलों का सौंदर्यशास्त्र अब हर जगह है और हमारे समाज के सांस्कृतिक सौंदर्यशास्त्र के एक संकेतक के रूप में नई उंचाइयों तक पहुंचने वाला है. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा), अहमदनगर ने किसानों के कृषि संबंधी मुद्दों में



सकारात्मक हस्तक्षेप के अपने कार्यक्रम में महसूस किया कि सूखाग्रस्त होने के बावजूद, जिले का अहमदनगर ब्लॉक फूलों की खेती करने वाला एक बड़ा क्षेत्र था तथा फूल उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी क्रिसैंथेमम (chrysanthemum) की थी. यह अकोल्नेर चास, कोकनगाँव, भोइरेपाथर, पिंपलगाँव और नागरदेव में नकदी फसल थी और लगभग 400 एकड़ में इसकी खेती होती थी.

**समस्या: ज्ञान की कमी, परिणामस्वरूप कम आय:** इन किसानों को उच्च उपज वाली नई फूलों की किस्मों, अभ्यासों के नए पैकेजों के साथ-साथ उपलब्ध पानी के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप सिंचाई के महत्व से अनजान पाया गया. वे फूलों की गुणवत्ता में सुधार की तकनीकों से भी अनभिज्ञ थे. कटाई के बाद की तकनीकों का भी उपयोग करना नहीं जानते थे.

इन सभी का क्षेत्र के क्रिसैंथेमम (chrysanthemum) फूल उत्पादकों की आय पर सामूहिक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. समस्या और उनके कारणों की पहचान हो जाने पर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) दल ने अपने पैकेज के साथ आगे बढ़ने की मांग की.

**हस्तक्षेप और प्रक्रिया :** कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने वर्ष 2000 के दौरान पहले चरण के रूप में फूल उत्पादक किसानों का एक्सपोज़र दौरा गणेशखिंड, पुणे के एमपीकेवी (MPKV) के फ्लोरीकल्चर अनुसंधान केंद्र तथा पुणे जिले के राजगुरुनगर के सफल फूल उत्पादक किसानों के लिए आयोजित किया. एक्सपोज़र दौरे के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण फूलों के उत्पादन के लिए उपलब्ध कुओं के पानी के कुशल उपयोग के लिए उन्नत किस्मों, अभ्यासों के पैकेज और ड्रिप सिंचाई के महत्व से अवगत कराया गया. इसके बाद किसानों के उसी समूह के लिए, एमपीकेवी, राहुरी के वैज्ञानिकों की सहायता से अभ्यासों के बेहतर पैकेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. वर्ष 2000 के दौरान अकोल्नेर, कमरगाँव और चास के गांवों में क्रिसैंथेमम (Chrysanthemum) अर्थात् सोनाली-तारा और बग्गी की उन्नत किस्मों की खेती आरंभ की गई.



अकोल्नेर के फूल उत्पादकों ने मंडल कृषि अधिकारी के मार्गदर्शन में फूलों के इनपुट, उत्पादन और विपणन की व्यवस्था के लिए एक किसान हित समूह 'अकोल्नेर फुल्लोत्पादक संघ' का गठन किया. मंडल के कृषि अधिकारी के मार्गदर्शन में इस समूह के सदस्य प्रत्येक सोमवार को बैठक किया करते थे और विचारों का आदान-प्रदान करते थे. समूह गठन से पहले, उत्पाद को बिना किसी ग्रेडिंग और पैकेजिंग के स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था और अर्जन निवेश के अनुरूप नहीं था. अब समूह फूलों की पैकेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में उन्मुख हो गया हैं और वे फूलों को सामूहिक रूप से दूर के बाजारों में जैसे नागपुर, बड़ौदा, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद भेज रहे हैं.

### लाभ और प्रभाव

- क्षेत्र में उच्च उपज वाली सोनाली-तारा किस्म के क्रिसैंथेमम (Chrysanthemum) में सुधार हुआ.
- क्रिसैंथेमम(Chrysanthemum) फूल का उत्पादन 5-6 से बढ़कर 10 टन प्रति हेक्टेयर हो गया.
- ड्रिप सिंचाई के तहत क्रिसैंथेमम(Chrysanthemum) का क्षेत्र 50 एकड़ से बढ़कर 125 एकड़ हो गया.

अकोल्नेर, अहमदनगर के क्रिसैंथेमम(Chrysanthemum) संयंत्र का टीडीएमसी (TDMC) सदस्यों द्वारा एक्सपोजर दौरा.

### सबक और निष्कर्ष:

- लाभार्थियों को जब सफल उदाहरणों, अनुसंधान स्टेशनों की जानकारी दी गई और उत्पादन अभ्यासों का प्रशिक्षण कराया गया, तो उन्होंने अभ्यासों के बेहतर पैकेज को अपनाया.
- विस्तार कार्यकर्ताओं से निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना महत्वपूर्ण है.





- गाँवों में प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाने के लिए किसान हित समूह का गठन महत्वपूर्ण है।
- बेहतर पारिश्रमिक के लिए, किसानों को फसल कटाई के बाद की तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- बेहतर गुणवत्ता के साथ उच्च उत्पादन के लिए जल प्रबंधन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- किसानों को शामिल करते हुए स्थान विशिष्ट आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी तकनीकों को अपनाने और आय के स्तर में सुधार के लिए मददगार है।
- प्रौद्योगिकी के सतत प्रसार के लिए समूह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

**मामला - 2: बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.):** बकरियों में व्यापक कृत्रिम गर्भाधान की सफलता का श्रेय औरंगाबाद जिले के फूलम्बरी तहसील में बोधगांव के किरण राजपूत को जाता है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) ने गरीब किसानों को प्रभावित किया कि बकरी पालन एक पारिश्रमिक संबंधी गतिविधि थी।

हालांकि बकरी पालन गरीब किसानों के लिए एक पारिश्रमिक संबंधी गतिविधि है, लेकिन उनके पास स्थानीय बकरे हैं जिनकी बहुत कम उत्पादकता है। दो उन्नत नस्लें "शिरोही" और "उस्मानाबादी" उपलब्ध हैं परंतु नस्लों की जगह लेना एक कठिन प्रक्रिया है। बेहतर विकल्प क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से बकरियों की उन्नत किस्म पैदा करना है। पशुपालन विभाग मवेशियों के लिए कई गतिविधियां कर रहा है। कृत्रिम गर्भाधान मवेशियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जबकि स्थानीय बकरियों के लिए, अत्यधिक गुंजाइश के बावजूद, बहुत कम ध्यान दिया गया। अतः कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) ने इस कार्य को करने का निर्णय लिया।



परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी को अनौपचारिक रूप से पता चला कि बोधेगांव में फुलम्बरी तालुका के परवट(paravet) श्री किरण राजपूत ने प्रायोगिक आधार पर बकरियों में ए.आई. किया. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने उनकी सफलता की कहानी को पहचाना और लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर इसका प्रचार करने का फैसला किया. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने सफलता की कहानी पर एक फ़ोल्डर बनाया और किरण राजपूत को बकरी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया.

बकरी में ए.आई. पर किसानों की जागरूकता बढ़ी. क्रॉसब्रेड(संकर) बकरियां 1500 - 3000/- रुपये तक उच्च मूल्य प्राप्त कर रही थीं जो स्थानीय प्रति बकरे(नर) (800 से 900 रुपये) की तुलना में अधिक था. इसके अलावा, मादा बकरी पहले व्यस्क हो जाती थी. जैसा ही कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने यह जानकारी लीफलेट(पत्रक) के माध्यम से और स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की, जिले भर से लोगों ने श्री किरण राजपूत से पूछताछ आरंभ कर दी तथा किसानों के समूह बकरियों में ए.आई. के लिए आगे आने लगे.

- बकरी पालन करने वाले किसानों के दो समूह नियमित रूप से ए.आई. करवा रहे हैं.
- औरंगाबाद तालुका के एफएसी सदस्यों के दौरा करने के बाद कई किसानों ने क्रॉसब्रेड(संकर) बकरियों को देखने के लिए दौरा किया, परिणामस्वरूप बकरियों में ए.आई. को और अधिक अपनाया जाने लगा.
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने सफलता की कहानी को पहचाना तथा एएचडी(AHD) विभाग के पदाधिकारियों और एएमसी के सदस्यों के साथ बातचीत की और फिर एएचडी(AHD) विभाग और परवट दोनों को बड़े पैमाने पर इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने परवट को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया, उसे एक प्रशिक्षक के रूप में पहचाना गया और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा. बीटीटी अधिकारियों ने फुलम्बरी ब्लॉक



में 2/3 किसान समूहों की पहचान की और उन्हें ए.आई. कार्य में सहयोग करने के लिए श्री किरण राजपूत के साथ जोड़ दिया।

**मामला - 3: मूल्य संवर्धन - अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए एक प्रभावशाली साधन:** रत्नागिरी जिले में काजू प्रमुख बागवानी फसलों में से एक है। जिले में काजू बागवानी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 70577 हैक्टेयर है और यह प्रतिवर्ष 5% की अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। जिले में काजू का कुल उत्पादन प्रति वर्ष 1.12 लाख टन है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद, काजू बाग के मालिकों को बहुत कम आर्थिक लाभ मिलता था। इसका मुख्य कारण कुल उपज का 99.78% कच्ची स्थिति में बेचा जाना था और केवल 0.22% संसाधित अवस्था में।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) द्वारा किए गए अध्ययन में दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए हैं। किसानों को काजू प्रसंस्करण के लाभ के बारे में पूरी जानकारी थी। परंतु काजू प्रसंस्करण में बहुत ही नाजुक प्रक्रिया शामिल है। प्रसंस्करण करने वाले को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, जो उन्हें उपलब्ध नहीं था। इसलिए, कुछ इकाइयाँ जो पहले से मौजूद थीं, बंद हो गईं। कोई भी प्रसंस्करण इकाई आरंभ करने के लिए तैयार नहीं था। एक और रहस्योद्घाटन हुआ कि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य माइक्रो प्रसंस्करण इकाई के लिए कम से कम 12 टन कच्चे काजू की आवश्यकता होती है।

एक टन काजू की औसत लागत 35,000 रु. है और कच्चे माल के लिए आवश्यक कुल पूंजी 4,20,000 रु. है। छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण करने वालों के पास इतना कच्चा माल खरीदने के लिए वित्तीय बैकअप नहीं होगा।



**चुनौतियां:** कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के समक्ष प्रमुख कार्य तकनीकी प्रशिक्षण देना था. इसलिए, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) ने बंद इकाइयों के मालिकों के साथ-साथ संभावित उद्यमियों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. पाठ्यक्रम में अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल का चयन, नट को उबलना, कटाई, सुखाने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, विपणन आदि शामिल थे (नए उद्यमियों के लिए मशीनरी चयन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सरकार की योजनाएं आदि शामिल थे).

सभी संभावित उद्यमियों को महीने में दो बार बुलाया जाता था और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी कार्यालय पर तीन से चार घंटे का तकनीकी सत्र आयोजित किया जाता था, जिसके बाद एक चर्चा सत्र भी आयोजित किया जाता था. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लोगों की प्रतिक्रिया उत्कृष्ट थी. इन कार्यक्रमों में कुल 311 किसानों ने भाग लिया. एक अन्य पहलू काजू के स्टॉकिंग से संबंधित था. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने खरीदीबिक्रीसंघ (सहकारी ट्रेडिंग सोसायटियां) तथा उद्यमियों के बीच सहायता लिंक की सुविधा प्रदान की थी. ये सोसायटियां काजू खरीदती थीं और माइक्रो काजू प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उसे प्रसंस्कृत करवाती थीं.

उपरोक्त के अलावा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) ने यह भी ध्यान रखा कि नए उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि विभाग की सब्सिडी स्कीम का लाभ मिले.

**प्रमुख उपलब्धियां:** जैसे-जैसे बंद इकाइयों को पुनः चालू किया गया, लोगों को उद्योग की जबरदस्त क्षमता के बारे में पता चला. इसलिए, प्रशिक्षण के साथ-साथ काजू इकाइयों की मांग बढ़ गई. प्रशिक्षण के कारण, जिले में 89 नई माइक्रो काजू इकाइयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया. (चिपलून -28, गुहागर -11, संगमेश्वर -3, मंडनगढ़ -5, दापोली -12, लंजा -3, रत्नागिरी -17, खेड 10). प्रत्येक वर्ष ये इकाइयाँ औसतन प्रति यूनिट 12 टन प्रसंस्कृत करती हैं. वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 1068 टन काजू का प्रसंस्करण किया गया था और इससे 213 लाख रुपए का मूल्य संवर्धन हुआ था.



वर्ष 2001-02 के दौरान, कृषि विभाग से सब्सिडी के रूप में 25,000 रुपए प्रति इकाई के दर से 89 नई इकाइयों को 22.25 लाख रुपये की राशि अभिसरण की गई थी.

**प्रतिकृति:** प्रयास करने की सफलता में कुल उत्पादन का केवल 1% शामिल हो सकत है, जिले में उत्पादित काजू का 99% अभी भी स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है. शत प्रतिशत मूल्य संवर्धन हासिल करने के लिए, जिले में 14000 और माइक्रो प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकता है. इसलिए, एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ) संपूर्ण जिले में अच्छी तरह से नियोजित कार्य उन्मुख प्रशिक्षण द्वारा इस कदम को दोहराने की कोशिश कर रहा है.

**मामला- 4: फ्लोरीकल्चर(फूल उत्पादन) में महिला हित समूह (WIG) का सामूहिक प्रयास :** समाज के कमजोर वर्ग की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ आय अर्जित करने हेतु अपने दम पर कुछ कार्य करना चाहती थीं. उनको कार्य करने के लिए एक उपयुक्त उद्यम खोजना मुश्किल था जो न केवल अच्छा प्रतिफल दे सके, बल्कि साथी महिलाओं को लाभकारी रोजगार भी प्रदान करे. श्रीमती शांति देवी का मामला एक उदाहरण है जिसे यह दर्शाने के लिए चित्रित किया जा सकता है कि जहां चाह है वहां राह है. श्रीमती शांति देवी ने एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ), पटना से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें डब्ल्यूआईजी(WIG) बनाने और उसे एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ) के साथ पंजीकृत करने की सलाह दी गई ताकि एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ) जनादेश को ध्यान में रखते हुए उनके समूह को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके. एटीएमए(कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ) ने न केवल उन्हें गेंदा के फूल के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की खरीद में सहायता की, बल्कि बिहटा ब्लॉक के बिशनपुरा गाँव से एक अन्य एफआईजी के माध्यम से विपणन लिंक भी प्रदान किए.

श्रीमती शांति देवी समाज के कमजोर वर्ग की हैं और उन्होंने गेंदा के फूल की नई फसल लगाने और उसे स्थानीय फूलों के बाजार में बेचने का बीड़ा उठाया. इस प्रयास में, उन्हें अपनी तीन



महिला साथियों का सहयोग मिला, जिन्होंने 5 कठ्ठा भूमि पर इस नए उद्यम को आरंभ करने के लिए अपनी भूमि और धन दिया तथा बाद में उसे एक एकड़ बनाने के लिए 27 कठ्ठा भूमि और पट्टे पर दे दिया. वर्ष 2003 में कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभ में अपनी स्वयं की बचत से 1,000/- रुपये संग्रह किए गए और कुछ ही समय के भीतर उन्होंने पटना फूल बाजार में माला की बिक्री से लाभ अर्जित करना आरंभ कर दिया.

समूह इस उद्यम के लिए योगदान दी गई भूमि और लगाई गई लागत तथा समर्पित समय के हिस्से के अनुसार अर्जित आय (कमाई) को वितरित करता है. उसे गर्मी के मौसम में रोपण के लिए गेंदा के फूल के बीज/रोपण सामग्री दूसरे एफआईजी के माध्यम से कोलकाता से प्राप्त होता है तथा अन्य मौसमों में वह स्थानीय बीज और रोपण सामग्री का उपयोग करता है. श्रीमती शांति देवी अब कोलकाता और नई दिल्ली जैसे दूर के स्थानों पर फूल भेजने का इरादा रखती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेंदा के फूलों के लिए पटना फूल बाजार संतृप्ति पर पहुंच गया है. वह अब औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती में विविधता लाना चाहती है, यदि उनके समूह को उचित तकनीक और रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाए.

**मिलने वाले लाभ और उसके प्रभाव:** समूह ने 1,000/- रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ कार्य आरंभ किया, जो उनकी अपनी बचत से संग्रह किया गया था. समूह अब गेंदे के फूलों की बिक्री से प्रति वर्ष प्रति एकड़ भूमि से 10 से 15,000/- रुपए कुल लाभ अर्जित करता है. इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है.

**सीखे गए सबक/निकाले गए निष्कर्ष:** चरमपंथियों से प्रभावित क्षेत्र में फूलों की खेती की सफलता ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय और जीवन स्तर में सुधार



के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है, तो इससे न केवल चरमपंथ का उन्मूलन होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी उनका अनुकरण करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

**सीखे गए सबक/निकाले गए निष्कर्ष:** चरमपंथियों से प्रभावित क्षेत्र में फूलों की खेती की सफलता ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय और जीवन स्तर में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है, तो इससे न केवल चरमपंथ का उन्मूलन होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी उनका अनुकरण करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

**प्रतिकृति और भविष्य की निहितार्थ संभावनाएं:** श्रीमती शांति देवी की गेंदा के फूलों की खेती और उसके विपणन में सफलता के परिणामस्वरूप, इस गतिविधि को क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला और अब लगभग 50 महिला किसान इसकी खेती कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यह मॉडल को समान परिस्थितियों में आसानी से कहीं भी अपनाया जा सकता है।

**मामला - 5: महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से मधुमक्खी पालन:** श्रीमती रेखा देवी मुजफ्फरपुर जिले में बोन्याहा ब्लॉक के अंतर्गत पटियासा जलाल गाँव की निवासी हैं। वह 30 वर्ष की शिक्षित महिला हैं जिसके परिवार में तीन बच्चों सहित छह सदस्य हैं। वह बहुत गरीब परिवार से हैं। आय का कोई स्रोत न होने के कारण पूरा परिवार अपनी आजीविका चलाने में परेशान था।

पड़ोसी गाँव में मधुमक्खी पालन किया जाता था और उससे प्रेरित होकर उनके पति ने भी मधुमक्खी पालन (एपिकल्चर) आरंभ किया और उन्होंने इस कार्य में अपने पति की मदद की। लेकिन साधनों की कमी और उचित ज्ञान के अभाव के कारण, उनका मधुमक्खी पालन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था।

एक बार श्रीमती सुमन कुमारी, महिला विस्तार अधिकारी-व-बीटीटी सदस्य तथा श्री सुशील कुमार सिन्हा, बीएओ-व-अध्यक्ष, बीटीटी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, मुजफ्फरपुर ने



एटीएमए(आत्मा) कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गांव में एक बैठक आयोजित की. उन्होंने सक्रिय युवा महिलाओं के समूह का गठन करके लोगों को मधुमक्खी पालन (एपिकल्चर) करने को कहा. इसी बीच, बागवानी विभाग ने विशेष रूप से महिलाओं के समूह के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा), मुजफ्फरपुर द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डॉ. एस. आर. सिंह, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन(बीकीपिंग), राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था. प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने मधुमक्खियों के 10 बक्सों के साथ मधुमक्खी पालन आरंभ किया.

वर्तमान में 150 मधुमक्खियों के बक्सों के साथ 13 महिला सदस्य हैं. व्यवसाय आरंभ करने के लिए, उन्हें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के पदाधिकारियों की सहायता से यूटीओ बैंक, बोचहा से 2.50 लाख रुपए का ऋण मिला. इसमें लगभग 5000/- रुपये प्रति बॉक्स प्रति वर्ष लागत आई और 6000/- रुपये प्रति बॉक्स प्रति वर्ष आय प्राप्त हुई. यह व्यवसाय पूरे वर्ष जारी रहता है. उनके अपने इलाके में सीजन खत्म होने के बाद, महिलाएं समूह बनाकर शहद इकट्ठा करने के लिए अपने मधुमक्खियों के बक्सों के साथ रांची और पंजाब चली गईं. शहद बेचने के अलावा, वे अन्य इच्छुक लोगों को (मधुमक्खी पालन में रुचि रखने वाले) मधुमक्खी के बक्से और वैक्स प्लेट भी बेचती हैं. पड़ोसी महिला समूह भी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हुईं.

वे बैंक ऋण की राशि वापस कर रही हैं और उन्होंने रिवाँल्विंग फंड के रूप में 60,000.00 रु. की बचत भी की है. इस राशि का उपयोग समूह के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है.

मधुमक्खी पालन एक बहुत ही फलदायी व्यवसाय है अगर इसे बेहतर तकनीकों के साथ व्यवस्थित रूप से लिया जाए. यह व्यवसाय लोगों के जीवन स्तर के उत्थान में बहुत सहायक है. वे प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं और शहद के विभिन्न उप-उत्पादों का उत्पादन भी





करना चाहते हैं. श्रीमती रेखा देवी, समूह की नेत्री और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को लागत पर प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री देती हैं और इस प्रकार उन्हें और अधिक लाभ मिलता है. अब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी से रह रही हैं और उनके बच्चे स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं.

### **मामला - 6: "हेलो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी" : कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार- कर्नूल पृष्ठभूमि**

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी - कर्नूल की स्थापना किसानों तक प्रौद्योगिकी प्रसार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी. यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी विशेषज्ञों के बीच लाइव इंटरैक्टिव कार्यक्रम किसान समुदाय को उनकी समस्याओं का त्वरित और तत्काल समाधान करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं.

**हस्तक्षेप और प्रक्रिया:** कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी - कर्नूल ने वर्ष 2003 - 2004 के दौरान ऑल इंडिया रेडियो - कुरनूल स्टेशन पर एक लाइव कार्यक्रम "हेलो आत्मा" शुभारंभ किया और इसे प्रत्येक सोमवार को सांय 7-30 से 7-45 बजे के बीच वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की टीम के साथ विशेष विषय पर लाइव कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया जाता है. किसान विभिन्न पहलुओं तथा उसमें शामिल 23 विषयों पर फोन नंबर (08518-259386) पर डायल करके और कृषि, पशुपालन, बागवानी, सेरीकल्चर(रेशम उत्पादन), विपणन आदि विषयों पर टीम के सदस्यों को कॉल करके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं. आत्मा(एटीएमए), कर्नूल ने बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी एफआईएसी(फार्म सूचना और सलाहकार केंद्र ) पर किसानों को टेलीफोन सुविधाएं मुफ्त प्रदान की हैं.

**लाभ और उसके प्रभाव:** अलग-अलग गांवों के किसानों ने, यहां तक की महबूब नगर जिले के आसपास के गांवों के किसानों ने भी बहुत रुचि दिखाई और वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की टीम से तकनीकी



जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक सक्रिय रूप से भाग लिया. यह कार्यक्रम कुछ ही समय में किसानों और पदाधिकारियों के बीच लोकप्रिय हो गया है. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कर्नूल ने ऑल इंडिया रेडियो - कर्नूल के माध्यम से 23 कार्यक्रमों का प्रसारण पूरा कर लिया है और 500 से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्तर दिया है.

**सीखे गए सबक और उससे निकाले गए निष्कर्ष:** आंतरिक और दूरस्थ क्षेत्रों के किसान अपनी कृषि संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञों की टीम के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं. किसान अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान करने और आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं.

**संभावनाएं और प्रतिकृति:** कार्यक्रम की सफलता को जिला प्रशासन सहित कई किसानों ने सराहा और इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं.

#### **मामला - 7: विपणन गठजोड़ के साथ फसलों का विविधीकरण -**

**सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि:** मृदा के प्रकार, वर्षा और समुद्र तल से ऊंचाई के आधार जिले को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इस जिले में औसत वर्षा 918 मिलीमीटर है तथा यह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं पूर्वोत्तर मानसून दोनों में समान रूप से बंटा हुआ है. जिले का अधिकांश भूभाग (91%) लाल मिट्टी और लाल रेतीली मिट्टी से युक्त है. चित्तूर और बंगारूपालेम ब्लॉक के कुछ भूभागों में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है. जिले में बारहमासी नदियाँ नहीं हैं. सिंचाई के लिए किसान पूर्णतया तालाबों, कुओं और बोरवेलों पर निर्भर रहते हैं.

इस जिले की प्रमुख फसलें मूंगफली, धान और गन्ना हैं. वर्षा ना होने के कारण जिला सूखाग्रस्त है. रबी के मौसम में आई.डी. परिस्थिति के अंतर्गत 28,000 हेक्टेयर में मूंगफली की खेती की जाती है. खरीफ के मौसम में 35,000 हेक्टेयर और रबी के मौसम में 48,000 हेक्टेयर में धान



की खेती की जाती है। रबी के मौसम में 35,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। जल की समस्या और कीमत में अस्थिरता के कारण प्रमुख फसलों की खेती घटती जा रही है।

किसानों और विपणन संस्थाओं के बीच शायद ही कोई आपसी संबंध है। उत्पादकों के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ का अधिकांश हिस्सा बिचौलियों को मिलता है।

**हस्तक्षेप और उसकी प्रक्रिया:** मृदा क्षरण, पोषक तत्वों के असंतुलन, भूमिगत जल संसाधनों में कमी और अनियमित वर्षा के मद्देनजर किसानों को अपनी कृषि प्रणालियों के भीतर विविधता लाने की अत्यंत आवश्यकता है। जिले के किसान मुर्गी पालन और दुग्ध उद्योग पर निर्भर हैं जो सहायक आय के प्रमुख स्रोत हैं।

राज्य के चित्तूर जिले में मुर्गीपालन करने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। जिला स्तर पर मुर्गीपालन उद्योग का गठन एक संघ के रूप में किया गया है जिसका नाम “चित्तूर जिला मुर्गीपालन संघ” है। पोल्ट्री फीड(मुर्गियों के लिए भोजन) तैयार करने के लिए, जिला संघ प्रतिदिन पड़ोसी राज्य कर्नाटक से 30 से 32 ट्रक (300 से 320 मीट्रिक टन) मक्का आयात कर रहा है।

चित्तूर जिले की मृदा मक्के की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, यहां तक कि जिले के भीतर तात्कालिक बाजार उपलब्ध है और फसल को कम पानी की आवश्यकता है, फिर भी किसान मक्के की खेती करने के प्रति उदाशीन हैं तथा जिले में केवल 80 हेक्टेयर भूमि पर मक्के की खेती की जाती है।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी , चित्तूर ने मक्के की फसल की मांग और संभावनाओं की पहचान की है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के परियोजना निदेशक और अध्यक्ष ने जिले में मक्के की फसल को लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2002 में खरीफ सीज़न में, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने सभी ब्लॉकों में मक्के की फसल पर 22 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने मक्के की फसल के प्रचार के लिए



लीफलेट/पैम्फलेट भी छपवाए. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने छह ब्लॉकों से कर्नाटक राज्य में छह एक्सपोजर दौरे भी करवाए. मक्का अनुसंधान केंद्र, राजेंद्रनगर के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करके राजस्व मंडल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. 710 पुरुषों और 110 महिला सदस्यों को शामिल करके अस्सी मक्का एफआईजी (FIGs) का गठन किया गया था.

**प्रभाव:** कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, चित्तूर ने जिला मुर्गीपालन संघ से संपर्क किया और मक्का उत्पादकों से मक्का खरीद पर समझौता किया. मुर्गीपालन संघ ने एक लिखित समझौता किया कि वे @ Rs.485/- प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के का बीज खरीदेंगे. मुर्गीपालन संघ ने मक्का उत्पादकों को मुफ्त में 2 मीट्रिक टन पोल्ट्री खाद की आपूर्ति करने पर भी अपनी सहमति दी.

मक्के की फसल को बढ़ावा देने के लिए, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, चित्तूर ने वर्ष 2002 में खरीफ सीज़न में, 400 एकड़ के लिए और वर्ष 2002-03 में रबी सीज़न में 1000 एकड़ के लिए, मुफ्त में मक्के की बीज की आपूर्ति की है, यह तकनीकी सहायता मक्के की खेती के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी और बीटीटी अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दी गई.

#### परिणाम:

- पुलिचर्ला ब्लॉक के श्री कनकराजुलु के मामले के अध्ययन से पता चलता है कि किसानों को प्रति एकड़ 20 कुंतल उपज प्राप्त होता है और 9,000 रुपए का शुद्ध लाभ होता है जबकि खेती की लागत के रूप में मामूली रूप से 1,500 रुपए खर्च होता है.
- सूखे और सीमित भूजल उपलब्धता की स्थिति में अर्थात् सिंचित शुष्क परिस्थितियों में मक्के की फसल को गन्ना और मूंगफली की वैकल्पिक फसल के रूप में स्वीकार किया जाता है.
- मक्के की फसल का रखरखाव बहुत आसान है क्योंकि फसल कीटों और रोगों से मुक्त है..



- फसल 100 से 120 दिनों की अवधि में तैयार हो जाती है और उसकी तत्काल बिक्री के लिए जिले के भीतर बाजार उपलब्ध है.
- फसल काटने के बाद किसान डंठल का उपयोग हरे चारे के रूप में मवेशियों के लिए उपयोग कर सकते हैं.
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के हस्तक्षेप करने से जिले में मक्के की खेती के अंतर्गत भूमि 80 हेक्टेयर से बढ़कर 1150 हेक्टेयर हो गई है.

**सीखे गए सबक:** घटते भूजल संसाधन के कारण, किसान मक्के की खेती करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा उन्होंने सिंचित शुष्क परिस्थितियों में गन्ने और मूंगफली जैसी पारंपरिक फसलों के स्थान पर वैकल्पिक फसल के रूप में मक्के की खेती करना स्वीकार कर लिया है. चूंकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध है इसलिए मक्के की खेती में भारी वृद्धि हुई है.

बाजारों के साथ इस प्रकार के उचित संपर्क न केवल समग्र आय में सुधार करते हैं, बल्कि उच्च उत्पादन तकनीक को अपनाने और वर्तमान कृषि प्रणालियों के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करते हैं. किसानों को अपनी कृषि प्रणालियों में विविधीकरण की आवश्यकता का एहसास हो गया है.

#### **मिलने वाले आर्थिक लाभ**

- खेती की लागत कम है.
- अन्य आईडी फसलों की तुलना में सूखे की स्थिति में सिंचाई के जल की आवश्यकता कम हो जाती है.
- कीटों और बीमारियों से मुक्त.



- फसल की अवधि कम है तथा किसानों को तत्काल लाभ मिलेगा

### 2.3 उपसंहार

उपरोक्त सफलता की कहानियों से संकेत मिलता है कि सक्रिय भागीदारी, सामूहिक प्रयासों तथा विस्तार के योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से कृषक समुदाय के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है।

उपरोक्त सफलता की कहानियाँ केवल एक संकेत हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर कई सफलता की कहानियाँ उपलब्ध हैं। विस्तार अधिकारियों को ऐसे अभिनव सफलता के मामलों की पहचान करनी होगी और उन्हें प्रलेखित करना होगा। इन प्रलेखित मामलों का उपयोग प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों में पड़ोसी किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार सफलता के क्षेत्रों का उपयोग एकसपोज़र दौरों के दौरान बड़े पैमाने पर अप-स्केलिंग हेतु किसानों को आश्वस्त करने के लिए किया जा सकता है।

### 2.4 प्रश्न:

1. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) में किसान की सफलता की कहानी लिखिए।
2. बकरी पालने वाले किसान की सफलता की कहानी का वर्णन करिए।
3. एक किसान की सफलता की कहानी लिखिए जिसे आपने मूल्य संवर्धन करते हुए देखा है।

### 2.5 आगे सुझाए गए अध्ययन

1. Extension Education / Reddy, Adivi A. Bapatla, Guntur : Sree Lakshmi Press , 1993
2. Management of Agricultural Extension in Global Perspectives / Samantha, R K. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 1997



3. Gallagher K. 1999. Farmers Field School (FFS) – A Group Extension Process based on Non-Formal Education Methods. Global EPM Facility, FAO.
4. PM. 2002. Textbook of Extension Education. Himalaya Publ.
5. Ganesan R, Iqbal IM & Anandaraja N. 2003. Reaching the Unreached: Basics of Extension Education. Associated Publishing Co.
6. Chandrakandan KM, Senthil Kumar & Swatilaxmi. PS. 2005. Extension Education What? And What not ? RBSA Publishers.
7. Ray GL. 2006. Extension Communication and Management. Kalyani Publ.
8. Changing roles of Agricultural Extension in Asian Nations / Ban, A W Vanden. Delhi: B.R. Publishing Corporation , 2006
9. Jalihal KA & Veerabhadraiah V. 2007. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension. Concept Publ. Khan